निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण
पर
अनुदेशों का सार-संग्रह

अगस्त 2023

दस्तावेज 6 – संस्करण 9

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

“कोई मतदाता न छूटे”

विषय सूची

अनुलग्नक का संक्षिप्त विवरण	अनुलग्नक सं.	पृष्ठ सं.
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रस्तावना एवं सम्बध्द विधिक उपबंध	**क**	1-19
कानूनी प्रावधान (भारतीय दण्ड संहिता, 1860; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 से सुसंगत उध्दरण)	क1	5-19
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रस्तावना की संरचना एवं इसके विभिन्न अंगों के प्रकार्य	**ख.**	20-69
व्यय प्रेक्षक की आगमन / नर्गम रिपोर्ट	ख1	37
व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट-I	ख2	38-39
व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट-II	ख3	40-41
व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट-III	ख4	42-43
व्यय प्रेक्षक की अंतिम रिपोर्ट (रिपोर्ट-IV)	ख5	44-45
व्यय प्रेक्षकों से फीडबैक/स्टेटस रिपोर्ट का प्रोफार्मा	ख6	46-47
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा **दैनिक जब्ती रिपोर्ट का प्रोफार्मा** और अंतरराज्यीय सीमा चौकियों/क्षेत्रों में की गई दिन-प्रतिदिन की जब्ती	ख7	48-50
उड़न दस्ते द्वारा नकदी / अन्य मदों की जब्ती तथा संबंधित शिकायतों पर दैनिक गतिविधि रिपोर्ट	ख8	51
आदर्श आचार संहिता संबंधी शिकायतों पर उड़न दस्ते द्वारा दैनिक दतिविधि रिपोर्ट	ख9	52
स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा दैनिक गतिविधि रिपोर्ट	ख10	53
अन्वेषण निदेशालय द्वारा गतिविधि रिपोर्ट का प्रारुप	ख11	54
राज्य / जिला स्तर के नोडल ऑफिसर द्वारा आई.एम.एफ.एल / बीयर / देशी शराब की एकांतर दिवस रिपोर्ट के लिए फार्मेट	ख12	55-56
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के दैनिक लेखा के रख-रखाव के लिए छाया प्रेक्षण रजिस्टर	ख13	57
सहायक व्यय प्रेक्षक की दैनिक रिपोर्ट	ख14	58
वीडियो निगरानी दलों के लिए क्यू शीट	ख15	59
प्रिन्ट / इलेक्ट्रनिक मीडिया में विज्ञापनों / पेंड न्यूज का विवरण	ख16	60-61
कॉल सेन्टर सूचना पर रिटर्निंग अधिकारी की दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट	ख17	62
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीमों की तैनाती के कार्यकाल के संबंध में स्पष्टीकरण के संबंध में आयोग का दिनांक: 07.04.2014 का पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2014 / ईईपीएस/ खंड-I	ख18	63

व्यय प्रक्षेकों तथा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की सभी प्रर्वतन एजेंसियों के बीच समन्वय एवं सूचना का आदान-प्रदान के संबंध में आयोग का दिनांक: 22.03.2016 का पत्र सं. 76 / अनुदेश / ईईपीएस / 2016 / खंड-2	ख19	64
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण संबंधी तैयारी के संबंध में आयोग का दिनांक: 22.03.2019 का पत्र सं. 76/अनुदेश/2019/ईईपीएस/खंड. XV	ख20	65-66
उड़न दस्ते और स्थैतिक निगरानी टीम की तैनाती के संबंध में आयोग का दिनांक: 22.04.2019 का पत्र सं. 76 / भा.नि.आ. / अनु. / प्रका. / ईईएम / ईईपीएस / 2019 /खंड V	ख21	67
विदेशी मुद्रा की जब्ती के संबंध में आयोग का दिनांक: 17.05.2019 का पत्र सं. 61/शिकायतें/साधारण निर्वाचन-लोक सभा/2019/ईईपीएस/खंड-XV	ख22	68
व्यय अनुवीक्षण में रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भूमिका	**ग.**	69-137
अधिकारियों द्वारा यथा-प्रेक्षित विवरण का फार्मेट (निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक)	ग1	82
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मासिक रिपोर्ट (भाग-क एवं ख)	ग2	83-84
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की मतदान के दिन तक की रिपोर्ट	ग3	85-86
मतदान दिवस तक पुलिस विभाग द्वारा की गई जब्तियों के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट	ग4	87-88
मतदान दिवस तक आयकर विभाग द्वारा की गई जब्तियों के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट	ग5	89
मतदान दिवस तक उत्पाद शुल्क विभाग की जब्ती तथा छापा मारने / परिसम्पत्तियों इत्यादि के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट	ग6	90
निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना-दर चार्ट की तैयारी आयोग का पत्र सं. 76 / 2004 / जे.एस. –II दिनांक: 17.03.2004	ग7	91-93
अभ्यर्थियों का दैनिक लेखा रजिस्टर डीईओ / सीईओका वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में आयोग की पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2013 / ईईपीए / वाल्यूम-VIII दिनांक: 25.10.2013	ग8	94
मतदान / मतगणना एजेंटों के लिए जलपान और कियोस्क पर व्यय:- अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्चों में सांकेतिक खर्च का लेखांकन करने के संबंध में आयोग का पत्र सं. 76 / अनुदेश / ईईपीएस / 2015 / खण्ड-XIX, दिनांक: 30.12.2014	ग9	95
जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी) के साथ अभ्यर्थियों / निर्वाचन एजेंटों की लेखा समाधान बैठक-तत्संबंधी पत्र संख्या 76 / अनुदेश / ईईपीएस / 2015 / खण्ड-II दिनांक: 29.05.2015	ग10	96-99

हैलीकॉप्टर के बारे में अंतिम क्षणों में अभ्यर्थियों / राजनैतिक दलों द्वारा परिवर्तन-डीईओ द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनुमति - तत्संबंधी। आयोग का दिनांक: 11.10.2015 का पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2015 / ईईपीएस / खंड-II	ग11	100
अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखों के संबंध में सार रिपोर्ट और संवीक्षा रिपोर्ट की तैयारी हेतु प्रक्रिया-आयोग का दिनांक: 02.06.2016 का पत्र संख्या 76 / अनुदेश / 2015 / ईईपीएस / खंड-XIV	ग12	101-103
जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट का संशोधित फार्मेट (आयोग का दिनांक: 02.06.2016 पत्र संख्या 76 / अनुदेश / 2015 / ईईपीएस / खंड-XIV	ग13	104-108
दर चार्ट से टी-शर्ट, साड़ी इत्यादि मदों का अपवर्जन के संबंध में आयोग का दिनांक: 13.12.2017 का पत्र सं. 76 / **ईसीआई / अनु. / प्रका. / ईईएम / ईईपीएस / 2017 / खंड XIX**	ग14	109
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान 3 बार अभ्यर्थियों के लेखे के निरीक्षण के लिए तारीख नियत करने के संबंध में आयोग का दिनांक: 18.02.2019 का पत्र सं. **76/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/ईईएम/ईईपीएस/2019/खण्ड**-VI।	ग15	110
अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम-निर्देशन पत्रों के साथ भरे जाने वाले शपथपत्रों व संशोधित प्रपत्र-आयोग का दिनांक: 28.02.2019 का पत्र सं. 3 / 4 / 2019 / एसडीआर / वाल्यूम-I	ग16	111-122
लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019-ईईएमएस सॉफ्टवेयर में जिला निर्वाचन अधिकारियों की संवीक्षा रिपोर्ट दाखिल करना। आयोग का दिनांक: 19.06.2019 का पत्र सं. 76 / ईसीआई / अनुदेश / प्रकार्यात्मक / नि.व्य.प्र. / ईईपीएस / 2019 / खंड-III।	ग17	123-125
निर्वाचन व्यय के अपने लेखे को प्रस्तुत करने के संबंध में चूक करने वाले अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में आयोग का दिनांक: 09.07.2019 का पत्र सं. 76 / **ईसीआई / आईएनएसटी / एफयूएनसी / ईईएम / ईईपीएस / 2019 / खंड. III।**	ग18	126-129
अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखों से संबंधित मामले - निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन विहित समय-सीमा और आयोग के अनुदेशों का अनुपालन के संबंध में आयोग का दिनांक: 24.07.2020 का पत्र सं. 76 / भा.नि.आ. / अनुदेश / प्रकार्य / नि.व्यय संवीक्षा / ईईपीएस / 2020 / खंड-VI।	ग19	130-131
नाम-निर्देशन प्ररूप एवं शपथ-पत्र (निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न प्ररूप 26 में) में अभ्यर्थियों द्वारा वैयक्तिक विवरण	ग20	132-137

की ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि की वैकल्पिक सुविधा के संबंध में आयोग का दिनांक: 01.10.2020 का पत्र सं. 3 / **ईआर / 2020 / एसडीआर / वाल्यूम.।।।**		
निर्वाचन अभियान पर व्यय का अनुवीक्षण	**घ.**	138-205
जन सभाओं / रैलियों इत्यादि पर व्यय का विवरण	घ1	157-158
पैम्फलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध से संबंधित आयोग का पत्र सं. 3 / 9 (इ.एस.008) / 94-जे.एस.-II, दिनांक: 02.09.1994	घ2	159-165
बैरिकेड तथा मंच इत्यादि पर उपगत किए जाने वाला व्यय (आयोग की पत्र सं. 76 / 2004 / जे.एस.-II, दिनांक: 10.04.2004)	घ3	166-167
राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार-अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के संबंध में (आयोग की पत्र सं. 576 / 3 / 2005 / जे.एस.-II, दिनांक: 29.12.2005	घ4	168-171
मुख्य प्रचारकों द्वारा यात्रा पर निर्वाचन व्यय - निर्वाचन अभियान आदि के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना (आयोग की पत्र संख्या 437 / 6 / 1 / 2008 / सीसी एण्ड बीई, दिनांक: 24.10.2008	घ5	172-173
मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला पदाधिकारियों के लिए वाहन परमिट (आयोग की पत्र सं. 464 / अनुदेश / 2011 / ईपीएस दिनांक: 28.03.2011)	घ6	174
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण-अभ्यर्थियों से संबंधित व्यय-नकद भुगतान के संबंध में दिनांक: 07.04.2011 का आयोग का पत्र सं. 76/ अनुदेश / 2011 / ई ई एम	घ7	175-176
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के प्रचारकों द्वारा किए गए आवास व्यय संबंधी स्पष्टीकरण के बारे में आयोग का 03.06.2011 का पत्र सं. 464 / आ.प्र.-लो.से एवं आ.प्र-वि.स./बी ई / 2011 /ई ई एस	घ8	177-178
अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों को लेखा में शामिल करना - सामुदायिक भोजन (लंगर, भोज इत्यादि) पर उपगत व्ययों के संबंध में दिनांक: 05.12.2011 का आयोग का पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2011 /ई ई एम	घ9	179
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण (2) के अधीन आने वाले पार्टी नेताओं (स्टार प्रचारकों) के निर्वाचन व्यय के संबंध में दिनांक: 20.01.2012 का आयोग का पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2012 /ई ई पी एस	घ10	180-181
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन के दौरान वीडियो वैनों के प्रयोग पर स्पष्टीकरण-उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर तथा गोआ की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2012 के संबंध में 09.02.2012 का आयोग का पत्र सं. 76 / अनुदेश /2012 /ई ई पी एस / खंड-।	घ11	182
संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचनों के दौरान संदेहास्पद लेन-देन के संबंध में बैंकों से सूचना एकत्र करने के संबंध में दिनांक: 19.07.2012 का आयोग का पत्र सं. 61 / शिकायतें / ए पी-एल एस / 2012 / ई ई पी एस	घ12	183-184

शराब को बिक्री की दैनिक रिपोर्ट के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग का अनुदेश-पत्र सं. 76 / अनुदेश / ईईपीएस / 2013 / वाल्यूम-VIII दिनांक: 14.11.2013-निर्वाचनों के दौरान शराब के भंडारण और अवैध वितरण पर रोक लगाना	घ13	185-191
निर्वाचन प्रचार में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के संदर्भ में आयोग का अनुदेश आयोग की पत्र सं. 494 / एसएम / 2013 / संचार, दिनांक: 25.10.2013	घ14	192-194
राजनीतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक) के साथ यात्रा कर रहे व्यक्तियों जैसे मेडिकल परिचर, सिक्यूरिटी गार्ड, मीडिया प्रतिनिधि, आदि पर हुए व्यय के लेखाकरण के संबंध में आयोग की पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2012 / ईईपीएस वाल्यूम-I, दिनांक: 22.01.2014	घ15	195-196
मंत्रियों / अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले सुरक्षा कवर पर व्यय संबंधी आयोग का अनुदेश पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2014 / ईईपीएस / वाल्यूम-VII दिनांक: 09.04.2014	घ16	197-198
अभ्यर्थी / स्टार प्रचारक द्वारा मतदान के पश्चात तथा परिणाम की घोषणा से पूर्व यात्रा-संबंधी आयोग का अनुदेश पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2014 / ईईपीएस / खण्ड-I दिनांक: 09.05.2014	घ17	199
लोकसभा साधारण निर्वाचन-2014-विमान/ हेलिकॉप्टर के पार्किंग प्रभार का लेखांकन-संबधी आयोग का अनुदेश पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2014 / ईईपीएस / खंड-VI दिनांक:: 09.06.2014	घ18	200
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए वाहनों की अनुमति और निर्वाचन व्यय के लेखों में व्यय उपगत कराना- तत्संबंधी आयोग का पत्र सं. 76 /अनुदेश / ईईपीएस / 2015 / वाल्यूम-II, दिनांक: 29.05.2015	घ19	201
अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्यय के संबंध में प्रचार अभियान हेतु विदेशों के भ्रमण पर यात्रा व्यय के बारे में आयोग के दिनांक: 30.04.2016 के पत्र सं. 76 / 2016 / एसडीआर	घ20	202-203
विज्ञापनों/पारदर्शिता रिपोर्ट पर खर्च पर नज़र रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संबंध में आयोग की पत्र सं. 76 / ईसीआई / अनु.प्रकार्या / ईईएम / ईईपीएस / 2019 / खंड-XX, दिनांक: 18.04.2019	घ21	204
लोकसभा के साधारण निर्वाचन-2019-हैलीपैड निर्माण और पार्किंग प्रभारो पर उपगत व्यय का लेखाकंन-स्पष्टीकरण-तत्संबंधी (आयोग की पत्र सं. 76 / ईसीआई / अनु. / प्रकार्या / ईईपीएस / 2019 / खंड-XVIII दिनांक: 19.05.2019	घ22	205
अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखे का रख-रखाव करना	**ङ**	**206-246**
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन लेखों के रख-रखाव हेतु रजिस्टर	ङ1	216-222
निर्वाचन व्ययों का सार विवरण	ङ2	223-231

व्यय संबंधी मामलों के लिए अतिरिक्त एजेन्ट नियुक्त करने के लिए फार्मेट	ङ3	232
वह भाषा, जिसमें निर्वाचन लड़ने वाल्ले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जा सकता है (आयोग का पत्र सं. 76 / 95 / जे.एस.-II, दिनांक 10.04.1995	ङ4	233
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 7 (1) के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम (आयोग का पत्र सं. 3 / 1 / 2004 / जे. एस.-II, दिनांक 03.04.2004)	ङ5	234
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 7 (1) के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण के खंड (क) का लाभ प्राप्त करते हुए पार्टी प्रचारकों द्वारा सड़क परिवहन के प्रयोग से संबंधित आयोग का पत्र सं. 437 / 6 / आई एन एस टी / 2008-सी सी तथा बी ई, दिनांक 31.10.2008	ङ6	235-236
अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खोलने के संबंध में आयोग का पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2013 / ईईपीएस / वाल्यूम-IV, दिनांकः 15.10.2013	ङ7	237-238
निर्वाचनों के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य से किसी व्यक्ति, इकाई या राजनैतिक दल से प्राप्त अंशदान इत्यादि-तत्संबंधी, आयोग का पत्र सं. 76 / अनुदेश / ईईपीएस / 2015 / वाल्यूम-II, दिनांकः 09.06.2015	ङ8	239
अभ्यर्थी की मृत्यु के कारण स्थगित मतदान में निर्वाचन व्यय की सीमा के संबंध में आयोग का अनुदेश पत्र सं. 76 / **ईसीआई / अनुदेश / प्रकार्या. / ईईएम / ईईपीएस** / 2018 /**खण्ड.I,** दिनांकः 19.02.2018	ङ9	240-241
मृत्यु के मामले में शपथपत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं हस्ताक्षर करने के संबंध में स्पष्टीकरण के संबंध में आयोग का अनुदेश पत्र सं. 76 / **ईसीआई / अनुदेश / प्रकार्या. / ईईएम / ईईपीएस** / 2018 / **खण्ड. VII,** दिनांकः 23.03.2018	ङ10	242
अभ्यर्थियों।राजनीतिक दलों द्वारा एक दिन में नकद रूप में लेनदेन के माध्यम से निर्वाचन व्यय/चंदे की न्यूनतम सीमा का पुनरीक्षण- रू 10,000/- (दस हजार) से अधिक के लेन-देन का चेक, डीडी, आरटीजीएस/एनईएफटी या अन्य इल्लेक्ट्रॉनिक माध्यम आदि के द्वारा करना तत्संबंधी- आयोग का अनुदेश पत्र सं. 76/अनुदेश/2018/ईईपीएस, दिनांक: 12 नवम्बर, 2018	ङ11	243-244
अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा एकल दिन में चैक, डीडी, आरटीजीएस/एनईएफटी अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इत्यादि के द्वारा 10,000/-रू. (दस हजार रूपये) से अधिक नकद लेन देन के माध्यम से निर्वाचन व्यय/चंदे की राशि की न्यूनतम सीमा में संशोधन – स्पष्टीकरण तत्संबंधी- आयोग का अनुदेश पत्र सं. 76/अनुदेश/2018/ईईपीएस, दिनांक: 30 नवम्बर, 2018	ङ12	245-246

राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखे का रख-रखाव करना	**च.**	247-290
निर्वाचन के दौरान नकदी को लाने ले जाने के लिए राजनीतिक दलों को एडवाइजरी देने के संबंध में आयोग का अनुदेश पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2010 / 37-465 दिनांकः 20.10.2010	च1	253-254
मतदान की तारीख के पश्चात स्टार प्रचारकों तथा निर्वाचन लड़ने वाल्ले अभ्यर्थी द्वारा एयरक्राफ्ट्स / हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करने पर व्ययों को जोड़ा जाना-तत्संबंधी-आयोग का पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2012 / ई ई पी एस, दिनांकः 09.02.2012	च2	255-256
राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्यय की विवरणी फाइल करने के लिए प्रपत्र का आशोधन-विधान सभा निर्वाचनों के 75 दिनों / लोक निर्वाचनों के 90 दिनों के अंदर फाइल किया जाएगा। (आयोग का दिनांक 21.01.2013 का पत्र सं. 76 / ईई / 2012-पीपीईएमएस)	च3	257-271
दल की निधियों एवं निर्वाचन व्यय मामलों में पारदर्शिता एवं लेखांकन पर दिशा-निर्देश-संबंधी आयोग का अनुदेश पत्र सं. 76 / पीपीईएमएस / पारदर्शिता / 2013 दिनांक : 29.08.2014	च4	272-274
दल की निधियों एवं नि व्यय के संबंध में पारदर्शिता एवं लेखांकन-अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण पर दिशा-निर्देश सबंधी आयोग का पत्र सं. 76 / पीपीईएमएस / पारदर्शिता / 2014, दिनांक 14.10.2014	च5	275-279
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी राजनैतिक दलों के लिए पारदर्शिता संबंधी दिशा-निर्देश के स्पष्टीकरण के बारे में आयोग का पत्र सं. 76 / पीपीईएमएस / पारदर्शिता / 2013, दिनांक 19.11.2014	च6	280-281
राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के संबंध में आंशिक नि व्यय विवरण, निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के अंदर दाखिल करना – तत्संबंधी। आयोग का दिनांक 08.09.2015 का पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2015 / ईईपीएस / खंड-II	च7	282-285
अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की संक्षित विवरणी तथा राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्य्य की सारणी का संशोधित फार्मेट-तत्संबंधी-आयोग का दिनांकः 08.05.2019 पत्र सं. 76/ईसीआई/अनुदेशा/ईईएम/ईईपीएस/2019/खण्ड-XVII	च8	286-287
अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय का सार विवरण और राजनैतिक दल के निर्वाचन व्यय के विवरण का संशोधित फॉर्मेट-तत्संबंधी। आयोग का दिनांक 15.01.2022 का पत्र सं. 76/वर्चुअल कैंपेन/ईईपीएस/2022	च9	288-289
राजनैतिक दलों द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करना - तत्संबंधी। आयोग का दिनांक 21.01.2022 का पत्र सं. 56/एए/2020-21/पीपीईएमएस	च10	290

उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों, एटीएम वाहनों, हैलीकॉप्टरों आदि की जांच करने के लिए और आयकर विभाग आदि द्वारा अनुवीक्षण करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं	**छ.**	291-337
आयकर विभाग द्वारा अनुवीक्षण के संबंध में भारत नि आयोग का दिनांकः16.01.2013 का पत्र सं. 76 / अनुदेश / ई ई पी एस / 2013 / खंड-II	छ1	297-299
निर्वाचनों के दौरान बैंकों द्वारा यथार्थ एवं उचित नकदी का परिवहन करने के संबंध में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांकः20.02.2013 का पत्र सं. एफ सं. 60(2) / 2008-बीओ-II	छ2	300-301
आयोग के दिनांक 24.03.2013 के पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2013 / ईईपीएस / वाल्यूम-I में संशोधन संबंधी आयोग का दिनांकः 18.04.2013 का पत्र सं. 76 / अनुदेश / 2013 / ई ई पी एस / वाल्यूम-अ	छ3	302-303
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विमान पत्तनों के माध्यम से संदेहास्पद धन / सोना-चांदी (बुलियन) के परिवहन पर रोक लगाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया के संबंध में दिनांकः 03.07.2013 का कार्यालय ज्ञापन सं. सी ए एस-7 (15) / 2012 / डिव-I (निर्वाचन), भारत सरकार, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) 'ए' विंग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001- तत्संबधी	छ4	304-307
का.ज्ञा. सं. सीएएस-7 (15) / 202-डिवीजन- (निर्वाचन), कार्यालय ज्ञापन दिनांकः 04.10.2013, दिनांकः 11.10.2013 का अनुशेष, कार्यालय ज्ञापन दिनांकः 03.07.2013 के अनुशेष से संबंधित	छ5	308-310
महानिरीक्षक, सीआईएसएफ, नई दिल्ली को निर्गत बीसीएएस आदेश सं. सीएएस-7 (15) / 2012 / डिवीजन (निर्वाचन) भारत सरकार, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) 'ए' विंग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001, दिनांकः12.11.2013	छ6	311-312
नकदी तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़े जाने के लिए लिए मानक प्रचलन प्रक्रिया पत्र सं. 76 / अनुदेश / ईईपीएस / 2015 / खंड-II, दिनांकः 29.05.2015	छ7	313-321
गैर अनुसूचित आपरेटर परमिट धारक (एन एस ओ पी) की सूची के संबंध में आयोग का दिनांकः 20.01.2016 का पत्र सं. 76 / अनुदेश / ईईपीएस / 2015 / खंड-V (केवल अग्रेषण पत्र)।	छ8	322
किसी भी परिसर में नकदी या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के भंडारण के संबंध में शिकायत की प्राप्ति पर उड़न दस्तों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया के संबंध में आयोग का दिनांकः 04.04.2016 का पत्र सं. 76 / अनुदेश / ईईपीएस / 2016 / खंड-II	छ9	323-324

चुनाव के दौरान संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, ड्रग्स/स्वापक, मुफ्त वस्तुओं और तस्करी के सामान के प्रवाह को रोकने के लिए सीबीआईसी के अधिकारिता क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा निवारक सतर्कता तंत्र को और आगे बढ़ाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के सन्दर्भ में सीबीआईसी का दिनांकः 06.07.2023 का पत्र सं. सीबीआईसी-21/125/2021-आईएनवी-सीमा शुल्क-सीबीईसी	छ10	325-332
निर्वाचनों के दौरान खुदरा बिक्री केंद्रों पर ईंधन खरीदने के लिए कूपनों की बिक्री के दुरूपयोग पर अंकुश लगाना **सन्दर्भ में** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का दिनांकः 02.08.2023 का पत्र सं. एम-11045/7/2023-वितरण-पीएनजी	छ11	333
व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (ईएससी) और व्यय संवेदनशील पॉकेट (ईएसपी) को अभिचिह्नित करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)-तत्संबंधी आयोग का दिनांकः 03.08.2023 का पत्र सं. 76/एसओपी/ईएससी-ईएसपी/ईसीआई/ईईपीएस/2023	छ12	334-337
रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अभ्यर्थी एवं राजनीतिक दल के लिए जांच-सूचियां	**ज.**	338-356
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)	**झ.**	357-367

‘क’

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण

प्रस्तावना

एवं

सम्बध्द

विधिक उपबंध

<u>प्रस्तावना :-</u>

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के नाते संसदीय निर्वाचनों के साथ-साथ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभा निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) में निहित है, इसलिए आयोग के लिए यह सुनिश्चित करना बाध्यकारी और अनिवार्य हो जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जाए। आयोग का यह प्रयास रहा है कि अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों समेत सभी हितधारकों के लिए एकसमान अवसर दिए जाने के सिद्धांत को न बिगाड़ा जाए और निर्वाचन प्रक्रिया को धन शक्ति के दुरुपयोग सहित किसी भी साधन से दूषित नहीं हुआ दिया जाए।

ऐसे लोगों से, जो निर्वाचकों के अधिदेश को धता बताने पर आमदा थे, उत्पन्न बढ़ते खतरे को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने समग्र निर्वाचन प्रबंधन में उभरती चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने का कृत संकल्प लिया और इस तरह, इसने 2010 में आयोजित बिहार विधान सभा के निर्वाचनों के साथ शुरू करके निर्वाचन व्यय के लिए सहूलियत देने और इसका अनुवीक्षण करने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र अपनाया। धन और बाहुबल के खतरे पर अंकुश लगाते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि आम जनता को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। वस्तुत:, यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जाते हैं कि मतदाताओं को रिश्वत देने वाले और निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने वाले अन्य भ्रष्ट आचरणों का मुकाबला करने में आयोग के तंत्र की मदद करने में एक हितधारक बनने के प्रति जमीन पर मौजूद आम आदमी को संवेदनशील बनाया जाए।

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का उद्देश्य

निर्वाचन व्यय को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। निर्वाचन व्यय की पहली श्रेणी विधिक व्यय है, जिसकी निर्वाचन-प्रचार के लिए कानून के अंतर्गत अनुमति दी गई है बशर्ते वह अनुमेय सीमा के भीतर हो। इसमें प्रचार-अभियान से जुड़ा वह व्यय भी शामिल होगा जो सार्वजनिक बैठकों, सार्वजनिक रैलियों, पोस्टरों, बैनरों, वाहनों, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में विज्ञापनों पर खर्च की जाती है। निर्वाचन व्यय की दूसरी श्रेणी में उन मदों पर किए गए खर्च शामिल हैं जिनकी कानून के तहत अनुमति नहीं दी जाती है जैसे कि धन, शराब का वितरण, या निर्वाचकों को प्रभावित करने के प्रयोजन से वितरित की गई या दी गई कोई अन्य वस्तु। यह व्यय "रिश्वत" की परिभाषा के तहत आता है जो दंड प्रक्रिया संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अधिनियम) दोनों के तहत अपराध है। ऐसी वस्तुओं पर व्यय अविधिमान्य होता है। मगर हाल के दिनों में जो व्यय सामने आ रहा है, वह छद्म (सरोगेट) विज्ञापनों, पेड न्यूज और सोशल मीडिया इत्यादि पर है। इस तरह, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का दोहरा उद्देश्य है। व्यय की पहली श्रेणी के लिए, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत व्यय लेखा की संवीक्षा करते समय अनुमत मदों पर सभी निर्वाचन व्यय की सत्यतापूर्वक रिपोर्ट की जाए और उस पर विचार किया जाए। जहां तक छद्म विज्ञापनों, पेड न्यूज इत्यादि सहित व्यय की दूसरी श्रेणी का संबंध है, यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा कभी भी इसकी सूचना नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से किए गए प्रचार पर हुए व्यय को, खासकर उम्मीदवारों द्वारा कम करके बताए जाने की प्रवृत्ति होती है। प्रणालियों को इतना अधिक सशक्त होना चाहिए कि ऐसे व्यय को भी दर्ज किया जाए, और इसे न केवल निर्वाचन व्यय के लेखे में शामिल किया जाए अपितु गलत कार्य करने वालों के विरुद्ध

कानून के संगत उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाए, जिसमें जरूरत पड़ने पर पुलिस/सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायतें दर्ज करना शामिल है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अनुसार लोक सभा या राज्य विधान सभा के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख (जिसमें दोनों ही तिथियां सम्मिलित हैं) के मध्य उसके द्वारा या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है | उपरोक्त व्यय का कुल योग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (3) के अधीन निर्धारित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। धारा 77(2) के अधीन लेखें में ऐसे विवरण निहित होने चाहिए जैसे कि निर्धारित किए गए हों। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 90, प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन व्यय की विभिन्न सीमाएं निर्धारित करता है। वे विवरण जिन्हें अभ्यर्थी के निर्वाचन लेखे में दिखाया जाना है, इन नियमों के नियम 86 में निर्धारित हैं। व्यय पर निर्धारित सीमाएं **अनुलग्नक-क1** में संलग्न हैं। लेखे के अनुरक्षण में असफलता भारतीय दंड- संहिता की धारा 171-झ के अधीन एक निर्वाचन अपराध है। (मूल विधिक उपबंध **अनुलग्नक-क1** में दिए गए हैं)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(6) के संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (3) के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया जाना एक भ्रष्ट आचरण है। लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्वाचनों में निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना भ्रष्ट आचरण है, इसे उच्चतम न्यायालय ने कंवरलाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला (ए आई आर 1975 एस सी 308) में इस प्रकार स्पष्ट किया है :

"... व्यय सीमित करने के प्रावधान द्विउद्देशीय हैं। प्रथमतः यह किसी भी व्यक्ति या किसी भी शजनैतिक पार्टी, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, की सामर्थ्य में होना चाहिए जिससे कि वे किसी भी अन्य व्यक्ति या राजनैतिक पार्टी, चाहे वह कितनी भी धनी और वित्त पोषित हो, के साथ समानता के आधार पर निर्वाचन लड़ने में सक्षम हों और किसी भी व्यक्ति या राजनैतिक पार्टी को अपनी बेहतर वित्तीय क्षमता के आधार पर अन्य की अपेक्षा कोई लाभ मिलने की संभावना न हो। व्यय सीमित करने का अन्य उद्देश्य, जहां तक संभव हो सके, निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक धन के प्रभाव को दूर करना है। यदि व्यय पर कोई सीमा नहीं होगी तो सभी राजनैतिक पार्टियां चंदा एकत्रित करने में लगे रहेंगे ... / अधिक धन के हानिकारक प्रभाव देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे..."

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मतता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अंदर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, सम्बन्धित अभ्यर्थी को

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के अधीन निरर्हित घोषित किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एल. आर. शिवराम गोवडे बनाम टी एम चन्द्र शेखर - ए आई आर 1999 एस सी 252 में निर्धारित किया है कि आयोग अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए निर्वाचन व्ययों के लेखे की विशुद्धता में जा सकता है और यदि लेखा अशुद्ध या असत्य पाया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के अधीन उसे निरर्हित किया जा सकता है। इस तरह न केवल अभ्यर्थी को विधि द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों को रखना होता है बल्कि उसे निर्धारित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का दिन - प्रतिदिन का सही लेखा रखना होता है और प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण के लिए दिखाना होता है और परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय, विजयी अभ्यर्थी के खिलाफ निर्वाचन याचिका के लिए एक आधार बन सकता है। निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में विधिक उपबंधों का एक संक्षिप्त विवरण सार-संग्रह के इस अध्याय में दिया गया है। प्रत्येक अध्याय के साथ, विनिर्दिष्ट पहलुओं को अद्यतनीकृत करने वाले आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश संलग्न किए गए हैं ताकि निर्वाचन व्यय के सख्त अनुवीक्षण के लिए किए गए उपायों की समग्र एवं स्पष्ट समझ हो सके | निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुवीक्षण एवं इसकी संवीक्षा के लिए यह सार-संग्रह सबंधित विधिक उपबंधों तथा निर्वाचन अधिकारियों, प्रेक्षकों, अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा ईमानदारी से अनुसरण किए जाने वाले अनुदेशों को समेकित करता है।

अनुलग्नक-क1

विधिक उपबंध

भारतीय दंड संहिता 1860

171 ख. रिश्वतः- (1) जो कोई-

(i) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, अथवा

(ii) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रुप में प्रतिगृहीत करता है,

वह रिश्वत का अपराध करता है

परन्तु लोकनीति की घोषणा या लोक-कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा

(2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है|

(3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरूप या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया है।

171- ङ रिश्वत के लिये दण्ड- जी कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा: परन्तु सत्कार के रुप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी।

स्पष्टीकरण- 'सत्कार' से रिश्वत का वह रुप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पैय, मनोरंजन या रसद के रुप में है।

171 च. निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंडः- जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से दंडित किया जाएगा |

171 ज. निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय:- जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी कानिर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय

करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किये हो, जो कुल मिलाकर दस रूपये से अधिक न हो, उस तारीख से, जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किये हैं।

171 झ. निर्वाचन लेखा रखने में असफलता:- जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा या इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखें, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

2 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

77. "निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा:- (1) निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उस सब व्यय का जो, (उस तारीख के, जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है) और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा, की तारीख के, जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा|

{स्पष्टीकरण 1 - शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि:-

(क) किसी राजनैतिक दल के नेताओं द्वारा, राजनैतिक दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए वायु यान द्वारा या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा की गई यात्रा मद्दे उपगत व्यय इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उस राजनैतिक दल के अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा;

(ख) सरकार की सेवा में और धारा 123 के खंड (7) में वर्णित वर्गों में से किसी से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा, उस खंड के परन्तुक में यथावर्णित अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में या तात्पर्यित निर्वहन में की गई किन्हीं व्यवस्थाओं, प्रदान की गई सुविधाओं या किए गए किसी अन्य कार्य या बात के संबंध में उपगत कोई व्यय, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा;

स्पष्टीकरण 2- स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्वाचन के संबंध में, "राजनैतिक दल के नेताओं" पद से :

(i) जहां ऐसा राजनैतिक दल मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है, वहां संख्या में चालीस से अनधिक ऐसे व्यक्ति, और

(ii) जहां ऐसा राजनैतिक दल किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से भिन्न है, वहां संख्या में बीस से अनधिक ऐसे व्यक्ति,

अभिप्रेत हैं जिनके नाम राजनैतिक दल द्वारा ऐसे निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए नेताओं के रूप में ऐसे निर्वाचन के लिए, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या उस राज्य के राजपत्र में इस अधिनियम के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संसूचित कर दिए गए है:

परन्तु कोई राजनैतिक दल, उस दशा में जहां, यथास्थिति, खंड (i) में या खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है या वह ऐसे राजनैतिक दल का सदस्य नहीं रहता है, निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को और संसूचना द्वारा, ऐसे निर्वाचन के लिए अंतिम मतदान पूरा होने के लिए नियत समय समाप्त होने के ठीक अड़तालीस घंटे पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, इस प्रकार मृत व्यक्ति या सदस्य न रहे व्यक्ति के नाम के स्थान पर, नए नेता को पदाभिहित करने के प्रयोजनों के लिए नया नाम प्रतिस्थापित कर सकेगी। **}**

(2) लेखे में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी विहित की जाएं |

(3) उक्त व्यय का जोड़ उस रकम से अधिक न होगा जो विहित की जाए।

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित स्पष्टीकरण 1 (क) के अनुसार किसी राजनैतिक दल के नेताओं द्वारा दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए की गई यात्रा के कारण उपयत व्यय को अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन आभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के सबंध में उपगत या ग्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा।)

78. लेखे को जिला निर्वाचन आफिसर के पास दाखिल किया जाना:- {(1)} निर्वाचन में हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित अभ्यर्थी हैं, और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं तो उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 77 के अधीन रखा है (ज़िला निर्वाचन आफिसर) के पास दाखिल करेगा।

10क. निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता:- यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और इस रीति में जैसी उस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने एल.आर. शिवरानगौड़े बनाम पी.एम. चन्द्रशेखर – ए.आई.आर. 1999 एस सी 252 के यामले में यह आशिनिर्धारित किया है कि आयोग अभ्यर्थी द्वारा दाखिल निर्वाचन व्ययों के लेखे की शुद्धता की जॉच कर सकता है एवं लेखा के गलत अथवा अस्त्य पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क) के अधीन अभ्यर्थी को - निरर्हित घोषित कर सकता है;

123. भ्रष्ट आचरण:-- निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगे-

{(1) "रिश्वत" अर्थात्:-

(अ) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे जो कोई भी हो, किसी परितोषण का ऐसा दान, प्रस्थापना या वचन, जिसका प्रत्यक्षतः या परत: यह उद्देश्य हो कि-

(क) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न होने के लिए या अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने के लिए), अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने के या मत देने से विरत रहने के लिए, उत्प्रेरित किया जाए,

अथवा जो-

(i) किसी व्यक्ति के लिए इस बात से वह इस प्रकार खड़ा हुआ या नहीं हुआ या उसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली या नहीं ली), अथवा

(ii) किसी निर्वाचक के लिए इस बात के कि उसने मत दिया या मत देने से विरत रहा, इनाम के रूप में हो,

(आ)

(क) व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थिता {वापस लेने या न लेने के लिए}; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, वह चाहे जो कोई हो; स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने या किसी अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने के लिए) उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए,
चाहे हेतुक के रुप में या इनामवत् कोई परितोषण प्राप्त करना या करने के लिए करार करना।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "परितोषण" पद धन रूपी "परितोषणों" या धन में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निर्बन्धित नहीं है और इसके अन्तर्गत सब रूप के मनोरंजन और इनाम के लिए सब रूप के नियोजन आते हैं किन्तु किसी निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सदभावपूर्वक उपगत और

धारा 78 में निर्दिष्ट निर्वाचन व्ययों के लेखे में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किन्हीं व्ययों के संदाय इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।}

(2) असम्यक् असर डालना, अर्थात् किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से) किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्षतः या परत: हस्तक्षेप का प्रयत्न:

परन्तु-

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो-

(i) किसी अभ्यर्थी या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुंचाने की धमकी देता है, अथवा

(ii) किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, देवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खण्ड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करता है;

(ख) लोकनीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन या किसी वैध अधिकार या प्रयोगमात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खंड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा।

{(3) किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई :

{परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी को आबंटित कोई प्रतीक इस खंड के प्रयोजनों के लिए धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जाएगा।}

(3क) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भावयताओं को अग्रसर करने के लिए

या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन का प्रयत्न करना।

(3ख) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती की प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्वयन।।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सती कर्म" और सती कर्म के संबंध में "गौरवान्वयन" के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3) में हैं।)}

(4) किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता या अभ्यर्थिता वापस लेने के सम्बन्ध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या (अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुकत रूप से प्रकल्पित कथन है।

(5) धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान को या से (स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) किसी निर्वाचक के मुक्त प्रवहण के लिए किसी यान या जलयान को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा) या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा, भाड़े पर लेना या उपाप्त करना अथवा {ऐसे यान या जलयान का उपयोग करना}:

परन्तु यदि निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा अपने संयुक्त खर्चे पर अपने को किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से प्रवाहित किए जाने के प्रयोजन के लिए यान या जलयान भाड़े पर लिया गया है, तो यदि यान या जलयान यांत्रिक शक्ति से चालित न होने वाला है तो ऐसे यान या जलयान के भाड़े पर लिए जाने की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह भ्रष्ट आचरण है:

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्चे पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन

यान या जलयान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी के उपयोग की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण है।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड में "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित हो और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता हो।

(6) धारा 77 के उल्लंघन में व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना |

(7) (किसी व्यक्ति से, चाहे वह सरकार की सेवा में हो या नहीं) और निम्नलिखित वर्गों, अर्थात्:-

(क) राजपत्रित आफिसरों,

(ख) साम्बलिक न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों,

(ग) संघ के शस्त्र बलों के सदस्यों,

(घ) पुलिस बलों के सदस्यों,

(ङ) उत्पाद-शुल्क आफिसरों,

{(च) राजस्व आफिसर, जो लंबरदार, मालगुजार पटेल, देशमुख के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात ग्राम राजस्व आफिसरों से भिन्न है, जिसका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिनको पारिश्रमिक अपने द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलना है किंतु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करते, और}

(छ) सरकार की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति वर्ग जैसे विहित किए जाएं,

(ज) निर्वचनों के संचालन के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय,सरकारी कम्पनी या संस्था या समुस्थान या उपक्रम की सेवा में नियुक्त या प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के वर्ग, में से किसी वर्ग में के किसी व्यक्ति से अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए (मत देने से अन्यथा) कोई सहायता अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या (अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त या उपाप्त किया जाना या अभिप्राप्त या उपाप्त करने का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करना:

{परंतु सरकार की सेवा में का और पूर्वोक्त वर्गों में से किसी वर्ग में का कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता, या उस अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए या उसके संबंध में अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में (चाहे अभ्यर्थी द्वारा धारित पद के कारण या किसी अन्य कारणवश) कोई इंतजाम करता है या कोई सुविधा देता है या कोई अन्य कार्य या बात करता है तो ऐसा इंतजाम, सुविधा या कार्य या बात उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए सहायता नहीं समझी जाएगी।}

{(8) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण।}

स्पष्टीकरण-(1):- निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है इस धारा में के "अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत आते हैं।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है।)

{(3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन-

(i) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा, और

(ii) यहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था।}

{(4) खण्ड (8) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135क में है।

125क. मिथ्या शपथपत्र, आदि फाइल करने के लिए शास्ति-कोई अभ्यर्थी, जो स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से, किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से,-

(i) धारा 33क की उपधारा (1) से संबंधित सूचना देने में असफल रहेगा; या

(ii) ऐसी मिथ्या सूचना देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है; या

(iii) कोई सूचना छिपाएगा,

यथास्थिति, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन परिदत्त अपने नामनिर्देशन पत्र में या धारा 33क की उपधारा (2) के अधीन परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित अपने शपथ पत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

127.क. **पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन-**(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को-

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों दवारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है; तथा

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित-

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन आफिसर को, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और "मुद्रक" पद का अर्थ तदनसार लगाया जाएगाः तथा

(ख) "निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टयों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंधन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

29ख. राजनैतिक दलों का अभिदाय स्वीकार करने का हकदार होना-कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राजनैतिक दल, सरकारी कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति या कंपनी द्‌वारा उसे स्वेच्छया प्रस्थापित अभिदाय की कोई भी रकम स्वीकार कर सकेगा:
परंतु कोई भी राजनैतिक दल विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 2 के खंड (ङ) के अधीन परिभाषित किसी विदेशी स्रोत से कोई अभिदाय स्वीकार करने का पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा और धारा 29ग के प्रयोजनों के लिए-

(क) "कंपनी" से धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(ख) "सरकारी कंपनी" से धारा 617 के अर्थांतर्गत कोई कंपनी अभिप्रेत है; और

(ग) "अभिदाय" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 293क में है और इसके अंतर्गत किसी राजनैतिक दल को किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्थापित कोई संदान या अभिदान भी है; और

(घ) "व्यक्ति" का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (31) में है किन्तु इसके अंतर्गत सरकारी कंपनी, स्थानीय प्राधिकारी और सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति नहीं है।

29ग. राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त संदान की घोषणा - (1) किसी राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, निम्नलिखित के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा, अर्थात्:-

(क) ऐसे राजनैतिक दल द्वारा उस वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति से प्राप्त बीस हजार रुपए से अधिक का अभिदाय;

(ख) ऐसे राजनैतिक दल द्वारा उस वित्तीय वर्ष में सरकारी कंपनियों से भिन्न कंपनियों से प्राप्त बीस हजार रुपए से अधिक अभिदाय।

[बशर्ते इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कुछ भी निर्वाचन बंधपत्र के जरिए प्राप्त अंशदानों पर लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए "निर्वाचन बंधपत्र" का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 31 की उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण में संदर्भित बंधपत्र से है।]

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट, किसी राजनैतिक दल के कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन उस वित्तीय वर्ष की उसकी आय की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पूर्व, निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) जहां किसी राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, उपधारा (3) के अधीन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां, ऐसा राजनैतिक दल, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम के अधीन किसी कर राहत का हकदार नहीं होगा।

3. निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968:

16क. मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा आचरण आदेश संहिता का अनुपालन न करने या आयोग के विधिसम्मत निदेशों और अनुदेशों का पालन न करने पर उसकी मान्यता स्थगित करने या वापस लेने की आयोग की शक्ति - इस आदेश के होते हुए भी, यदि आयोग का अपने पास उपलब्ध सूचना से समाधान हो जाता है कि इस आदेश के उपबंधों के अधीन राजनैतिक दल चाहे वह राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त हो, यदि अपने आचरण से असफल रहता है, या अस्वीकार करता

है या अस्वीकार कर रहा या अवज्ञा दर्शा रहा है या अन्यथा : (क) आयोग द्वारा जनवरी, 1991 में और समय-समय पर जारी "राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गनिर्देश के लिए आदर्श आचार संहिता" के उपबंधों का अनुपालन, या (ख) समय-समय पर आयोग के विधिसम्मत निदेशों और अनुदेशों का पालन और उनका कार्यान्वयन ताकि निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण निर्वाचनों को बढ़ावा मिल सके या सर्वसाधारण विशेष रूप से निर्वाचकों के हितों की रक्षा हो सके, आयोग उपलब्ध तथ्यों और मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में दलों को उपयुक्त अवसर देने के बाद आयोग जैसा उपयुक्त समझे, ऐसी शर्तों के अधीन ऐसे दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में या राज्यीय दल, जैसा भी मामला हो, की मान्यता स्थगित कर देगा या वापस ले लेगा।

4. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

85ख. अभिदाय रिपोर्ट का प्रारूप - धारा 29ग की उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किसी राजनैतिक दल के कोषाध्यक्ष या राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन उस वित्तीय वर्ष की उसकी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व प्ररूप 24क में निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

86. निर्वाचन व्ययों के लेखा की विशिष्टियों-(1) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो निर्वाचन व्ययों का लेखा धारा 77 के अधीन रखा जाना है उसमें दिन प्रतिदिन के व्यय की हर एक मद की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्-

(क) वह तारीख जिसको व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया था;

(ख) व्यय की प्रकृति (उदाहरण के लिए यात्रा, डाक या मुद्रण और तत्समान व्यय ;

(ग) व्यय की रकम

(i) संदत्त रकम ;

(ii) परादेय रकम;

(घ) संदाय की तारीख ;

(ड़) पाने वाले का नाम और पता ;

(च) संदाय की गई रकम की दशा में वाउचरों का क्रम संख्यांक ;

(छ) परादेय रकम की दशा में विपत्रों में का यदि कोई हो क्रम संख्यांक ;

(ज) उस व्यक्ति का नाम और पता, जिससे परादेय रकम देय है।

(2) व्यय की हर मद के लिए वाउचर तब के सिवाय अभिप्राप्त किया जाएगा जबकि डाक व्यय या रेल द्वारा यात्रा और तदरुप मामलों जैसे मामले की प्रकृति के कारण वाउचर अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है।

(3) सब वाउचर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा संदाय की तारीख के क्रम से रखे जाकर और क्रम संख्यांकित किए जाकर निर्वाचन व्ययों के लेखे के साथ दाखिल किए जाएंगे और ऐसे क्रम संख्यांक उपनियम (1) में के लेखे में मद (च) के अंतर्गत दर्ज किए जाएंगे।

(4) उपनियम (1) की मद (ङ) में वर्णित विशिष्टियां व्यय की उन मदों की बाबत देनी आवश्यक न होंगी जिनके लिए उपनियम (2) के अधीन वाउचर अभिप्राप्त नहीं किए गए हैं।

87. लेखाओं के निरीक्षण के लिए [जिला निर्वाचन आफिसर] द्वारा सूचना--[जिला निर्वाचन आफिसर] उस तारीख से जिसको निर्वाचन व्ययों का लेखा अभ्यर्थी द्वारा धारा 78 के अधीन दाखिल किया गया है, दो दिन के अंदर एक सूचना जिसमें-

(क) वह तारीख जिसको लेखा दाखिल किया गया है ;

(ख) अभ्यर्थी का नाम; तथा

(ग) वह समय तथा स्थान जिसमें ऐसे लेखा का निराक्षण किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट होंगी, अपने सूचनाफलक पर लगवाएगा

88. **लेखाओं का निरीक्षण और उनकी प्रतियां अभ्रिप्राप्त करना -** कोई व्यक्ति एक रुपए की फीस का संदाय करके ऐसे किसी लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी निर्वाचान आयोग इस निमित्त नियत करे, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की अनुप्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

89. **निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत [जिला निर्वाचन आफिसर] द्वारा रिपोर्ट और निर्वाचन आयोग का उस पर विनिश्चय-**

(1) किसी निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों के लेखाओं के दाखिल करने के लिए धारा 78 में विनिर्दिष्ट समय के अवसान के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र [जिला निर्वाचन आफिसर]-

(क) हर एक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के नाम की;

(ख) इस बात की कि क्या ऐसे अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नहीं और यदि किया है तो उस तारीख की, जिसको ऐसा लेखा दाखिल किया गया है, तथा

(ग) इस बात की कि क्या उसकी राय में ऐसा लेखा उतने समय के अंदर और उस रीति में, जो अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित हैं, दाखिल किया गया है या नहीं, रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देगा।

(2) जहां कि [जिला निर्वाचन आफिसर] की यह राय है कि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा इस अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं किया गया है वहां वह हर ऐसी रिपोर्ट के साथ उस अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों के लेखाओं और उसके साथ दाखिल वाउचरों को निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

(3) [जिला निर्वाचन आफिसर] उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट भेजी जाने के अव्यवहित पश्चात् उसकी प्रति अपने सूचना फलक पर लगाकर उसका प्रकाशन करेगा।

(4) निर्वाचन आयोग उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के अंदर और उस रीति में, जो कि अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है या नहीं।

(5) जहां कि निर्वाचन आयोग का यह विनिश्चय है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा उस समय के अंदर और उस रीति में, जो अधिनियम और इन नियमों

द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है वहां वह लिखित सूचना द्वारा अभ्यर्थी से अपेक्षा करेगा कि वह हेतुक दर्शित करे कि उसे असफलता के लिए धारा 10क के अधीन क्यों निरर्हित नहीं किया जाना चाहिए।

(6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, जिससे उपनियम (5) के अधीन हेतुक दर्शित करने के लिए अपेक्षा की गई है, ऐसी सूचना की प्राप्ति के बीस दिन के भीतर उस विषय की बाबत लिखित अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग को निवेदित कर सकेगा और उसी समय अभ्यावेदन की एक प्रति और यदि उसने पहले ही ऐसा नहीं कर दिया है तो निर्वाचन व्ययों का पूरा लेखा भी जिला निर्वाचन आफिसर को भेजेगा।

(7) जिला निर्वाजन आफिसर उसकी प्राप्ति के पांच दिन के अंदर अभ्यावेदन की प्रति और यदि कोई लेखा हो तो ऐसा लेखा ऐसी टिप्पणियों सहित, जैसी वह उन पर करना चाहे, निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

(8) यदि अभ्यर्थीयों द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन पर और जिला निर्वाचन आफिसर द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपना लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो वह उसे आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए धारा 10क के अधीन निरर्हित घोषित करेगा और आदेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगा।

90. अधिकतम निर्वाचन व्ययः- उस व्यय का योग, जिसका धारा 77 के अधीन हिसाव रखा जाएगा और जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में वर्णित किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत किए जाएगें, निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा, अर्थात् -

(क) उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तंभ में विनिर्दिष्ट रकम; और

(ख) उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी एक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र यदि कोई हो, के लिए उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तंभ 3 मैं विनिर्दिष्ट रकम-

सारणी

क्रम सं.	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किसी एक में निर्वाचन व्ययों की अधिकतम सीमा	
		संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र
	1	2	3
	I राज्य		
	I राज्य	रुपए	रुपए
1	आन्ध्र प्रदेश	95,00,000	40,00,000
2	अरुणाचल प्रदेश	75,00,000	28,00,000
3	असम	95,00,000	40,00,000
4	बिहार	95,00,000	40,00,000
5	छत्तीसगढ़	95,00,000	40,00,000
6	गोवा	75,00,000	28,00,000
7	गुजरात	95,00,000	40,00,000
8	हरियाणा	95,00,000	40,00,000
9	हिमाचल प्रदेश	95,00,000	40,00,000
10	झारखंड	95,00,000	40,00,000
11	कर्नाटक	95,00,000	40,00,000
12	केरल	95,00,000	40,00,000
13	मध्य प्रदेश	95,00,000	40,00,000
14	महाराष्ट्र	95,00,000	40,00,000
15	मणिपुर	95,00,000	28,00,000
16	मेघालय	95,00,000	28,00,000
17	मिजोरम	95,00,000	28,00,000
18	नागालैंड	95,00,000	28,00,000
19	उड़ीसा	95,00,000	40,00,000
20	पंजाब	95,00,000	40,00,000
21	राजस्थान	95,00,000	40,00,000
22	सिक्किम	75,00,000	28,00,000
23	तमिलनाडु	95,00,000	40,00,000
24	तेलंगाना	95,00,000	40,00,000
25	त्रिपुरा	95,00,000	28,00,000
26	उत्तर प्रदेश	95,00,000	40,00,000
27	उत्तराखंड	95,00,000	40,00,000
28	पश्चिम बंगाल	95,00,000	40,00,000

II संघ राज्य क्षेत्र			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	75,00,000	---
2	चंडीगढ़	75,00,000	---
3	दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव	75,00,000	---
4	दिल्ली	95,00,000	40,00,000
5	लक्षद्वीप	75,00,000	---
6	पुडुचेरी	75,00,000	28,00,000
7	जम्मू कश्मीर	95,00,000	40,00,000
8	लद्दाख	75,00,000	---

(विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग की अधिसूचना का. आ. 72(अ.) दिनांक 6 जनवरी, 2022, जिसके जरिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 को संशोधित किया गया है)

‘ख’

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की संरचना
एवं
इसके विभिन्न अंगों के प्रकार्य

भाग ‘ख’ में विषय-वस्तु

क्रम सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
1	व्यय प्रेक्षक	22-25
2	सहायक व्यय प्रेक्षक	25-27
3	वीडियो निगरानी दल	27-28
4	वीडियो अवलोकन दल	28-29
5	लेखाकरण दल	29-30
6	शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेंटर	30
7	मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति एवं पेड न्यूज	30-31
8	उड़न दस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल	32
9	व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ	33
10	व्यय संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्र एवं व्यय संवेदनशील पॉकेट	33
11	मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, पुलिस, आयकर एवं उत्पाद शुल्क तथा व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में नोडल अधिकारी	33-36

अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले दैनिक निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन व्यय तंत्र स्थापित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखे का दैनिक रख-रखाव अनिवार्य है। यद्यपि, निर्वाचन व्यय का लेखा, निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, फिर भी प्रचार-अवधि के दौरान अनुवीक्षण नियमित आधार पर किया जाना होता है जिससे कि इस अवधि के दौरान अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा उपगत प्रत्येक निर्वाचन व्यय का उपयुक्त एवं सटीक तरीके से लेखा-जोखा रखा जा सके | निर्वाचन अभियान समाप्त हो जाने पर अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न रैलियों /बैठकों पर उपगत निर्वाचन व्यय के संबंध में साक्ष्य जुटा पाना कठिन होता है। चूँकि विधि के अधीन अपेक्षित है कि निर्वाचनों के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी लेखे की संवीक्षा करें तथा आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें, अतः यह सुनिश्चित करना जिला निर्वाचन अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य है कि निर्वाचन अभियान के दौरान ऐसे उचित साक्ष्य एकत्रित किए जाएं जिसके आधार पर बाद में यह निर्णय किया जाएगा कि क्या अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन-व्यय लेखा-विवरणों में कोई व्यय छूट तो नहीं गया। व्यय अनुवीक्षण तंत्र का ढांचा इस प्रकार होगा :

1. व्यय प्रेक्षक (ईओ):

अभ्यर्थियों द्वारा किए गए निर्वाचन व्ययों का अवलोकन करने के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक जिले के लिए कम से कम एक व्यय प्रेक्षक होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक व्यय प्रेक्षक के अवलोकन में साधारणतया पांच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक नहीं हों।

व्यय प्रेक्षक का दौरा :

व्यय प्रेक्षक निर्वाचनों की अधिसूचना के दिन, 3 पूर्ण दिवसों की कालावधि के लिए निर्वाचन-क्षेत्र में पहुंचेगा। इस दौरे के दौरान वह निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में कार्यरत सभी दलों से मिलेगा। यदि व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट नहीं हैं तो वे उसे बदलने के लिए कहेंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्हें अधिकारियों की अतिरिक्त सूची उपलब्ध कराएंगे। वे सहायक व्यय प्रेक्षकों को, उनकी उपयुक्तता के आधार पर, बदल सकते हैं। वे सभी कर्मचारियों को व्यय अनुवीक्षण की प्रक्रिया के बारे में भी प्रशिक्षित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि टीमों के पास उपयुक्त साजो-सामान हो। वे जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस, आयकर तथा राज्य उत्पाद शुल्क एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वयन करेंगे। मतदान तैयारी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त ही वे निर्वाचन-क्षेत्र छोड़ेंगे।

वे अभ्यर्थिताएं वापस लेने की तारीख के तत्काल पश्चात दूसरी बार फिर से निर्वाचन-क्षेत्र का दौरा करेंगे तथा पूर्ण प्रचार अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में बने रहेंगे, मतदान की समाप्ति के पश्चात ही वे निर्वाचन क्षेत्र से जाएंगे। यदि वे साधारण प्रेक्षक का कार्य भी कर रहे हैं, तो वे फॉर्म 17-क की संवीक्षा पूरी करने के बाद ही निर्वाचन-क्षेत्र छोड़ेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पीठासीन अधिकारी की डायरी पूरी हो जाए तथा स्ट्रॉग रूम सील हो जाए। उनका मतगणना पूरी होने तक भी वहां बने रहना जरूरी हो सकता है।

व्यय प्रेक्षक, निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के बाद 25वें दिन एक बार फिर जिले में जाएंगे और परिणामों की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय के लेखे के विवरण की संवीक्षा में आवश्यक सहायता करने के लिए 8 पूर्ण दिवसों दिवसों तक जिले में रहंगे। परिणामों की घोषणा के बाद 26वें दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आहूत लेखा समाधान बैठक में उन्हें उपस्थित रहना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के अंदर सभी के लिए लेखे दाखिल करना सुगम बनाएंगे।

व्यय प्रेक्षक की भूमिकाः

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए व्यय प्रेक्षष, आयोग की आँख और कान होते हैं। व्यय प्रेक्षक निर्वाचन-क्षेत्र में लगे हुए सभी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कार्मिकों का पर्यवेक्षण करेंगे और उन्हें दिशा-निर्देश देंगे। वह सभी व्यय अनुवीक्षण कार्मिक को अंतिम प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी का मार्ग-दर्शन करेंगे।

वे सहायक व्यय प्रेक्षकों के कामकाज का पर्यवेक्षण करेंगे। वह सहायक व्यय प्रेक्षक को अंतिम प्रशिक्षण देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इस भूमिका में तैनात कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया गया है। आवश्यकता के आधार पर, एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक सहायक व्यय प्रेक्षक हो सकते हैं। वह व्यय अनुवीक्षण में लगे हुए टीम के कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे और जहाँ भी किसी भी टीम के कार्यों में कोई कमी या अनियमितता पाई जाती है तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी के नोंटिस में लाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी, व्यय प्रेक्षक की सिफारिश पर तुरन्त सुधारात्मक उपाय करेंगे।

वह अभियान के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का कम से कम तीन बार निरीक्षण करेंगे और उनकी विसंगतियों पर टिप्पणी करेंगे। निरीक्षण की तिथियां इस तरह निश्चित की जानी चाहिए कि दो निरीक्षणों के मध्य का अन्तराल तीन दिनों से कम न हो और अंतिम निरीक्षण मतदान के दिन से तीन दिन से अधिक पहले नियत नहीं किया जाए ताकि निरीक्षण के अंतर्गत मुख्य प्रचार व्यय को कवर कर लिया जाए।

अभ्यर्थी के रजिस्टर में व्यय की कोई भी न्यूनोक्ति के लिए व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के दौरान अभ्यर्थी के रजिस्टर में अपनी अभ्युक्तियां देंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे। उन्हें छाया प्रेक्षण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उस पर निर्वाचन अभिकर्ता/अभ्यर्थी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। ऐसी असंगति आर.ओ. को उसी दिन संदर्भित की जाएगी, जो अभ्यर्थी को आयोग के आदेश दिनांक 29 मई 2015 **(अनुलग्नक-ग10)** के अनुसार उसी दिन नोटिस जारी करेंगे। किसी भी प्रकार की कठिनाई होने की दशा में व्यय प्रक्षक आयोग को सूचित करेंगे और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे |

व्यय प्रेक्षक आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय, पुलिस के नोडल अधिकारी, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के नोडल अधिकारी के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी एजेंसियों के मध्य सूचनाओं का मुक्त प्रवाह और आदान प्रदान हो। किसी भी एजेंसी से सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों

द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जानी है। यदि किसी एजेन्सी द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो वह उसे तुरन्त आयोग के नोटिस में लाएंगे, एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी देनी होगी।

विगत काल में, आयोग के ध्यान में कुछ ऐसी घटनाएं लाई गई हैं जिनमें व्यय प्रेक्षक की कार्रवाई से ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने प्रवर्त्तन कार्रवाई में सक्रिय रूप से शामिल होकर, उन्हें दी गई हिदायतों की सीमा पार कर ली। अत:, आयोग पुन: दोहराता है कि सार-संग्रह के उपर्युक्त कथित-पैरा में निहित दिशा-निर्देशों का सभी व्यय प्रेक्षकों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए और उन्हें अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उनकी विधियों के अनुसार की जा रही कार्रवाई में शामिल होने से परहेज करना चाहिए। (**अनुलग्नक – ख19**)

यदि निगरानी टीमों, उड़न दस्तों, आयकर के अन्वेषण निदेशालय या पुलिस या राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कोई भी जब्ती की जाती है, तो वह उसी दिन आयोग को रिपोर्ट संसूचित करेगा तथा एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देगा।

उन्हें अभ्यर्थियों के दिन-प्रति-दिन के लेखा के निरीक्षण के दौरान छाया प्रेक्षण रजिस्टर की तुलना में प्रचार व्यय, यदि कोई हो, के छिपाए जाने का पता लगता है तो वह उसका उल्लेख करेंगे। इस संबंध में, जिला व्यय अनुवीक्षण समिति के गठन के लिए 29 मई, 2015 को जारी आयोग के आदेश (**अनुलग्नक-ग10**) और अभ्यर्थियों के उत्तरों पर लिए गए निर्णय का अनुपालन किया जाएगा। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश की एक प्रति सभी अभ्यर्थियों को दी जाए। अपने अंतिम दौरे के दौरान वे उसे सही संवीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता करेंगे। यदि वह जिला निर्वाचन अधिकारी से सहमत नहीं हैं तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट में उसकी टिप्पणी के लिए दिए गए स्थान में साक्ष्यों का हवाला देते हुए कारणों का उल्लेख करना होगा।

व्यय प्रेक्षक की रिपोर्ट:

व्यय प्रेक्षक को निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी हैं:-

(i) 24 घंटों के अन्दर आगमन तथा प्रस्थान रिपोर्ट (**अनुलग्नक ख1),**

(ii) अपने प्रथम दौरे के तीसरे दिन अर्थात अधिसूचना की तारीख के पश्चात पहली रिपोर्ट (**अनुलग्नक-ख2),**

(iii) दूसरे दौरे के दौरान अभ्यर्थिता वापस लेने के पश्चात 24 घंटों के अंदर दूसरी रिपोर्ट **(अनुलग्नक-ख3),**

(iv) मतदान के पश्चात तीसरी रिपोर्ट **(अनुलग्नक-ख4)** तथा

(v) अपने तीसरे दौरे के बाद चौथी तथा अंतिम रिपोर्ट **(अनुलग्नक-ख5)**

व्यय प्रेक्षकों के लिए अपेक्षित है कि वे विभिन्न निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण दलों की तैनाती, जब्ती, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लेखे का निरीक्षण, अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान से पहले अंतिम 72 घंटों की कार्यनीति इत्यादि पर विहित प्रोफार्मा में आयोग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के लिए फीडबैक/स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। **(अनुलग्नक-ख6)** वीडियो कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम की सूचना निर्वाचन अवधि के दौरान व्यय प्रेक्षकों को दी जाती है।

वे किसी भी स्रोत द्वारा स्वतंत्र रूप से उनके ध्यान में लाए गए संदेहास्पद पेड न्यूज के सभी मामलों की सूचना, उन पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए, उसी दिन मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) को देंगे। इसके अतिरिक्त, वे अपनी तीसरी रिपोर्ट में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) द्वारा यथा-निर्णीत पेड न्यूज के सभी मामलों की रिपोर्ट आयोग को देंगे, और विज्ञापन/पेड न्यूज की फोटो प्रतिलिपि या सीडी / डीवीडी आयोग को अग्रेषित करेंगे, उसकी प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे।

2. सहायक व्यय प्रेक्षक (एईओ):

जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) द्वारा निर्वावन की अधिसूचना की तारीख के दिन प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए सहायक व्यय प्रेक्षक (एईओ) नियुक्त किए जाएंगे और यदि व्यय प्रेक्षक द्वारा परिवर्तन का सुझाव दिया जाता है तो उसे भी निष्पादित किया जाएगा। सहायक व्यय प्रेक्षक केन्द्रीय सरकार की अन्य सेवाओं में समूह ख अधिकारियों या समतुल्य रैंक के होंगे। यदि नकदी और सामान को जब्त करने के लिए अन्वेषण निदेशालय द्वारा आयकर विभाग की सेवाएं ली गई हैं तो सहायक व्यय प्रेक्षक की ड्यूटी के लिए ऐसे अधिकारियों की मांग नहीं की जानी चाहिए। अगर जिले में ऐसे अधिकारी न हों तो राज्य कोषागार या वित्त विभाग के अधिकारियों को नामित किया जा सकता है। उन्हें अधिमानतः ऐसा स्थानीय अधिकारी होना चाहिए जो उसी जिले के भीतर या उसके आस-पास तैनात हो लेकिन उनका कार्य-स्थान एवं गृह नगर एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में नहीं होने चाहिए। उन्हें एक वाहन, एक निजी सुरक्षाकर्मा और एक स्थानीय सिम कार्ड, रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय परिसर में कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया जाएगा क्योंकि वे सभी टीमों, नोडल अधिकारियों और व्यय प्रेक्षक के साथ समन्वयन करेंगे। अगर सहायक व्यय प्रेक्षक का मुख्यालय निर्वाचन-क्षेत्र से अलग हो तो उन्हें निर्वाचन-क्षेत्र में आवास और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

सहायक व्यय प्रेक्षक को अधिसूचना की तिथि से लेकर मतदान/पुनर्मतदान की तिथि तक यदि कोई हो, निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किया जाएगा तथा वे व्यय प्रेक्षक की अनुमति के बिना निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर नहीं जा सकेंगे। हालांकि, सहायक व्यय प्रेक्षक मतगणना के दिन से एक दिन पूर्व एवं पुनः निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद 25वें दिन से 37वें दिन तक अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण देने तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों की संवीक्षा रिपोर्ट एवं व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करने के प्रयोजनार्थ ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे। परिणामों के घोषित होने के 37वें दिन के बाद उनको अंतिम रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा। **(अनुलग्नक-ख18)**

अधिसूचना के दिन से ही उसे निर्वाचन क्षेत्र में तैनात कर दिया जाएगा और वह व्यय प्रेक्षक की अनुमति के बिना निर्वाचन क्षेत्र से नहीं जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र/ खण्ड के लिए कम से कम एक सहायक व्यय प्रेक्षक होगा। लेकिन व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में दो या अधिक सहायक व्यय प्रेक्षक हो सकते हैं - एक घटनाओं की बाहय (आउटडोर) रिकॉर्डिंग के लिए और दूसरा टीम के साथ समन्वयन के लिए।

सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो सी डी की रिपोर्टे देखेगा, प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित रिपोर्ट एवं शिकायतें पढ़ेगा, और छाया प्रेक्षण रजिस्टर और अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का अध्ययन करेंगे। वह छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य-फोल्डर के रख-रखाव का पर्यवेक्षण करेंगे। सहायक व्यय प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक के आने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और वह व्यय प्रेक्षक के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। वह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय अनुवीक्षण में लगी टीमों से प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में व्यय से संबंधित रिपोर्ट / आदेश प्राप्त कर लिए जाएं और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के दिन-प्रति-दिन के लेखे में उचित रूप से दर्शाए जाएं। भ्रष्ट आचरण की शिकायत होने पर वह इसे शीघ्र कार्रवाई के लिए उड़न दस्तों को हस्तान्तरित करेंगे और व्यय प्रेक्षक को तुरन्त सूचित करेंगे । उड़न दस्ते प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देंगे। यदि दस्ते द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है या कार्रवाई करने में देरी की जाती है तो वह इसे व्यय प्रेक्षक के नोटिस में लाएंगे, जो इसके बदले में आयोग को रिपोर्ट करेंगे और एक-एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देंगे। यदि उन्हें लगता है कि स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है या सही तरीके से तैनात नहीं है तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दे सकते हैं कि प्रमुख मुख्यमार्गीय सड़कें स्थैतिक निगरानी दल द्वारा कवर की जाएं।

वह **(अनुलग्नक-ख14)** के अनुसार अपने सभी कार्यकलापों पर एक दैनिक रिपोर्ट व्यय प्रेक्षक को प्रस्तुत करेंगे। व्यय प्रेक्षक के निर्वाचन-क्षेत्र पहुंचने तक, सहायक व्यय प्रेक्षक अपनी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिसे बाद में व्यय प्रेक्षक के ध्यान में लाया जाएगा। साक्ष्य-फोल्डर में प्रचार-अभियान के दौरान एकत्रित किए गए सभी साक्ष्यों का रिकॉर्ड होगा। वह इसे अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय रजिस्टर के निरीक्षण के समय व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। अभ्यर्थी के रजिस्टर में किसी भी खर्च को छिपाने या कम करके बताए जाने के साक्ष्य पाए जाने पर, सहायक व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के समय उसे व्यय प्रेक्षक और उसके माध्यम से उपयुक्त रूप से अभ्यर्थी के नोटिस में लाएंगे।

अभ्यर्थी के रजिस्टर के निरीक्षणों के लिए नियत दिनों में उस निर्वाचन-क्षेत्र में व्यय पर नजर रखने के लिए निर्दिष्ट किए गए सहायक व्यय प्रेक्षक, छाया प्रेक्षण रजिस्टर एवं साक्ष्य फोल्डर के साथ उपस्थित रहेंगे।

सहायक व्यय प्रेक्षक, आयोग को अपनी संवीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में व्यय प्रेक्षक के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता करेंगे। वह जिले में व्यय प्रेक्षक के तीसरे दौरे के दौरान उपस्थित रहेगा और उसके कार्य में उसकी सहायता करेंगे।

सहायक व्यय प्रेक्षक, जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण और अनुवीक्षण समिति के साथ समन्वय करेंगे और उसके प्रभावी कार्य-संचालन के विषय में व्यय प्रेक्षक को रिपोर्ट करेंगे। यदि इस समिति द्वारा सभी केबल/चैनल/समाचार पत्र आदि नहीं देखे जा रहे हैं, तो इसे तुरन्त ही व्यय प्रेक्षक/आयोग के नोटिस में लाया जाना चाहिए साथ ही एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी दी जानी चाहिए।

यदि वीडियोग्राफर की अनुपलब्धता के कारण प्रचार संबंधी किसी सार्वजनिक रैली/जुलूस/घटना की वीडियोग्राफी नहीं की जा सकी है तो सहायक व्यय प्रेक्षक ऐसी घटना का उल्लेख छाया प्रेक्षण रजिस्टर में करेगा। यदि मीडिया समिति द्वारा प्रिन्ट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई विज्ञापन रिपोर्ट नहीं किया गया है तो सहायक व्यय प्रेक्षक एक प्रति प्राप्त करेगा और छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उसका उल्लेख करेंगे।

विधान सभा निर्वाचनों के मामले में, प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में एक लेखांकन दल कार्य करेगा और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए छाया प्रेक्षण रजिस्टर (एसओआर) तथा साक्ष्य फोल्डर का रख-रखाव करेगा। लोक सभा निर्वाचन के मामले में, प्रत्येक विधान सभा खण्ड के लिए सहायक व्यय प्रेक्षक (एईओ) एवं दल प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग-अलग एसओआर एवं एफओई का रख-रखाव करेंगे तथा विधान सभा खण्ड के सहा.व्यय प्रेक्षक (एईओ) (मुख्यालय एईओ) को अपनी रिपोर्ट देंगे जो रिटर्निंग ऑफिसर(आरओ) का कार्यालय होता है। मुख्यालय एईओ तथा उनका दल विधान सभा खण्ड के अन्य सभी एईओ के साथ समन्वय करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि इन लेखे का निरीक्षण के समय मिलान किया जाए। एईओ अधिसूचना की तिथि से कार्य करेगा। (अनुलग्नक-ख20)

3. वीडियो निगरानी टीमें (वीएसटी):

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र/सेग्मेंट के लिए एक या अधिक वीडियो निगरानी टीम तैनात की जाएगी जो कम से कम एक अधिकारी / कर्मचारी और एक वीडियोग्रॉफर से बनी होगी। यदि आवश्यक हुआ तो व्यय प्रेक्षक की सिफारिश पर और अधिक टीमें तैनात की जा सकती हैं। सहायक व्यय प्रेक्षक निर्वाचन-क्षेत्र में संवेदनशील आयोजनों और बड़ी सार्वजनिक रैलियों की वीडियोग्रॉफी का व्यक्तिगत रूप में पर्यवेक्षण करेंगे। अगर एक ही दिन एक से अधिक सार्वजनिक रैली का आयोजन किया जाता है तो जुलूस और रैली को रिकार्ड करने के लिए एक से अधिक वीडियो टीम तैनात की जाएगी।

वीडियो निगरानी टीमें उचित रूप से प्रशिक्षित होनी चाहिए और व्यय से संबंधित सभी घटनाओं और साक्ष्यों को दर्ज करने में सक्षम होनी चाहिए। वीडियो निगरानी टीम को शूटिंग के प्रारम्भ में घटना का नाम और प्रकार, तारीख, स्थान और घटना का संचालन करने वाली पार्टी और अभ्यर्थी का नाम स्वर प्रणाली (वॉयस मोड) में रिकॉर्ड करना होगा। वह वाहनों/घटनाओं/पोस्टरों/कट-आउट आदि का इस तरह से वीडियो लेगा कि प्रत्येक वाहन, उसका मेक और रजिस्ट्रेशन संख्या, फर्नीचर वस्तुएं, रोस्ट्रम का आकार, बैनर, कट आउट इत्यादि के साक्ष्य स्पष्ट दिखाई दें और उस पर हुए व्यय की गणना की जा सके। यदि ऐसे वाहन रैली-स्थल के बाहर पार्क किए गए हैं तो, जहाँ तक सम्भव हो, वाहन के ड्राइवर एवं सवारी का बयान भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उस वाहन का प्रयोग निर्वाचन के लिए ही किया गया था।

घटना की शूटिंग के दौरान वीडियो टीम को घटना में प्रयोग किए गए वाहनों, कुर्सियों, फर्नीचर/लाइट/ लाउडस्पीकर इत्यादि की अनुमानित संख्या और प्रकार, कार्यक्रम में प्रयुक्त रोस्ट्रम/बैनर/पोस्टर/कटआउट इत्यादि के अनुमानित आकार का विवरण स्वर माध्यम से भी रिकॉर्ड करना होगा। इससे वीडियो निगरानी टीमों को दृश्यों के संदर्भ मे दुतरफा जाँच कर लेने और घटना के व्यय का अनुमान लगाने में आसानी रहेगी। वे भाषण तथा अन्य घटनाओं को भी रिकॉर्ड करेंगे, जिससे पता लगाया जा सके कि कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ है।

वीडियो निगरानी टीमें रिकॉर्डिंग के समय **अनुलग्नक ख 15** में दिए गए प्रोफार्मा में एक संकेत पत्र तैयार करेंगी। यह संकेत पत्र (क्यू शीट) रिकार्ड की गई सी.डी. के साथ अवलोकन निगरानी टीमों को दिया जाना चाहिए। वीडियों सी.डी. में अद्वितीय पहचान संख्या, दिनांक, कर्मचारी या अधिकारी का नाम होना चाहिए और इसे हमेशा संकेत पत्र के साथ रखा जाएगा। संकेत पत्र के रख-रखाव का उद्देश्य है कि सीडी में उपलब्ध साक्ष्यों को सरसरी तौर पर देख लिया जाए और साक्ष्यों के संगत भाग को संक्षिप्त समय में देख लिया जाए।

एक ही दिन में एक से अधिक सार्वजनिक रैलियां, जलूस इत्यादि रहने पर पर्याप्त संख्या में वीडियो टीमें तैनात की जानी चाहिए और जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा अपेक्षित सभी संभार तंत्र उपलब्ध कराएगा।

वीडियो निगरानी दल (वीएसटी) निर्वाचन की घोषणा की तारीख से कार्य करेगा तथा मतदान/पुनर्मतदान, यदि कोई हो, की तारीख तक अपनी ड्यूटी जारी रखेगा। **(अनुलग्नक-ख18 एवं ख20)**

4. वीडियो अवलोकन टीम (वीवीटी):

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र /सेग्मेंट के लिए एक अधिकारी और दो लिपिकों के साथ एक वीडियो अवलोकन टीम होगी।

वीडियो निगरानी दलों द्वारा ली गई वीडियो रिकार्डिंग में से वीडियो अवलोकन दल इन-हाउस सी डी तैयार करेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग किसी भी बाहरी एजेंसी को संपादन अथवा अन्य प्रयोजनार्थ नहीं सौंपी जाएगी ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसमें हेरफेर न कर सके। व्यय से संबंधित मामलों और आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामलों की पहचान के लिए वीडियो अवलोकन टीम द्वारा वीडियो निगरानी टीम द्वारा ली गई वीडियो सी डी रोज देखी जाएगी | वे उसी दिन या अधिक से अधिक अगले दिन तक व्यय से संबंधित अपनी रिपोर्ट लेखा टीम / सहायक व्यय प्रेक्षक को देंगे | व्यय से संबंधित रिपोर्टों में टीम सभी वाहनों की रजिस्ट्रेशन संख्या और उनका मेक, मंच का आकार, कुर्सियों की संख्या पोस्टर / बैनर में उद्धरण का आकार, कट आउट की संख्या और वीडियों में की गई व्यय की अन्य सभी मदों को डालेगी। यह टीम आदर्श आचार संहिता से संबंधित रिपोर्टो/अवलोकन को सामान्य प्रेक्षक/ रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। लेखा टीम और सहायक व्यय प्रेक्षक वीडियो साक्ष्यों के

आधार पर प्रयुक्त वस्तुओं की अधिसूचित दरों के अनुसार कुल व्यय की गणना करेंगे और संबंधित अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर में संगत प्रविष्टि करेंगे। जब इसे सत्यापन के लिए व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तब अभ्यर्थी के रजिस्टर के साथ इसकी तुलना की जाएगी। जैसा कि पहले कहा गया है, किसी भी व्यय को न दिखाया जाना, विलोपित करने को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 24 घंटे के अंदर सुधारात्मक उपाय के लिए तुरन्त लिखित रुप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

वीडियो अवलोकन दल (वीवीटी) निर्वाचन की घोषणा की तारीख से कार्य करेगा तथा मतदान/पुनर्मतदान, यदि कोई हो, की तारीख तक अपनी ड्यूटी जारी रखेगा। **(अनुलग्नक-ख18 एवं ख20)**

5. लेखाकरण टीम (एटी):

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/ खण्ड के लिए कम से कम एक लेखाकरण टीम होनी चाहिए जिसमें एक कर्मचारी और एक सहायक / लिपिक होगा। लेखाकरण टीम के कार्मिक विभिन्न सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखा अनुभागों से लिए जाने चाहिए |

लेखाकरण टीमें विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/ खण्ड के प्रत्येक अभ्यर्थी के 'छाया प्रेक्षण रजिस्टर' और साक्ष्य फोल्डर' का रख-रखाव करने के लिए सहायक व्यय प्रेक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी। वे जैसाकि उन्हें रिपोर्ट किया गया है वैसे ही वे व्यय की मदों की प्रविष्टि करेंगे और प्रत्येक मद के सम्मुख अधिसूचित दर लिखेंगे और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मदों पर कुल व्यय की गणना करेंगे। छाया प्रेक्षण रजिस्टर का प्रोफार्मा **अनुलग्नक-ख13** में दिया गया है।

ऐसे मामले होते हैं जिनमें निर्वाचन प्रचार सामग्री का नामांकन दाखिल करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है जबकि उसका भुगतान नामांकन दाखिल करने के पहले किया गया हुआ हो सकता है। यह टीम सुनिश्चित करेगी कि ऐसी सभी निर्वाचन प्रचार-सामग्री पर का व्यय छाया प्रेक्षण रजिस्टर में शामिल किया जाए जिनका नामांकन दाखिल करने के बाद इस्तेमाल किया गया हो, चाहे उनके लिए भुगतान नामांकन दाखिल करने के पहले कर दिया गया हो। इसी तरह, नामांकन दाखिल करने से संबंधित रैली या जुलूस पर का व्यय निर्वाचन व्यय के भाग के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

लेखांकन दल राजनैतिक दलों के व्यय के लेखांकन के उद्देश्य से निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लेकर मतदान/पुनर्मतदान, यदि कोई हो, तक कार्य करेगा तथा नाम-निर्देशन दायर किए जाने के बाद, दल द्वारा अभ्यर्थी का लेखा अनुदेशों के अनुसार रखा जाएगा। हालांकि, लेखांकन दल मतगणना के दिन से एक दिन पूर्व एवं पुनः निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद 25वें दिन से 37वें दिन तक अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण देने तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों की संवीक्षा रिपोर्ट एवं व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करने के प्रयोजनार्थ ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे।

परिणाम घोषित होने के 37वें दिन के बाद लेखांकन दल अंतिम रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा। **(अनुलग्नक-ख18 एवं ख 20)**

विधान सभा निर्वाचनों के मामले में, एक लेखांकन दल प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में कार्य करेगा और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए छाया प्रेक्षण रजिस्टर (एसओआर) तथा साक्ष्य फोल्डर का रख-रखाव करेगा। लोक सभा निर्वाचन के मामले में, सहायक व्यय प्रेक्षक (एईओ) एवं प्रत्येक विधान सभा खण्ड के लिए दल प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग-अलग एसओआर एवं एफओई का रख-रखाव करेंगे तथा विधान सभा खण्ड के सहा. व्यय. प्रेक्षक (एईओ) (मुख्यालय एईओ) को अपनी रिपोर्ट देंगे जहां रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) का कार्यालय होता है। मुख्यालय एईओ तथा उनका दल विधान सभा खण्डों के अन्य सभी एईओ के साथ समन्वय करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि उन लेखों का निरीक्षण के समय मिलान किया जाए। सहा. व्यय प्रेक्षक (एईओ) अधिसूचना की तिथि से कार्य करेगा। **(अनुलग्नक-ख20)**

6. शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर:

जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष में चौबीसों घंटे चालू एक कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी जो निर्वाचन की घोषणा की तारीख से ही प्रचालित होगी। इस कॉल सेंटर को 3 या 4 हंटिंग लाइनों से युक्त एक टोल-फी दूरभाष संख्या दी जाएगी, जिसका जनता में व्यापक प्रचार किया जाएगा जिससे निर्वाचनों से संबंधित भ्रष्ट आचरणों के बारे में निर्वाचन अनुवीक्षण तंत्र को सूचना दी जा सके। नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर का प्रभार उत्तरदायित्व एक वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाएगा जो शिकायतें प्राप्त करने ओर रिकॉर्ड करने तथा उसे संबंधित अधिकारी या उड़न दस्तों को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होगा जिससे बिना विलम्ब के कार्रवाई की जा सके | 24 घंटे टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहने के लिए कॉल सेन्टर को पर्याप्त कर्मचारी दिए जाएंगे।

जनता के किसी सदस्य /व्हिस्ल ब्लोअर द्वारा की गई सभी मौखिक शिकायतें शिकायत रजिस्टर में रिकार्ड की जानी चाहिए और प्रत्येक शिकायत के सामने समय दर्ज़ करना चाहिए और उसकी **अनुलग्नक-ख17** में दिए गए फार्मेट में बनाए रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी चाहिए। व्यय से संबंधित शिकायतें तुरन्त उड़न दस्ते के सम्बन्धित अधिकारी को भेज दी जानी चाहिए, एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी और व्यय प्रेक्षक को देनी होगी और यदि आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायत है तो, एक प्रति सामान्य प्रेक्षक को भी देनी होगी। नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और शिकायत आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु तुरन्त आगे भेजी जा रही है यह सुनिश्चित करने के लिए व्यय प्रेक्षक और सामान्य प्रेक्षक समय-समय पर इस रजिस्टर का निरीक्षण करेंगे।

7. मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) एवं पेड न्यूज:

प्रत्येक जिले में एक मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) होगी। विस्तृत अनुदेशों एवं दिशानिर्देशों के लिए नवीनतम "मीडिया संबंधी मामलों पर अनुदेशों का सार-संग्रह" देखा जा सकता है।

यदि मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति को प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन या विज्ञापनिका के प्रकाशन की सूचना मिलती है, तो वे इसे व्यय प्रेक्षक की जानकारी मे लाएंगे और उसकी एक प्रति साक्ष्य फोल्डर में रखेंगे। इस विज्ञापन पर हुए व्यय का छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख किया जाएगा और अभ्यर्थी के रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान उसे इसकी सूचना दी जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 127क के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चुनावी पैम्फलेट या पोस्टर, हैंडबिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक व मुद्रक के नाम, पता वर्णित किए बिना और प्रकाशक की घोषणा, जो कि दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की गई हो, प्राप्त किए बगैर निर्वाचन के लिए न तो प्रकाशित व मुद्रित करेंगे और न ही मुद्रण या प्रकाशन कारित करेंगे। यह ऐसे प्रेस की जिम्मेदारी है कि वह दस्तावेज के मुद्रण के बाद युक्तिसंगत समय के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दस्तावेज की प्रति के साथ घोषणा की प्रति सौंपें।

पेड न्यूज :

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा “पेड न्यूज” को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि 'कोई भी खबर या विश्लेषण जो (प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक) मीडिया में नकद या अन्य किसी रुप में प्रतिफल के लिए प्रकाशित किया गया है।' आयोग ने इस परिभाषा को अपनाने का निर्णय ले लिया है। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एम सी एम सी) सभी समाचार पत्रों, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क और जन-संचार के अन्य माध्यमों जैसे बल्क एस एम एस आदि देखेगा और अभ्यर्थियों और पार्टियों से संबंधित विज्ञापनों, विज्ञापनिकाओं संदेशों, चर्चाओं और साक्षात्कारों का रिकॉर्ड रखेगा। यह समिति विहित फार्मेट में प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित दैनिक रिपोर्ट लेखाकरण टीम को देगी तथा उसकी प्रति रिटर्निंग ऑफिसर व व्यय प्रेक्षक को देगी। यह रिपोर्ट पेड न्यूज के आकलित मामलों के समर्थक दस्तावेजों की कटिंग / क्लिपिंग, संबंधित टीवी और रेडियों विज्ञापनों की रिकॉर्डिंग सहित अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन विज्ञापन पर किए गए व्यय के संबंध में होगी, जिसे छाया प्रेक्षण रजिस्टर में भी शामिल किया जाएगा। ऐसे प्रकाशन पर व्यय न दिखाए जाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी पेड न्यू की घटना के संबंध में व्यय प्रेक्षक की सलाह से अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेगा। व्यय प्रेक्षक 24 घंटे के अंदर पेड न्यूज़ की रिपोर्ट और उसकी एक प्रति निर्वाचन आयोग को भेजेगा |

मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोक सभा/राज्य /संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा की अवधि समाप्त होने से 6 माह पूर्व राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में प्रसारित / परिचालित टी.वी. चैनल/ रेडियो चैनल/ समाचार पत्रों से मानक रेट कार्ड प्राप्त करेंगे। ऐसे रेट कार्ड लेखा दल को विज्ञापनों की दरों की गणना के लिए देंगे।लेखा टीम निहित व्यय की डी ए वी पी/डी आई पी आर की दर से, जो भी कम हो, गणना करेंगी और इसका छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख करेगी। व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के समय इस प्रकार की विसंगतिया को अभ्यर्थी / उसके निर्वाचन एजेंन्ट ध्यान में लाएगा और पेड न्यूज़ पर किये गये व्यय की विसंगतियों का अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तंभ में उल्लेख करेगा |

ऐसे सभी नोटिसों की प्रतिलिपि रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड और जिला निर्वाचन वेबसाइट / मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेबसाइट में पेड न्यूज के साथ प्रदर्शित की जानी चाहिए। इनकी एक प्रति जनता के किसी भी सदस्य को 1/-रु प्रति पृष्ठ का भुगतान करने पर दी जा सकती है।

8. उड़न दस्ते (एफएस) एवं स्थैतिक निगरानी टीम (एसएसटी):

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र/खण्ड में तीन या अधिक समर्पित उड़न दस्ते होंगे जो नकदी का अवैध आदान-प्रदान, या शराब का वितरण या अन्य कोई संदेहास्पद वस्तुएं, जो मतदाताओं को घूस देने के लिए प्रयोग में लाई जा रही हों, उसका पता लगाएंगे। उड़न दस्ते में टीम का प्रमुख एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट होगा, पुलिस स्टेशन का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और 3-4 सशस्त्र पुलिस कार्मिक होंगे। उनको नकदी या सामान इत्यादि की जब्ती के लिए, पूरी तरह समर्पित एक वाहन, मोबाइल फोन, एक वीडियो कैमरा और अपेक्षित पंचनामा दस्तावेज दिए जाएंगे।

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में तीन या अधिक स्थैतिक निगरानी टीमें होंगी जिनमें प्रत्येक टीम में एक मजिस्ट्रेट और तीन या चार पुलिस कार्मिक होंगे। यह टीम चैक पोस्ट बनाएगी और अपने क्षेत्र में भारी मात्रा में लाए जाने वाली नकदी, अवैध शराब, कोई संदेहास्पद वस्तु या शस्त्रों इत्यादि की आवाजाही पर निगरानी रखेगी। जॉच की समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। स्थैतिक निगरानी दलों के लोकेशन समय-समय पर बदले जाएंगे जिससे कि अचरज का पुट बनाए रखा जा सके |

उड़न दस्ते निर्वाचनों की घोषणा की तिथि के बाद से कार्य करने लगेंगे तथा स्थैतिक निगरानी टीमें अधिसूचना की तिथि से मतदान/पुनर्मतदान, यदि कोई हो, की तिथि तक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दिनांक 29 मई, 2015 **(अनुलग्नक-छ7, अनुलग्नक-ख20)** के अनुसार कार्य करेंगे। **(अनुलग्नक-ख18)**

तथापि, उड़न दस्ते और स्थैतिक निगरानी दलों को मतदान हो चुके राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों एवं ऐसे राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों जहां चरणबद्ध तरीके से मतदान होना है, में तैनात रखा जाएगा, जो निम्नानुसार हैः-

मामला -I: उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामलों में, जहां मतदान समाप्त हो गया हो, एफएस और एसएसटी को महत्वपूर्ण स्थानों पर तथा पड़ोसी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में सक्रिय बनाए रखा जाएगा।

मामला II: ऐसे राज्यों के मामलों में, जहां मतदान चरणबद्ध तरीके से होना है, उड़न दस्तों को निम्नानुसार सक्रिय रखा जाएगाः-

(i) संपूर्ण राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक ऐसे संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा खंड में जहां मतदान समाप्त हो गया हो, एक उड़न दस्ते को तैयार रखा जाएगा; एवं

(ii) एसओपी, दिनांक 29 मई, 2015 के अनुसार, ऐसे सभी जिलों में, जहां मतदान कई चरणों में आयोजित किया जा रहा हो, उड़न दस्तों/एसएसटी को सम्पूर्ण जिले में मतदान के अंत तक पूरी क्षमता के साथ प्रचालन में रखा जाएगा। **(अनुलग्नक-ख21)**

9. व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ:

जिला निर्वाचन अधिकारी लेखा कार्यों में निपुण वरिष्ठ अधिकारी जो एस डी एम/ए डी एम श्रेणी से कमतर रैंक के न हों, को व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा। ऊपर उल्लिखित सभी टीमें और नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के घटक होंगे।

10. व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र (ईएससी) और व्यय संवेदनशील पॉकेट (ईएसपी) की पहचान

10.1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीचे उल्लिखित दो मुख्य आधारों पर संवेदनशीलता के मानचित्रण की पहचान करने और ईएससी की पहचान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा और/या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कम से कम 6 महीने पहले विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे।

- क. नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुओं और मुफ्त की वस्तुओं के मुख्य जमावड़े जैसी कार्यात्मकता
- ख. क्षेत्रवार संवेदनशीलता (जिला-वार, जिला समूह-वार, विधानसभा-वार)

10.2. जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), पुलिस अधीक्षक (एसपी) निर्वाचन क्षेत्र में तैनात व्यय पर्यवेक्षक (ईओ) के परामर्श से, ईओ की पहली यात्रा के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में व्यय संवेदनशील पॉकेट (ईएसपी) की पहचान करेंगे।

10.3. ईएससी और ईएसपी की पहचान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) **अनुलग्नक- छ12** में उपलब्ध है।

11. नोडल अधिकारी

(क) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नोडल अधिकारी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी व्यय अनुवीक्षण पर आयोग के साथ समन्वयन करने, व्यय संबंधी कार्मिक एवं राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, राज्य में अन्य नोडल अधिकारियों, व्यय प्रेक्षकों, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में शामिल सभी प्रवर्तन एजेंसियों और आयोग के साथ समन्वयन करने के लिए अपने कार्यालय में एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करेंगे जिनका रैंक संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कमतर नहीं हो। वे निर्वाचन अवधि के दौरान की गई सभी प्रकारों की जब्ती के संबंध में सूचना का संकलन करेंगे और उसे दैनिक आधार पर आयोग को **ई-मेल** द्वारा **अनुलग्नक- ख7** में भेजेंगे तथा उसे मतदान के दिन अपराहन 1 बजे तक आयोग को भी **अनुलग्नक-ग3** में भेजेंगे। उपरोक्त के अलावा, वे आयोग को पड़ोसी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगने वाली निर्वाचन के लिए तय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अंतरराज्यीय सीमा चौकियों/क्षेत्रों में की गई जब्ती पर दिन-प्रतिदिन की रिपोर्ट भी **अनुलग्नक- ख7** के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे।

(ख) पुलिस के नोडल अधिकारी: राज्य के पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी, जिसका चयन आयोग द्वारा किया जाएगा, को सभी उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों, विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा आयोग के साथ समन्वयन के लिए नोडल अधिकारी अधिसूचित किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान उनके कार्यालय

का दूरभाष नं./ फैक्स नं. तथा मोबाइल नं. व्यय प्रेक्षकों, अन्वेषण निदेशालय, उत्पाद-शुल्क विभाग तथा अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित कर दिया जाएगा। वह जिले के सभी मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा, जो बदले में उड़न दस्ते या एसएसटी में कार्यरत सभी कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। वे निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में कार्यरत अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वयनके लिए उत्तरदायी होंगे।

वह जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा भेजी गई जिले के उड़न दस्तों तथा स्थैतिक निगरानी दलों की जब्ती रिपोर्टो को समेकित करेगा तथा वह प्रतिदिन आयोग के व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ को फैक्स द्वारा **अनुलग्नक-ख8, ख9 तथा ख10** के अनुसार संयुक्त दैनिक गतिविधि रिपोर्ट भेजेगा तथा उसकी प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी और साथ ही साथ, उसका संकलन करेंगे और मतदान के दिन अपराहन बजे तक **अनुलग्नक-ग4** में आयोग को उपलब्ध कराएगा |

(ग) आयकर के नोडल अधिकारी: साधारण निर्वाचन की घोषणा से पहले आयोग ऐसे बेहिसाबी धन, जिन्हें निर्वाचन आदि में प्रयुक्त किए जाने का संदेह है, की जब्ती के द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ सूचना आदि साझा करने के लिए और एकान्तर दिनों में विहित फार्मेट **(अनुलग्नक-ख11)** में रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा उनका संकलन करने के लिए भी और मतदान के दिन अपराहन 1 बजे तक **अनुलग्नक- ग 5** में आयोग को उपलब्ध कराने के लिए आयकर महानिदेशालय (अन्वेषण) के कार्यालय में एक नोडल अधिकारी, जिसका रैंक अपर/संयुक्त डीआईटी (अन्वेषण विंग) से कमतर नहीं हो, नियुक्त करता है। **वायु आसूचना इकाई तथा आयकर विभाग के पृथक शिकायत अनुवीक्षण कक्ष मतदान की घोषणा की तिथि से अपना कार्य शुरू करेंगे। (अनुलग्नक-ख20)**

(घ) उत्पादशुल्क के नोडल अधिकारी: साधारण निर्वाचन की घोषणा से पहले आयोग निर्वाचन-प्रचार के दौरान उनके द्वारा गैर-कानूनी शराब की गई जब्तियों की रिपोर्टिंग के द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ सूचना आदि के प्रवाह के लिए और विहित फार्मेट **(अनुलग्नक-ख12)** में सम्बद्ध आंकड़ों की रिपोर्टिंग के लिए तथा उनका संकलन करने के लिए भी और मतदान के दिन अपराहन 1 बजे तक **अनुलग्नक-ग6** में आयोग को उपलब्ध कराने के लिए एक नोडल अधिकारी (उत्पादशुल्क), जिसका रैंक आयुक्त से कमतर नहीं हो, नियुक्त करता है। **निर्वाचनों की घोषणा के तिथि से अनुदेशों के अनुसार मदिरा पर निगरानी रखने के उपाय किए जाएंगे तथा घोषणा की तिथि से रिपोर्टिंग की जाएगी। (अनुलग्नक-ख20)**

(ड़) व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी :

(i) जिला मुख्यालय में व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी पर्याप्त जनशक्ति और कार्यालय स्थान और साधन की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ समन्वय करेगा। नोडल अधिकारी निर्वाचन की अधिसूचना से पहले ही व्यय अनुवीक्षण कार्य में लगी विभिन्न टीमों की जनशक्ति को प्रशिक्षण देगा। जिला निर्वाचन अधिकारी किसी भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को, जिसकी सेवाएं व्यय अनुवीक्षण के लिए अपेक्षित हैं, तैनात कर सकता है।

(ii) व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा और निर्वाचन की अधिसूचना के मध्य के समय के दौरान राजनीतिक पार्टियों / संभावित अभ्यर्थियों द्वारा की गई सभी सार्वजनिक बैठकों/ रैलियों की वीडियोग्राफी करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी अवधि के दौरान वीडियो सीडी /डीवीडी के अनुसार राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए सभी ऐसे व्ययों की गणना इस प्रकोष्ठ द्वारा की

जाएगी और राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए व्यय का अनुमान लगाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया जाएगा। यद्यपि इस व्यय को अभ्यर्थी के रजिस्टर में शामिल नहीं करना है, पार्टी को इस व्यय को विधान सभा मतदान के 75 दिन और लाकसभा मतदान के 90 दिन के अंदर आयोग को दिखाना होगा। मुख्य्‍ा निर्वाचन अधिकारी पार्टी द्वारा इस दौरान और परिणामों की घोषणा तक किए गए कुल व्यय से संबंधित जिलावार रिपोर्ट एकत्रित करेगा और परिणामों की घोषणा के 45 दिन के अंदर आयोग को अग्रेषित करेगा।

शिकायत मानीटरिंग कक्ष में टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे लोगों में अपनी शिकायत दर्ज करवाने के प्रति जागरूकता बढ़े।

सहायक व्यय प्रेक्षक (ए.ई.ओ.), उड़न दस्ते (एफएस), स्थैतिक निगरानी टीम (एसएसटी), वीडियो निगरानी टीम (वी.एस.टी), वीडियो अवलोकन टीम (वीवीटी) और लेखाकरण टीम केवल मतदान, पुनर्मतदान की तारीख तक अपना कार्य करना जारी रखेंगे। हालांकि, ए.ई.ओ. और लेखाकरण टीम मतगणना के दिन से एक दिन पहले और पुनः परिणाम की घोषणा की तारीख के बाद 25वें दिन ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगी और निर्वाचन खर्चों के लेखे के प्रस्तुतीकरण में अभ्यर्थियों / निर्वाचन एजेंटों को प्रशिक्षण देने के प्रयोजनार्थ और जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट और व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट-IV तैयार करने में सहायता करने के लिए आठ दिनों की अवधि के लिए बनी रहेगी। सहायक व्यय प्रेक्षकों और लेखाकरण टीमों को तदुपरांत कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

12. यदि आयोग के एसओपी सं. 76/अनु./ईईपीएस/2015/खंड-II दिनांक 29 मई, 2015 (अनुलग्नक-छ7) के अनुसरण में तैनात/गठित एफएस/एसएसटी/पुलिस प्राधिकरण/रिहाई समिति किसी भी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता अथवा दलीय कार्यकर्ताओं अथवा राजनैतिक दलों से अंतरुद्ध/जब्त की गई विदेशी मुद्रा का कोई संबंध नहीं पाती है तो संबद्ध अधिनियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय तथा प्रवर्तन निदेशालय में संबंधित नोडल अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। **(अनुलग्नक-ख22)**

व्यय निगरानी में शामिल टीमों का प्रवाह चार्ट.

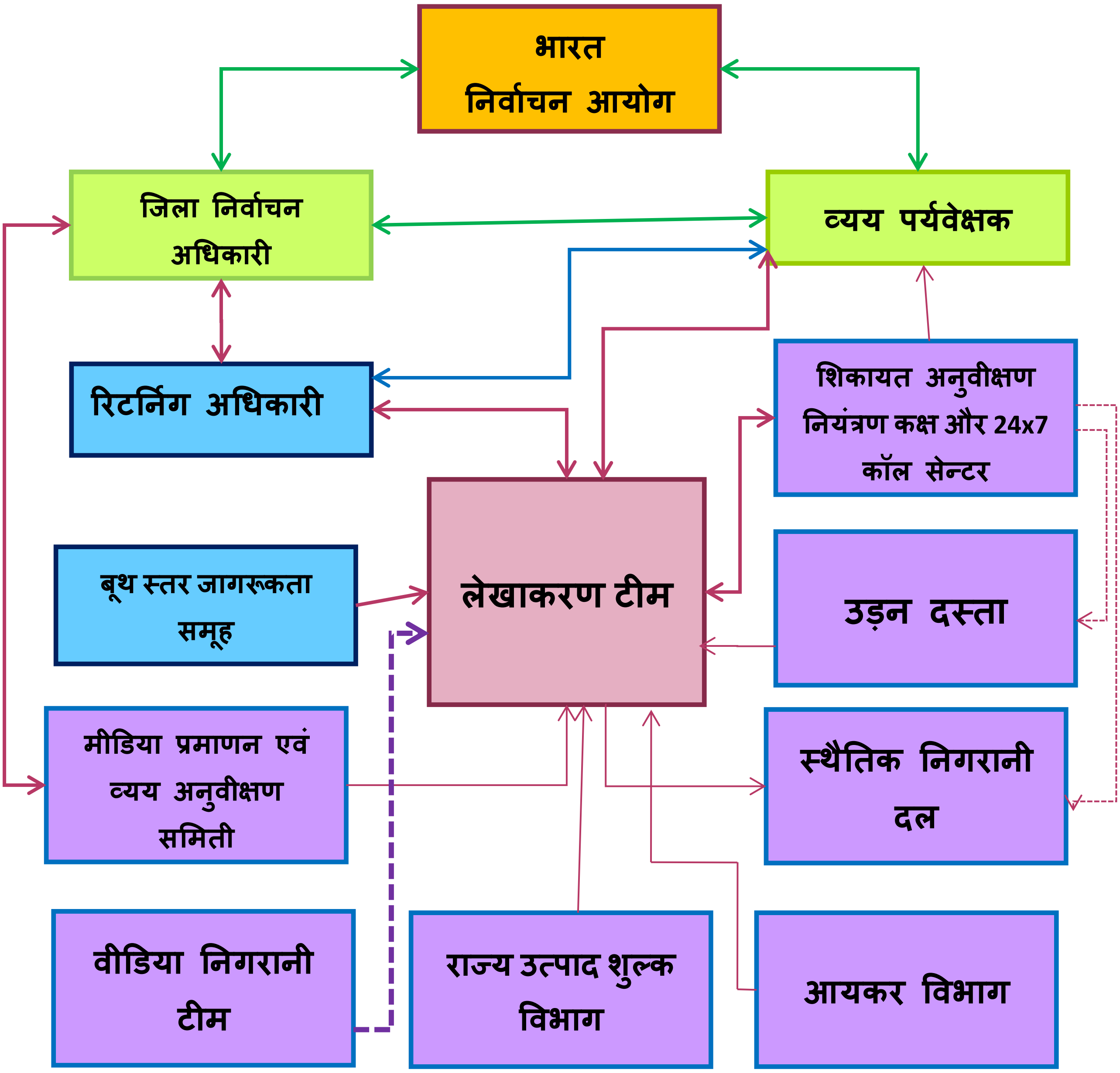

अनुलग्नक – ख1

व्यय प्रेक्षक का आगमन/प्रस्थान रिपोर्ट

(प्रेक्षक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और हस्ताक्षरित प्रति डाक द्वारा तुरन्त आगमन/प्रस्थान के बाद आयोग को भेजा जाएगा)

<table>
<tr><td colspan="2">रिपोर्ट करने की तारीख</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रेक्षक का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रेक्षक कोड</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों की संख्या तथा नाम</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">राज्य का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्वाचन-क्षेत्र की फैक्स संख्या</td><td>कार्यालय फैक्स संख्या</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्वाचन क्षेत्र की दूरभाष संख्या</td><td>दूरभाष संख्या</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्वाचन क्षेत्र की मोबाईल संख्या</td><td>मोबाईल संख्या</td></tr>
<tr><td colspan="2">ई. मेल आई डी</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रेक्षक के आगमन / प्रस्थान की तिथि (कृप्या उस भाग को हटा दें जो लागू न हो)</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या प्रेक्षक द्वारा ड्यूटी से कोई अवकाश लिया गया था</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि हाँ, विवरण दें</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>क्या ड्यूटी पर देर से आए थे</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>यदि हाँ, तो कितनी देर से</td><td></td></tr>
</table>

स्थान :

दिनांक :

प्रेक्षक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक- ख2

व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट-1

व्यय अनुवीक्षण के लिए तैयारी रिपोर्ट

(प्रेक्षक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और हस्ताक्षरित प्रति डाक द्वारा विधान सभा चुनाव में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तथा लोक सभा चुनाव में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एकमात्र रिपोर्ट नोटिफिकेशन के तीन दिनों के अंदर आयोग को प्रेषित की जाएगी)

रिपोर्ट करने की तारीख	
प्रेक्षक का नाम	
प्रेक्षक का कोड	
निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों की संख्या एंव नाम	
राज्य का नाम	
निर्वाचन क्षेत्र की फैक्स संख्या	कार्यालय फैक्स संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की दूरभाष संख्या	दूरभाष संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की मोबाईल संख्या	मोबाईल संख्या
ई. मेल आई डी	

क्र. सं.	विवरण	हाँ	नहीं
(क)	क्या व्यय प्रेक्षक ने अभ्यर्थियों द्वारा रख-रखाव किए जाने वाले दिन-प्रतिदिन के व्यय लेखे की जॉच करने के लिए पदनामित अधिकारी के रूप में सहायक व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति की है।		
(ख)	क्या निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में कार्यरत सभी दल जैसे लेखा दल, स्थैतिक निगरानी दल, उड़न दस्ते तथा वीडियो निगरानी दल का गठन किया गया है तथा क्या वे सही तरह से कार्य कर रहे हैं।		
(ग)	क्या निर्वाचन तंत्र को व्ययों की अधिकतम सीमा से संबंधित निर्वाचनों का संचालन नियम के नियम 90 की जानकारी है।		
(घ)	क्या रिटर्निंग आफिसर ने निर्वाचन व्यय रजिस्टर उपलब्ध कराया है, जो दिन प्रतिदिन लेखा रजिस्टर (भाग-क), नकद रजिस्टर (भाग-ख), बैंक रजिस्टर (भाग-ग), सार विवरणी (भाग-I-IV) जो अनुसूची 1 से 11 और पावती प्रपत्र युक्त आवरण के साथ उम्मीदवार को संबोधित हो।		
(ङ)	क्या ऐसे रजिस्टरों में सम्यक रूप से पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गई थी तथा जारी करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी /रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उन्हें अधिप्रमाणित कर दिया गया था।		
(च)	क्या प्रेक्षक द्वारा सभी व्यय अनुवीक्षण दलों तथा सहायक व्यय प्रेक्षकों को व्यय के विभिन्न पहलुओं तथा रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई है।		
(छ)	क्या व्यय प्रेक्षक ने नकद धनराशि, शराब तथा अन्य सामग्रियों के वितरण पर निगरानी रखने के लिए पुलिस अधीक्षक तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अन्वेषण महानिदेशालय, आयकर, पुलिस तथा राज्य आबकारी के अधिकारी से बातचीत की है।		

(ज)(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में पोस्टरों का मुद्रण करने, वाहनों, लाउडस्पीकरों को किराए पर लेने, पंडालों को लगाने की कीमत तथा फर्नीचर एवं फिक्सचरों को किराए पर लेने की वर्तमान दरें उपलब्ध कराई गई थी।		
(ii)	क्या निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मीडिया के मूल्य चार्ट प्राप्त कर लिए गए हैं।		
(झ)	क्या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, सहायक व्यय प्रेक्षकों तथा व्यय अनुवीक्षण दलों के सदस्यों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।		
(ञ)	क्या लेखा दल, वीडियो अवलोकन दल, वीडियो निगरानी दल, मीडिया मानीटरिंग दल तथा प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन निगरानी दल निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए तैयार हैं तथा उन्हें सुसंगत रजिस्टर /फार्मेट जैसे वीडियो क्यू शीट, शैडो रजिस्टर, मीडिया व्यय अनुवीक्षण रिपोर्ट इत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं।		
(ट)	उल्लेख करें,		
	(i) उड़न दस्तों की संख्या		
	(ii) निगरानी टीमों की संख्या		
	(iii) एईओ की संख्या		
	(iv) वीएसटी की संख्या		
	(v) वीवीटी की संख्या		
	(vi) एटी की संख्या		
(ठ)	क्या सहायक व्यय प्रेक्षक तथा लेखा दल के सदस्यों, वीडियो अवलोकन दल, वीडियो निगरानी दल, मीडिया रिपोर्ट तथा अनुवीक्षण दल को प्रशिक्षण दिया गया हैं - (क) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा (ख) व्यय प्रेक्षक द्वारा (ग) दलों के द्वारा ध्यान में लाई गई कार्यप्रणाली सम्बन्धी कोई भी समस्या (यदि हां, तो भारत निर्वाचन आयोग को सूचित करते हुए इसे तुरंत रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नोटिस में लाएं)		
(ड)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के साथ बैठक की है तथा उन्हें स्थानीय भाषा में व्यय अनुदेश की प्रतियाँ प्रदान की है।		

(यदि उपर्युक्त में से किसी का भी उत्तर 'न' है, तो इसे भारत निर्वाचन आयोग को सूचित करते हुए तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ध्यान में लाया जाए।

स्थान :

दिनांक :

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-ख3

व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट-II

व्यय अनुवीक्षण के लिए तैयारी रिपोर्ट

(प्रेक्षक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और हस्ताक्षरित प्रति डाक द्वारा विधान सभा चुनाव में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तथा लोक सभा चुनाव में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एकमात्र रिपोर्ट अभ्यर्थिताएं वापस लेने के 24 घंटे के अंदर आयोग को प्रेषित की जाएगी)

रिपोर्ट करने की तारीख	
प्रेक्षक का नाम	
प्रेक्षक कोड	
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	
राज्य का नाम	
निर्वाचन क्षेत्र की फैक्स संख्या	कार्यालय का फैक्स संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की दूरभाष संख्या	दूरभाष संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की मोबाईल संख्या	मोबाईल संख्या
ई. मेल आई डी	

क्रसं.	विवरण	हाँ	नहीं
(क)	क्या व्यय रजिस्टर /वाऊचरों की जाँच का समय निर्धारित किया गया है |		
(ख)	यदि हाँ, तो जाँच के लिए निर्धारित तिथियों को सूचित करें |		
(ग)	क्या प्रेक्षकों द्वारा सभी व्यय अनुवीक्षण दलों तथा सहायक व्यय-प्रेक्षकों को व्यय के विभिन्न पहलूओं तथा रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दे दी गई है |		
(घ)	क्या व्यय प्रेक्षक को नकद धनराशि, शराब तथा अन्य सामग्रियों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधीश एवं अन्वेषण महानिदेशालय, आयकर के अधिकारियों से दिन-प्रतिदिन की गतिविधि रिपोर्ट / प्रतिक्रिया मिल रही है |		
(ङ)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के पोस्टरों के मुद्रण करने, वाहनों, लाउड स्पीकरों को भाड़े पर लेने, पंडाल लगाने के मूल्य तथा फर्नीचर तथा फिक्सचर को भाड़े पर लेने की वर्तमान दरें उपलब्ध करवा दी गई हैं |		
(च)	क्या रिटर्निंग अधिकारी तथा व्यय प्रेक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों को व्यय अनुवीक्षण की नई प्रक्रिया से अवगत कराया गया है तथा व्यय अनुदेशों की प्रतियाँ उन्हें दी गई हैं?		
(छ)	क्या नेताओं के नाम (गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के मामले में अधिकतम 20 तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के मामले में अधिकतम 40) (जो विधानसभा /संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर हवाई जहाज अथवा परिवहन के किसी अन्य साधनों द्वारा यात्रा करेंगे) को मुख्य निर्वाचन अधिकारी / भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिए गए हैं।		
(ज)	यदि नहीं, तो क्या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यह सूचित कर दिया गया है कि दल के सभी नेताओं के यात्रा व्यय सहित उनकी यात्रा से संबंधित सभी व्ययों को संबंधित अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखे में आवश्यक रूप से दर्शाया जाएगा कि किस निर्वाचन के दौरान यह यात्रा की गई है | (यदि अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन से		

	संबंधित यह यात्रा सामान्य प्रकार की है , तो व्यय को ऐसे सभी अभ्यर्थियों के मध्य समान रूप से विभाजित किया जाएगा?		
(झ)	क्या बैंक संदिग्ध नकद निकासी की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करवा रहे हैं।		
(ञ)	क्या रू 10 लाख से अधिक की निकासी सम्बन्धी रिपोर्ट नोडल ऑफिसर, आयकर को भेजी जा रही है।		
(ट)	क्या सहायक व्यय प्रेक्षकों ने सभी अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल करने से संबंधित व्ययों की प्रविष्टि शेडो रजिस्टर में कर दी है।		
(ठ)	क्या जन सभाओं, रैलियों तथा जलूसों में निर्वाचन संबंधी कार्यो के लिए वाहनों की तैनाती हेतु अनुमति प्रदान करने वाले प्राधिकारी ऐसी अनुमति की प्रतियां वीडियो निगरानी दल, लेखा दल तथा मीडिया अनुवीक्षण दल को भेज रहे हैं |		
(ड)	क्या मीडिया प्रमाणन मॉनीटरिंग समिति को सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे समाचार पत्र तथा केबल कनेक्शन सहित टेलीविजन उपलब्ध कराए गए हैं ?		
(ढ)	क्या निर्वाचन क्षेत्र को व्यय के मामले में संवेदनशील घोषित किया गया हैं ? यदि हाँ, तो क्या पुलिस प्रेक्षक की नियुक्ति की गई हैं ?		
(ण)	व्यय अनुवीक्षण दल की तैयारी पर समग्र पर्यवेक्षण तथा किसी भी प्रकार के सुधार के लिए कोई सुझाव (विचारणीय विषयों को प्राथमिकता के क्रम में दर्शायें)		

यदि उपरोक्त में से किसी का भी उत्तर ना में हैं, तो उसे भारत निर्वाचन आयोग को सूचित करते हुए तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ध्यान में लाया जाए |

स्थान :
दिनांक:

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक- ख4

व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट-III

मतदान के पूरा होने के बाद व्यय रिपोर्ट

(प्रेक्षक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और हस्ताक्षरित प्रति डाक द्वारा विधान सभा चुनाव में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तथा लोक सभा चुनाव में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एकमात्र रिपोर्ट मतदान/पुर्नमतदान के 24 घंटों के अंदर आयोग को प्रेषित की जाएगी)

रिपोर्ट करने की तारीख	
प्रेक्षक का नाम	
प्रेक्षक कोड	
निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों की संख्या तथा नाम	
राज्य का नाम	
निर्वाचन क्षेत्र की फैक्स संख्या	कार्यालय फैक्स संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की दूरभाष संख्या	दूरभाष संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की मोबाईल संख्या	मोबाईल संख्या
ई. मेल आई डी	

क्रसं.	विवरण		
(क)	व्यय से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या		
(ख)	जॉच की गई शिकायतो की संख्या तथा की गई कार्रवाई		
(ग)	लम्बित मामलों की संख्या, जाँच तथा सुधार हेतु कार्रवाई		
(घ)	लम्बित रहने का कारण		
(ङ) (i)	अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने जाँच के लिए रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए हैं|		
(ii)	अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें जॉच के लिए रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने के कारण नोटिस जारी किए गए हैं			
(iii)	अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने नोटिस दिए जाने के बावजूद भी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए|		
(iv)	नामों का उल्लेख करें, जिन्होंने नोटिस दिए जाने के बावजूद भी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए			
(च)	अभ्यर्थी जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया था।	संख्या	नाम
(i)	दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर /नकद रजिस्टर /बैंक रजिस्टर के फार्मेट में विसंगति के लिए		
(ii)	वे सभी जो छाया रजिस्टर में दर्शाये गए हैं, के साथ सही व्यय लेखा नहीं दिखाए जाने के लिए		
(iii)	अलग से बैंक खाता नहीं खोलने के लिए		
(छ)	क्या सहायक व्यय प्रेक्षक ने रिटर्निंग अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला मुख्यालय में अभ्यर्थियों के बीच छाया प्रेक्षण रजिस्टर, साक्ष्य फोल्डर तथा अन्य रिपोर्ट / पत्र-व्यवहार का रख-रखाव किया है।		

(ज)	नामांकन दाखिल करने के बाद की अवधि के दोरान जब्त की गई नकदी, शराब तथा अन्य वस्तुएं			
(झ)	यदि ऐसा है, तो उसका विवरण दें तथा अलग-अलग स्थान एवं प्राधिकारी का नाम बताएं, जिनके द्वारा जब्ती की गई।		
(ञ)	क्या जब्त नकद राशि/सामग्रियों को किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय से जोड़ा जा सकता है		
(ट)	यदि ऐसा है, तो विवरण दें		
(ठ)	क्या किसी संदिग्ध पेड न्यूज का पता चला था।		
(ड)	यदि ऐसा है, तो अभ्यर्थी का नाम, मीडिया का नाम तथा अन्य विवरणों सहित, विवरण दें	(इस प्रकार के सभी मामलों की प्रति संलग्न करें)		
(ढ)	क्या सभी जन सभाओं /रैलियों /जुलूसों में उपगत व्यय की अभ्यर्थी के प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी।		
(ण)	क्या ऐसे सभी व्ययों को अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दिन-प्रतिद्विन के लेखा रजिस्टर में दर्शाया गया था			
(त)	यदि नहीं, तो विवरण दें।		
(थ)	क्या कोई संदिग्ध पेड न्यूज संज्ञान में आई थी और जिसे की गई थी और जिले में गठित समिति को संदर्भित की गई थी।		
(द)	यदि ऐसा है तो अभ्यर्थी के नाम सहित मीडिया का नाम तथा अन्य विवरण दें और क्या एमसीएमसी ने इस पर विचार किया है तथा क्या रिटर्निंग अधिकारी ने इस पर विचार कर नोटिस जारी किया है (ऐसे मामलों का विवरण संलग्न करें)		
(ध)	क्या इस अवधि के दौरान शराब के उत्पादन/वितरण की रिपोर्टों को मॉनीटर किया जा रहा था।		
(न)	क्या आडम्बरपूर्ण व्यय जैसे-मुंडन समारोह, जन्मदिन समारोह, विवाह / समूह विवाह समारोह के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी / आयकर अन्वेषण महानिदेशालय को बताया गया था			
(प)	यदि ऐसा है, तो निदेशालय/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण दें			
(फ)	ऐसे व्यय की राशि का उल्लेख करे तथा क्या इसे किसी अभ्यर्थी से जोड़ा जा सकता है। (अभ्यर्थी का नाम बताएं)		
(ब)	नकद या किसी वस्तु के रूप में प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा उनके अभ्यर्थियों की ओर से निर्वाचन क्षेत्र में उपगत व्यय (दल का नाम तथा राशि का उल्लेख करें)		
(भ)	निर्वाचन व्यय को छुपाने के कोई अन्य तरीके का पता चला था (कृप्या विवरण दें)		
(म)	कोई अन्य टिप्पणी /सुझाव (कृपया प्राथमिकता के क्रम में उल्लेख करें)		

स्थान :

दिनांक : व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक - ख5

व्यय प्रेक्षक की अंतिम रिपोर्ट- रिपोर्ट-IV

[प्रेक्षक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और हस्ताक्षरित प्रति डाक द्वारा विधान सभा चुनाव में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तथा लोक सभा चुनाव में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एकमात्र रिपोर्ट चुनाव परिणाम घोषणा के 30 दिनों के बाद आयोग को प्रेषित की जाएगी]

रिपोर्टिंग की तारीखः	
प्रेक्षक का नामः	
प्रेक्षक का कोडः	ई. मेल-आई डीः
मोबाईल न.	
निर्वाचन क्षेत्रः	राज्यः
जिलाः	
परिणामों की घोषणा की तारीखः	
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीखः	
लेखा समाधान बैठक की तारीखः	
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्याः	
विजयी अभ्यर्थी का नाम/पार्टी संबध्दता, यदि कोई हैः	

प्रेक्षक का सार

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम तथा पार्टी संबद्धता	क्या निरीक्षण या दाखिल अंतिम लेखा के दौरान सभी विसंगतियों पर और उनके द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करके अभ्यर्थियों को नोटिस	अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने की तारीख (कृपया नीचे का नोट4 देखें)	क्या लेखे समय पर दाखिल किए गए हैं हां / नहीं.	अभ्यर्थी के लेखे में उल्लिखित व्यय की राशि	क्या लेखा प्रपत्र में और सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं	क्या प्रेक्षक एकत्रित साक्ष्यों की तुलना में अभ्यर्थी के प्रस्तुतीकरण से सहमत हैं (हां/ नहीं) यदि नहीं, तो नीचे दिए नोट 2 के अनुसार संलग्न	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रचार के दौरान एकत्रित सभी सूचनाओं की अभ्यर्थी के प्रस्तुतीकरण से जांच की है (हां/ नहीं), यदि हां तो कृपया नीचे दिए नोट 3 के अनुसार	क्या अभ्यर्थी द्वारा उपगत अनुमानित व्यय निर्धारित सीमा से अधिक था [हां/ नहीं), यदि हां, तो कृपया नीचे दिए नोट 4 के अनुसार	अभ्यर्थी की तरफ से राजनैतिक पार्टी, यदि कोई है, द्वारा उपगत व्यय की राशि नीचे दिए नोट 5 के अनुसार पार्टी का नाम बताएं	अभ्यर्थी की ओर से अन्य हस्तियों, व्यक्तियों द्वारा उपगत व्यय की राशि	क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर लेखों का संक्षिप्त विवरण (भाग I से भाग IV तथा अनुसूची 1 से 11 तक) (परिणामों को घोषणा के 3 दिन के भीतर) अपलोड कर दिया हैं	क्या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जब्त की गई नकदी एवं अन्य मदें 7 दिनों के अंदर रिलीज कर दी गई हैं सिवाय ऐसे मामलों के (i) जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई है (ii) जिनमें नकदी आयकर विभाग को सौंपी गई है। यदि नहीं, तो क्या इसे तत्काल कार्रवाई के लिए आरओ, डीईओ एवं एसपी के ध्यान में लाया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

स्थान : हस्ताक्षर :

तारीख : व्यय प्रेक्षक:

नोट:

1. स्तंभ 4 में, जहाँ अभ्यर्थी ने सार विवरण प्रस्तुत नहीं किया है वहां प्रस्तुत नहीं किया का उल्लेख किया जाना चाहिए |

2. स्तंभ 8 में यदि नहीं है तो प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए प्रेक्षक द्वारा साक्ष्य/संदर्भ संख्या सहित एक अलग शीट दी जाएगी जिसमें वह उन सबका उल्लेख करेगा जिनसे वह सहमत नहीं है |
3. स्तंभ 9 में यदि प्रेक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी से सहमत नहीं है तो वह उस असहमति के कारण का अलग से उल्लेख करेगा।
4. स्तंभ 10 में, व्यय प्रेक्षक द्वारा उन अभ्यर्थियों, जिन्होंने सीमा से अधिक व्यय किया है, के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा तथा कुल व्यय की अनुमानित राशि का उल्लेख किया जाएगा |
5. स्तंभ 11 में, यदि अभ्यर्थी के लिए एक से अधिक राजनैतिक पार्टियां व्यय उपगत करती है, तो प्रत्येक पार्टी का नाम तथा राशि अलग से दी जाएगी | यदि प्रेक्षक दिखाए गए आंकड़ों से सहमत नहीं है तो वह इकट्ठे किए गए साक्ष्यों सहित अनुमानित आंकड़े अलग से संलग्न करेगा।
6. स्तंभ 12 में, अभ्यर्थियों की ओर से अन्य हस्तियों / व्यक्तियों द्वारा उपगत कुल राशि का इस स्तंभ में उल्लेख किया जाएगा तथा यदि प्रेक्षक दिखाए गए आंकड़ों से सहमत नहीं है, तो वह हस्तियों / व्यक्तियों के नामों के साथ एकत्रित साक्ष्यों सहित अनुमानित आंकड़े अलग से संलग्न करेगा |
7. यदि प्रक्रिया में सुधार करने के लिए व्यय प्रेक्षक के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव अपनी रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न कर सकता है।
8. उन मदों में जहां 'छाया प्रेक्षण रजिस्टर' अधिक व्यय प्रदर्शित करता है जिसे अभ्यर्थी ने नहीं दर्शाया है तो भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 29 मई, 2015 के अनुदेश संख्या **76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खण्ड-II (अनुलग्नक- ग10)** के अनुसार अभ्यर्थी के लेखों का निरीक्षण करके एक नोटिस जारी करना अपेक्षित है जिसमें उसे 48 घंटे के भीतर उत्तर देने के लिए कहा जाना चाहिए। इसी प्रकार, अंतिम निरीक्षण के उपरान्त यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए संक्षिप्त विवरण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अभ्यर्थी को 3 दिन के भीतर उत्तर देने के लिए कहते हुए 48 घंटे के भीतर नोटिस जारी किया जाना चाहिए। व्यय प्रेक्षक को यह प्रदर्शित करना अपेक्षित है कि क्या उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है और क्या अभ्यर्थियों के उत्तरों पर डी ई ओ की जांच रिपोर्ट में विचार किया जा रहा है।

(प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / खंड के लिए प्रस्तुत किया जाए)

व्यय प्रेक्षकों से फीडबैक/स्टेटस रिपोर्ट का प्रोफार्मा

व्यय प्रेक्षक का नाम और कोड:
पीसी/एसी की संख्या और नाम:
जिले का नाम:
राज्य का नाम:

क्र. सं.	मद	टिप्पणी
1.	(क) क्या एईओ, एफएस, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी और लेखा दल स्थापित हैं और उचित तरीके से कार्य कर रहें हैं? (ख) क्या एसओआर और एफओई का रख-रखाव उचित तरीके से किया जा रहा है?	
2.	प्रति निर्वाचन क्षेत्र वार तैनात एईओ, एफएस, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी और लेखा दल की संख्या। इन दलों की कार्य कुशलता में सुधार करने के सुझाव।	
2क.	क्या रिपोर्टाधीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र है/हैं?	
2ख.	क्या व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में मानकों के अनुरूप पर्याप्त संख्या में स्टाफ तैनात किए गए हैं?	
3.	शिकायत निगरानी प्रकोष्ठ - नकदी/शराब/नशीले पदार्थ/नारकोटिक्स/बहुमूल्य धातुएं (जैसे सोना, चांदी, जेवरात आदि)/मुफ्त उपहार/अन्य वस्तुओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की सं.	
4.	आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि से रिपोर्ट की तिथि तक एफएस, एसएसटी, पुलिस, उत्पाद शुल्क, आयकर विभाग और विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई जब्ती। (मात्रा और रुपए में इसके मूल्य दोनों के साथ)	
	(क) नकदी	
	(ख) शराब	
	(ग) नशीले पदार्थ/स्वापक पदार्थ	

	(घ) बहुमूल्य धातुएं (जैसे सोना, चांदी, जेवरात आदि)	
	(ङ) अन्य वस्तुएं/मुफ्त उपहार	
5.	(क) कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों के लेखे की जांच की तिथि	
	(ख) क्या सभी अभ्यर्थी अपने लेखे की जांच करवा रहे हैं?	
	(ग) अभ्यर्थी(यों) द्वारा किए गए अधिकतम व्यय का उल्लेख करें। (राजनैतिक दल का नाम लिखें)	
6.	कितने अभ्यर्थियों ने अलग बैंक खाता नहीं खोला है?	
7.	(क) आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों की संख्या	
	(ख) क्या ऐसे अभ्यर्थियों ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया में अपने आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन किया है?	
	(ग) आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रकाशन पर संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा किया गया व्यय	
8.	एमसीएमसी द्वारा प्राप्त संदेहास्पद पेड न्यूज शिकायतें और की गई कार्रवाई रिपोर्ट	
9.	शराब उत्पादन इकाईयों, गोदामों और बिक्रय केंद्रों की निगरानी	
10.	व्यय संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और निगरानी। क्या सीपीएफ को एफएस और एसएसटी के साथ मिला दिया गया है?	
11.	क्या उड़न दस्तों के वाहन जीपीएस समर्थित हैं?	
12.	सी-विजिल के माध्यम से प्राप्त नकदी, शराब, प्रलोभनों आदि के उपयोग से संबंधित शिकायतों की संख्या और सही पाए गए मामलों की संख्या	
13.	मतदान से पहले के अंतिम 72 घंटे के लिए आपकी कार्यनीति क्या है?	
14.	कोई अन्य मामला	

तिथि सहित हस्ताक्षर ....

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर..................

अनुलग्नक – ख7

दिनांक ....../...../20.... की स्थिति के अनुसार दैनिक जब्ती रिपोर्ट

(रिपोर्टिंग के पिछले दिन के पूर्वाहन 9.00 बजे से रिपोर्टिंग के दिन के पूर्वाहन 9.00 बजे तक) भारत निर्वाचन आयोग को अपराहन 3.00 बजे तक भेजा जाए

..............................(संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व सं.), ...राज्य के लिए उप-निर्वाचन

1. कुल नकदी जब्ती (करोड़ रुपए में)

एफएस/एसएसटी/पुलिस		आयकर विभाग		कुल
पिछले दिन की जब्ती	उत्तरोत्तर जब्ती	पिछले दिन की जब्ती	उत्तरोत्तर जब्ती	उत्तरोत्तर जब्ती
1	2	3	4	5 (2+4)

2. कुल मदिरा जब्ती (मात्रा लीटर में और इसका मूल्य करोड़ रुपए में)

एफएस/एसएसटी/पुलिस				राज्य निरोधक और सीमा शुल्क विभाग				उत्तरोत्तर जब्ती	
पिछले दिन की जब्ती 1		उत्तरोत्तर जब्ती 2		पिछले दिन की जब्ती 3		उत्तरोत्तर जब्ती 4		राज्य में मदिरा की कुल जब्ती 5 (2+4)	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य

3. एफएस/एसएसटी/अन्य पुलिस प्राधिकारियों आदि द्वारा नशीले पदार्थो/स्वापक पदार्थों की कुल जब्ती (मात्रा किग्रा में और मूल्य करोड़ रु में)

पिछले दिन की जब्ती		उत्तरोत्तर जब्ती	
विवरण और मात्रा	मूल्य	विवरण और मात्रा	मूल्य

4. बहुमूल्य धातुओं की कुल जब्ती (जब्त सोना, चांदी, आभूषण आदि और मूल्य रुपए में)

पिछले दिन की जब्ती		उत्तरोत्तर जब्ती	
विवरण और मात्रा	मूल्य	विवरण और मात्रा	मूल्य

5. कुल अन्य वस्तुएं/मुफ्त उपहारों की जब्ती (मतदाताओं को प्रलोभन देने हेतु लैपटाप, कुकर, साड़ी आदि) और इनका मूल्य करोड़ रुपए में

पिछले दिन की जब्ती		उत्तरोत्तर जब्ती	
विवरण और मात्रा	मूल्य	विवरण और मात्रा	मूल्य

6. कुल जब्ती की कीमत रुपए में

पिछले दिन कुल संचयी जब्ती रुपए में	कुल संचयी जब्ती रुपए में

नोडल अधिकारी (व्यय) के हस्ताक्षर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय

..........................(राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) की विधानसभा का साधारण निर्वाचन, 20...../ ....(राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) के लिए लोकसभा का साधारण निर्वाचन, 20.....

अंतरराज्यीय सीमा चौकियों/क्षेत्रों में की गई दिन-प्रतिदिन की जब्ती

चुनाव वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ सीमा लगने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अंतरराज्यीय सीमा पर राज्य पुलिस चौकियों की संख्या	अंतरराज्यीय सीमा पर राज्य आबकारी चौकियों की संख्या	अंतरराज्यीय सीमा पर अन्य विभागों यथा वाणिज्य कर, वन की चौकियों की संख्या	नकदी (करोड़ रु.)	शराब		नशीले पदार्थ/मादक द्रव्य		कीमती धातुएं		मुफ्त की वस्तुए/अन्य वस्तुएं	कुल (करोड़ रु.)
					मात्रा (ली.)	मौद्रिक मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (किग्रा)	मौद्रिक मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (किग्रा)	मौद्रिक मूल्य (करोड़ रु.)	मौद्रिक मूल्य (करोड़ रु.)	
कुल												

चुनाव वाले राज्य का नाम	अंतरराज्यीय सीमा पर पुलिस चौकियों की संख्या	अंतरराज्यीय सीमा पर राज्य आबकारी चौकियों की संख्या	अंतरराज्यीय सीमा पर अन्य विभागों यथा वाणिज्य कर, वन की चौकियों की संख्या	नकदी (करोड़ रु.)	शराब		नशीले पदार्थ/मादक द्रव्य		कीमती धातुएं		मुफ्त की वस्तुए/अन्य वस्तुएं	कुल (करोड़ रु.)
					मात्रा (ली.)	मौद्रिक मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (किग्रा)	मौद्रिक मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (किग्रा)	मौद्रिक मूल्य (करोड़ रु.)	मौद्रिक मूल्य (करोड़ रु.)	
कुल												

अनुलग्नक- ख8

..........तारीख को नकदी/अन्य मदों संबंधी शिकायतों पर उड़न दस्तों द्वार दैनिक क्रियाकलाप रिपोर्ट

मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम................................

पुलिस अधिकारी का नाम....................................

संदर्भ सं...

उप-प्रभाग (मंडल) का नाम....................................

राज्य...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र/जिले का नाम	शिकायत/सूचना की प्रकृति	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त की गई है	उड़न दस्तों द्वारा जब्त की गई नकदी/अन्य मदें	अन्य पुलिस प्राधिकारी द्वारा जब्त की गई नकदी/अन्य मदें	दर्ज एफ आई आर	अभ्यर्थी/दल का नाम जिसके साथ संबंध पाया गया है	उस प्राधिकारी का नाम, पदनाम जिसे जब्त की गई नकदी/मदें सौपी गई	अभ्युक्तियाँ (यदि कोई है)
1									
2									
3									

विवरण		रिपोर्ट की तारीख को आंकड़े	रिपोर्ट की तारीख सहित प्रगामी आंकड़े
1	उड़न दस्तों द्वारा जब्त की गई कुल नकदी/अन्य मदें		
2	अन्य पुलिस प्राधिकारी द्वारा जब्त की गई कुल नकदी/अन्य मदें		
3	नकदी/अन्य मदों के बारे में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या		
4	सत्यापित शिकायतों की कुल संख्या		
5	लम्बित शिकायतों की कुल संख्या		
6	दिन के अंत तक दर्ज की गई एफ आई आर की कुल संख्या		

हस्ताक्षर

उड़न दस्तों/राज्य पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम

टिप्पणीः-

1. इस प्रोफार्मा के उड़न दस्ते का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक उड़न दस्ते की रिपोर्ट एस पी को प्रस्तुत करेगा। साथ ही प्रतिलिपि रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, साधारण प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक को देगा।
2. पुलिस अधीक्षक समस्त जिले के ऑकड़ों को संकलित करके राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।
3. राज्य पुलिस मुख्यालय का नोडल अधिकारी पूरे राज्य के ऑकड़े एकत्रित करेगा और आयोग को रिपोर्ट भेजेगा, प्रतिलिपि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजेगा।

अनुलग्नक- ख9

...........तारीख को आदर्श आचार संहिता (एम सी सी) संबंधी शिकायतों पर उड़न दस्ते की दैनिक क्रियाकलाप संबधी रिपोर्ट

मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम.................................
पुलिस अधिकारी का नाम.....................................

संदर्भ सं...

उप-प्रभाग (मंडल) का नाम.....................................

राज्य..

1	2	3		4		5	6
क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र/जिले का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	पार्टी सम्बद्धता यदि कोई हो,	जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है (उसका नाम)	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई हो,	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
1							
2							
3							

हस्ताक्षर
उड़न दस्ते/राज्य पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम

टिप्पणीः-

1. इस प्रोफार्मा के उड़न दस्ते का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक उड़न दस्ते की रिपोर्ट एस पी को प्रस्तुत करेगा। साथ ही प्रतिलिपि रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, साधारण प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक को देगा।
2. पुलिस अधीक्षक समस्त जिले के ऑकड़ों को संकलित करके राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।
3. राज्य पुलिस मुख्यालय का नोडल अधिकारी पूरे राज्य के ऑकड़ों एकत्रित करेगा और आयोग को रिपोर्ट भेजेगा, प्रतिलिपि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजेगा।

अनुलग्नक- ख10

स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा/जब्त/अन्य मदों से संबंधित शिकायतों पर दैनिक गतिविधि रिपोर्ट

जाँच चौकी (चैक पोस्ट) का स्थान... मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम................................

जिला..............................राज्य.. पुलिस अधिकारी का नाम तथा पदनाम....................

1	2	3		4		5	6
क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र/जिले की सं. व नाम	जिन व्यक्तियों की चेक पोस्ट पर जांच की गई है उनका नाम तथा पता	नकदी/अन्य मदें	दर्ज की गई एफ आई आर	अभ्यर्थी/दल का नाम जिससे संबंध है	उस प्राधिकारी का नाम व पदनाम जिसे जब्त की गई नकदी, वस्तुएं सौंपी गई	अभ्युक्तियाँ
1							
2							
3							

विवरण		रिपोर्ट की तारीख को आंकड़े	तिथि सहित प्रगामी आंकड़े
क	स्थैतिक निगरानी दल द्वारा जब्त की गई नकदी की कुल राशि		
ख	स्थैतिक निगरानी दल द्वारा जब्त की गई अन्य मदों की कुल राशि		
ग	दर्ज एफ आई आर की संख्या		

हस्ताक्षर

स्थैतिक निगरानी दल/राज्य पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम

टिप्पणीः-

1. इस प्रोफार्मा में उड़न दस्ते का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक स्थैतिक निगरानी टीम की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा। एक प्रतिलिपि रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, साधारण प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक को देगा।
2. पुलिस अधीक्षक समस्त जिले के ऑकड़ों को संकलित करके राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।
3. राज्य पुलिस मुख्यालय का नोडल अधिकारी पूरे राज्य के ऑकड़े एकत्रित करेगा और आयोग को रिपोर्ट भेजेगा, प्रतिलिपि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजेगा।

अनुलग्नक-ख11

....................तारीख के लिए अन्वेषण निदेशालय द्वारा गतिविधि रिपोर्ट

(अन्वेषण निदेशालय द्वारा एकांतर दिवस पर प्रस्तुत की जाए) संदर्भ संख्या :..

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : .... जिलाः...................................... संघ राज्य क्षेत्र..

क्र.सं.	निर्वाचन क्षेत्र तथा जिले का नाम	उस एजेंसी का नाम जिससे आयकर विभाग को सूचना/शिकायत प्राप्त हुई है	जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाई की जानी है उनका नाम तथा पता	सूचना/शिकायत में उल्लिखित नकद/तोहफों की राशि	जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाई की जानी है, उनके द्वारा चालान से जमा कराई गई धन राशि	आयकर द्वारा जब्त की गई नकद की राशि	जब्त की गई अन्य सामग्री (यदि कोई हो)	व्यक्ति को लौटाई गई लेखा बद्ध नकद राशि (यदि हो तो)	अभ्युक्तियां (कृपया अभ्यर्थी के नाम/उसका संबंध, निर्वाचन क्षेत्र तथा राजनैतिक दल यदि कोई है, का उल्लेख करें)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
योग									

निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से रिपोर्टिंग दिवस की समाप्ति तक के आंकड़े

क्रम सं.		नियत तारीख को कुल आंकड़े	तारीख सहित प्रगामी आंक़ड़े			
1	**आयकर द्वारा जब्त की गई नकदी का प्रगामी योग**					
2	**अन्य मदों की जब्ती का प्रगामी योग (काल्पनिक मूल्य)**					
3	**चालान द्वारा जमा कराए गए कर का प्रगामी योग**					

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

डी जी आई टी (अन्वे) का कार्यालय / उप निदेशक

जिला प्रभारी / तारीख

नोटः-

1. जिले के प्रभारी अधिकारी आयकर महानिदेशक (अन्वे) को इस फार्मेट में प्रत्येक जिले की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी तथा व्यय प्रेक्षक को दी जाएगी।
2. राज्य आयकर विभाग के नोडल अधिकारी पूरे राज्य के लिए आंकड़े एकत्रित करेंगे तथा आयोग कोरिपोर्ट भेजेंगे और इसकी एक प्रति राज्य के जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे।

अनुलग्नक-ख12

राज्य/जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा वैकल्पिक दिवस पर आई एम एफ एल, बीयर, देशी शराब की रिपोर्ट (आई एम एफ एल, बीयर और देशी शराब पर पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए)				
जिले का नाम /राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम			**रिपोर्ट की तारीख**	
क्रम. सं.	**विवरण**	**दिन के दौरान (इस वर्ष)**	**दिन के दौरान (पिछले वर्ष)**	**यदि अधिक हो, तो उस पर टिप्पणी**
1	अधिक परिमाण में निर्माताओं के पास प्रारंभिक स्टॉक			
2	बहुत अधिक लीटर में उत्पादन / बौटलिंग			
3	लीटर के परिमाण में निर्माताओं के गोदाम से भेजा गया कुल स्टॉक			
4	लीटर के परिमाण में निर्माताओं के पास अंतिम स्टॉक 1+2-3			
5	निर्माताओं के गोदाम से स्टॉकिस्ट को बहुत अधिक लीटर में भेजा गया			
6	अधिक मात्रा में रिटेलर के पास प्रारम्भिक स्टॉक			
7	अधिक मात्रा में रिटेलर द्वारा खरीद			
8	अधिक मात्रा में रिटेलर द्वारा बेचा जाना			
9	अधिक मात्रा में रिटेलर के पास अंतिम स्टॉक			
10	अधिक मात्रा में अन्यों द्वारा बेचा जाना			
11	चैक पोस्टों की संख्या			
12	चैक पोस्टों द्वारा अधिक मात्रा में जब्त की गई अवैध शराब की मात्रा			
13	मारे गए छापों की संख्या			
14	छापों के दौरान अधिक परिमाण में जब्त की गई अवैध शराब की मात्रा			
15	निषेध मामलों की संख्या			
16	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या			
17	लगाए गए जुर्माने की राशि			

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम...
पदनाम..

नोट:-

1. आई एम एफ एल, बीयर या देशी शराब के लिए उपरोक्त प्रोफार्मा में अलग रिपोर्ट उत्पाद विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को भेजी जानी है, एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जानी है |

2. उत्पाद विभाग का राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी उसी प्रोफार्मा में जिला स्तरीय रिपोर्टों का अनुवीक्षण करेगा और संकलित करेगा तथा उसी प्रोफार्मा में राज्य की संयुक्त रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा | एक प्रति भारत निर्वाचन आयोग को भी देगा।

अनुलग्नक- ख13

अभ्यर्थी का नामः...

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई होः..

उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम जहां से अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहा हैः...

परिणाम की घोषणा की तारीखः...

निर्वाचन एजेन्ट का नाम और पताः...

(नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीख सम्मिलित करते हुए)

1	2*	3				4				5	6	7	8	9**	10	11 टिप्पणी, यदि कोई हो
क्रम सं. (कार्यक्रमवार)	व्यय की तारीख एवं प्रकृति (रैली, सभा, प्रचार वाहन, भोजन, प्रचार सामग्री, विज्ञापन/पेड न्यूज आदि) जैसा वीएसटी, वीवीटी, एटी/एमसीएमसी द्वारा पर्यवेक्षण किया गया	अधिसूचित दरों के अनुसार परिकलित व्यय (रुपये में)				कॉलम 2 में उल्लिखित मदों पर अभ्यर्थी द्वारा अनुरक्षित दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर में अभ्यर्थी द्वारा व्यय की घोषणा (यदि दर्शाई नहीं गई तो शून्य लिखें (रुपये में)				न्यूनोक्ति (रुपये में)	व्यय प्रेक्षक द्वारा अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर की जांच की तारीख	कॉलम 5 में दर्शाई गई न्यूनोक्ति के संबंध में आरओ द्वारा नोटिस जारी करने की तारीख	अभ्यर्थी से प्राप्त उत्तर की पावती की तारीख	क्या अभ्यर्थी ने कॉलम 5 में दर्शाई गई न्यूनोक्ति को स्वीकार/आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार कर दिया है	यदि अभ्यर्थी ने न्यूनोक्ति को स्वीकार/आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है तो दिन-प्रतिदिन के लेखा प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ सं. एवं क्रम सं. का उल्लेख करें	अभ्यर्थी के उत्तर के संबंध में ईओ की टिप्पणियां- क्या व्यय की न्यूनोक्ति का समाधान हो गया है हां/नहीं ?
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(घ-ज)						
		विवरण	मात्रा	दर/ यूनिट	कुल	पृष्ठ सं. एवं तारीख	मात्रा	दर /यूनिट	कुल							

अभ्यर्थी/निर्वाचन एजेन्ट के हस्ताक्षर

दिनांकः लेखांकन दल के अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी का नामः

पदनामः

नोटः- *1. विवरणों में वीडियों क्यू सीट की सीडी सं. एवं क्रम सं. शामिल होनी चाहिए।

****2. यदि अस्वीकार या आंशिक रुप से स्वीकार कर लिया है तो मामले में डीईएमसी का निर्णय संलग्न किया जाना चाहिए।**

अनुलग्नक – ख14

सहायक व्यय प्रेक्षक की दैनिक रिपोर्ट

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम तारीख :	
(क) वीडियो टीमें (i) उन स्थानों की सूची जहां वीडियो टीमें तैनात की गई और अभ्यर्थियों के नाम (ii) क्या वीडियो निगरानी टीम संकेत पत्र के साथ सी डी प्रस्तुत करती हैं। (iii) क्या वीडियो निरीक्षण टीम ने व्यय के मद, जैसे- वाहनों की संख्या / मंच / कट-आउट का आकार इत्यादि की प्रविष्टि कर दी है?	
(ख) लेखा टीम (i) क्या प्रत्येक द्वारा अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर में सभी व्ययों की प्रविष्टि कर दी गई है? (ii) क्या प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए साक्ष्यों के फोल्डर का रख-रखाव किया जा रहा है ?	
(ग) मीडिया अनुवीक्षण टीम (i) क्या टीम, प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी विज्ञापनों को देख और रिकॉर्ड कर रही है? (ii) क्या टीम, लेखा टीम को रिपोर्ट भेज रही है? (iii) क्या कोई पेड-न्यूज का पता चला है?	
(घ) नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर (i) प्राप्त शिकायतों की संख्या (ii) क्या तुरन्त ही सम्बन्धित अधिकारी को शिकायत अग्रेषित की गई है? (iii) क्या कोई कार्रवाई की गई है? यदि की गई है, तो कार्रवाई के तरीके और उपलब्धि का उल्लेख करें		
(ङ) उड़न दस्ते और निगरानी टीमें (i) उड़न दस्ते को रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या (ii) उड़न दस्ते द्वारा की गई कार्रवाई (iii) डाले गए (बनाए गए) चेक पोस्टों की संख्या (iv) जब्ती, यदि कोई हो	

दिनांक :

हस्ताक्षर

सहायक व्यय प्रेक्षक का नाम

अनुलग्नक- ख15

वीडियो-निगरानी टीमों के लिए क्यू-शीट
(वीडियो रिकार्डिंग के समय भरा जाए)

जिले का नामः...
वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी अधिकारी का नामः..
वीडियोग्राफर का नामः..
दिनांकः...
सी डी संख्याः..

क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	अभ्यर्थी का नाम	स्थिति	घटना	दिन में किस समय रिकार्डिंग शुरु हुई	समय जब सी डी पर रिकार्डिंग शुरु हुई	समय जब सी डी पर रिकार्डिंग खत्म हुई	रिकार्डिंग की अवधि	रिकार्ड किए गए साक्ष्यों के विवरण का ब्योरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-ख16

प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों / पेड न्यूज का विवरण

राज्य का नामः...

जिला का नामः...

निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्याः..

अभ्यर्थी का नामः...

राजनैतिक दलः...

1. प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों का विवरण

क्रम सं.	समाचार पत्र/पत्रिका का नाम	विज्ञापन का आकार (स्तम्भ X से.मी में)	अनुमानित परिचालन (डी.पी.आई.आर. से सूचना प्राप्त की जाए)	विज्ञापन की कीमत

2. प्रिन्ट मीडिया में पेड न्यूज का विवरण

क्रम सं.	समाचार पत्र/पत्रिका का नाम	पेड न्यूज का आकार (स्तम्भ X से.मी में)	अनुमानित परिचालन (डी.पी.आई.आर. से सूचना प्राप्त की जाए)	पेड न्यूज की कीमत

3. केबल टेलीविजन सहित टेलीविजन में विज्ञापनों का विवरण

क्रम सं.	चैनल का नाम	दिनांक व समय	विज्ञापन की अवधि (मिनटों में)	अनुमानित दर्शक (डी.पी.आई.आर. से सूचना प्राप्त की जाए)	विज्ञापन की कीमत

4. केबल टी वी सहित टेलीविजन में पेड न्यूज का विवरण

क्रम सं.	चैनल का नाम	दिनांक व समय	पैड न्यूज की अवधि (मिनटों में)	अनुमानित दर्शक (डी.पी.आई.आर. से सूचना प्राप्त की जाए)	पेड न्यूज की कीमत

5. रेडियो पर विज्ञापनों का विवरण

क्रम सं.	चैनल का नाम	दिनांक व समय	विज्ञापन की अवधि (मिनटों में)	अनुमानित श्रोता (डी.पी.आई.आर. से सूचना प्राप्त की जाए)	विज्ञापन की कीमत

6. रेडियो पर पेड न्यूज का विवरण

क्रम सं.	चैनल का नाम	दिनांक व समय	पैड न्यूज की अवधि (मिनटों में)	अनुमानित श्रोता (डी.पी.आई.आर. से सूचना प्राप्त की जाए)	पेड न्यूज की कीमत

दिनांक :

मीडिया प्रमाणन एवं मॉनीटरिंग समिति
के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम :.......................................
पदनाम :...

अनुलग्नक-ख17

कॉल सेन्टर सूचना पर रिटर्निंग अधिकारी की दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट

तारीखः..

निर्वाचन क्षेत्रः...

क्रम सं.	शिकायत की प्रकृति	किसी भी विधि जैसे फोन/फैक्स/ईमेल/एस एम एस या विशेष संबाहक द्वारा शिकायत/सूचना प्राप्त करने का समय	की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण	क्या लेखा टीम को भेजा गया?

(तिथि सहित हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम)

अनुलग्नक-ख18

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/2014/ईईपीएस खंड-I दिनांकः 7 अप्रैल, 2014

सेवा में

सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीमों की तैनाती के कार्यकाल के संबंध में स्पष्टीकरण – तत्संबंधी।

महोदय,

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में लगी विभिन्न टीमों की तैनाती के कार्यकाल के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), दिल्ली द्वारा स्ष्टीकरण मांगा गया है तथा मुझे निम्नलिखित को स्पष्ट करने का निदेश हुआ हैः

क. सहायक व्यय प्रेक्षक एफएस, एसएसटी, वीवीटी और लेखाकरण टीम केवल मतदान/पुनर्मतदान की तारीख तक अपनी ड्यूटी पर बने रहेंगे।

ख. तथापि, सहायक व्यय प्रेक्षक एवं लेखाकरण टीम दूसरी अनुसूची में मतगणना के दिन से एक दिन पूर्व एवं पुनः निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद 25वें दिन से 37वें दिन उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण देने तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों की संवीक्षा रिपोर्ट एवं व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करने के प्रयोजनार्थ ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे। परिणाम घोषित होने के 37वें दिन उनको अंतिम रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा।

ग. यह सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

ह./-
(एस.के. रुडोला)
सचिव

अनुलग्नक-ख19

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/ ईईपीएस /2016/वाल्यूम-II   दिनांक: 22 मार्च, 2016

सेवा में

सभी व्यय प्रेक्षक।

विषयः- असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2016- व्यय प्रेक्षकों तथा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की सभी प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य सूचना का आदान-प्रदान तथा समनन्वयन-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे, निर्वाचनों की प्रक्रिया के दौरान व्यय प्रेक्षकों तथा सभी प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य सूचना के आदान- प्रदान तथा समन्वयन के संबंध में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार-संग्रह (जुलाई-2015) के शीर्षक "व्यय प्रेक्षक की भूमिका" के अंतर्गत पैरा सं. 4.2.8 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है।

2. आयोग के ध्यान में कुछ ऐसे दृष्टांत आए थे जिनमें प्रेक्षक की कार्रवाई से यह धारणा बनी कि उन्होंने प्रवर्तन कार्रवाई से सक्रियतापूर्वक जुडकर अपने कार्य-क्षेत्र की सीमाएं लांघ दीं। इसलिए, आयोग दोहराता है कि सार- संग्रह के ऊपर उल्लिखित पैरा में निहित दिशा-निर्देशों का सभी व्यय प्रेक्षकों द्वारा कडाई से अनुपालन किया जाना चाहिए और उन्हें अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मौजूदा विधियों के अनुसार की जा रही कार्रवाई से स्वयं को जोडने से बचना चाहिए।

भवदीय,

ह./-

(एस. के. रूडोला)

प्रधान सचिव

प्रति अग्रेषित: असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इसे राज्य में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के सभी नोडल अधिकारियों के ध्यान में ला दें। (कैम्प बैग/ई-मेल द्वारा)

भवदीय,

ह./-

(एस. के. रूडोला)

प्रधान सचिव

अनुलग्नक-ख 20

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.76/अनुदेश/2019/ईईपीएस/खंड.XV दिनांक : 22 मार्च, 2019

सेवा में,

सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण संबंधी तैयारी - तत्संबंधी मामला।

महोदया/महोदय,

मुझे, आपका ध्यान ''निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण संबंधी अनुदेशों का सार-संग्रह (फरवरी, 2019)'' की ओर आकर्षित करने और निम्नलिखित की पुनरावृत्ति करने का निदेश हुआ है:-

1. उड़न दस्ते, निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से कार्य करना शुरू करेंगे और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों, राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के व्यय, डराने धमकाने की शिकायतों, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों, शराब, हथियार एवं भारी नकद राशि आदि की शिकायतों पर गौर करेंगे और सभी बड़ी रैलियों, सार्वजनिक बैठकों और अन्य व्यय की दिनांक 29 मई 2015 की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार वीडियोग्राफी करेंगे (प्रति संलग्न)।

2. स्थैतिक निगरानी दल, अधिसूचना की तारीख से कार्य करेंगे और दिनांक 29 मई, 2015 की मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जांच पोस्ट स्थापित करेंगे।

3. वीडियो निगरानी दल और वीडियो निरीक्षण दल निर्वाचन की घोषणा की तारीख से कार्य करेंगे और अनुदेशों के अनुसार, पार्टी की सभी प्रमुख राजनैतिक रैलियों और साथ ही अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी करेंगे।

4 (i) लेखांकन दल, निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से राजनैतिक दलों के व्यय के लेखांकन के प्रयोजनार्थ कार्य करेंगे और नाम निर्देशन दायर हो जाने के पश्चात दल द्वारा अभ्यर्थी के लेखे अनुदेशों के अनुसार अनुरक्षित किए जाएंगे।

(ii) विधान सभा निर्वाचनों के मामले में एक लेखांकन दल प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करेगा और और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए छाया प्रेक्षण रजिस्टर (एसओआर) और साक्ष्य के फोल्डर (एफओई) का रख-रखाव करेगा।

(iii) लोक सभा निर्वाचन के मामले में, प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सहायक व्यय प्रेक्षक (एईओ) एवं दल प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग से एसओआर एवं एफओई का रख-रखाव करेंगे और अपनी रिपोर्टें विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एईओ(मुख्यालय एईओ) को भेजेंगे जहां आरओ अवस्थित है। एईओ मुख्यालय और उसका दल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्य सभी एईओ के साथ समन्वय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निरीक्षण के समय इन लेखों का मिलान किया जाए। सहायक व्यय प्रेक्षक(एईओ), अधिसूचना की तारीख से कार्य करना प्रारम्भ करेंगे।

5.मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी), घोषणा की तारीख से अनुदेशों के अनुसार तुरन्त कार्य करेगी।

6. निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से, अनुदेशों के अनुसार, मदिरा अनुवीक्षण उपाय शुरू किए जाएंगे और घोषणा की तारीख से रिपोर्टिंग की जाएगी।

7. आयकर विभाग की वायु आसूचना इकाईयां और अलग से शिकायत अनुवीक्षण इकाईयां, घोषणा की तारीख से कार्य करना शुरू करेंगी।

2. इसे सभी सम्बन्धितों की जानकारी में लाने के लिए मुझे आपसे अनुरोध करने का भी निदेश हुआ है।

भवदीय,

अनुलग्नक: यथोपरि

(अविनाश कुमार)
सचिव

अनुलग्नक-ख **21**

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/भा.नि.आ./अनु./प्रका./ईईएम/ईईपीएस/2019/खंड V दिनांकः 22 अप्रैल, 2019

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-
क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः लोक सभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 **-उड़न दस्ते और स्थैतिक निगरानी टीम की तैनाती – तत्संबधी।**

महोदय/महोदया,

मुझे आयोग की एसओपी सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खंड II दिनांक 29.05.2015 ["निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार-संग्रह में अनुलग्नक जी 7 (फरवरी, 2019)"] का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि उड़न दस्ते और स्थैतिक निगरानी टीमों की मतदान हो चुके राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों एवं ऐसे राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में जहां चरणबद्ध तरीके से मतदान होता है, तैनाती बनाए रखी जाएगी।

मामला-I: उन राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मामले में जहां मतदान समाप्त हो गया है, एफएस और एसएसटी को महत्वपूर्ण स्थानों पर तथा पड़ोसी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में सक्रिय बनाए रखा जाएगा।

मामला-II: ऐसे राज्यों के मामले में जहां मतदान चरणबद्ध तरीके से होना है, उड़न दस्तों को निम्नानुसार सक्रिय बनाए रखा जाएगाः-

(i) संपूर्ण राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया के अंत तक संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा खंड जहां मतदान समाप्त हो गया है, में एक उड़न दस्ते को बनाए रखा जाएगा; एवं

(ii) एसओपी दिनांक 29 मई, 2015 के अनुसार संपूर्ण जिले में जहां मतदान कई चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं, संपूर्ण जिले में मतदान के अंत तक उड़न दस्तों/एसएसटी को पूरी क्षमता के साथ प्रचालन में रखा जाएगा।

2. आपसे अनुरोध है कि इसे सभी संबंधित जिला प्राधिकारियों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा आम जन के ध्यान में लाएं।

भवदीय,

(राजन जैन)

अवर सचिव

अनुलग्नक-ख **22**

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 61/शिकायतें/साधारण निर्वाचन-लोक सभा/2019/ईईपीएस/खंड-XV दिनांक : 17 मई, 2019

सेवा में

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: लोक सभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 - विदेशी मुद्रा की जब्ती-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग को लोक सभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 में विदेशी मुद्रा की जब्ती से संबंधित विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त हई है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आयोग के दिनांक 29 मई, 2015 की मानक प्रचालन प्रक्रिया सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खण्ड-II [निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार-संग्रह के अनुलग्नक-छ7 (फरवरी, 2019)] के अनुसरण में तैनात/गठित किए उड़न दस्ते/स्थैतिक निगरानी दल/पुलिस प्राधिकारी/अवमुक्त करने संबंधी समिति को किसी भी अभ्यर्थी या उनके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता और राजनीतिक दल से अवरुद्ध/जब्त विदेशी मुद्रा का कोई लिंक नहीं मिलता है तो यह सूचना राजस्व आसूचना निदेशालय में संबंधित नोडल अधिकारी और उचित अधिनियमों के अधीन आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान की जाएगी। राजस्व आसूचना निदेशालय के दिनांक 13.03.2019 के पत्र और प्रवर्तन निदेशालय के दिनांक 18.03.2019 के पत्र जिसमें नोडल अधिकारियों के नाम निहित हैं, की प्रतिलिपियां सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

भवदीय,

(राजन जैन)
अवर सचिव)

प्रति प्रेषित:-

1. प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, सातवां तल 'डी' ब्लॉक, ड्रम आकार की बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002, को इस अनुरोध सहित कि राजस्व आसूचना निदेशालय के नोडल अधिकारी को तद्नुसार सूचित करें।

2. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, छठा तल, लोक नायक भावन, खान मार्किट नई दिल्ली-110003 को इस अनुरोध सहित कि प्रवर्तन निदेशालय के नोडल अधिकारियों को तद्नुसार सूचित करें।

(राजन जैन)
अवर सचिव)

‘ग’

व्यय अनुवीक्षण में
रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी
और
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
की
भूमिका

भाग 'ग' में विषय-वस्तु

क्रम सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
1	रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका	71-73
2	जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका	73-79
3	मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भूमिका	79-81

निर्वाचनों का, विशेषकर लोक सभा निर्वाचनों और राज्य विधान सभाओं का संचालन करना एक वृहदाकार कार्य है और यह अनिवार्यतः एक टीम वर्क है। राज्य स्तर पर निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, भारत निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। संसदीय / विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी सम्पूर्ण निर्वाचन प्रकिया के समग्र प्रभारी होते हैं। निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण के संबंध में इन अधिकारियों के मुख्य प्रकार्य नीचे दिए गए हैं:-

1. <u>रिटर्निंग अधिकारी (आर.ओ.) की भूमिका:</u>

रिटर्निंग अधिकारी व्यय अनुवीक्षण की प्रकिया, निर्वाचन व्यय से संबंधित विधिक उपबंधों और इन उपबंधों का पालन न करने के परिणामों को स्पष्ट करने के लिए प्रतीकों के आवंटन के तुरंत बाद सभी अभ्यर्थियों की एक बैठक आयोजित करेगा। वह अभ्यर्थियों को वाहनों / सार्वजनिक बैठकों आदि के लिए कानून या नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित अनुमति पत्र तत्परतापूर्वक जारी करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक अभिलेख एवं परिसम्पत्ति तथा देयता विवरण दाखिल करने के लिए शपथ-पत्र (QkEkZ 26) का संशोधित संयुक्त फार्मेट सभी संभावित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाए। वह नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के समय अभ्यर्थियों को विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और पृष्ठ संख्यांकित व्यय रजिस्टर भी देंगे।

वह प्रचार अवधि के दौरान व्यय प्रेक्षक द्वारा लेखे की जांच के लिए तारीख अधिसूचित करेंगे तथा वह अभ्यर्थियों के व्यय रजिस्टर तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर के बीच किसी विसंगति को स्पष्ट करने के लिए अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करेगें। वह शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली का पर्यवेक्षण भी करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक शिकायत की जांच उसकी प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर हो जाए।

वह यह सुनिश्चित करेगा कि इन अनुदेशों व कोई अन्य अनुदेशों या विधि या नियमों के अधीन सभी अपेक्षित दस्तावेजों को, रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए। वह सुनिश्चित करेगा कि जब कभी दस्तावेजों की प्रति लोक सभा के सदस्यों द्वारा मांगी जाये, सदस्यों को विहित शुल्क के भुगतान पर तत्काल प्रदान की जाए।

आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा परिसंपत्तियों तथा देयताओं की घोषणा पर शपथ पत्रों को उसी दिन वेबसाइट पर डाल दिया जाए। अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में शपथ पत्रों को नामांकनों की जांच के पश्चात एक दिन के भीतर डाला जाए। (**अनुलग्नक-ग16**)। **डिजीटल इण्डिया की ओर आगे बढ़ने के लिए और नाम-निर्देशन प्ररूप एवं शपथ-पत्र (प्ररूप-26) में गलतियों की संभावना कम-से-कम करने के लिए आयोग ने नाम-निर्देशन प्ररूप में वैयक्तिक विवरण की ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि के लिए अभ्यर्थियों को वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों के लिए यह सुविधा निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल** https://suvidha.eci.gov.in **के माध्यम से उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को मोबाइल नं. और ओटीपी के साथ रजिस्ट्रेशन और लॉग-इन करना होगा। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश अनुलग्नक-20 के साथ संलग्न है। वर्तमान में, ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि की सुविधा दो भाषाओं नामतः अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है।**

रिटर्निंग अधिकारी व्यय प्रेक्षक द्वारा सुझाए अनुसार त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करेंगे। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उड़न दस्ते और एस एस टी द्वारा जब्ती के बाद तुरन्त एफ आई आर /शिकायत दर्ज की जाए।

रिटर्निंग अधिकारी, प्रतीकों के आवंटन के तत्काल पश्चात सभी अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक रखेगा जिसमें निर्वाचन व्यय से संबंधित सभी विधिक प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों, उसके अनुवीक्षण और उनका पालन करने की असफलता के परिणामों को भली प्रकार स्पष्ट भी करेगा। आर.ओ. प्रत्येक अभ्यर्थी को इस सार-संग्रह एवं निर्वाचन व्यय की मदों की दरों की अधिसूचना की एक प्रति भी देगा। स्थानीय या राष्ट्रीय दैनिकों/पत्रिकाओं (अंग्रेजी/क्षेत्रीय) में विज्ञापन के लिए डी ए वी पी की दरें/डी आई पी आर दरें भी अभ्यर्थियों को संसूचित की जाएंगी। आर.ओ. के साथ सहायक व्यय प्रेक्षक या व्यय प्रेक्षक भी इस बैठक में भाग लेंगे।

रिटर्निंग अधिकारी, प्रतीकों के आवंटन के तत्काल पश्चात सभी अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक रखेंगे जिसमें वे निर्वाचन व्यय से संबंधित विधिक प्रावधानों और उनका पालन करने की असफलता के परिणामों के बारे में उन्हें भली प्रकार से बताएंगे। सहायक व्यय प्रेक्षक / व्यय प्रेक्षक इस बैठक में उपस्थित होंगे। आर.ओ. प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन अनुवीक्षण से संबंधित इन अनुदेशों की एक प्रति भी अंग्रेजी और देशी भाषा दोनों में देंगे।

लेखे का निरीक्षण:

रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन प्रेक्षक, या इस प्रयोजनार्थ व्यय प्रेक्षक के परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पदाभिहित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर के निरीक्षण का कार्यक्रम तैयार करेगा। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निजी रूप से या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या अपने द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक / निरीक्षक के लिए पदाभिहित अधिकारी के सम्मुख रजिस्टर पेश करे। दो निरीक्षणों के बीच कम से कम तीन दिनों का अंतराल होना चाहिए । प्रेस के माध्यम से इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया। जाना चाहिए । प्रत्येक अभ्यर्थी की सुविधा के लिए निरीक्षण का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे रखा जाना चाहिए। समय इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए कि काम शाम 07:00 बज़े तक समाप्त हो जाए। निरीक्षण रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय कक्ष के अलावा किसी अन्य सभा कक्ष/ कार्यालय चेंबर मे किया जा सकता है। अंतिम निरीक्षण मतदान के दिन से 3 दिन पहले नियत नहीं करना चाहिए (**अनुलग्नक-ग15**) । निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक निरीक्षण के बाद अभ्यर्थी का दैनिक निर्वाचन लेखा रजिस्टर निरीक्षण की तिथि तक स्कैन किया जाना चाहिए और उसे जिला निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर अपलोड करने के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट के लिए उपलब्ध कराए गए लिंक पर अपलोड किया जाएगा और साथ ही उसकी एक प्रतिलिपि सूचना पटल पर लगाई जाएगी (**अनुलग्नक-ग8**) |

यदि अभ्यर्थी या उसका एजेंट अपना निर्वाचन व्यय रजिस्टर उस प्रयोजनार्थ निर्धारित दिन निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करता, तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे लिखित में नोटिस जारी किया जाएगा कि यदि वह नोटिस में विर्निदिष्ट तारीख को

फिर से निरीक्षण के लिए रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल होते हैं तो यह माना जाएगा कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन व्यय के लेखे रखने मे असफल रहा है | इस नोटिस का यथा संभव अधिकाधिक प्रचार किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पटल पर लगाई जाएगी। यदि नोटिस भेजे जाने के बावजूद अभ्यर्थी जाँच के लिए निर्वाचन व्यय रजिस्टर को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-झ के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, यदि अभ्यर्थी नोटिस दिए जाने के तीन दिनों के बाद भी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता है, तो निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी को वाहन प्रयोग करने के लिए दी गई अनुमति वापस ले ली जानी चाहिए। वाहनों के प्रयोग की अनुमति वापस लेने के मामले की सूचना सभी निगरानी दलों तथा उड़न दस्तों को दी जाएगी तथा नोटिस बोर्ड पर लगायी जाएगी।

इस बात का भी प्रचार किया जाना चाहिए कि व्यय रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के सदस्य भी उपस्थित रह सकते हैं तथा कोई भी व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी से 1/-रू. प्रति पृष्ठ का भुगतान कर किसी भी अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर की प्रति प्राप्त कर सकता है। जहाँ तक हो सके रजिस्टर का निरीक्षण केवल व्यय प्रेक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। जहाँ रजिस्टर का निरीक्षण किन्ही अपरिहार्य कारणों से व्यय प्रेक्षक के अलावा किसी पदाभिहित अधिकारी द्वारा किया जाता हैं वहां व्यय प्रेक्षक को ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के परिणामों तथा किसी अन्य अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण :

क. जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन व्यय के लेखे को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पहले एक सप्ताह के अंदर सभी अभ्यर्थियों /निर्वाचन एजेंटों एवं लेखे प्राप्त करने के लिए लगाए गए कार्मिक के लिए एक दिवसीय फैसिलिटेशन कार्यक्रम का आयोजन करेगा |

ख. व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एवं सहायक व्यय प्रेक्षक को लेखे की फाईलिंग की प्रक्रिया, दाखिल किए जाने वाले फार्म एवं शपथ-पत्र एवं अक्सर सामने आने वाली त्रुटियों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। दाखिल न करने या अपूर्ण फार्म दाखिल करने या निर्धारित तरीके में दाखिल न करने या सही लेखे न दर्शाने के परिणामों के बारे में भी अभ्यर्थियों / एजेंटों को बताया जाएगा।

ग. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, उन्हें लेखा समाधान बैठक के बारे में भी बताया जाएगा जिसमें उन्हें सभी अंतिम लेखे और रजिस्टरों के साथ तैयार होकर आना चाहिए ।

घ. जिला निर्वाचन अधिकारी परिणाम की घोषणा की तारीख को या तक अंतिम लेखा दर्ज करने की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण की तारीख एवं स्थान के बारे में तथा लेखा समाधान बैठक के बारे में भी अवश्य अधिसूचना निकालेंगे।

2. जिला निर्वाचन अधिकारी (डी.ई.ओ.) की भूमिका:

जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के 3 दिनों के भीतर मान्यताप्राप्त सभी राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन करेंगे। इस बैठक में, जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन अनुवीक्षण से संबंधित सभी विधिक प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों, उसके अनुवीक्षण और उनका पालन करने की असफलता

के परिणामों को भली प्रकार स्पष्ट करेंगे। आर.ओ. प्रत्येक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को इस सार-संग्रह, परिसम्पत्ति एवं देयता की घोषणा (**Form 26**) के लिए शपथ-पत्र के संशोधित फार्मेट तथा निर्वाचन व्यय की मदों की दरों की एक प्रति भी देंगे।

निर्वाचन का संचालन नियम,1961 के नियम 89 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी को आयोग को यह रिपोर्ट देनी है कि क्या अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का अपने लेखा दाखिल कर दिया है, तथा क्या उनके विचार में इस प्रकार का लेखा, अधिनियम तथा नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से समय के अंदर दाखिल किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी परिणाम की घोषणा की तारीख से 37वें दिन तक निर्धारित फॉर्मेट (**अनुलग्नक-ग13**) में अभ्यर्थी-वार सार एवं संवीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देंगे और उसे अधिमानत: 38वें दिन तक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को अग्रेषित करेंगे (**अनुलग्नक-ग12**)। वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संवीक्षा रिपोर्ट भेजने से पहले अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे से सम्बन्धित संवीक्षा रिपोर्ट और सार रिपोर्ट को तैयार करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में आयोग के दिनांक 29 मई, 2015 के पत्र सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खंड-II (**अनुलग्नक-ग10**) और दिनांक 02 जुलाई, 2016 के पत्र संख्या 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/खंड-XIV (**अनुलग्नक-ग12**) का अनुसरण करेंगे। यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मदों की न्यूनोक्ति के संबंध में अभ्यर्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है तो जिला निर्वाचन अधिकारी परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के अंदर पत्र जारी करेंगे ताकि अभ्यर्थी का जवाब प्राप्त किया जा सके। पत्र/जवाब दोनों पर ही पहले लेखा समाधान बैठक में विचार किया जाएगा और तत्पश्चात जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी) की अभिलिखित राय से आयोग को अवगत कराया जाएगा।

अभ्यर्थियों से अंतिम रूप से तैयार लेखे प्राप्त कर लेने के पश्चात, उनकी डीईएमसी द्वारा संवीक्षा की जाएगी।. जहां अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए लेखे में प्रकियात्मक त्रुटियां हैं, यथा (i) वाउचरों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए; (ii) विधिवत शपथ लेकर शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया; (iii) बैंक रजिस्टर और कैश रजिस्टर सहित दैनिक लेखा के रजिस्टर पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं; (iv) सार विवरण (भाग-I से भाग-IV vkSj अनुसूची 1 से 11 तक) नहीं भरे गए/विधिवत रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए; (v) रूपये 10,000 से अधिक का नकद व्यय चैक के माध्यम से उपगत नहीं किया गया (**अनुलग्नक-ङ11** और **अनुलग्नक-ङ12**); (vi) बैंक खाते से इतर व्यय किया जाना; (vii) बैंक खाता विवरण की स्व-प्रमाणित प्रतियां जमा नहीं कराई गई और (viii) यदि बैंक खाता खोला ही नहीं गया है; तो जिला निर्वाचन अधिकारी लेखे की प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर अभ्यर्थी को उसकी त्रुटियां ठीक करने के लिए तीन दिन का समय देते हुए नोटिस जारी करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के जवाब की जांच की जाएगी और वह नोटिस की प्रति तथा अभ्यर्थी का जवाब, यदि कोई है, अपनी टिप्पणियों के साथ आयोग को अग्रेषित करेगा।

लेखे दाखिल करने में देरी होने के मामलों में जो नियत तारीख से 15 दिन से अधिक न हो, जिला निर्वाचन अधिकारी देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए अभ्यर्थी को अपनी ओर से नोटिस जारी करेगा। अभ्यर्थी के जवाब की जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी और वह नोटिस की प्रति और अभ्यर्थी का जबाब अपनी टिप्पणियों सहित, यदि कोई है, आयोग को अग्रेषित करेगा।

उन मामलों में जहां लेखा समाधान बैठक के बाद भी असहमति बनी रहती है और जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा व्यय ठीक प्रकार से रिपोर्ट किए गए हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी, संवीक्षा रिपोर्ट के साथ सुसंगत दस्तावेजों यथा डीईएमसी/लेखा समाधान बैठकों का कार्यवृत्त, जारी किए गए नोटिस, अभ्यर्थियों से जवाब, रेट चार्ट, छाया प्रेक्षण रजिस्टर (एसओआर), दस्तावेजों सहित अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय रजिस्टर, विधिवत रूप से क्रमांकित, की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करेंगे।

व्यय प्रेक्षक, अपने तीसरे दौरे के दौरान आयोग को अपनी चौथी तथा अंतिम रिपोर्ट (**अनुलग्नक-ख5**) प्रस्तुत करेंगे तथा साथ-साथ 'छाया प्रेक्षण रजिस्टर' तथा "साक्ष्य फोल्डर" में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट में दिए गए विहित स्थान में अपनी टिप्पणियां देनी है। उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि उसे जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट (**अनुलग्नक-ग13**) में सम्मिलित किया जाए। व्यय की कोई मद जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किए जाने की स्थिति में, वह उसे जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाने वाली अपनी रिपोर्ट में यह कहते हुए शामिल करेंगे कि वे उसे आयोग को भेजी जाने वाली अपनी रिपोर्ट में समाविष्ट करें तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट पर उचित टिप्पणी करें।

परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए लेखे का सार विवरण स्कैन किया जाएगा और प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर वेबसाइट पर डाला जाएगा। इसका कड़ाई से पालन किया जाना है क्योंकि निर्वाचन याचिका दाखिल करने की समय-सीमा 45 दिन है। जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि डी ई ओ की संवीक्षा रिपोर्ट, संवीक्षा एवं सार रिपोर्ट तैयार होने के 3 दिनों के भीतर ENCORE में प्रविष्ट कर दी जाए (**अनुलग्नक-ग17**)। जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी संवीक्षा एवं सार रिपोर्टों को परिणाम की घोषणा की तिथि से 37 वें दिन तक/उसके पहले अंतिम रुप दे देंगे और उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को अधिमानतः 38वें दिन तक अग्रेषित कर देंगे।

पूर्व में, यह देखा गया है कि डीईओ और सीईओ, डीईओ की संवीक्षा रिपोर्टें टुकड़ों में भेज रहे हैं, जिससे उनके अन्तिम निपटान में अनुचित विलंब होता है। आयोग द्वारा लेखा मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के लेखे पर डीईओ की संवीक्षा रिपोर्टें अब सीईओ के स्तर पर श्रेणीबद्ध की जाएंगी और विनिर्दिष्ट संरूप में आयोग को निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएंगीः-

क. डीईओ की कुल संख्या, जिन्होंने संवीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

ख. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं.

श्रेणी-1: अभ्यर्थी, जिनके मामले में डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट में डीईओ द्वारा किसी त्रुटि का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्रेणी-2: अभ्यर्थी, जिन्होंने निर्वाचन खर्चों का अपना लेखा दाखिल नहीं किया है।

श्रेणी-3: अभ्यर्थी, जो विहित समय-अवधि के भीतर (अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अंतर्गत निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर) निर्वाचन व्यय के अपने लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं।

श्रेणी-4: अभ्यर्थी, जो विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से, अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 एवं 78 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 86-90 के तहत (श्रेणी 2 और 3 में उल्लिखित मामलों से इतर) निर्वाचन व्यय के अपने लेखे को दाखिल करने में विफल रहे हैं।

श्रेणी-5: अभ्यर्थी जो विहित समय-अवधि के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं+ जो विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय के अपने लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं, अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 एवं 78 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 86-90 के तहत (श्रेणी 2, 3 और 4 में उल्लिखित मामलों से इतर)। **(अनुलग्नक-ग18)**

यह जिला निर्वाचन अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि जिले में सम्पूर्ण निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र सुचारू रूप से चले। जिला निर्वाचन अधिकारी को व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की विभिन्न टीमों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक के प्रकार्यों के निष्पादन में उन्हें लॉजिस्टिक्स सहित हर प्रकार की सहायता मुहैया कराएंगे। चूंकि धन के इस्तेमाल से निर्वाचन प्रक्रिया दूषित होती है और यह हिंसा और अन्य निर्वाचन अपराधों एवं कुप्रथाओं का कारण बनता है, इसलिए उन्हें इस क्षेत्र की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः, निर्वाचन खर्चों पर कारगर नियंत्रण रखने के फलस्वरूप निर्वाचनों का सुचारू संचालन होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सभी व्यय अनुवीक्षण टीमों को लॉजिस्टिक्स संबंधी सहयोग मुहैया करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन सम्बन्धी व्ययों की विभिन्न मदों की दरों पर राजनैतिक दलों के साथ बैठक में चर्चा करेंगे और अधिसूचना जारी करने से पहले उनके विचार लेंगे। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की दरों में भिन्नता हो सकती है। प्रचलित दरों पर विचार किया जाएगा। इसी तरह, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यकर्त्ताओं या मतदान अभिकर्त्ताओं /मतगणना अभिकर्त्ताओं, जो निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, के लिए जल-पान व्यय नियत करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभ्यर्थियों /स्टार प्रचारकर्त्ताओं अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा रैली में प्रयुक्त किए जाने वाले हैलिकोप्टर /एयरक्राफट की प्रति घंटा दर प्राप्त करेगें जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

दल/अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परिधान जैसे कि साड़ी, शर्ट, टी-शर्ट, धोती इत्यादि की आपूर्ति और वितरण की अनुमति नहीं है क्योंकि यह मतदाताओं को रिश्वत देना है **(अनुलग्नक-घ7)**। अतः, इस प्रकार के मुख्य परिधानों को दर चार्ट में शामिल नहीं करना चाहिए। **(अनुलग्नक-ग14)**

जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन व्यय मदों की दरों, समाचार पत्रों की मानक दर चार्ट, टी.वी. व अन्य मीडिया की दरों को अधिसूचित करेंगे। यदि दरें उपलब्ध नहीं हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी डी ए वी पी/डी आई पी आर की विज्ञापन दरों को स्थानीय / राष्ट्रीय दैनिक / पत्रिकाओं (अंग्रेजी /क्षेत्रीय) में आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किए जाने के तीन दिन के भीतर अधिसूचित करेगा जिन पर निर्वाचन व्यय का निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में आगे संदर्भ के लिए आयोग के पत्र सं. 76/2004 / जे.एस- II, दिनांक 17.3.2004 (**अनुलग्नक-ग7**) में दिए गए अनुदेशों का भी अनुसरण किया जा सकता है।

अभ्यर्थी / राजनैतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में कियोस्क, प्रचार कार्यालय आदि खोलते हैं और ऐसे व्यय जैसे किराया या बिजली या साजो-सामान जैसे शामियाना आदि नामांकन दाखिल करने की तारीख के बाद अभ्यर्थी के लेखे में शामिल किए जाते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे राजनैतिक दलों के साथ विधिवत रूप से विचार-विमर्श किए जाने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में प्रचलित दरों के आधार पर ऐसे कियोस्क, प्रचार कार्यालयों आदि के स्थापन/निर्माण की कल्पित दरों को शामिल करें| (आयोग का पत्र सं. 76/अनुदेश / ईईपीएस / खण्ड-XIX, दिनांक 30 दिसंबर, 2014, **अनुलग्नक-ग9**)| वे जिले में शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर के सुचारू कार्यकरण के लिए उत्तरदायी होंगे।

वह आयकर के अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों तथा अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों को लॉजिस्टिक्स संबंधी सहायता प्रदान करेगा। वह व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में परिनियोजित सभी अधिकारियों के लिए रहने-खाने, परिवहन तथा सुरक्षा की व्यवस्था करेगा |

वह व्यय प्रेक्षक के सहयोग तथा समर्थन से व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की सहायता से परिणामों की घोषणा के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्वाचन व्यय के लेखा विवरण की संवीक्षा करेगा तथा **अनुलग्नक-ग13** के अनुसार विहित फार्मेट में परिणामों की घोषणा के 45 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन व्यय के मामलों के अनुवीक्षण के लिए **अनुलग्नक-ग2** में दिए गए फार्मेट में प्रत्येक महीने के दूसरे दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लम्बित मामले, जहां लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है या त्रुटिपूर्ण है, की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन करेंगे तथा आयोग को प्रत्येक महीने के 5वें दिन एक समेकित रिपोर्ट भेजेंगे।

निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा की तारीख तक राजनैतिक दल के साधारण पार्टी प्रचार में व्यय पर उड़न दस्ता (तों) के जरिए जिला प्राधिकारियों द्वारा नजर रखी जाएगी। यद्यपि साधारण पार्टी प्रचार पर किया गया व्यय अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाना चाहिए फिर भी साक्ष्य के साथ अभिलेखबद्ध प्रेक्षणों की रिपोर्ट निर्वाचन

परिणामों की घोषणा के 45 दिनों के भीतर विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा (**अनुलग्नक-ग1**) में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जानी चाहिए। यह व्यय प्रेक्षक के परामर्श से किया जाए।

यदि अभ्यर्थी / राजनीतिक दल से हेलीकॉप्टर बदलने के लिए अनुरोध अंतिम क्षण में प्राप्त होता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी उन मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करेंगे जिनमें अभ्यर्थियों / राजनीतिक दलों को पहले ही अनुमति दे दी गई हो, और संबंधित अभ्यर्थी या राजनीतिक दल का आवेदन प्राप्त होने के 03 घंटों के भीतर निर्णय सम्प्रेषित किया जाएगा। (**अनुलग्नक-ग11**)

जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी) (अनुलग्नक-ग10 देखें)

(i) यदि रिटर्निंग अधिकारी या कोई प्राधिकृत अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसी सूचना प्राप्त करता है कि किसी अभ्यर्थी ने कुछ व्यय उपगत या प्राधिकृत किया है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अधीन उसके द्वारा बनाए रखे गए निर्वाचन व्यय के दैनिक लेखे में न तो उसे पूर्ण रूप से और न ही उसका अंश दिखाया है अथवा प्राधिकृत अधिकारी या व्यय प्रेक्षक के समक्ष निर्धारित तिथि को निरीक्षण के लिए उक्त लेखे प्रस्तुत नहीं किए तब रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को अधिमानतः, सूचना प्राप्ति की तारीख के 24 घंटों के अंदर या लेखे के निरीक्षण जिसमें व्यय के ब्यौरों का उल्लेख हो और जो दैनिक लेखे में वास्तविक एवं सही रूप से नहीं दिखाए गए हैं अथवा उसे सूचित करना कि वह अपने लेखे प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, जैसी भी स्थिति हो, तत्संबंधी साक्ष्यों सहित नोटिस जारी करेगा। तथापि, संदिग्ध “पेड न्यूज” मदों के मामले में जहां मीडिया प्रमाणन तथा अनुवीक्षण समिति (एम सी एम सी) की सिफारिश के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है या जारी किया जा रहा है, ऐसी मदें इस नोटिस में शमिल नहीं की जाएंगी ।

(ii) ऐसा अभ्यर्थी 48 घंटों के अंदर नोटिस का जवाब देगा जिसमें वह उनके नोटिस में लाई गई चूक या व्यतिक्रम के कारणों को स्पष्ट करेगा। जहां अभ्यर्थी नोटिस में उल्लिखित छिपाए गए व्यय की वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, वह उसके निर्वाचन खर्चों में जोड़ दिया जाएगा।

(iii) जिन मामलों में अभ्यर्थी अपना दिन-प्रतिदिन का लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है और नोटिस दिए जाने के बावजूद यह विफलता बनी रहती है तो ऐसे नोटिस के तामील किए जाने के 48 घंटों के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 171(I) के अंतर्गत एफआईआर दायर किया जाना होता है और निर्वाचन अभियान के लिए अभ्यर्थी द्वारा वाहनों आदि के इस्तेमाल के लिए अनुमति वापस ले ली जाएगी।

(iv) जिस मामले में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा नोटिस मिलने के 48 घंटों के भीतर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने नोटिस में उल्लिखित छिपाई गई धनराशि की बात मान ली है और उसे ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च में जोड़ा जाएगा।

(v) यदि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मध्य नोटिस में उल्लिखित छिपाए गए व्यय को लेकर विरोध है तो वह इस असहमति के लिए कारणों का उल्लेख करते हुए जवाब प्रस्तुत करेगा और उसे निम्नलिखित सहित जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डी ई एम सी) को अग्रेषित करेगाः

1. निवर्चन क्षेत्र के प्रभारी व्यय प्रेक्षक
2. जिला निर्वाचन अधिकारी
3. उप जिला निर्वाचन अधिकारी / जिले के व्यय अनुवीक्षण के प्रभारी अधिकारी

(vi) नोटिस में उल्लिखित साक्ष्य तथा उस पर अभ्यर्थी के जवाब की जांच करने के पश्चात डी ई एम सी, अधिमानतः अभ्यर्थी से जवाब प्राप्त करने के 72 घंटों के अंदर इस संबंध में निर्णय लेगी कि क्या ऐसे छिपाए गए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे में जोड़ा जाएगा या नहीं |

जिला निर्वाचन अधिकारी (डी.ई.ओ.) की संवीक्षा रिपोर्ट और आयोग स्तर पर उस पर की गई कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोग प्रत्येक रिपोर्ट की जांच करेगा और इस बात पर निर्णय करेगा कि प्रत्येक मामले में कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह कार्रवाई निम्नलिखित में से कोई एक हो सकती है :-

(क) यदि आयोग उपयुक्त समझता है तो वह अभ्यर्थी द्वारा समय के भीतर और अधिनियम एवं नियमों के अनुसार अपेक्षित रीति में प्रस्तुत लेखे को स्वीकृत कर सकता है।

(ख) यदि आयोग यह मानता है कि अभ्यर्थी समय के भीतर या अधिनियम और नियमों के अनुसार अपेक्षित रीति से अपना लेखा प्रस्तुत करने में विफल रहा है तो आयोग अभ्यर्थी को इस बात का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अंतर्गत क्यों नहीं निरर्हित कर दिया जाए।

अभ्यर्थी को डीईओ द्वारा नोटिस की तामील की जाएगी, नोटिस की तामीली किए जाने का साक्ष्य डीईओ द्वारा आयोग को अग्रेषित किया जाएगा। आयोग अभ्यर्थी से उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरांत विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है।

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की भूमिका

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर निर्वाचन की घोषणा के तीन दिनों के भीतर सभी राजनैतिक दलों के साथ बैठक करेंगे और नए व्यय अनुवीक्षण उपायों को विस्तार से बताएंगे। वह व्यय अनुवीक्षण अनुदेशों के सार-संग्रह की एक प्रति अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा, दोनों में सौंपेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर सभी मीडिया हाउसों एवं पत्रकारों के साथ बैठक करेंगे एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के उपबंधों और विज्ञापनों तथा “पेड न्यूज” पर भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों को विस्तार से स्पष्ट करेंगे। वह निर्वाचन व्यय अनुदेशों के सार-संग्रह की प्रति भी उन्हें सौंपेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा एवं सार रिपोर्टों की जांच करेंगे, और उसे अतिरिक्त टिप्पणियों, यदि वे ऐसा उचित समझते हैं, के साथ परिणाम की घोषणा के 45 दिनों के भीतर आयोग को अग्रेषित करेंगे। (**अनुलग्नक-ग12**)

यह देखा गया है कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 में निर्धारित समय-सीमा का पालन डीईओ द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे लेखा मामलों के अन्तिम निपटान में अनुचित विलंब होता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय (1999 की डब्ल्यूपी सं. 4357 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.07.1999-गिनीज़ हाइट पक्षा रंगावामी बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य) की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि धारा 10क के अधीन आदेश पारित करने में अनुचित विलंब नहीं हो सकता है और इसे उचित समय के भीतर पारित किया जाना चाहिए, आयोग ने निर्वाचन व्यय से संबंधित सभी मामलों के निपटान के लिए एक वर्ष की समय-सीमा तय की है **(अनुलग्नक-ग19)**।

<u>मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अभ्यर्थी की निर्वाचन व्यय विवरणी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट की ENCORE में प्रविष्टिः</u>

निर्वाचन अवधि के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियां, यदि कोई हो, सहित सभी अभ्यर्थियों के सार विवरण (भाग I से भाग IV और अनुसूची 1 से 11) तथा उनके उत्तरों की स्कैन की गई प्रतियां सभी लोगों में सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों के लेखे के दाखिल करने के तीन दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अवश्य डाल दी जानी चाहिए। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक अनुदेश जारी किया जा सकता है कि निर्वाचन व्ययों के लेखे का सार (संक्षिप्त विवरण) एक शीर्षक नामशः - 'विधानसभा का साधारण निर्वाचन, 20....... (राज्य का नाम)- अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय' के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों के लेखे की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर डाला जा सकता है। इस संबंध में किसी प्रकार का विलम्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उपक्रमात्मक क्रियाकलाप जैसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को लिंक प्रदान करने का कार्य निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान के लिए नियत तारीख से काफी पहले पूरा किया जा सकता है।

आयोग ने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल करने के लिए एक नया डाटा इंट्री पोर्टल ENCORE तैयार किया है। ऑनलाइन फार्म में वही कॉलम अंतर्विष्ट हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट वाले वास्तविक (प्रत्यक्ष) प्रपत्र में हैं। इस डाटा इंट्री पोर्टल का लिंक https://encore.eci.gov.in पर क्लिक करके उपयोग किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के तीन दिनों के भीतर डाटा ऑनलाइन प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें। (**अनुलग्नक-ग17**)

<u>जब्ती संबंधी रिपोर्टो का संकलन :</u>

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचनों के दौरान जब्ती से संबंधित सभी अभिलेखों का उचित प्रकार से एवं सही तरीके से रखरखाव किया जाए, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पुलिस के नोडल अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा आयकर (अन्वे)) महानिदेशालय इत्यादि से आवश्यक इनपुट्स प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित फॉर्मेट (**अनुलग्नक-ग3**) में जब्ती के विवरण का संकलन करना होगा तथा उसे मतदान वाले दिन आयोग को प्रस्तुत करना होगा। साथ ही साथ, पुलिस के नोडल अधिकारी, आयकर विभाग के नोडल अधिकारी तथा आबकारी विभाग के नोडल अधिकारी मतदान वाले दिन मतदान प्रक्रिया के दौरान की गई जब्ती की अपनी अलग-अलग समेकित रिपोर्ट निर्धारित फार्मेट में भेजेंगे (**अनुलग्नक ग4, ग5, ग6**)

जिले के लिए प्रत्येक श्रेणी की जब्ती का दिनांकवार उप-जोड़, व्यक्ति जिनसे जब्ती की गई है तथा प्राधिकारी जिसे जब्ती सौंपी गयी है, (प्रत्येक जब्ती को अलग से दर्शाया जाना है) के विवरण का रख-रखाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाएगा तथा केवल समेकित कुल आंकड़े भारत निर्वाचन आयोग को संलग्न प्रोफार्मा में भेजे जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रचार के दौरान जब्त की गई वस्तुओं,/ राशि की मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्वाचन अभियान के दौरान दर्ज की गई प्राथमिकी की स्थिति को अनुवर्ती महीने के 7वें दिन तक आयोग को भेजेगा।

राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्यय की विवरणी दाखिल किए जाने के पश्चात मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से विवरणियों को डाउनलोड करके दलीय व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्टो की राजनीतिक दलों के निर्वाचन खर्चों की विवरणी के साथ तुलना करेंगे। यदि विवरणी में कोई असंगति है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग को रिपोर्ट भेजी जाए |

अनुलग्नक-ग1

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथा-प्रेक्षित राजनैतिक दलों द्वारा दल के सामान्य प्रचार पर किए गए व्यय का ब्यौरा
(मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा)

(निर्वाचन घोषणा की तारीख से समाप्ति तक)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	राजनैतिक दल का नाम	रैली, जुलूस, जन सभा इत्यादि के दौरान दर्ज किए गए व्यय की प्रकृति	मात्रा	दर	कुल व्यय	तारीख सहित प्रदर्शित संख्या/कैसेट संख्या में एकत्रित साक्ष्य	अभ्युक्तियां

दिनांक :

हस्ताक्षर
जिला निर्वाचन अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी

अनुलग्नक-ग2

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मासिक रिपोर्ट

(भाग-क)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम –

जिले का नाम -

क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	अभ्यर्थियों की कुल संख्या	लेखा दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	लेखा दाखिल नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	विनिर्दिष्ट रीति से लेखा दाखिल नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लेखों की संवीक्षा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्ण कर ली गई है	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लिए अभ्यर्थी रजिस्टर और छाया प्रेक्षण रजिस्टर में विसंगति पायी गई है	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लेखे आयोग द्वारा स्वीकार कर लिए गए है	निरर्हित अभ्यर्थियों की संख्या

जिला निर्वाचन अधिकारी का हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मासिक रिपोर्ट (भाग-ख)

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नामः...

जिले का नामः...

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम	अभ्यर्थी का नाम	राजनीतिक/निर्दलीय दल का नाम	लेखा विवरण की स्थिति

नोट:-

'स्थिति' के कॉलम में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा प्रस्तुत किया है, यदि प्रस्तुत किया है तो क्या प्रस्तुत करने की तारीख, क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संवीक्षा पूर्ण कर ली गई, क्या अभ्यर्थी के लेखा और छाया प्रेक्षण रजिस्टर के मध्य कोई विसंगति पायी गई, क्या जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी, क्या आयोग द्वारा लेखा स्वीकृत किया गया था, क्या नोटिस दिया गया था, यदि आयोग द्वारा लेखा स्वीकृत नहीं किया गया, तो क्या मामला लंबित है या अभ्यर्थी को निरर्हित कर दिया गया था, यदि निरर्हित कर दिया गया था तो निरर्हता आदेश की तारीख।

जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-ग3

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की जब्ती रिपोर्ट (अपराहन 12 बजे तक)

(मतदान के दिन भारत निर्वाचन आयोग को अपराहन 1 बजे तक रिपोर्ट भेजी जानी है)

क्रम सं.	विवरण	अभ्युक्ति		
1.	सम्पूर्ण राज्य/संघ शासित क्षेत्र में तैनात किए गए व्यय प्रेक्षकों की कुल संख्या			
2.	सम्पूर्ण राज्य/संघ शासित क्षेत्र में तैनात किए गए उड़न दस्तों (एफएस) की कुल संख्या			
3.	सम्पूर्ण राज्य/संघ शासित क्षेत्र में तैनात किए गए स्थैतिक निगरानी दलों (एसएसटी) की कुल संख्या			
4.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात किए गए उत्पाद शुल्क (एक्साइज) दलों की कुल संख्या			
5(क).	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जब्त की गई कुल नकद राशि(रू.में)	एफएस	एसएसटी	एसअचओ/पुलिस प्राधिकारी
5(ख).	5(क) के अनुसार एफएस, एसएसटी और पुलिस द्वारा सत्यापन के पश्चात जारी की गई कुल नकद राशि			
5(ग).	5(क) के अनुसार एफएस, एसएसटी और पुलिस के द्वारा आयकर विभाग को सौंपी गई कुल नकद राशि			
5(घ).	एफएस/एसएसटी/पुलिस द्वारा दायर की गई एफआईआर के अन्तर्गत तथा निर्वाचन प्राधिकारियों के पास रखी गई/कोषागार में रखी गई/सक्षम न्यायालय के निदेशानुसार रखी गई शेष जब्ती राशि 5क-(5ख+5ग) (रू. में)			
6.	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूरे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में जब्त की गई कुल मदिरा(लीटर में तथा अनुमानित मूल्य सहित, रू. में), ड्रग्स (किलो में तथा अनुमानित मूल्य रू. में) एवं अन्य सामग्री	मदिरा (लीटर में)	जब्त की गई कुल ड्रग्स/मादक द्रव्य/नशीला पदार्थ (किलो में)	निर्वाचन पक्रिया के दौरान जब्त की गई कुल अन्य मदें अर्थात् प्रचार सामग्री धोती, साड़ी आदि
		अनुमानित मौद्रिक मूल्य (रू.में)	अनुमानित मौद्रिक मूल्य (रू.में)	अनुमानित मौद्रिक मूल्य (रू.में)

7क.	एफएस द्वारा				
7ख.	एसएसटी द्वारा				
7ग.	उत्पादक शुल्क विभाग द्वारा				
7घ.	पुलिस द्वारा				
7ङ.	अन्यों द्वारा				
7च.	कुल	........लीटर	........किलो...	रू.	
		रू.	रू.		
8.	(क)पूरे राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जहां नोटिस जारी किए गए हैं, में रिपोर्ट किए गए पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों की कुल संख्या				
	(ख) उपर्युक्त (क) में से (i) जिला एमसीएमसी (ii) राज्य एमसीएमसी द्वारा निर्णीत पेड न्यूज मामलों की कुल संख्या				
9.		एफएस द्वारा	एसएसटी द्वारा	अन्य पुलिस द्वारा	आरओ द्वारा
9.क	पूरे राज्य/ संघ शासित क्षेत्र में पंजीकृत व्यय से संबंधित एफआईआर/पुलिस मामलों की कुल संख्या				
9.ख	रिश्वत/परितोषण आदि से संबंधित गिरफ्तारी, यदि कोई हो,				
9.ग	उत्पाद शुल्क विधि के उल्लंघन के लिए पंजीकृत एफआईआर/पुलिस मामलों की कुल संख्या				

मुख्य निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के प्रभारी नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक :

सेवा में
सचिव(व्यय),
भारत निर्वाचन आयोग,
नई दिल्ली – 110001

अनुलग्नक-ग4

मतदान के दिन पुलिस विभाग द्वारा 12 बजे तक की गई जब्ती
(मतदान के दिन भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट अपराहन 1.00 बजे तक भेजी जानी है।)

क्रम सं.	**विवरण**	**उड़न दस्ते (एफएस) द्वारा**	**स्थैतिक निगरानी दल (एस एसटी) द्वारा**	**अन्यों के द्वारा एसएचओ/पुलिस**
1.	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जब्त की गई नकदी की कुल राशि (रूपये में)			
2.	उपर्युक्त 1 में से एफएस, एसएसटी और पुलिस द्वारा सत्यापन के बाद अवमुक्त की गई नकदी की कुल राशि			
3.	उपर्युक्त 1 में से एफआईआर/न्यायालय में शिकायत के अन्तर्गत आने वाली कुल राशि			
4.	उपर्युक्त 1 में से आयकर प्राधिकारी को सौंपी गई नकदी की कुल राशि			
5.	जब्त की गई शेष राशि जिस पर एफएस/एसएसटी/पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है और निर्वाचन प्राधिकारियों के पास है/कोषागार में रखी गई है/न्यायालय के निर्देशानुसार रखी गई है। {1-(2+4)} (रूपये में)			
6.	पूरे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में जब्त की गई कुल मदिरा (लीटर में, रूपये में अनुमानित मूल्य सहित), ड्रग्स (किलोग्राम में, रूपये में अनुमानित मूल्य सहित) और अन्य मदें।	मदिरा (लीटर में)	जब्त किए गए कुल ड्रग्स/मादक द्रव्य/नशीले पदार्थ (किलोग्राम में)	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जब्त की गई कुल अन्य मदें जैसे प्रचार- सामग्री, धोती, साड़ी इत्यादि

		अनुमानित मौद्रिक मूल्य (रूपये में)	अनुमानित मौद्रिक मूल्य (रूपये में)	अनुमानित मौद्रिक मूल्य (रूपये में)
6.क	एफएस द्वारा	रू.	रू.	रू.
6.ख	एसएसटी द्वारा			
6.ग	पुलिस द्वारा			
6.घ	उत्पादक शुल्क विभाग द्वारा			
6.ङ	कुल (6क+6ख+6ग+6घ)	........लीटर	............किलोग्राम	
		रू.	रू.	रू.
7.	पूरे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में दायर एफआईआर/पुलिस मामलों के सम्बन्ध में कुल व्यय			
8.	रिश्वत/परितोषण इत्यादि से संबंधित गिरफ्तारियों, यदि कोई हैं, की कुल संख्या			

हस्ताक्षर
पदनाम

दिनांक :

सेवा में

1. सचिव (व्यय)
   भारत निर्वाचन आयोग
   नई दिल्ली – 110001
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
   राज्य का नाम:-

अनुलग्नक-ग5

मतदान के दिन 12.00 बजे तक आयकर विभाग द्वारा नकदी की जब्ती
(मतदान के दिन भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट अपराहन 1.00 बजे तक भेजी जानी है।

क्रम सं.	**विवरण**	**राशि (रू.में)**
1	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एफएस या एसएसटी या पुलिस द्वारा आयकर विभाग को सौंपी गई नकदी की कुल राशि	
2	उपर्युक्त (1) में से आयकर विधि के अधीन निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयकर विभाग द्वारा जब्त नकदी की कुल राशि	
3	उपर्युक्त (1) में से आयकर प्राधिकारी द्वारा अवमुक्त नकदी की कुल राशि जो निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एफएस या एसएसटी या पुलिस प्राधिकारी द्वारा सौंपी गई थी।	
4	उपर्युक्त 1 में से आयकर विभाग द्वारा अभिरक्षा में ली गई शेष नकदी, जहाँ आयकर विधि के अधीन आगे की जांच के लिए कार्रवाई लंबित है {1-(2+3} (रूपये में)	
5	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त शिकायतों पर आधारित स्वत: मामलों पर किसी भी प्रकार की जब्ती की राशि।	
6	कुल (4+5) (रूपये में)	

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम

दिनांक :
सेवा में

1. सचिव (व्यय)
   भारत निर्वाचन आयोग
   नई दिल्ली – 110001
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
   राज्य का नामः-

अनुलग्नक-ग6

मतदान के दिन उत्पादक शुल्क विभाग द्वारा अपराहन 12 बजे तक जब्ती और छापे इत्यादि
(मतदान के दिन भारत निर्वाचन आयोग को अपराहन 1 बजे तक रिपोर्ट भेजी जानी है)

सभी प्रकार की मदिरा की जब्ती की समेकित रिपोर्ट (लीटर में)	मूल्य रू. में (लगभग)	जब्त की गई कुल ड्रग्स/मादक/द्रव्य नशीला पदार्थ	मूल्य रू. में (लगभग)	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कुल छापे (संख्या)	उत्पाद शुल्क सम्बन्धी उल्लंघनों के लिए पंजीकृत एफआईआर/पुलिस मामलों की कुल संख्या

हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक

सेवा में

1. सचिव (व्यय)
   भारत निर्वाचन आयोग
   नई दिल्ली – 110001
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
   राज्य का नाम:-

अनुलग्नक-ग7

सभी राज्यों एंव संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक **17.03.2004** की पत्र सं. **76 /2004 /** न्या.अनु.**- II**

विषयः- निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना - रेट चार्ट तैयार करना **|**

मुझे उक्त विषय में इन राज्यों में विधान सभा के साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश**,** छत्तीसगढ़**,** राजस्थान**,** मिजोरम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित आयोग के दिनांक **30** अक्टूबर**, 2003** के पत्र सं. **76/2003 /** न्या.अनु.**- II** की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

उपर संदर्भित पत्र में यह निदेश दिया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबोधित जिले में प्रचलित दरों के आधार पर उक्त पत्र के साथ संलग्न सूची में दर्शाई गई वस्तुओं के मूल्य चार्टो का संकलन करना होगा और मूल्य सूची जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त सभी प्रेक्षकों और नामनिर्दिष्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी।

उपरोक्त दिनांक **30** अक्टूबर**, 2003** के पत्र में निहित अनुदेशों का लोक सभा और विधान सभा के चालू साधारण निर्वाचनों और भविष्य के सभी निर्वाचनों में सख्ती से पालन किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

पत्र सं. 76/2003 / न्या.अनु.- **II** दिनांक : 30 अक्टूबर, 2003

सेवा में,

1. मध्य प्रदेश, भोपाल
2. छत्तीसगढ़, रायपुर
3. राजस्थान, जयपुर
4. मिजोरम, ऐजवाल
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली
   के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः-निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना - रेट चार्ट तैयार करना।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने अपने दिनांक 14.10.2003 के पत्र सं. 76/2003/न्या.अनु.-**II** द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के नये संशोधन के कांरण अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखों के रख रखाव के प्रोफार्मा में हाल ही में संशोधन किया है।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में दैनिक आधार पर रख रखाव किए जाने वाले व्यय की संवीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोग ने निदेश दिया है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को संलग्न सूची में दिए वस्तुओं के रेट चार्ट को संबंधित जिले में प्रचलित दरों के आधार पर संकलित करना होगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इन रेट लिस्टों को लेखों की संवीक्षा के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त सभी नामनिर्दिष्ट अधिकारियों और सभी प्रेक्षों को जैसे ही वे संबंधित जिले में पहुँचते हैं तुरन्त भेज दिया जाएगा। इस अनुदेश की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेक्षकों को उनके पहुँचने पर दी जा सकती है।

रेट चार्ट

1. एम्पलिफायर एवं माइक्रोफोन सहित लाउडस्पीकर का भाडा शुल्क
2. पोडियम / पंडाल का निर्माण (4-5 व्यक्तियों के लिए मानक आकार)
3. कपड़े का बैनर
4. कपड़े का झंडा
5. प्लास्टिक के झंडे
6. हैण्डबिल (मूल्य का आकलन किया जाए तथा मुद्रण आदेश की जानकारी प्रिंटर से ली जाए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 127 क देखें)

7. पोस्टर

8. होर्डिंग

9. कट आउट (लकड़ी के)

10. कट आउट (कपड़े के / प्लास्टिक)

11. वीडियो कैसेट

12. ऑडियो कैसेट

13. गेट का निर्माण

14. तोरण का निर्माण

15. वाहनों का प्रतिदिन भाड़ा शुल्क

- **I.** जीप/टैम्पो / ट्रक इत्यादि
- **II.** सूमो / क्वालिस
- **III.** कार
- **IV.** थ्री व्हीलर
- **V.** साइकिल, रिक्शा

16. होटल के कमरों / गेस्ट हाउस इत्यादि का भाड़ा शुल्क

17. ड्राइवर का वेतन शुल्क

18. फर्नीचर एवं उससे जुड़ी वस्तुओ का भाड़ा शुल्क (कुर्सी, सोफा इत्यादि)

19. नगर निगम प्राधिकारियों से होर्डिंग साइट का भाड़ा शुल्क

20. अन्य ऐसी वस्तुएं, जो सामान्य रुप से जिले में प्रयोग की जाती है।

(ऐसी मदों की रेट लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को तैयार करनी होगी।)

अनुलग्नक-ग8

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली – 110001

सं. 76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/खण्ड-VIII   दिनांक 25 अक्तूबर, 2013

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

1. गुजरात

2. तमिल नाडु।

विषय:- गुजरात एवं तमिल नाडु विधान सभाओं का उप-निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के दैनिक लेखा रजिस्टर को अपलोड़ करना-तत्संबंधी।

महोदय / महोदया,

मुझे, आयोग के दिनांक 09.10.2013 के पत्र सं0 464 / व्यय.अनु. / बी ई/2013 / ईईपीएस, खण्ड-I को संदर्भित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक निरीक्षण के बाद अभ्यर्थी के दैनिक निर्वाचन लेखा रजिस्टर के निरीक्षण की तारीख तक जांच की जाएगी और नोटिस बोर्ड पर प्रतिलिपि प्रदर्शित करने के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों के पोर्टल सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाईट के लिए उपलब्ध लिंक पर इसे अपलोड किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह अनुरोध है कि वे जांच और वेबसाइट पर अपलोड करने संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें।

2. यह व्यय प्रेक्षकों सहित सभी निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए और इसका प्रचार किया जाए।

3. कृपया पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(अविनाश कुमार)

अवर सचिव

अनुलग्नक-ग9

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 76/अनुदेश/ईईपीएस/खण्ड-XIX दिनांक : 30 दिसंबर, 2014

सेवा में

सभी राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : मतदान/मतगणना एजेंटों के लिए जलपान और कियोस्क पर व्यय-सांकेतिक व्यय का अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के खाते में लेखांकन करना-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय विवरणों का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि अभ्यर्थी मतदान/मतगणना एजेंटों, प्रचार कार्यकर्त्ताओं इत्यादि के मद में कोई भी व्यय नहीं दर्शाते हैं। चूँकि, अभ्यर्थी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान और बाद में अपने मतदान /मतगणना एजेंटों और प्रचार कार्यकर्त्ताओं के लिए भोजन और जलपान तथा दैनिक भत्तों की अदायगी, आदि पर भी खर्च करते हैं, इसलिए ऐसे खर्च भी उनके खाते में शामित्र किए जाने जरूरी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों कों कहा जाए कि वे मतदान/मतगणना एजेंटों और प्रचार अभियान कार्यकर्ताओं के लिए निर्वाचन अभियान में प्रयुक्त व्यय की मदों की सूची में लंच, डिनर और हल्के जलपान की कल्पित दरें, राजनीतिक दलों के साथ विधिवत रूप से विचार-विमर्श करने के उपरांत अपने संबंधित जिलों में विद्यमान दरों के आधार पर अधिसूचित करें जैसाकि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार-संग्रह के पैरा 14.2 और 14.3 में परिकल्पित है।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी /राजनीतिक दल निर्वाचन-क्षेत्र में कियोस्क, प्रचार कार्यालय आदि खोलते हैं, और ऐसे व्यय जैसे किराया या बिजली या शामियाना जैसें साज-सामान इत्यांदिं नाम-निर्देशन दाखिल करने की तारीख के पश्चात अभ्यर्थी के खाते में शामिल किए जाने होते हैं। जिला निर्वाचल अधिकारियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे निर्वाचन अभियान के लिए प्रयुक्त व्यय की मदों की सूची में ऐसे कियोस्कों, प्रचार अभियान कार्यालयों आदि खड़े करने/निर्माण करने की कल्पित दरें, राजनीतिक दलों के साथ विधिवत रूप से विचार-विमर्श करने के उपरांत, निर्वाचन-क्षेत्र में विद्यमान दरों के आधार पर, शामिल करें जैसाकि लियाचल व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार-संगह के पैरा 14.2 और 14.3 में परिकल्पित है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भचदीय,

ह./-

(सत्येन्द्र कुमार रूडोला)

सचिव

अनुलग्नक-ग10

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110 001

सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खण्ड-।। दिनांक : 29 मई, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी) के साथ अभ्यर्थियों/निर्वाचन एजेंटों की लेखा समाधान बैठक-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

निर्वाचन व्यय की कम करके बताई गई राशि एवं जिला व्यय अनुरक्षण समिति (डीईएमसी) के निर्णय के संबंध में आयोग के दिनांक 14 मार्च, 2013 के पत्र सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2013/खण्ड-। के अधिक्रमण में, मुझे इसके साथ अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखे को कम करके बताए जाने के मामलों के निपटान में डीईएमसी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आयोग के संशोधित आदेश को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। (परिवर्तित हिस्से तिरछे अक्षरों में)

2. मुझे, इसके अतिरिक्त, आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, व्यय प्रेक्षकों, संबंधित अधिकारियों, अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के ध्यान में लाएं।

3. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,
ह./-
(एस. के. रुडोला)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाइल सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खण्ड -II   दिनांक : 29 मई, 2015

आदेश

जबकि, संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के सभी निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में निहित है; और

जबकि, ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि अभ्यर्थीगण लोक सभा एवं राज्य विधान सभा निर्वाचनों में अपने निर्वाचन अभियानों में अत्यधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं जिससे समान अवसर दिए जाने के सिद्धांत (लेवल प्लेईंग फील्ड) पर प्रतिकूल असर पड़ता है और अक्सर अपने निर्वाचन खर्चों के दिन-प्रतिदिन के लेखाओं में ठीक-ठीक खर्च नहीं दर्शाते हैं;

अब, इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए निम्न लिखित आदेश जारी करता है:

(i) यदि रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसी कोई सूचना मिली है कि किसी अभ्यिर्थी ने कतिपय व्यय उपगत या अधिकृत किया है और या तो उसके अंश या सम्पूर्ण हिस्से को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अंतर्गत उसके द्वारा बनाए रखे गए निर्वाचन व्यय के अपने दिन-प्रतिदिन के लेखाओं में नहीं दर्शाया है या उक्त लेखा-जोखा को निर्धारित तिथि के दिन अधिकृत अधिकारी या व्यय प्रेक्षक के समक्ष निरीक्षण के लिए नहीं प्रस्तुत किया है तो रिटर्निंग अधिकारी अधिमानत: सूचना मिलने या लेखाओं के निरीक्षण की तिथि के 24 घंटों के भीतर उसके साक्ष्य के प्रमाण के सहित यथास्थिति, उन खर्चों के विवरणों, जो दिन-प्रति-दिन के लेखा में सही या ठीक रूप में नहीं दर्शाए गए हों, का उल्लेख करते हुए या उन्हें यह सूचित करते हुए नोटिस जारी करेंगे कि वे अपना लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहे। हालांकि, संदिग्ध पेड न्यूज मदों के जिन मामलों में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) की सिफारिश के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं या जारी किए जा रहे हैं उन मदों को इस नोटिस में कवर नहीं किया जाएगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी उनके ध्यान में लाए गए चूक या व्यतिक्रम के कारणों को स्पष्ट करते हुए नोटिस का 48 घंटों के भीतर उत्तर दे सकते हैं। जिन मामलों में अभ्यर्थी नोटिस में उल्लिखित छिपाए हुए खर्च के तथ्यों को स्वीकार कर लेता है उनमें वह खर्च उनके निर्वाचन खर्चों में जोड़ा जाएगा।

(iii) जिन मामलों में अभ्यर्थी अपना दिन-प्रतिदिन का लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है और नोटिस दिए जाने के बावजूद यह विफलता बनी रहती है तो ऐसे नोटिस के तामील किए जाने के 48 घंटों के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 171(1) के अंतर्गत एफआईआर दायर किया जाना होता है और निर्वाचन अभियान के लिए अभ्यर्थी द्वारा वाहनों आदि के इस्तेमाल के लिए अनुमति वापस ले ली जाएगी।

(iv) जिस मामले में अभ्यिर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा नोटिस मिलने के 48 घंटों के भीतर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने नोटिस में उल्लिखित छिपाई गई धनराशि की बात मान ली है और उसे ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च में जोड़ा जाएगा।

(v) यदि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट नोटिस में उल्लिखित छिपाए गए व्यय का खंडन करते हैं तो वे असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत करेंगे और उसे निम्नलिखित सदस्यों से बनी जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी) को अग्रेषित करना होगा:

1. निर्वाचन-क्षेत्र के प्रभारी व्यय प्रेक्षक
2. जिला निर्वाचन अधिकारी
3. जिले के व्यय अनुवीक्षण के उप जिला निर्वाचन प्रभारी अधिकारी

(vi) डीईएमसी नोटिस और तत्संबंधी अभ्यर्थी के उत्तर में उल्लिखित साक्ष्य की जांच करने के उपरांत मामले पर, अधिमानत: अभ्यर्थी से उत्तर मिलने की तिथि के 72 घंटों के भीतर, इस बात का निर्णय लेगी कि ऐसा छिपाया हुआ व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च खाते में जोड़ा जाएगा या नहीं।

(vi) **प्रशिक्षण :**

क. जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन व्यय के लेखे को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पहले एक सप्ताह के अंदर सभी अभ्यर्थियों/निर्वाचन एजेंटों एवं लेखे प्राप्त करने के लिए लगाए गए कार्मिकों के लिए एक दिवसीय फैसिलिटेशन कार्यक्रम का आयोजन करेगा।

ख. व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एवं सहायक व्यय प्रेक्षक को लेखे की ई-फाईलिंग की प्रक्रिया, दाखिल किए जाने वाले फार्म एवं शपथ-पत्र एवं अक्सर सामने आने वाली त्रुटियों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। दाखिल न करने या अपूर्ण फार्म दाखिल करने या निर्धारित तरीके में दाखिल न करने या सही लेखे न दर्शाने के परिणामों के बारे में भी अभ्यर्थियों/एजेंटों को बताया जाएगा।

ग. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, उन्हें लेखा समाधान बैठक के बारे में भी बताया जाएगा जिसमें उन्हें सभी अंतिम लेखाओं और रजिस्टरों के साथ तैयार होकर आना चाहिए।

घ. जिला निर्वाचन अधिकारी परिणाम की घोषणा की तारीख को या तक अंतिम लेखा दर्ज करने की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण की तारीख एवं स्थान के बारे में तथा लेखा समाधान बैठक के बारे में भी अवश्य अधिसूचना निकालेंगे।

(vii) लेखा समाधान बैठक:

(क) परिणाम की घोषणा के 26 वें दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली लेखा समाधान बैठक में, अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय की कम करके बताई गई धनराशि, यदि कोई हो, के समाधान के लिए एक और मौका दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अभ्यर्थियों को इस बैठक के बारे में परिणाम की घोषणा के दिन को या तक लिखित में सूचित किया जाए ताकि वे/उनके निर्वाचन एजेंट निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एकत्रित सबूतों तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी नोटिसों के साथ अपने निर्वाचन व्यय के लेखाओं में निर्वाचन व्यय की विवादित मदों का लेखा-समाधान कर सकें।

(ख) लेखाओं की संवीक्षा करने के बाद डीईएमसी उन मामलों में विस्तृत कारण देते हुए आदेश पारित करेगी जिनमें अंतरों का कोई लेखा-समाधान नहीं हो सका और उसकी उसी दिन अभ्यर्थी/एजेंट को तामील करेगी। यदि अभ्यर्थी डीईएमसी के आदेश से सहमत है तो वह उसे अपनी अंतिम लेखाओं में समाविष्ट करेगा। यदि अभ्यर्थी डीईएमसी के आदेश से सहमत नहीं है तो वह अपनी असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखकर अपना अंतिम लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करेगा।

(ग) यदि अभ्यिर्थी ने लेखा-समाधान बैठक से पूर्व अपना लेखा पहले ही दाखिल कर दिया है तो वह डीईएमसी के निष्कर्षों को समाविष्ट करने के लिए निर्वाचन की समाप्ति के 30 दिनों की सांविधिक अवधि के अंदर लेखाओं में संशोधन कर सकता है/सकती है।

(viii) यदि अभ्यर्थी परिणाम की घोषणा के दिन से 30 दिनों की विनिर्धारित अवधि के अंदर बिना किसी विधिमान्य कारणों के निर्वाचन व्ययों के अपने विवरणों को दाखिल नहीं करता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्रेरणा से अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगेंगे और अभ्यर्थी के उत्तर एवं अपनी संस्तुति के साथ रिपोर्ट आयोग को भेजेगा।

(ix) लेखा समाधान बैठक के बावजूद, यदि अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल लेखाओं में कोई असंगति है तो जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी संस्तुतियों, डीईएमसी आदेश, रजिस्टरों, बिलों एवं वाउचरों की प्रमाणित प्रतियों तथा अन्य साक्ष्य सामग्रियों के साथ आयोग को संवीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।

(x) जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट की, उसे अंतिम रूप दिए जाने के सात दिनों के भीतर, ईईएमएस सॉफ्टवेयर* में प्रविष्टि की जानी है।

(xi) उपरोक्त प्रक्रिया का तत्काल प्रभाव से पालन किया जाएगा।

2. आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निदेश देता है कि वे इसे सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, डीईएमसी के सदस्यों और राज्य में सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

आदेश से,
ह./-
(एस. के. रूडोला)
सचिव

*कृप्या अनुलग्नक-ग17 को देखें।

अनुलग्नक-ग11

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/वाल्यूम ।। दिनांक: 11 अक्तूबर, 2015

सेवा में

सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय:- अभ्यर्थियों/राजनीतिक दलों द्वारा अंतिम क्षण में हेलीकॉप्टर बदल लेना – जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राथमिकता आधार पर अनुमति देना – तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन सं. सीएएस-7(15)/2012/डिवीजन-। (निर्वाचन) दिनांक 03.07.2013 (प्रति संलग्न) के जरिए जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वोल्लिखित का.ज्ञा. के पैरा (ix) में निहित मौजूदा उपबंध के अंतर्गत दूरवर्ती/अनियंत्रित हवाई अड्डों और हेलीपैडों में या तो अभ्यर्थी द्वारा या राजनीतिक दल द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को, उतरने के कम से कम 24 घंटे पहले, यात्रा योजना, जिले में उतरने के स्थान, विमानों/हेलीकॉप्टरों में यात्रियों के नामों का विवरण देते हुए, आवेदन करने होंगे ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था से जुड़े मुद्दों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर सकें और हेलीपैड के निर्देशांक भी उपलब्ध करवा सकें। इस प्रकार का आवेदन प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी उसी दिन प्राथमिकता आधार पर अनुमति जारी कर देंगे।

2. आयोग ने ऊपर उल्लिखित उपबंध पर विचार किया है और निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों/राजनीतिक दलों को होने वाली कठिनाईयों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों में अभ्यर्थियों/राजनीतिक दलों को पहले ही अनुमति प्रदान कर दी गई है उनमें यदि अभ्यर्थी/राजनीतिक दल से हेलीकॉप्टर बदलने का अनुरोध अंतिम क्षण में प्राप्त होता है तो उस पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जाएगी और निर्णय से अभ्यर्थी या संबंधित राजनीतिक दल को आवदेन प्राप्त होने के 03 घंटे के भीतर अवगत करा दिया जाएगा।

3. कृपया इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

ह./-

(एस.के. रूडोला)
सचिव

अनुलग्नक – यथोपरि।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सुरक्षा आयुक्त (सीए), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय, ‘ए’ विंग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली – 110001 (विशेष संदेशवाहक द्वारा)
2. ईपीएस अनुभाग/एमसीसी अनुभाग/पूर्व-। अनुभाग

ह./-

(एस.के. रूडोला)
सचिव

अनुलग्नक-ग12

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/खण्ड-XIV दिनांकः 2 जून 2016

सेवा में

सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय:- अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखे के संबंध में संवीक्षा रिपोर्ट एवं सार रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया-तत्संबंधी।

महोदय/ महोदया,

आयोग के पत्र सं. 76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/खण्ड-IV, दिनांक 24 दिसम्बर 2013 के आंशिक संशोधन में, मुझे अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल निर्वाचन व्यय लेखे पर, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करने में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

ऊपर संदर्भित प्रक्रिया आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन के लिए कृपया सभी संबंधितों के ध्यान में लाई जाए। नई प्रक्रिया उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होगी तथा इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

भवदीय,

ह./-
(अविनाश कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. माननीय मु.नि.आयुक्त/नि.आयुक्त(जे)/ नि.आयुक्त(आर)के वरिष्ठ पीपीएस/पीएसओ।
2. उप नि.आयुक्तों/महानिदेशक के पीपीएस।
3. सभी वरिष्ठ प्रधान सचिवों, प्रधान सचिवों एवं सचिवों के पी.ए.।
4. सभी अवर सचिव।
5. सभी जोनल अनुभागों/संचार अनुभाग/सीईएमएस-I & II/कम्प्यूटर अनुभाग/पीपीईएमएस/एसडी आर अनुभाग।

<u>जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा एवं सार रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रक्रिया</u>

1. प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों की सांविधिक समय सीमा के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना अपेक्षित है। जैसे ही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लेखे प्राप्त किए जाते हैं, वैसे ही प्रत्येक लेखे के सार विवरण स्कैन किए जाने चाहिए तथा जनता के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसे प्राप्त करने के 3 दिनों के भीतर इसे निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।

2. लेखा समाधान बैठक:-

2.1 परिणाम की घोषणा से 26वें दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लेखा समाधान बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्यय की न्यूनोक्त राशि, यदि कोई है, का लेखा समाधान करने का एक और अवसर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को परिणाम की घोषणा के दिन या उस दिन तक इस बैठक के बारे में लिखित रूप में सूचित कर दिया जाए ताकि अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन एजेंट बैठक में उपस्थित हो सकें और निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एकत्रित साक्ष्य(यों)एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी नोटिस(सों)के साथ निर्वाचन व्यय के अपने लेखे में निर्वाचन व्यय की विवादित मदों का लेखा-समाधान कर सकें।

2.2 निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यदि मदों की न्यूनोक्ति पर अभ्यर्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है तो जिला निर्वाचन अधिकारी को अभ्यर्थी से उत्तर प्राप्त करने के लिए परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के अंदर पत्र जारी करना है। पत्र/उत्तर दोनों पर पहले लेखा समाधान बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा तथा तत्पश्चात् जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी)की अभिलिखित राय के साथ भारत निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाएगा।

2.3 लेखा-समाधान बैठक में, जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी)लेखे की संवीक्षा करेगी और वे मामले, जिनमें असहमतियों का निराकरण नहीं किया जा सकेगा उनमें विस्तृत कारण देते हुए लिखित रूप में एक आदेश पारित करेगी और उसे अभ्यर्थी/एजेंट को उसी दिन तामील करेगी। यदि अभ्यर्थी डीईएमसी के आदेश से सहमत है तो वे उसे अपने आखिरी लेखे में समाविष्ट कर सकती/सकते हैं। यदि अभ्यर्थी डीईएमसी के आदेश से सहमत नहीं हैं तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र के द्वारा असहमति के कारण देते हुए उनके पास अपना आखिरी लेखा दाखिल कर सकता/सकती है।

2.4 यदि अभ्यर्थी ने लेखा-समाधान बैठक से पूर्व ही अपना लेखा दाखिल कर दिया है तो वह डीईएमसी के निष्कर्षों को समाविष्ट करने के लिए निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों की सांविधिक अवधि के भीतर लेखा संशोधित कर सकता/सकती है।

3. लेखे की संवीक्षा:-

3.1 अभ्यर्थियों से अंतिम लेखे प्राप्त होने के पश्चात उनकी डीईएमसी द्वारा संवीक्षा की जाएगी।

3.2 जहां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत लेखों में प्रक्रियात्मक त्रुटियां जैसे (i) वाउचरों पर हस्ताक्षर का नहीं होना; (ii) विधिवत रूप से शपथबद्ध शपथ-पत्र का दाखिल नहीं किया जाना; (iii) बैंक रजिस्टर एवं नकदी रजिस्टर के साथ दैनंदिन लेखा रजिस्टर पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर नहीं किया जाना; (iv) सार विवरणी (भाग-I से भाग IV एवं अनुसूची 1 से 10**) दाखिल नहीं किया जाना/विधिवत रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया जाना; (V) रू. 20,000/-*** से अधिक का नकद व्यय चैक द्वारा नहीं करना; (vi) बैंक खाते से इतर व्यय करना; (vii) बैंक खाते की विवरणी के स्वयं-प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं करना और(viii) यदि बैंक खाता खोला ही नहीं गया हो तो वहां जिला निर्वाचन अधिकारी लेखे की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर यह कहते हुए अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करेगा कि वे 3 दिनों के भीतर त्रुटि में सुधार कर लें। जिला निर्वाचन

अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के उत्तर की जांच की जाएगी और वह अपनी टिप्पणियों के साथ नोटिस की प्राप्ति एवं अभ्यर्थी का उत्तर, यदि कोई हो, आयोग को अग्रेषित करेगा।

3.3 लेखे के देरी से दाखिल करने, जो नियत तारीख से 15 दिन अनधिक हो, के मामलों में, जिला निर्वाचन अधिकारी देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए अभ्यर्थी को स्वमेव एक नोटिस जारी करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के उत्तर की जांच की जाएगी और वह अपनी टिप्पणियों सहित नोटिस की प्रति तथा अभ्यर्थी का उत्तर, यदि कोई हो, आयोग को अग्रेषित करेगा।

4. जिला निर्वाचन अधिकारी परिणाम की घोषणा की तारीख से 37वें दिन तक निर्धारित फार्मेट(सार संग्रह के अनुलग्नक-21*)में अभ्यर्थीवार सार एवं संवीक्षा रिपोर्टों को अंतिम रूप देगा और उसे अधिमानत: 38वें दिन तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अग्रेषित करेगा (अनुदेशों का सार संग्रह का पैरा 11.5)।मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्टें परिणाम की घोषणा के 45 दिनों के भीतर आयोग को पहुंच जानी चाहिए।

5. वे मामले जिनमें लेखा-समाधान बैठक के पश्चात भी असहमति बनी रहती है और जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा व्यय की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है तो जिला निर्वाचन अधिकारी संवीक्षा रिपोर्ट सहित संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जैसे डीईएमसी/लेखा-समाधान बैठकों का कार्यवृत्त, जारी नोटिस, अभ्यर्थी का उत्तर, रेट चार्ट, शैडो प्रेक्षण रजिस्टर (एसओआर) दस्तावेजों सहित अभ्यर्थी का, विधिवत रूप से क्रमसंख्यांकित, निर्वाचन व्यय रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करेगा।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी अभ्यर्थीवार संवीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के 3 दिनों के भीतर ईईएमएस साफ्टवेयर**** में डाटा प्रविष्ट करवाएगा।

7. नई प्रक्रिया इन दिशा-निर्देशों के जारी होने की तारीख अर्थात् 2 जून, 2016 से उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होगी।

नोटः- *कृपया अनुसंग्लक 21 के लिए अनुलग्नक ग13 को देखें।

** कृप्या अनुलग्नक-ग2 को देखें। अनुसूची की कुल संख्या अब 11 है।

*** कृप्या अनुलग्नक-ङ11, ङ12 को देखें।

**** कृप्या अनुलग्नक-ग17 को देखें।

अनुलग्नक-ग13

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/खण्ड-XIV — दिनांक: 02 जून, 2016

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः- जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट का संशोधित प्रारूप (अनुलग्नक-21)- तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे, निर्वाचन व्यय लेखा पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अभ्यर्थीवार संवीक्षा रिपोर्ट के संबंध में "निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार-संग्रह (अप्रैल-2016) के अनुलग्नक-21 का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखा-समाधान बैठक योजना के लागू किए जाने के पश्चात, इसके साथ संशोधित फार्मेट इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया जा रहा है कि इसे अनुपालन हेतु सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों आदि के ध्यान में लाया जाए। यह नया फार्मेट उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होगा और इस पत्र के जारी करने की तारीख से प्रभावी होगा।

भवदीय,

ह./-
(अविनाश कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि प्रेषणः

1. माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त/निर्वाचन आयुक्त (जे)/निर्वाचन आयुक्त (आर) के वरिष्ठ पीपीएस/ पीएसओ
2. उप निर्वाचन आयुक्तों/महानिदेशक के पीपीएस।
3. सभी वरिष्ठ प्रधान सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों के पीए।
4. सभी अवर सचिव।
5. सभी जोनल अनुभाग/संचार अनुभाग/सीईएमएस-I&II/ कम्प्यूटर अनुभाग/पीपीईएमएस/एसडीआर।

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्याः..

राज्य का नामः .... जिला .... निर्वाचन................................

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट		
क्रम सं.	**विवरण**	**जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए**
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	
3	विधान सभा/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	**(i) हाँ/नहीं** **(ii) हाँ/नहीं**
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	**हाँ/नहीं**
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	**हाँ/नहीं**
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीखः (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	**हाँ/नही**
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	**...दिन**
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	**हाँ/नही**
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, पर डीईओ की टिप्पणियां	
15	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग।	**..........रुपये**

<table>
<tr><td>16</td><td colspan="3">जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।</td><td colspan="3">हाँ/नही</td></tr>
<tr><td rowspan="5">17</td><td colspan="3">यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।
(i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।</td><td colspan="3">हाँ/नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="3">(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रुप से शपथ प्रस्तुत की गई है।</td><td colspan="3">हाँ/नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="3">(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं।</td><td colspan="3">हाँ/नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="3">(iv) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है।</td><td colspan="3">हाँ/नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="3">(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।</td><td colspan="3">हाँ/नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="2">18</td><td colspan="3">(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।
(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा।</td><td colspan="3">हाँ/नहीं
हाँ/नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="3">(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।</td><td colspan="3">हाँ/नहीं</td></tr>
<tr><td>19</td><td colspan="3">क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती है।
यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें:</td><td colspan="3">हाँ/नहीं</td></tr>
<tr><td></td><td>व्यय की मदें</td><td>तारीख</td><td>छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ सं.</td><td>छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें</td><td>अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धन-राशि</td><td>अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धन-राशि</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(ii), (iii)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कुल</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="3">क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/ प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया ?</td><td colspan="3">हाँ/नहीं</td></tr>
</table>

21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दे:-	
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई।	**हाँ/नही**
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी [अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)] विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	**हाँ/नही**
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियां (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/ प्रेक्षण।	
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं. 8 के समान होना चाहिए।) दिनांकः	**हाँ/नहीं** **हस्ताक्षर** **(डीईओ का नाम)**
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो * दिनांक	 **व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर**

* यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तत्थ हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे इस संदर्भ में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

**जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अग्रेषित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट

(क) विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नामः..
(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं..
(ग) राज्य एवं जिलाः..
(घ) निर्वाचन/उप-निर्वाचन के परिणामो की घोषणा की तारीखः..
(ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीखः..
(च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नामः..

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय संबद्धता	लेखा दाखिल करने की नियत तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित फार्मेट में दाखिल किया है (हाँ या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हाँ या नही)	अभ्यर्थी/ एजेन्ट द्वारा उपगत/ प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की सभी मदों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखाई गई धन राशि से सहमत हैं (डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथाः अनुलग्नक-ग 13 के बिंदु सं. 22 के समान होनी चाहिए)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है।)		अन्य/ संस्थाओं के द्वारा उपगत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है।		व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी
								प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी को नकद या चैक रूप में दी गई एकमुश्त धन-राशि।	राजनैतिक दल द्वारा किसी वस्तु रूप में किए गए अन्य व्यय का कुल योग।	अभ्यर्थी को दी गई नकदी/ चेक में निहित एकमुश्त धन-राशि (और दाताओं के नाम का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी के लिए वस्तु रुप में उपगत अन्य व्यय का सकल योग	

जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई हो तो, ...
दिनांकः

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/ईसीआई/अनु./प्रका./ईईएम/ईईपीएस/2017/खंड XIX दिनांकः 13 दिसंबर, 2017

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

तमिलनाडु,

चेन्नई

विषयः 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु, 2017 उप निर्वाचन – दर चार्ट से टी-शर्ट, साड़ी इत्यादि मदों का अपवर्जन – तत्संबंधी।

महोदय,

आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी, चेन्नई द्वारा जारी दर चार्ट में कुछ वस्तुओं जैसे साड़ी, धोती, कंबल इत्यादि को व्यय की विधिमान्य मदों में शामिल किया गया है और अनेक अभ्यर्थियों ने निर्वाचन व्यय के अपने दैनंदिन लेखे में टी-शर्ट और साड़ी पर हुए खर्च को व्यय के रूप में दर्शाया है। इस संदर्भ में, मुझे निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार-संग्रह (अक्तूबर, 2017) में अध्याय घ के पैरा 5 और आयोग की पत्र सं. 76/अनुदेश/2011/ईईएम, दिनांक 7 अप्रैल, 2011 (अनुलग्नक-घ9) प्रतियां संलग्न) का संदर्भ देने तथा यह दोहराने का निदेश हुआ है कि दल/उम्मीदवार द्वारा मुख्य परिधान जैसे कि साड़ी, शर्ट, टी-शर्ट, धोती इत्यादि की आपूर्ति और वितरण की अनुमति नहीं है क्योंकि यह मतदाताओं को रिश्वत है। दर चार्ट में इन प्रकारों के मुख्य परिधानों को शामिल करने से यह धारणा बनी है कि निर्वाचन प्राधिकारी ने दलों/उम्मीदवारों को मतदाताओं को लुभाने के लिए इन वस्तुओं को उनमें वितरित करने की अनुमति दी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी, चेन्नई को तदनुसार इन मदों को दर चार्ट से हटाने तथा इसे तत्काल सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों एवं निर्वाचन अधिकारियों के ध्यान में लाने का निदेश दिया जाता है।

भवदीय,

ह./-

(मुकेश कुमार)

अवर सचिव

नोटः- कृपया अनुसंग्लक घ9 के लिए अनुलग्नक घ7 को देखें।

अनुलग्नक-ग15

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/ईईएम/ईईपीएस/2019/खण्ड-V। दिनांकः 18 फरवरी, 2019

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः- रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान 3 बार अभ्यर्थियों के लेखे के निरीक्षण के लिए तारीख नियत करना-तत्संबंधी।

महोदया/महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिछले निर्वाचनों में रिटर्निंग अधिकारियों तथा व्यय प्रेक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों के लेखे के निरीक्षण के लिए विभिन्न तारीखें नियत करने के मामले सामने आए हैं। इस संबंध में मुझे यह दोहराने का निदेश हुआ है कि "निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार-संग्रह (फरवरी, 2019)" के भाग "ग" में शीर्षक "रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका में" उप-शीर्षक "लेखा का निरीक्षण" के अधीन कराए गए आयोग के अनुदेशों के अनुसरण में रिटर्निंग अधिकारी से अपेक्षित है कि व्यय प्रेक्षक के विमर्श से प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर में निरीक्षण के लिए एक अनुसूची तैयार करें। अभ्यर्थियों के व्यय रजिस्टर की जांच के लिए तीन तारीखें इस प्रकार नियत की जाएंगी कि दो निरीक्षणों के मध्य का अन्तराल कम से कम तीन दिन हो और अंतिम निरीक्षण मतदान के दिन से तीन दिन पहले न हो।

2. आपसे अनुरोध है कि आप आवश्यक अनुपालन के लिए इसे सभी रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाएं तथा आयोग के अनुदेश के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में अभ्यर्थियों के व्यय रजिस्टरों के निरीक्षण की तारीखें नियत करें।

भवदीय,

(राजन जैन)
अवर सचिव

अनुलग्नक-ग16

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिलल्ली-110001

सं. 3/4/2019/एसडीआर – वाल्यूम-I   दिनांक: 28 फरवरी, 2019

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: प्ररूप 26 (**अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले शपथ-पत्र का फार्मेट) में संशोधन।**

महोदय,

मुझे **उद्धृत** विषय पर आयोग के पत्र सं. 3/4/2017/एसडीआर/ वाल्यूम -II दिनांक 10/10/2018 के संदर्भ की ओर ध्यान **आकृष्ट** करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न प्ररूप 26 में विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1023(अ.) दिनांक 26.02.2019 (प्रति संलग्न) में आगे और संशोधन किया गया है। संशोधनों को समाविष्ट करने के बाद समेकित प्ररूप-26 इसके साथ संलग्न है। अभ्यर्थियों के लिए अब यह अपेक्षित है कि वे इस संशोधित प्ररूप-26 में शपथ-पत्र दाखिल करें।

2. यह पत्र राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों में, उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए परिचालित किया जाए। इसे राज्य में आधारित सभी राजनीतिक दलों में यानि मान्यताप्राप्त दलों की राज्य इकाईयों में और अन्य राज्यों के मान्यताप्राप्त राज्यीय दलों में और ऐसे सभी पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों में भी, जिनके मुख्यालय आपके राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में स्थित हों, इस अनुदेश के साथ परिचालित किया जाए कि वे प्ररूप-26 में किए गए संशोधनों पर ध्यान दें। इस संबंध में पर्याप्त रूप से प्रचार किया जाएगा
ताकि सभी संबंधितों को प्ररूप 26 में हुए संशोधनों की जानकारी मिल जाए।

3. कृपया पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

ह./-

(एन.टी. भूटिया)

सचिव

कृपया यहां अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा दें

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

....निर्वाचन-क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

.... (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं,........................ **पुत्र/ पुत्री/पत्नी...............................आयु.........................वर्ष, जो.........................(डाक का पूरा पता

लिखें) का / की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं / करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं / करती हूं :-

(1) मैं...(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी /**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम..(निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. .... के क्रम सं. .... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे.......................संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और.............................. मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है।/हैं।

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

(4) स्थायी खाता संख्या (पैन) और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं.	नाम	पीएएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
2.	पति/पत्नी			(i)
				(ii)
				(iii)

				(iv)
				(v)
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
4.	आश्रित - 1			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
5.	आश्रित - 2			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
6.	आश्रित - 3			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)

टिप्पण: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रुप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आबंटित नहीं हुआ है"।

(5) लंबित आपराधिक मामले

(i) मैं यह घोषणा करता/ करती हूं कि मेरे विरुध्द कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
(यदि अभ्यर्थी के विरुध्द कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

(ii) मेरे विरुध्द निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैः
(यदि अभ्यर्थी के विरुध्द कोई आपराधिक मामले लंबित है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों के ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	संबध्द पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.			
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.			
(ग)	अंतर्वलित संबध्द अधिनियमों/ संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा..........)			
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण			
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (**हां** या **नहीं** का उल्लेख करें)			
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किए गए थे			
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुध्द कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (**हां** या **नहीं** का उल्लेख करें)			

(6) दोषसिध्दि के मामले,-

(i) मैं यह घोषणा करता/ करती हूं कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिध्द नहीं किया गया है।
(यदि अभ्यर्थी दोषसिध्द नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

(ii) **मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिध्द किया गया हैः**
(यदि अभ्यर्थी दोषसिध्द किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक			
(ख)	न्यायालय का नाम			
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दे, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.........)			
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिध्द किया गया है			
(ङ)	**दोषसिध्दि** के आदेशों की तारीखे			
(च)	अधिरोपित दंड			
(छ)	क्या **दोषसिध्दि** के आदेश के विरुध्द कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)			
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें			

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुध्द सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिध्दि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की **प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रुप से लागू नहीं होता है**, लिखना चाहिए]

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रुप से और सुपाठ्य रुप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रुप से दिए जाए।
3. ब्यौर विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती हैं।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूः

क. <u>जंगम आस्तियों के ब्यौरे</u>:

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दिशा में क्रम सं. रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं) जिसके आय के पृथक साधन नहीं है और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में **पृथकतया** दिए जाने हैं।

टिप्पण 6 - ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं;

क्रम. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नकदी						
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम						
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों,डिबेंचरों /शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम						
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम						
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण /अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम						
(vi)	मोटर यान वाहन/ वायुयान /याच /पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)						

(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)						
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य						
(ix)	सकल कुल मूल्य						

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस संरुप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3 - ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए ।

क्रम. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)						
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)						
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)						
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख						
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)						
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान						
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य						
(ii)	गैर-कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याऐं)						
	क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप)						
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)						
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख						
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)						
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान						
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य						
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) -अवस्थिति (अवस्थितियां) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)						
	क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप)						

	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप)						
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)						
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख						
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)						
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान						
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य						
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) -अवस्थिति (अवस्थितियां) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)						
	क्षेत्र वर्ग फूट में कुल माप)						
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप)						
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)						
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख						
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)						
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान						
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य						
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)						
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल **चालू** बाजार मूल्य						

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं :-
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अन्रग-अलग विवरण दें)

क्रम. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तिय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति						
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकति						
	कोई अन्य दायित्व						
	दायित्वों का सकल योग						
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य		क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के				*हां/नहीं (कृपया*

<table>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="4">दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं?
ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात्:-
(i) सरकारी आवास का पताः
....
....
....
(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मद्दे कोई शोद्य संदेय नहीं है-
(क) भाटक;
(ख) विद्युत प्रभार;
(ग) जल प्रभार; और
(घ) ....(तारीख) को टेलीफोन प्रभार
[तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात की कोई तारीक होनी चाहिए]
टिप्पण- उपरोक्त सरकार आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत् संबंधित अभिकरणों का “बेबाकी प्रमाणपत्र” प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</td><td>उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं)</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी है)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>स्वयं</td><td>पति / पत्नी</td><td>हिंदू अविभक्त कुटुंब</td><td>आश्रित-1</td><td>आश्रित -2</td><td>आश्रित -3</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>आयकर शोध्य</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>जीएसटी शोध्य</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>नगरपालिका/ संपत्ति कर शोध्य</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(vii)</td><td>काई अन्य शोध्य</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(viii)</td><td>सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(ix)</td><td>क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्रधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।“-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं...

(ख) पति या पत्नी...

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरो :

(क) स्वयं...

(ख) पति या पत्नी..

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों...

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाए-

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे...

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबध्द हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे...

(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार है...

(च) प्राईवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा हैं...

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररुप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विघालय/विश्वविघालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विघालय/महाविघालय/विश्वविघालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश

1.	अभ्यर्थी का नाम		श्री / श्रीमती / कु.	
2.	डाक का पूरा पता			
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य			
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थि को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)			
5.	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या			
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिध्द ठहराया गया हैं।			
7.		स्थायी लेखा सं. (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी			
	(ख) पति या पत्नी			
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब			
	(घ) आश्रित			

8.		आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रुपयों में ब्यौरे						
		विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित -2	आश्रित -3
क.		जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)						
ख.		स्थावर आस्तियां...						
	I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत						
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास /संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)						
	III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत- (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)						
9		**दायित्व**						
	i	सरकारी शोध्य (कुल)						
	ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)						
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं						
	i	सरकारी शोध्य (कुल)						
	ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)						
11	उच्चतम शैक्षणिक अर्हता: (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा /डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रुप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठयक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें |)							

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नही छिपाया गया है | मैं यह और घोषणा करता हूं कि:-

(क) मेरे विरूद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख...को सत्यापित किया गया |

अभिसाक्षी

टिप्पण:1 शपथपत्र नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन को अपराहन 3.00 बजे तक दाखिल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए |

टिप्पण: 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5 शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी दवारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।

(विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. एच-11019/04/2018-विधि-II दिनांक 10.10.2018 और सं. एच-11019/13/2016-विधायी 2 दिनांक 26.02.2019)

अनुलग्नक- ग17

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्यात्मक/नि.व्य.प्र./ईईपीएस/2019/खंड-III   दिनांक: 19 जून, 2019

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 – ईईएमएस साफ्टवेयर में जिला निर्वाचन अधिकारियों की संवीक्षा रिपोर्ट दाखिल करना।

महोदया/महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आयोग के दिनांक 31 मई, 2019 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल करने के लिए सुविधा* मॉडयूल के भाग के रूप में एक नया डाटा इंट्री पोर्टल तैयार किया है। यह उल्लेख करना सुसंगत है कि ऑनलाइन फार्म में वही कॉलम अंतर्विष्ट हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट वाले वास्तविक (प्रत्यक्ष) प्रपत्र में हैं।

2. इस डाटा इंट्री पोर्टल का लिंक https://suvidha.eci.gov.in** पर क्लिक करके उपयोग किया जा सकता है (अनुपालन किए जाने वाले कदमों की सूची संलग्न है)। आपसे अनुरोध है कि जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के तीन दिनों के भीतर डाटा ऑनलाइन प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें।

3. किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए यूआरएल http://support.ecitech.in*** पर जाएं जहां आप पहले रजिस्टर करें और तदुपरांत संबंधित प्रश्न पूछें।

4. आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि इस उपाय को रिटर्निंग अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों सहित सभी संबंधितों की जानकारी में लाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट प्रत्यक्ष (वास्तविक) फार्म में भी भेजी जानी चाहिए जैसा कि दिनांक 31 मई, 2019 के समसंख्यक पत्र के पैरा (ख) में उल्लिखित है।

भवदीय,

ह./-

(राजन जैन)

अवर सचिव

***ENCORE**

****https://encore.eci.gov.in**

*****https://support.ecitech.in/support/login**

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण साफ्टवेयर -जिला निर्वाचन अधिकारियों की संवीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिशानिर्देश

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण साफ्टवेयर एक वेब पोर्टल है जिसे अभ्यर्थी-वार संवीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) की सहायता करने के लिए बनाया गया है।

ई-फाइलिंग के चरण (डीईओ लॉगिन):

1. https://encore.eci.gov.in लिंक खोलें
2. संबंधित निर्वाचन के आधार पर 'लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन' या 'विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन' चुनें।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ)उस यूजरनेम, पासवर्ड और प्रकिया का उपयोग करेंगे जो सुविधा लॉगिन के लिए उनको दिया गया है।
4. इसमें दो विकल्प होंगे (1) डीईओ संवीक्षा रिपोर्ट भरें (2) डैशबोर्ड
5. 'डीईओ संवीक्षा रिपोर्ट भरें' पर क्लिक करें।
6. एसी/पीसी के सुविधा डाटा से अभ्यर्थियों की सूची अपने आप दिखाई देगी और पृष्ठ पर नज़र आएगी।
7. 'स्थिति' शीर्षक के तहत फार्म खोलने के लिए 'शुरू नहीं' पर क्लिक करें।
8. फार्म को भाग 5 तक भरें और अंतिम रूप दें।
9. यह एक बार पूरा हो जाने पर डीईओ को निम्नलिखित विकल्प देता है 'अभ्यर्थियों के लिए और अधिक डीईओ संवीक्षा रिपोर्ट जोड़ने के लिए जारी रखें' 'हां/नहीं'
    - I. 'हां' पर दबाने से यह डीईओ को प्रविष्टियों के लिए सभी अभ्यर्थियों के नाम वाले पहले पृष्ठ पर ले जाएगा।
    - II. 'नहीं' पर दबाने से यह डीईओ को 'ट्रैकिंग माड्यूल' पेज पर ले जाएगा।
10. ट्रैकिंग माड्यूल भरा जाना है।
11. पूरा करें और अंतिम रूप दें।
12. ट्रैकिंग माड्यूल को अंतिम रूप देने पर यह और प्रविष्टियों के लिए डीईओ को वापसअभ्यर्थियों की सूची वाले लैंडिंग पेज पर ले जाएगा।
13. ट्रैकिंग माड्यूल रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर यह स्थिति को 'अंतिम रूप दे दिया गया'के रूप में दर्शाएगा।
14. ट्रैकिंग माड्यूल को अंतिम रूप न दिए जाने परंतु संवीक्षा रिपोर्ट को भरे जाने पर यह 'सूचना अद्यतन करें' दर्शाएगा।
15. अंतिम रूप से तैयार फार्मआगे आवश्यक कार्रवाई के लिए सीईओ को भेज दिया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) द्वारा उठाए जाने वाले कदम :

1. https://encore.eci.gov.in लिंक खोलें
2. संबंधित निर्वाचन के आधार पर 'लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन' या 'विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन' चुनें।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) उस यूज़रनेम, पासवर्ड और प्रकिया का उपयोग करेंगे जो सुविधा लॉगिन के लिए उनको दिया गया है।
4. लॉगिन के बाद 'व्यय' टैब पर क्लिक करें।
5. इसमें दो विकल्प होंगे (1) अधिसूचना (2) डैशबोर्ड
6. जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भेजी गई संवीक्षा रिपोर्टें देखने के लिए 'अधिसूचना' पर क्लिक करें।
7. डीईओं द्वारा भेजी गई अभ्यर्थियों की सूची एसी/पीसी वार प्रदर्शित होगी।
8. 'स्थिति' शीर्षक के तहत फार्म खोलने के लिए 'सूचना को अद्यतन'पर क्लिक करें।
9. ट्रैकिंग माड्यूल भरा जाना है।
10. पूरा करें और अंतिम रूप दें।
11. ट्रैकिंग माड्यूल को अंतिम रूप देने पर यह और प्रविष्टियों के लिए सीईओ को वापस अभ्यर्थियों की सूची वाले लैंडिंग पेज पर ले जाएगा।
12. ट्रैकिंग माड्यूल रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर यह स्थिति को 'अंतिम रूप दे दिया गया' के रूप में दर्शाएगा।
13. अंतिम रूप से तैयार फार्म आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा।

अपनी तकनीकी कठिनाईयों को**https://support.ecitech.in/support/login**पर उठाएं।

अनुलग्नक-ग18

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/ईसीआई/आईएनएसटी/एफयूएनसी/ईईएम/ईईपीएस/2019/खंड. III दिनांकः 9 जुलाई, 2019

सेवा में

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के लोक सभा, विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन और कुछ उप-निर्वाचन, 2019-निर्वाचन व्यय के अपने लेखे को प्रस्तुत करने के संबंध में चूक करने वाले अभ्यर्थियों की सूची-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 31.05.2019 और 19.06.2019 के क्रम में (तत्काल संदर्भ के लिए प्रतियां संलग्न), मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के माध्यम से परिणामों की घोषणा के 45 दिनों यानि 8 जुलाई, 2019 तक के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की संवीक्षा रिपोर्टें [अनुसंग्लक **ग3***, "निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार-संग्रह" (फरवरी, 2019)] भेजें और यदि सीईओ इतना आवश्यक समझते हैं तो उस पर अलग से टिप्पणियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। पूर्व में, यह देखा गया है कि डीईओ और सीईओ, डीईओ की संवीक्षा रिपोर्टें टुकड़ों में भेज रहे हैं, जिससे उनके अन्तिम निपटान में अनुचित विलंब होता है। आयोग द्वारा लेखा मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के लेखे पर डीईओ की संवीक्षा रिपोर्टें अब सीईओ के स्तर पर श्रेणीबद्ध की जाएंगी और विनिर्दिष्ट संरूप (अनुलग्नक संलग्न) में आयोग को निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएंगीः-

क. डीईओ की कुल संख्या, जिन्होंने संवीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

ख. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं.

श्रेणी-1: अभ्यर्थी, जिनके मामले में डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट में डीईओ द्वारा कोई त्रुटि का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्रेणी-2: अभ्यर्थी, जिन्होंने निर्वाचन खर्चों का अपना लेखा दाखिल नहीं किया है।

श्रेणी-3: अभ्यर्थी, जो विहित समय-अवधि के भीतर (यानि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अंतर्गत निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर) निर्वाचन व्यय के अपने लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं।

श्रेणी-4: अभ्यर्थी, जो विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से, यानि आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 77 एवं 78 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 86-90 के तहत (श्रेणी 2 और 3 में उल्लिखित मामलों से इतर) निर्वाचन व्यय के अपने लेखे को दाखिल करने में विफल रहे हैं।

श्रेणी-5: अभ्यर्थी जो विहित समय-अवधि के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं+ जो विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय के अपने लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं, यानि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 एवं 78 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 86-90 के तहत (श्रेणी 2, 3 और 4 में उल्लिखित मामलों से इतर)

2. आपसे अनुरोध है कि इसे अनुपालन के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के ध्यान में लाएं और निर्वाचन के परिणामों की घोषणा होने के 45 दिनों के भीतर डीईओ की संवीक्षा रिपोर्टें आयोग को विहित संरूप (अनुलग्नक संलग्न) में लेखा मामलों के उचित वर्गीकरण के साथ प्रस्तुत करें।

3. कृपया पावती दें।

भवदीय

ह./-

(अविनाश कुमार)

सचिव

प्रति जोनल अनुभाग/जोनल अवर सचिवों/जोनल सचिवों/जोनल प्रमुख सचिवों को आयोग के परिपत्र, दिनांक 2 जून, 2016 के अनुसार डीईओ की संवीक्षा रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ।

***नोटः-** कृपया अनुसंग्लक **ग3** के लिए अनुलग्नक **ग13** को देखें।

अनुलग्नक

...........राज्य................. के लिए साधारण निर्वाचन वर्ष...........से डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट का सार

श्रेणी-1- अभ्यर्थी, जिनके मामले में डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट में डीईओ द्वारा किसी त्रुटि का उल्लेख नहीं किया गया है						
क्र. सं.	जिला	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की सं. और नाम	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचित या गैर-निर्वाचित	दलीय संबद्धता/निर्दलीय	टिप्पणी
1.						
2.						
3...						
			कुल			

श्रेणी-2-अभ्यर्थी जो निर्वाचन व्यय के अपने लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं						
क्र. सं.	जिला	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की सं. और नाम	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचित या गैर-निर्वाचित	दलीय संबद्धता/निर्दलीय	टिप्पणी
1.						
2.						
3...						
			कुल			

श्रेणी-3-अभ्यर्थी जो परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के विहित समय के भीतर अपने लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं						
क्र. सं.	जिला	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की सं. और नाम	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचित या गैर-निर्वाचित	दलीय संबद्धता/निर्दलीय	टिप्पणी ((i) लेखे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, (ii) लेखे प्रस्तुत करने की तारीख और विलंबित दिनों की संख्या, (iii) यदि डीईओ से प्राप्त हुआ है तो विलंब से प्रस्तुत करने के कारण का उल्लेख करें)
1.						

2.						
3...						
			कुल			
श्रेणी-4- अभ्यर्थी जो विधि के अंतर्गत अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय के अपने लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं (श्रेणी 2 और 3 में उल्लिखित मामलों से इतर)						
क्र. सं.	जिला	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की सं. और नाम	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचित या गैर-निर्वाचित	दलीय संबद्धता/निर्दलीय	टिप्पणी (पाई गई कमियों और अल्पकथन की राशि, यदि कोई हो, का उल्लेख करें)
1.						
2.						
3...						
			कुल			
श्रेणी-5- अभ्यर्थी जो यथासमय और रीति से अपने लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं (श्रेणी 2, 3 और 4 में उल्लिखित मामलों से इतर)						
क्र. सं.	जिला	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की सं. और नाम	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचित या गैर-निर्वाचित	दलीय संबद्धता/निर्दलीय	टिप्पणी ((i) लेखे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, (ii) लेखे प्रस्तुत करने की तारीख और विलंबित दिनों की संख्या, (iii) यदि डीईओ से प्राप्त हुआ है तो विलंब से प्रस्तुत करने के कारण का उल्लेख करें)
1.						
2.						
3...						
			कुल			

(मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांकः..................

अनुलग्नक-ग19

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई-दिल्ली-110001

सं. 76/भा.नि.आ./अनुदेश/प्रकार्य/नि.व्यय संवीक्षा/ईईपीएस/2020/खंड-VI   दिनांकः 24 जुलाई, 2020

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखों से संबंधित मामले - निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन विहित समय-सीमा और आयोग के अनुदेशों का अनुपालन - तत्संबंधी।

महोदया/महोदय,

मुझे निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों की संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में आयोग के दिनांक 2 जून, 2016 के पत्र सं. 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/खंडXIV, का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। यह देखा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त नियम में विहित समय सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है जिससे लेखा संबंधी मामलों के निपटान में अनावश्यक विलंब होता है। आपका ध्यान भा.नि.आ. के दिनांक 5 जुलाई, 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. 76/2004/जे.एस.II(प्रति संलग्न) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखों से संबंधित सभी मामलों का निपटान करने की अंतिम समय सीमा एक वर्ष निर्धारित की गई है। यह कर्नाटक उच्च न्यायालय ***(वर्ष 1999 की रिट याचिका सं. 4357 - गिन्निज हाइट पक्ष रंगास्वामी बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय का दिनांक 26.07.1999 का निर्णय)*** की टिप्पणी को ध्यान में रखकर किया गया था, इस टिप्पणी में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि धारा 10क के अंतर्गत आदेश पारित करने में अनुचित विलंब नहीं किया जा सकता और उसे यथोचित समय के भीतर पारित किया जाना चाहिए।

2. निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के सम्बद्ध नियमों को निम्नानुसार दोहराया जाता हैः-

नियम 89(5) जहां कि निर्वाचन आयोग का यह विनिश्चय है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा उस समय के अंदर और उस रीति में, जो अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है वहां वह लिखित सूचना द्वारा अभ्यर्थी से अपेक्षा करेगा कि वह कारण बताए कि क्यों न उसे असफलता के लिए धारा 10क के अधीन निरर्हित किया जाए।

नियम 89(6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, जिससे उपनियम (5) के अधीन कारण बताने की अपेक्षा की गई है, ऐसी सूचना की प्राप्ति के बीस(20) दिन के भीतर उस विषय की बाबत लिखित

अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग को निवेदित कर सकेगा और उसी समय अभ्यावेदन की एक प्रति और यदि उसने पहले ही ऐसा नहीं किया है तो निर्वाचन व्ययों का पूरा लेखा भी जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा। नियम 89(7) जिला निर्वाचन अधिकारी उसकी प्राप्ति के पांच दिन के अंदर अभ्यावेदन की प्रति और यदि कोई लेखा हो तो ऐसा लेखा ऐसी टिप्पणियों सहित, जैसी वह उन पर करना चाहे, निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

3. आयोग के दिनांक 2 जून, 2016 के पत्र सं. 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/खंडXIV के पैरा 4 में उल्लेख किया गया है कि:

जिला निर्वाचन अधिकारी परिणामों की घोषणा की तिथि के 37वें दिन तक विहित फार्मेट (सार-संग्रह के परिशिष्ट - ग3) में अभ्यर्थीवार सार और संवीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देंगे और इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अधिमानतः 38वें दिन तक भेज देंगे (अनुदेशों के सार-संग्रह का पैरा 11.5)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट परिणामों की घोषणा से **45 दिन** के भीतर आयोग को पहुंच जानी चाहिए।*

4. लंबित लेखा से संबंधित मामलों की हाल ही में की गई समीक्षा में आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों की संवीक्षा रिपोर्टों, अनुपूरक रिपोर्टों, आयोग के नोटिस की प्रदानगी के संबंध में पावतियों को प्रस्तुत करने में होने वाले विलंब पर तथा कई जिला निर्वाचन अधिकारियों की गैर-जवाबदेही पर अत्यधिक गंभीरता से विचार किया है। यह दोहराया जाता है कि यदि निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन विहित समय सीमा और साथ ही आयोग के अनुदेशों का पूरी निष्ठा से पालन नहीं किया जाता तो कानून की शक्ति का कोई औचित्य नहीं रहेगा।

5. अतः आयोग के उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,

(अविनाश कुमार)
सचिव

***नोटः-** कृपया अनुसंग्लक **ग3** के लिए अनुलग्नक **ग13** को देखें।

अनुलग्नक-ग20

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 3/ईआर/2020/एसडीआर/वाल्यूम.III   दिनांकः 1 अक्तूबर, 2020

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः नाम-निर्देशन प्ररूप एवं शपथ-पत्र (निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न प्ररूप 26 में) में अभ्यर्थियों द्वारा वैयक्तिक विवरण की ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि की वैकल्पिक सुविधा।

महोदय/महोदया,

मुझे कहने का निदेश हुआ है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-33 की उपधारा (1) के अंतर्गत विहित प्ररूप में पूर्ण किए गए और अभ्यर्थी द्वारा और निर्वाचन-क्षेत्र के एक निर्वाचक द्वारा प्रस्थापक के रूप में हस्ताक्षरित नाम-निर्देशन प्ररूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 31 के अंतर्गत जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा जाना होता है।

2. डिजीटल इण्डिया की ओर आगे बढ़ने के लिए और नाम-निर्देशन प्ररूप एवं शपथ-पत्र (प्ररूप - 26) में गलतियों की संभावना कम-से-कम करने के लिए आयोग ने नाम-निर्देशन प्ररूप में वैयक्तिक विवरण की ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि के लिए अभ्यर्थियों को वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों के लिए यह सुविधा निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल https://suvidha.eci.gov.in के माध्यम से उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को मोबाइल नं. और ओटीपी के साथ रजिस्ट्रेशन और लॉगइन करना होगा। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश इसके साथ संलग्न हैं। (संलग्नक-क)

3. वर्तमान में, यह सुविधा दो भाषाओं नामतः अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है।

4. किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए support@ecitech.in पर ई-मेल भेजा जा सकता है और फोन नं. 011-23052052 पर उपलब्ध तकनीकी व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है।

5. ये दिशा-निर्देश अपने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों और सभी संबंधित निर्वाचन प्राधिकारियों के संज्ञान में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु लाए जाएं।

6. कृपया पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(एन.टी. भूटिया)

सचिव

संलग्नक "क"

नाम-निर्देशन प्ररूप में व्यक्तिगत विवरणों की ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि के लिए अभ्यर्थियों हेतु वैकल्पिक सुविधा संबंधी दिशा-निर्देश

अभ्यर्थियों के लिए सुविधा प्रदान की गई है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल अर्थात suvidha.eci.gov.in के जरिए नाम-निर्देशन प्ररूप और शपथ-पत्र (प्ररूप-26) में अपने व्यक्तिगत विवरणों की ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि करें। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विधिमान्यकरण जांच से अभ्यर्थियों को उचित प्ररूप में और बिना किसी गलती के प्ररूप भरने में सहायता प्राप्त होगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभूति जमा के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी, उसी सुविधा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है।

1. **नाम-निर्देशन प्ररूप में ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि**

1.1 अभ्यर्थियों के लिए नाम-निर्देशन प्ररूप में ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल http://suvidha.eci.gov.in पर उपलब्ध होगी।

चरण 1- पंजीकरण- अभ्यर्थी को पंजीकरण करना होगा और मोबाइल नंबर तथा ओटीपी के साथ लॉग इन करना होगा।

सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, अभ्यर्थी को एपिक नंबर प्रविष्ट करना होगा और निर्वाचक नामावली से उचित विवरण स्वत: प्राप्त कर लिया जाएगा।

चरण 2- प्ररूप और शपथ-पत्र में व्यक्तिगत विवरणों के डाटा की प्रविष्टि - उसके बाद अभ्यर्थी को नाम-निर्देशन प्ररूप और शपथ-पत्र में अपने व्यक्तिगत विवरणों की डाटा प्रविष्टि ऑनलाइन करनी होगी। प्ररूप में भरे गए त्रुटिपूर्ण या गलत प्रविष्टियों के मामले में, अभ्यर्थी द्वारा अंतिम रूप दिए जाने तक संपादन/सुधार किया जा सकता है।

चरण 3- अधिमान्य तारीखों का चयन - पूर्ण विवरण के सत्यापन के बाद, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्ररूप के प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए अभ्यर्थी को प्ररूप को अंतिम रूप देना होगा और अभ्यर्थी द्वारा दी गई 3 अधिमान्य तिथियों के चयन के लिए, उस पर टिक करके, आगे बढ़ना होगा।

चरण 4 -प्रतिभूति जमा - इसके अलावा, अभ्यर्थी नेट बैंकिंग पर उपलब्ध विकल्पों का चयन करके प्रतिभूति जमा ऑनलाइन भर सकता है। वैकल्पिक रूप से, अभ्यर्थी चालान के विवरण दर्ज करने का विकल्प चुन सकता है अथवा नकद रूप में जमा करने का विकल्प इंगित कर सकता है।

चरण 5 - ऑनलाइन भरे गए प्ररूप के प्रिंट आउट का प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुतीकरण - यह ध्यान दिया जाना है कि जिस प्ररूप में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन डाटा प्रविष्ट किया गया था, उसे केवल तभी विधिवत रूप से प्रस्तुत किया गया माना जाएगा जब सिस्टम से क्यूआर कोड के साथ प्रिंट आउट लिया गया हो, स्याही में हस्ताक्षरित हो, नोटरीकृत और हाथ से परिदत्त किया गया हो या तो स्वयं अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे के बीच रिटर्निंग अधिकारी को उसके द्वारा निर्दिष्ट, निर्धारित तिथि और स्थान पर परिदत्त किया गया हो। नाम-निर्देशन की ऑनलाइन सुविधा नाम-निर्देशन की अंतिम तारीख से एक दिन पहले समाप्त कर दी जाएगी।

<u>रिटर्निंग अधिकारी के कार्य</u>

1. आईटी अवसंरचना और जनशक्ति का प्रावधान

(i) रिटर्निंग अधिकारियों को अधिसूचना की तिथि से नाम-निर्देशन के अंतिम दिन तक नाम-निर्देशन प्ररूप में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए व्यक्तिगत विवरणों की ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि के प्रत्यक्षत: सत्यापन के लिए एक वर्कस्टेशन स्थापित करना चाहिए।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी को वर्कस्टेशन पर आवश्यकतानुसार प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, स्टेशनरी और अन्य जरूरी वस्तुओं के साथ-साथ एक अथवा एक से अधिक कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। कम्प्यूटर/लैपटॉप में वेबकैम होना चाहिए और न्यूनतम आई 3 प्रोसेसर, 2 जीबी रैम तथा कम से कम 50 जीबी तक का फ्री स्पेस उपलब्ध होना चाहिए। यदि वेबकैम लैपटॉप/डेस्कटॉप में अंत:स्थापित हो, तो उसे कम से कम 2 मेगापिक्सल का होना चाहिए जबकि एक अलग वेबकैम के मामले में, उसे कम से कम 5 मैगापिक्सल का होना चाहिए।

(iii) ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र को अपडेटेड एंटीवायरस जावास्क्रिप्ट सपोर्ट के साथ अद्यतन होना चाहिए।

(iv) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहले से ही, सिस्टम और हार्डवेयर की जांच, एक सैंपल क्यूआर कोड को स्कैन करके की जाएगी तथा स्कैनिंग और प्रिंटिंग की गुणवत्ता भी जांची जाएगी।

(v) रिटर्निंग अधिकारी को समय रहते कर्मचारियों की पहचान करनी चाहिए और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें क्यूआर कोड को स्कैन करना, अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्रत्यक्ष और इलेक्ट्रॉनिक प्रति का सत्यापन, सिस्टम से रसीद को जेनरेट करना और उसका प्रिंट आउट लेना चाहिए।

2. नाम-निर्देशन प्ररूपों, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन डाटा प्रविष्ट किया जाता है पर कार्रवाई करके उनका सत्यापन करना -

(i) रिटर्निंग अधिकारी लॉग इन करेगा और उस नाम-निर्देशन प्ररूप की प्रक्रिया को पूरा करेगा, जिसमें ऑनलाइन डाटा प्रविष्ट किया गया था तथा जो एन्कोर पोर्टल http://encore.eci.gov.in के माध्यम से प्राप्त किया गया था।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी नाम-निर्देशन प्ररूप का प्रिंट आउट परिदत्त करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा इंगित सभी अधिमानों को देख सकते हैं जिसमें ऑनलाइन डाटा प्रविष्ट किया गया था और तदनुसार मुलाकात का समय दे सकते हैं।

(iii) सामान्य निदेशों के अनुसार, नाम-निर्देशन प्ररूप, जिन्हें सुविधा पोर्टल के माध्यम से भरा गया है, को डाउनलोड तथा प्रिंट करने की जरूरत होती है और ये सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए तथा उसके बाद अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को हॉर्ड कॉपी प्रत्यक्ष रूप से परिदत्त की जानी चाहिए। इस प्रकार के प्रत्येक नाम-निर्देशन प्ररूप के सत्यापन से पहले, रिटर्निंग अधिकारी प्रथम पृष्ठ के ऊपर क्यूआर कोड की जांच करेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहली बार में ही, क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा, जो आवेदन प्राप्ति के समय को चिह्नित करेगा (यदि किसी भी मामले में, क्यूआर कोड वेबकैम द्वारा अपठनीय है, तो रिटर्निंग अधिकारी के पास प्ररूप पर प्रिंट की गई सिस्टम जनरेटेड नाम-निर्देशन आईडी दर्ज करने और सत्यापन के लिए आगे बढ़ने का विकल्प है)।

(iv) स्कैन करने के बाद, प्रत्यक्ष रूप से सौंपे गए प्ररूप का विवरण ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूप से जांचा और सत्यापित किया जाएगा।

(v) वह प्ररूप, जिसमें ऑनलाइन डाटा प्रविष्ट किया गया था और वह प्ररूप जो प्रत्यक्ष रूप से जमा किया गया था, के बीच अंतर पाए जाने के मामले में, नाम-निर्देशन प्ररूप को ऑफलाइन प्ररूप के रूप में माना जाना चाहिए और प्रत्यक्ष रूप से जमा किए गए प्ररूप पर कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। ऐसे किसी मामले में, ऑनलाइन नाम-निर्देशन प्ररूप को अलग कर देना जाना चाहिए।

(vi) रिटर्निंग अधिकारी, प्रतिभूति जमा के ऑनलाइन भुगतान के विवरणों को सत्यापित करेगा। यदि राशि ट्रेजरी/नामोद्दिष्ट संस्था/बैंक के बैंक खाते में जमा नहीं की गई है, तो उसे नाम-निर्देशन प्ररूप में दर्ज किया जाएगा और अभ्यर्थी को उस बारे में सूचित

किया जाएगा। ऐसे मामले में, भारत निर्वाचन आयोग द्‌वारा यथाविहित प्रतिभूति जमा की मैनुअल विधि का अनुपालन किया जाएगा।

(vii) उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार नाम-निर्देशन प्ररूप के सत्यापन के बाद, रिटर्निंग अधिकारी सिस्टम में भाग (iv) भरेगा और रसीद निकालने के लिए आगे बढ़ेगा।

(viii) निकाली गई रसीद में रिटर्निंग अधिकारी को विवरणों का सत्यापन करना चाहिए तथा हस्ताक्षरित प्रति नियमानुसार अभ्यर्थी को दी जानी चाहिए।

रिटर्निंग अधिकारी, आयोग के अनुदेशों के अनुसार चेक लिस्ट को तैयार करेगा और उसे उचित रसीद के बदले अभ्यर्थी को सौंपेगा।

‘घ’
निर्वाचन अभियान
पर
व्यय का
अनुवीक्षण

भाग 'घ' की विषय-सूची

क्र. सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
1.	छाया प्रेक्षण रजिस्टर	140-141
2.	साक्ष्य फोल्डर	141
3.	केबल नेटवर्क सहित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान का अनुवीक्षण	142
4.	निर्वाचन अभियान में सोशल मीडिया के उपयोग का अनुवीक्षण	142-143
5.	सार्वजनिक बैठकों, रैलियों आदि का अनुवीक्षण	143-144
6.	हेलीकॉप्टर व्यय एवं अन्य यात्रा व्यय का अनुवीक्षण	144-148
7.	पर्चों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण का अनुवीक्षण	148-149
8.	निर्वाचन प्रचार के दौरान वाहनों के उपयोग का अनुवीक्षण	149-150
9.	बैरिकेड और रोस्ट्रम इत्यादि के निर्माण पर खर्चों का अनुवीक्षण	150
10.	वीडियो वैन का अनुवीक्षण	151
11.	अन्य अनुवीक्षण तंत्र	151-153
12.	विभिन्न साधनों के माध्यम से उपहार या नकदी या पैसे के वितरण के लिए टोकन के वितरण की जांच करना	153
13.	किसी भी सरकारी योजना के तहत मजदूरी के संवितरण के साथ अभ्यर्थियों/राजनीतिक दलों द्वारा नकदी के वितरण की जांच करना	153-154
14.	निर्वाचनों के दौरान मदिरा के उत्पादन, भंडारण और वितरण का अनुवीक्षण	154-155
15.	बैंकों से नकदी निकासी का अनुवीक्षण	155-156
16.	राजनीतिक दल व्यय का अनुवीक्षण	156

यद्यपि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन खर्चों का अपना लेखा सही और ठीक तरीके से बनाए रखना अनिवार्य है, फिर भी यह देखा गया है कि कुछ अभ्यर्थी अनजाने या जानबूझकर लेखे को सही और उचित तरीके से बनाए रखने में विफल रहते हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित है कि वे प्रचार अवधि के दौरान अपने-अपने लेखे का तीन बार निरीक्षण करवाएं, जिनकी तिथियां आर.ओ. द्वारा अधिसूचित की जाती हैं। निरीक्षण अभ्यर्थी को यह देखने का मौका भी उपलब्ध कराता है कि क्या उसने अपने व्यय का सही एवं ठीक तरीके से हिसाब-किताब रखा है और उसे निरीक्षण के दौरान पता लगी त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बनाता है। अभ्यर्थियों द्वारा उपगत व्यय की प्रति-जांच करने के लिए लेखाकरण टीम प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य रजिस्टर बनाए रखती है ताकि प्रमुख रैलियों/बैठकों आदि पर अभ्यर्थियों द्वारा किए गए व्यय को सही तरीके से अभिलेखबद्ध किया जा सके और निरीक्षणों के दौरान अभ्यर्थियों को दिखाया जा सके।

1. छाया प्रेक्षण रजिस्टर (एस.ओ.आर.):

लेखांकन टीम द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए **अनुलग्नक-ख13** में यथा-संलग्न फार्मेट में छाया प्रेक्षण रजिस्टर का रख-रखाव किया जाएगा। इस रजिस्टर का रख-रखाव हार्ड कॉपी में और /या एक्सल सीट में, प्रिंट आउट और व्यय अनुवीक्षण मशीनरी की विभिन्न टीमों/रिपोर्टों द्वारा / में यथा-दर्ज प्रेक्षित व्यय के साथ (क्रमानुसार, पृष्ठ-संख्यांकित रखा गया), किया जाएगा। इस रजिस्टर का प्रयोजन अभ्यर्थी द्वारा उपगत एवं रिपोर्ट की गई खर्च की बड़ी मदों की प्रति-जांच करना है।

लेखांकन टीमें वीडियो निगरानी दलों, वीडियो अवलोकन दलों, मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति, स्थैतिक निगरानी दलों, उड़न दस्तों तथा शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष से दैनिक आधार पर सूचना प्राप्त करेंगी। लेखांकन टीम, व्यय प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक के समग्र मार्गदर्शन और निरीक्षण के अधीन कार्य करेगी | सहायक व्यय प्रेक्षक, प्रत्येक अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर का प्रतिदिन निरीक्षण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि व्यय अनुवीक्षण की विभिन्न टीमों द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी व्ययों की इस रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है। कोई विसंगति या कमी पाई जाने पर इसे तुरंत व्यय प्रेक्षक को रिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए।

अभ्यर्थी द्वारा बनाए रखे गए निर्वाचन व्यय रजिस्टर का जिस अवधि तक का निरीक्षण कर लिया गया है उस अवधि तक के छाया प्रेक्षण रजिस्टर को अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि या जनता के किसी सदस्य को दिखाया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा अनुरक्षित निर्वाचन व्यय रजिस्टर में रिपोर्ट किया गया व्यय छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लिखित व्यय से कम है तो उसे निरीक्षण के दौरान व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर के अधीन उसके रजिस्टर में लिखकर अभ्यर्थी या उसकें प्रतिनिधि के नोटिस में लाया जाएगा और छाया प्रेक्षण रजिस्टर में भी उसकी नोटिंग की जाएगी तथा अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इस प्रकार की विसंगति के लिए रिटर्निंग अधिकारी, उसी दिन लिखित में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को एक नोटिस देगा। आम जनता के सूचनार्थ रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर

नोटिस की प्रति प्रदर्शित की जाएगी। आम जनता का कोई भी सदस्य 1 रूपया प्रति पृष्ठ के शुल्क का भुगतान कर नोटिस की प्राप्ति कर सकता है। नोटिस तथा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट से प्राप्त जवाब की प्रति साक्ष्य के फोल्डर में रखी जाएगी तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर में भी उसका उल्लेख किया जाएगा। प्राप्त जवाबों को भी रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा तथा 1/-रु. प्रति पृष्ठ का भुगतान कर इन्हें आम जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रकार से जारी किए गए नोटिसों तथा प्राप्त जवाबों को, यदि कोई हैं तो, परिणामों की घोषणा के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय के लेखे की सत्यता के बारे में राय बनाने के लिए व्यय प्रेक्षक सहित डीईएमसी, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी को चिहनित की जाएगी। आयोग के नवीनतम अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

2. साक्ष्य फोल्डर:

लेखांकन टीम द्वारा प्रत्येक छाया प्रेक्षण रजिस्टर के साथ साक्ष्य फोल्डर का भी रख-रखाव किया जाएगा। छाया प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्ट किसी भी व्यय के प्रति एकत्रित सभी साक्ष्यों को इस फोल्डर में रखा जाएगा और उसके साथ परस्पर संदर्भित किया जाएगा। सभी पृष्ठों में पृष्ठ संख्या डालनी होगी और सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होगी। इस फोल्डर में वीडियो और श्रव्य सीडी, पोस्टर, पुस्तिका, पैम्फलेट की प्रतियां इत्यादि, समाचार पत्रों के विज्ञापन और "पेड न्यूज़" की कटिंग, बिलों और वाउचरों की प्रतियां एवं व्यय के संबंध में विभिन्न अधिकारियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की प्रतियां, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतियां, व्यय से संबंधित शिकायतों की प्रतियां और इन शिकायतों पर जांच की रिपोर्ट, व्यय अनुवीक्षण से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को जारी किए गए नोटिस और प्राप्त जवाब, अभ्यर्थी के व्यय के संबंध में दर्ज की गई एक एफआईआर इत्यादि को शामिल किया जा सकता है।

यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा निषिद्ध मदों पर व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया है, तो विधि के संगत प्रावधानों के अधीन अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने मतदाता को प्रभावित करने के लिए धन या अन्य कोई ऐसी वस्तु वितरित की है तो उसी दिन उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की घूसखोरी से संबंधित प्रावधानों के अधीन सक्षम न्यायालय में/पुलिस के सामने शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस व्यय की साक्ष्य के साथ छाया प्रेक्षण रजिस्टर में ब्यौरेवार प्रविष्टि की जानी चाहिए ओर दर्ज किए गए एफआईआर के विवरण की भी छाया प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी चाहिए और इस पर आयोग के अनुदेश सं. 76/ अनुदेश / 2013 / ईईपीएस / वॉल्यूम-V दिनांक 18 अप्रैल, 2013 (**अनुलग्नक-छ3**) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। व्यय प्रेक्षक द्वारा ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आयोग को दे दी जानी चाहिए |

3. केबल नेटवर्क सहित इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया के द्वारा प्रचार अभियान का अनुवीक्षण :

मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) केबल नेटवर्क, रेड़ियो इत्यादि सहित इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान की बारीकी से निगरानी करेगी और इलेक्टॉनिक मीडिया में विज्ञापन देने के मामले में पूर्व-प्रमाणन किया जाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों और समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग-अलग बैठकें करनी चाहिए और प्रिंट मीडिया के मामले में उन्हें यह सुस्पष्ट रूप में बता दिया जाना चाहिए कि उनके द्वारा जारी किए गए/ प्रकाशित किए गए सभी विज्ञापनों की उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के अंतर्गत पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और स्थानापन्न (सरोगेट) विज्ञापन के किसी भी चलन को सख्ती से निपटा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों और मीडिया को इस बात के प्रति सचेत करने पर विशेष ध्यान देंगे तथा 'भुगतान' पर आधारित 'न्यूज रिपोर्टों, सामान्य रूप से जिसे "पेड न्यूज" के रूप में वर्णित किया जाता है, का एमसीएमसी के माध्यम से लेखा-जोखा रखा जाएगा और वे ऐसे चलन से दूर रहें। जिला निर्वाचन अधिकारी को नई व्यय अनुवीक्षण प्रणाली तथा संबंधित विधिक प्रावधानों को समझा देना चाहिए। वह राजनैतिक दलों से आत्मसंयम बरतने का अनुरोध करेंगे और राजनीतिक दलों के माध्यम से उनके सभी अभ्यर्थियों को व्यय के मामले में इसी प्रकार का संयम बरतने की सलाह देंगे। राज्य स्तर पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी इसी प्रकार का कार्य करेंगे। यदि नेता (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के तात्पर्य से स्टार प्रचारक) के फोटो या अपील के साथ सामान्य पार्टी प्रचार के लिए बिना किसी अभ्यर्थी के संदर्भ के, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन किया जाता है तो ऐसे सामान्य दलीय विज्ञापन पर व्यय राजनैतिक दल के खाते में डाला जाएगा। अगर ऐसा नेता किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र का अभ्यर्थी है तो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे सामान्य दलीय प्रचार पर, भले ही उसमें उनका फोटो हो, का व्यय ऐसे नेता के खाते में नहीं ड़ाला जाएगा क्योंकि यह सामान्य दलीय प्रचार की प्रकृति का है, और इसमें उसके निर्वाचन क्षेत्र का कोई सन्दर्भ नहीं है। (आयोग का दिनांक 20 जनवरी, 2012 का पत्र सं. 76/अनुदेश /2012/ई ई पी एस, **अनुलग्नक-घ10**)

4. निर्वाचन प्रचार में सोशल मीडिया के प्रयोग के संबंध में आयोग के अनुदेश :

आयोग ने 25 अक्तूबर, 2013 (पत्र सं. 491 /एसएम /2013 /संचार) को सोशल मीडिया पर विस्तृत दिशानिर्देशों को जारी किया है जिसमें नाम-निर्देशन के दौरान दाखिल शपथ-पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया लेखे का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में उल्लेख किया गया है। आयोग ने सोशल मीडिया पर जारी राजनैतिक विज्ञापनों को भी पूर्व-प्रमाणीकरण की परिधि में लाया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने अनुदेश दिया है कि अभ्यर्थी और राजनैतिक दल सोशल मीडिया पर विज्ञापन के व्यय सहित प्रचार के सभी व्यय को, व्यय के सही लेखे का अनुरक्षण करने के लिए और व्यय की विवरणी प्रस्तुत करने, दोनों ही के लिए शामिल करेगा | (**अनुलग्नक-घ14**)

गूगल, फेसबुक और ट्विटर अपने प्लेटफार्मों के निम्नलिखित लिंकों पर ''एड ट्रांस्पेरेंसी रिपोर्ट्स'' प्रदर्शित करके प्रदत्त राजनीतिक विज्ञापनों (पेड पोलिटीकल एडवरटाइजमेंट) के संबंध में पारदर्शिता बरत रहे हैं; इन प्लेटफार्मों पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक प्रचारों हेतु किए गए भुगतानों को दर्शाया गया है:-

(i) https://transparencyreport.google.com

(ii) https://www.facbook.com/ads/library/report/?Source=archive-landing-page&country=IN

(iii) https://ads.twitter.com/transparency (**अनुलग्नक -घ21**)

5. जन सभाओं, रैलियों इत्यादि का अनुवीक्षण

कोई भी अभ्यर्थी या उसका प्रतिनिधि, जो जन सभा या रैली के लिए अनुमति हेतु आवेदन करता है, वह अनुमति के लिए आवेदन के साथ **अनुलग्नक-घ1** में दिए आरूप में एक व्यय योजना भी प्रस्तुत करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र की प्रति सहित इस व्यय योजना की प्रति, उस जनसभा या रैली के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु ड्यूटी पर भेजे गए अधिकारी तथा सहायक व्यय प्रेक्षक को भी उस महत्वपूर्ण घटना की वीडियोग्राफी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए दी जाएंगी। लेखांकन टीम अधिसूचित दरों के आधार पर प्रत्येक जनसभा या रैली पर हुए व्यय की अलग से गणना करेगी तथा फोटो, वीडियो रिकार्डिंग तथा विवरणियों इत्यादि के रूप में इकट्ठे किए गए साक्ष्यों का फोल्डर रखेगी। नाम-निर्देशन दाखिल करते हुए रैली या जलूस आयोजित करने के संबंध में सभी व्यय अभ्यर्थी के लेखे में शामिल किए जाएंगे।

आयोग ने अनुदेश सं. 76/अनुदेश /2011/ईईएम, दिनांक 07.04.2011 (**अनुलग्नक-घ7**) जारी किया हैं जिसके अनुसार जब आम जनता के सदस्य स्वेच्छा से किसी अभ्यर्थी की सार्वजनिक रैली/ जुलूस / जनसभा में बिना किसी से कोई भुगतान या प्रतिपूर्ति लिए अपने निजी वाहन में वहां उपस्थित होते हैं तो उसे अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा। तथापि, प्रचार के प्रयोजनार्थ रैली या जनसभा में निजी वाहनों पर झंडे या बैनर लगाकर किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए उनका प्रयोग करना, अभ्यर्थियों के व्यय में जोड़ा जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी (र्थियों) की रैली या जनसभा के लिए वाणिज्यिक पंजीकरण संख्याओं वाले वाणिज्यिक वाहन प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे वाहनों के व्यय को अभ्यर्थी (र्थियों) के लेखे में शामिल किया जाएगा।

अभ्यर्थी (र्थियों) के स्वामित्व वाला और उसके /उनके द्वारा प्रचार के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होने वाला एक निजी वाहन, प्रचार वाहन के रूप में माना जाएगा तथा ईंधन और ड्राइवर के वेतन के रूप में बाजार दरों पर अनुमानित व्यय को अभ्यर्थी (र्थियों) के खाते में जोड़ा जाएगा। अभ्यर्थी (र्थियों) द्वारा अपने स्वामित्व वाले अन्य वाहनों को प्रचार के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाए जाने के मामले में इस प्रकार के वाहनों को किराए पर लेने की अधिसूचित दरों के अनुसार अनुमानित व्यय की अभ्यर्थी (र्थियों) द्वारा गणना की जाएगी।

दलीय प्रतीक के साथ झंडों, मफलरों या टोपियों पर खर्च को संबंधित दल द्वारा अपने निर्वाचन खर्च के रूप में लेखा-जोखा रखा जाएगा। यदि उन पर अभ्यर्थी (र्थियों) के नाम और फोटो छपे हैं तो उन्हें अभ्यर्थी के लेखे मे जोड़ा जाएगा।

तथापि, दल/अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परिधानों यथा साड़ी, कमीज, टी-शर्ट, धोती इत्यादि की आपूर्ति तथा वितरण वर्जित है क्योंकि इसे मतदाताओं को घूस के रूप में दिया जाना माना जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 28.03.2011 की अनुदेश सं0 464 /अनु./2011/ ईपीएस (**अनुलग्नक-घ6**) में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन अभियान के लिए जिले के भीतर विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों मे जाने के लिए जिलास्तरीय पार्टी कार्यालय के पदाधिकारियों /नेताओं (स्टार प्रचारकों को छोड़कर) के वाहन पर खर्च को अभ्यर्थी (र्थियों) के लेखे में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि जिला पदधारी स्वयं ही अभ्यर्थी है तथा उसी जिले से निर्वाचन लड़ रहा है और जहां से वह निर्वाचन लड़ रहा है वहां आवागमन के लिए ऐसे वाहन का उपयोग किया जाता है या किसी विशेष अभ्यर्थी (र्थियों) के प्रचार के लिए ऐसे वाहन का उपयोग कर रहा है तो प्रचार प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन के भाड़े का खर्च अभ्यर्थी (र्थियों) के खाते में डाला जाएगा।

यदि अभ्यर्थी निरीक्षण के लिए अपना लेखा बिना किसी उचित कारण प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे जन सभा करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। जनसभा के लिए अनुमति अस्वीकृत करने से पहले लेखा प्रस्तुत न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। तथापि, यदि अभ्यर्थी निरीक्षण के लिए लेखा प्रस्तुत करता है, तो जन सभा करने की अनुमति तुरंत प्रदान कर दी जाएगी। यह ऐसे डमी अभ्यर्थियों जो निर्वाचन लड़ने के लिए गंभीर नहीं हैं, के विरूद्ध निवारक के रूप में कार्य करेगा।

6. हेलीकॉप्टर व्यय और अन्य यात्रा व्यय का अनुवीक्षण

(i) स्टार प्रचारकों के यात्रा खर्चो पर व्यय:

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार राजनैतिक पार्टी के नेताओं द्वारा हवाई या अन्य किसी भी तरह की यात्रा के खर्चे को निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत या वहन व्यय नहीं माना जाएगा। धारा का स्पष्टीकरण (2) मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टियों के 40 व्यक्तियों तथा मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टियों के अलावा अन्य किसी पार्टी अर्थात रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त पार्टियों के 20 व्यक्तियों, जिनके नामों की सूचना, अधिसूचना की तारीख से 7 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग को दे दी गई है, को राजनैतिक नेताओं में शामिल करना परिभाषित करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग को इस प्रकार से संसूचित राजनैतिक नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में जाना जाता है। निर्धारित अवधि के दौरान मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों / मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से इतर दलों से प्राप्त स्टार प्रचारकों से संबंधित सूची की सूचना प्राप्त करने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसे सभी रिटर्निंग अधिकारियों/ जिला निर्वाचन अधिकारियों / व्यय प्रेक्षकों को उपलब्ध करवाएंगे और इसे उनकी वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी ।

स्टार प्रचारक द्वारा जनसभा या बैठक के मामले में यदि अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन एजेंट स्टार प्रचारक / अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ मंच साझा करता है तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय को छोड़कर रैली का समस्त व्यय अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जाएगा। यदि अभ्यर्थी मंच पर उपस्थित नहीं है परंतु अभ्यर्थी के नाम या अभ्यर्थी के फोटो वाले बैनर/ पोस्टर सार्वजनिक रैली के स्थान पर प्रदर्शित किए गए हैं या प्रतिष्ठित व्यक्ति / स्टार प्रचारक द्वारा अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख किया गया है तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय के अलावा सार्वजनिक रैली का पूरा खर्च अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखे में डाला जाएगा। यदि रैली/सभा में एक से अधिक अभ्यर्थी मंच साझा करते हैं या रैली/सभा में उनके नामों के साथ बैनर या पोस्टर प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार की रेली/सभा पर हुए व्यय को ऐसे अभ्यर्थियों के मध्य समान रूप से बांट दिया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी को रैली मे उपस्थित अन्य अभ्यर्थियों के बारे में सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को दे देनी चाहिए ताकि ऐसे अभ्यर्थियों के व्यय की आवश्यक प्रविष्टि छाया प्रेक्षण रजिस्टर में कर दी जाए।

(ii) हेलीकॉप्टर या विमान खर्च: निर्वाचन खर्च की एक मुख्य मद हेलीकॉप्टर या विमान किराए पर लेना है। आयोग के अनुदेशों के अनुसार यदि निर्वाचन की अधिसूचना के 7 दिनों के अंदर आयोग /सीईओ को राजनैतिक दल के स्टार प्रचारक के नाम की सूचना दे दी जाती है तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय को अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि अभ्यर्थी (अभ्यर्थीगण) स्टार प्रचारक के साथ वाहन सुविधा साझा कर रहा/रहे हैं तो अभ्यर्थी के व्यय में 50 प्रतिशत व्यय जोड़ दिया जाएगा और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी यह सुविधा साझा कर रहे है तो 50 प्रतिशत यात्रा व्यय उन अभ्यर्थियों के बीच प्रभाजित कर दिया जाएगा। (आयोग की पत्र संख्या 76/अनुदेश/2012/ईईपीएस वाल्यूम I, दिनांक 22 जनवरी, 2014 **अनुलग्नक-घ15**) विमानन क्षेत्र में, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा या संबंधित हवाई अड्डों पर प्राइवेट हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार विमान/ हेलीकॉप्टर प्रचालकों पर विमान के पार्किंग प्रभार (दिन/रात) प्रभारित किए जाते हैं। इसलिए, अभ्यर्थी के व्यय की गणना के लिए वास्तविक रूप में भुगतान की गई धनराशि या ऐसे हवाईअड्डों पर देय धनराशि प्रभारित होगी। वाणिज्यिक हवाई अड्डों से भिन्न स्थानों पर, पाकिंग प्रभार प्रचालक या अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई वास्तविक धनराशि के अनुसार होंगे। अतः, किसी भी विमान के पाकिंग प्रभारों की गणना करने के लिए, वाणिज्यिक हवाईअड्डों पर पार्किंग प्रभार भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण या प्राईवेट हवाई अड्डा प्रचालक से प्राप्त कर लेने चाहिए। अन्य स्थानों पर पार्किंग के लिए, विमान की पार्किंग हेतु प्रचालक या अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक प्रभारों को गणना के प्रयोजनार्थ लिया जाएगा । (**अनुलग्नक-घ18**)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार हैलीपैट के निर्माण के साथ-साथ हैलीपैड साइट विकास, विघटित सामग्री को हटाना और हैलीकॉप्टर के पार्किंग प्रभार राजनैतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक के रुप में लोगप्रिय) के संबंध में उनकी यात्रा, उनकी सुरक्षा पात्रता पर विचार किए बिना, संबंधित राजनैतिक दल का व्यय उसी राजनैतिक दल द्वारा उपगत किया जाएगा और उनके निर्वाचन

व्यय के लेखे में जोड़ा जाएगा न कि अभ्यर्थी (थियों) के निर्वाचन व्यय के लेखे में जोड़ा जाएगा। स्टार प्रचारक जो कि अभ्यर्थी भी है अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने के लिए हैलीकॉप्टर को किराए पर लेने, हैलीपैड तैयार करने इत्यादि पर उपगत व्यय का लेखा रखेगा। तथापि, अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने हेतु जाने और उस निर्वाचन क्षेत्र में वापस आने का यात्रा व्यय उसके खाते में दर्ज नहीं किया जाएगा। (**अनुलग्नक-घ22**)

(iii) यदि कोई परिचारक, जिसमें सुरक्षा गार्ड, मेडिकल परिचारक, या पार्टी के कोई सदस्य सहित ऐसा कोई अन्य व्यक्ति शमिल है जो संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है, या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का कोई प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी के नेता (स्टार प्रचारक) के साथ उनके वाहन /विमान/ हेलीकॉप्टर आदि में यात्रा करता है तो ऐसे नेता का यात्रा खर्च राजनीतिक पार्टी के खाते में पूरी तरह बुक किया जाएगा बशर्ते कि नेता (स्टार प्रचारक) के साथ ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने वाला व्यक्ति अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन अभियान में किसी भी तरीके की भूमिका नहीं निभाता हो। हालांकि, यदि नेता के साथ ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति अभ्यर्थी (र्थियों) के लिए निर्वाचन अभियान में कोई भूमिका अदा करता हो तो नेता के यात्रा व्यय का 50% ऐसे अभ्यर्थी (र्थियों) के खाते में डाला जाएगा।

(iv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण 2 की परिभाषा के अनुसार राजनैतिक दल के नेताओं (स्टार प्रचारकों) के नाम राजनैतिक दल द्वारा ऐसे निर्वाचन हेतु अधिसूचना की तारीख से सातदिन की अवधि के अंदर भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संसूचित कर देना चाहिए तथा ऐसे नेता, भारत निर्वाचन आयोग और संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसके नाम सहित प्राप्त की गई सूची की तारीख से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन प्रदत्त लाभों के हकदार होंगे।

(v) यदि नेता (स्टार प्रचारक) अपने निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर आयोजित की गई किसी रैली का हिस्सा है तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन छूट प्राप्त करने का पात्र है। तथापि, यदि नेता (स्टार प्रचारक) किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन भी लड़ रहा है तो वह अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के अंदर उपगत यात्रा व्ययों हेतु तथा यात्रा व्ययों सहित अपने निर्वाचन क्षेत्र में उसके द्वारा आयोजित बैठक या रैली पर होने वाले व्यय हेतु उक्त अधिनियम की धारा 77 के अधीन किसी लाभ का हकदार नहीं होगा।

(vi) यदि नेता स्टार प्रचारक) के निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित रैली /बैठक आयोजित की जाती है, जहां नेता निर्वाचन लड़ने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ मंच साझा करते हैं तो बैठक का व्यय उस नेता तथा ऐसे सभी अभ्यर्थियों

के निर्वाचन व्यय में प्रभाजित किया जाएगा। तथापि, यदि वह (स्टार प्रचारक) अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अपने दल के अन्य निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ रैली/ बैठक में हिस्सा लेता है तो बैठक का खर्च ऐसे सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में समानुभाजित किया जाएगा जिनके लिए निवर्चिन प्रचार किया जा रहा है तथा ऐसी रैली/बैठक आयोजित की गई है तथा उसके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर आयोजित रैली / बैठक का कोई भी हिस्सा नेता (स्टार प्रचारक) के निर्वाचन व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा। (औयोग का दिनांक 22 जनवरी, 2014 का पत्र सं0 : 76/अनुदेश /2012/ई ई पी एस खंड-I **अनुलग्नक-घ15**)

(vii) यदि किसी अन्य राजनैतिक पार्टी/पार्टी का स्टार प्रचारक, अभ्यर्थी की सहयोगी पार्टी की रैली में हिस्सा लेता है और अभ्यर्थी का नाम लेता है या अभ्यर्थी के साथ मंच साझा करता है तो सहयोगी पार्टी के प्रचारक के निर्वाचन क्षेत्र तक के यात्रा व्यय के लिए छूट प्राप्त नहीं है, उसे अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जाना चाहिए। इस सबंध में आयोग के अनुदेश पत्र सं) 437/6/1/2008-सीसी एण्ड बीई दिनांक 24.10.2008 में निहित हैं जो कि हेलीकॉप्टर के प्रयोग से संबंधित हैं तथा **अनुलग्नक-घ5** पर दिए गए हैं।

(viii) किसी भी अभ्यर्थी के लिए जिस निर्वाचन क्षेत्र में स्टार प्रचारक प्रचार करते है वहां के निवास/भोजन-व्यवस्था सहित सभी व्यय उस अभ्यर्थी विशेष के व्यय लेखे में शामिल किए जाएंगे, बशर्ते

(क) स्टार प्रचारकों ने अभ्यर्थी के लिए वास्तव में प्रचार किया हो, तथा

(ख) स्टार प्रचारकों ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभियान के उद्देश्य से वाणिज्यिक होटल या लॉज में रहते हुए ऐसी भोजन-व्यवस्था तथा निवास का खर्च इस बात की परवाह किए बिना किया है कि अभ्यर्थी द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा अथवा नहीं |

वाणिज्यिक आधार पर इस प्रकार की भोजन एवं निवास व्यवस्था के बाजार मूल्य की गणना अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में की जाएगी चाहे वह भोजन/ निवास व्यवस्था सम्मानसूचक ही उपलब्ध कराए गए हों। यदि स्टार प्रचारक एक निर्वाचन क्षेत्र में भोजन तथा निवास की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किसी अन्य अभ्यर्थी के प्रचार के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है तों भोजन तथा निवास का खर्च उन अभ्यर्थियों के व्यय में यथानुपात बांट दिया जाएगा। इस प्रकार के सभी मामलों में नोटिस जारी किया जाए तथा इस पर तदनुसार कार्रवाई की जाए। (आयोग का दिनांक 3 जून, 2011 का पत्र सं. 464/आन्ध्र प्रदेश-लो.स. व आन्ध्र प्रदेश-वि.स./ बी ई/2011/ई ई एम, **अनुलग्नक-घ8**)

(ix) जेड+ (जेड प्लस) सुरक्षा कवर प्राप्त व्यक्ति-विशेष के लिए राज्य के स्वामित्व वाले एक बुलेट प्रूफ वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति है। ऐसे व्यक्ति, चाहे वे पद धारण करते हों या नहीं, तथा चाहे वे अभ्यर्थी हों या नहीं, को आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आने वाली निर्वाचन-अवधि के दौरान उक्त राज्य स्वामित्व वाले बुलेट प्रूफ वाहनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। स्टैण्ड-बॉय के नाम पर एक से अधिक वाहनों

का इस्तेमाल करने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि कोई खास मामले में सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट रूप से विहित न कर दिया जाए। ऐसी अवधि के दौरान जब इसका प्रयोग गैर-आधिकारिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे वाहनों के प्रणोदन की लागत का वहन किया जाना चाहिए। दौरा करने वाले ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के स्पष्टीकरण के अनुसरण में राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित 'स्टार प्रचारक' हैं, के मामले में इससे संबंधित व्यय दल के खाते (लेखा) में डाला जाएगा। यदि स्टार प्रचारक एक अभ्यर्थी है, तो निर्वाचन-क्षेत्र में वाहन की प्रणोदन-लागत उसके निर्वाचन व्यय लेखा में डाली जाएगी। यदि सुरक्षा सुविधा का उपयोग करने वाला दलीय पदाधिकारी एक स्टार प्रचारक नहीं है, और वह अभ्यर्थी के लिए प्रचार करता है तो ऐसे प्रचार के लिए प्रयुक्त सुरक्षा वाहन के प्रणोदन की लागत अभ्यर्थी के लेखे में जोड़ी जाएगी। (**अनुलग्नक घ16**)

(x) मतदान के पश्चात तथा परिणाम की घोषणा से पूर्व के खर्च, जिसे निर्वाचन के निमित्त कहा जा सकता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार, सिर्फ अभ्यर्थियों के खाते (लेखे) में डाले जाएंगे। अतः, मतदान की तिथि के पश्चात स्टार प्रचारक या अभ्यर्थी की यात्रा पर व्यय, जो निर्वाचन से संबंधित नहीं है, को किसी भी अभ्यर्थी के लेखे में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि स्टार प्रचारक / अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है जहां उसने निर्वाचन लड़ा है तो मतगणना की तिथि से पूर्व या मतगणना के दिन, मतगणना की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के भीतर हुए यात्रा व्यय को उसके लेखे में जोड़ा जाएगा। यदि मतदान के पश्चात, स्टार प्रचारक के निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर उसके यात्रा व्यय को राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाता है तो उस राजनीतिक दल द्वारा उक्त व्यय को आयोग को प्रस्तुत किए गए अपने लेखे में दर्शाना होगा। (**अनुलग्नक घ17**)

7. पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण का अनुवीक्षण

जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा होने के तीन दिनों के अंदर अपने जिलों के सभी मुद्रणालयों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क की अपेक्षाओं को इंगित करते हुए लिखेंगे तथा उन्हें यह सूचित करेंगे कि इसका उल्लंघन राज्य के संगत कानूनों के अंतर्गत मुद्रणालयों के लाइसेंस के प्रतिसंहरण सहित बड़ी कार्रवाई को आंमत्रित करेगा। उन्हें उनके द्वारा मुद्रित निर्वाचन पुस्तिकाएं, पोस्टर तथा इसी प्रकार की अन्य मुद्रित सामग्री की प्रिंट लाइन पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम तथा पता की सूचना देने के विशेष रूप से अनुदेश दिए जाएं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क (2) के अंतर्गत अपेक्षित मुद्रित सामग्री की प्रति तथा प्रकाशकों की घोषणा प्रकाशक द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी तथा यदि यह राज्य की राजधानी में प्रकाशित हुई है तो ऐसे मुद्रण के 3 दिनों के अंदर इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाए। आयोग

के दिनांक 02 सितंबर, 1994 के पत्र सं0 3 /9/ई एस 008/94-जे एस-II (**अनुलग्नक-घ2**) में, इस संबंध में विस्तृत अनुदेश निहित हैं।

यदि फोटो या नेताओं की अपील सहित पोस्टर, बैनर, झंडे, स्टिकर इत्यादि या निर्वाचन के दौरान नेताओं (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के आशय में स्टार प्रचारक) का बिना किसी अभ्यर्थी विशेष के संदर्भ के प्रयोग किया जाता है तो व्यय राजनैतिक दल के खाते में डाला जाएगा। यदि तथापि, नेता किसी निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी है, तब ऐसी मदों का आनुपातिक व्यय, जो वास्तव में उसके निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग हुई है, को उसके निर्वाचन व्यय में डाला जाएगा (आयोग का दिनांक 20 जनवरी, 2012 का पत्र सं0 76/ अनुदेश / 2012/ ईईपीएस का सन्दर्भ **अनुलग्नक घ10** पर)

जैसे ही जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रणालय से निर्वाचन पुस्तिकाएं या पोस्टर इत्यादि प्राप्त होते हैं, वह इस बात की जांच करेगा कि क्या प्रकाशक तथा मुद्रक ने आयोग के कानूनों तथा निदेशों की अपेक्षाओं का पालन किया है। वह उसकी एक प्रति सूचना पटल पर भी प्रदर्शित करेगा ताकि सभी राजनैतिक पार्टियां, अभ्यर्थी तथा अन्य इच्छुक व्यक्ति, कानून की अपेक्षाओं के पालन के संबंध में जांच कर सकें |

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के प्रावधानों के उल्लंघन के सभी मामलों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपराधियों के विरुद्ध शिकायत सक्षम न्यायालय में दर्ज करवाई जानी चाहिए, ऐसे मामलों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए तथा संबंधित न्यायालयों में उनकी कड़ी पैरवी की जानी चाहिए। छाया प्रेक्षण रजिस्टर में शामिल करने के लिए मुद्रण की लागत दर्शाती विवरणी सहित मुद्रित सामग्री की प्रतियां लेखा टीम को दी जानी चाहिए।

8. निर्वाचन प्रचार के दौरान वाहनों के उपयोग का अनुवीक्षण:

प्रत्येक अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उसके निर्वाचन प्रचार के लिए उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहनों का विवरण रखेगा। रिटर्निंग अधिकारी उसे उसी दिन प्रयोग करने के लिए परमिट जारी करेगा। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त किया गया वाहन परमिट वाहन के आगे वाली स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। दुपहिया वाहन (मोटरबाइक, स्कूटर, मोपेड), साइकिल रिक्शा इत्यादि भी इन अनुदेशों के प्रयोजनार्थ वाहन माने जाएंगे तथा ऐसे मामले मे परमिट मांगे जाने पर दिखाया जाएगा। छाया प्रेक्षण रजिस्टर में शामिल करने के लिए विवरणों को लेखा टीमों को दिया जाएगा।

यदि आर ओ की लिखित अनुमति के बिना ही प्रचार के लिए वाहन का प्रयोग किया जाता है तो इसे अभ्यर्थी के लिए अप्राधिकृत प्रचार माना जाएगा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज के दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसलिए, इसे तत्काल प्रचार प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस वाहन पर व्यय छाया प्रेक्षण रजिस्टर में जोड़ा जाएगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी यदि अभ्यर्थी निरीक्षण के लिए

अपने लेखे प्रस्तुत नहीं करता तो रिटर्निंग आफिसर, निर्वाचन के दौरान वाहन का प्रयोग करने की अनुमति तत्काल वापस ले लेगा तथा यह अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक अभ्यर्थी द्वारा निरीक्षण के लिए लेखे प्रस्तुत नहीं किए जाते। आयोग के पत्र सं. 576/3/2005/ जेएस II दिनांक 29.12.2005 के पत्र में दिए अनुदेश **अनुलग्नक-घ4** पर हैं, और मार्गदर्शन के लिए इनका अनुसरण किया जा सकता है।

यदि किसी विशेष अभ्यर्थी ने किसी वाहन के लिए अनुमति ली है और /या उसका प्रयोग किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा या दूसरे अभ्यर्थी के प्रचार प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा रहा है तब अनुमति वापस ले ली जानी है तथा उड़न दरतों द्वारा वाहन का अभिग्रहण कर लिया जाएगा। उड़न दस्तों द्वारा सहायक व्यय प्रेक्षक को रिपोर्ट दी जाएगी ताकि उसके व्यय को उस अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा जो उस वाहन को वास्तव में प्रयोग कर रहे थे।

यदि अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात दो दिन से अधिक की समयावधि के लिए प्रचार-अभियान में लगाए गए वाहन(नों) को प्रयोग में नहीं लाते हैं तो, वे ऐसे वाहनों के लिए अनुमति वापस लेने हेतु रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेंगे। यदि अभ्यर्थी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी को प्रचार अभियान में लगाए गए ऐसे वाहनों की अनुमति को वापस लेने हेतु सूचित नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने प्रचार-अभियान के उद्देश्य के लिए अनुमति प्राप्त वाहनों का प्रयोग किया है और तदनुसार, ऐसे वाहनों के प्रयोग के लिए अधिसूचित दरों के अनुसार यह व्यय उनके निर्वाचन व्यय के लेखे में जोड़ा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के व्यय का लेखांकन करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे सभी वाहनों और अनुमति वापस लेने सम्बन्धी अनुरोधों का विवरण लेखांकन दल को दिया जाएगा। (**अनुलग्नक-घ19** पर आयोग का पत्र सं. 76/ अनुदेश / ईईपीएस / 2015 / खण्ड-II , दिनांक 29 मई, 2015)

9. बैरीकेड तथा मंच इत्यादि के निर्माण पर व्यय का अनुवीक्षण:

सुरक्षा कारणों की वजह से यदि बैरीकेड/मंच इत्यादि के निर्माण पर व्यय, सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है तो यह उस अभ्यर्थी के व्यय खाते में दर्ज कर लेना चाहिए, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में बैठक होनी है। जब किसी राजनैतिक पार्टी के नेता के साथ मंच पर अभ्यर्थियों का पूरा समूह उपस्थित रहता है तो खर्च को उन सबके मध्य विभाजित कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आयोजन के तीन दिनों के अंदर संबंधित सरकारी एजेंसियों से व्यय का ब्यौरा प्राप्त कर अभ्यर्थियों को उनके संबंधित हिस्से की सूचना देगा तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि करने के लिए उसकी एक प्रति लेखा टीम को चिहनित करेगा| मंच या बैरीकेड के निर्माण में यदि कोई निजी कंपनी लगी हुई है तो रिटर्निंग अधिकारी तीन दिनों के अंदर ऐसी एजेंसी से व्यय की सूचना मंगवाएगा। यदि कोई ट्रैवल एजेंसी परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाती है तो आर ओ 3 दिन के अंदर ऐसी एजेंसी से व्यय का ब्यौरा मंगवाएगा। यदि ऐसा कोई अभ्यर्थी अन्य किसी जिले से संबंध रखता है तो उस निर्वाचन क्षेत्र/ जिले के आर ओ तथा डी ई ओ को भी इस संबंध में सूचना दी जाएगी। आयोग के दिनांक 10.4.2004 के पत्र सं. 76/2004/ न्या.अनु.-II में निहित अनुदेशों का बैरीकेड तथा मंच इत्यादि पर उपगत व्यय के संबंध में अनुसरण किया जाएगा (**अनुलग्नक-घ3**) ।

10. वीडियो वाहन का अनुवीक्षण

(i) यदि वीडियो वैन को राजनैतिक दल के लिए किसी भी अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख किए बिना या किसी भी निवरचिन क्षेत्र के अभ्यर्थी की तस्वीर के बिना, स्टार प्रचारक को छोड़कर, चुनाव प्रक्रिया के दौरान सामान्य दल के प्रचारक के लिए इस्तेमाल किया जाता हैं, तो यह खर्च दल के खाते में डाला जाएगा, जो निर्वाचन पूरा होने के बाद दल द्वारा विधान सभा चुनाव के मामले में 75 दिनों या लोक सभा चुनाव के मामले में 90 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। (आयोग का दिनांक 9 फरवरी, 2012 के पत्र सं. 76/अनुदेश /2012/ ईईपीएस / खण्ड-I, **अनुलग्नक-घ11** पर)

(ii) यदि उस पर अभ्यर्थी (यों) के नाम (मों) या फोटो प्रदर्शित किए गए हैं या किसी अभ्यर्थी (यों) का पोस्टर, बैनर प्रदर्शित किए गए हैं और वैन उनके निव्वचन क्षेत्र में उपयोग की जाती है, तो व्यय ऐसे अभ्यर्थी (यों) के खाते में डाला जाएगा।

11. अन्य अनुवीक्षण तंत्र:

(i) स्वयं-सहायता समूहों, एन जी ओ इत्यादि के लेखे का अनुवीक्षण:

स्वयं-सहायता समूहों, एन जी ओ इत्यादि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें निर्वाचन प्रचार के लिए उपयोग किए जा रहे धन/सामग्री का राजनैतिक पार्टियों / अभ्यर्थियों द्वारा वितरण के लिए साधन बनाया जा रहा है। चूंकि परिक्रामी निधि/आर्थिक सहायता डी आर डी ए के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, अतः स्वयं-सहायता समूहों का निकटता से अनुवीक्षण सम्भव होना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उनका प्रयोग धन/ सामग्री के वितरण के लिए नहीं किया जा रहा है जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन अपराध है। जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपने जिले में स्वयं-सहायता समूहों / एन जी ओ की एकांतर दिन की रिपोर्ट मंगवाएंगे |

(ii) विवाह / सामुदायिक भवनों में उपहार सामग्री / भोजन वितरण की जांच:

विगत में मैरिज हाल/ सामुदायिक भवनों या बड़े हॉलों को उपहार सामग्री (धोती / साड़ी) / भोजन वितरण के लिए प्रयोग करने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। निर्वाचन अवधि के दौरान शादी हॉल / सामुदायिक भवनों का प्रयोग, जिला निर्वाचन तंत्र की निगरानी में होना चाहिए | बुकिंग के प्रयोजन से उसके साक्ष्य के रूप में जैसे (शादी का कार्ड) इत्यादि आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेने चाहिए ताकि निर्वाचन के उद्देश्य से कोई छद्म व्यय न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसी बुकिंग्स की दैनिक रिपोर्टे एकत्र करेंगे तथा देखेंगे कि मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए कोई नकली समारोह का आयोजन नहीं किया जा रहा हो। किसी प्रकार की संदेहास्पद बुकिंग/आयोजन की रिपोर्ट आयकर विभाग के सहायक /उप निदेशक जिला प्रभारी को दी जानी चाहिए जो कि आयकर दृष्टिकोण से व्यय की जांच करेंगे। पूजा स्थानों के बाहर 'अन्नदानम' की आड़

में बड़े पैमाने पर भोजन वितरित करने से इस बात का भ्रम होता है कि निर्वाचन के पूर्व दिन भोजन, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बॅाटा गया है, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 तथा भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9-क के प्रावधानों के संदर्भ में भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन अपराध है। मुख्य्य निर्वाचन अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि बड़े पैमाने पर भोजन खिलाने पर कोई संदेह होने पर उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं |

प्रथागत रिवाजों के तौर पर धार्मिक संस्थानों में उनके धार्मिक समुदायों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामुदायिक भोजों (लंगर, भोज इत्यादि) तथा कर्मकांड धर्मनुष्ठानों यथा शादी, मृत्यु इत्यादि के पश्चात सामाजिक प्रक्रियाओं के तौर पर दिए जाने वाले भोजन/दावत इत्यादि में अभ्यर्थियों के भाग लेने के संबंध में प्रश्न उठाया गया है। यदि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचकों को लुभाने के लिए उसके द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा आयोजित ऐसे सामुदायिक भोज (किसी भी नाम से) में भाग लेता है तो आयोग के दिनांक 5.12.2012 के अनुदेश सं. 76/अनुदेश /2011/ईईएम / (**अनुलग्नक-घ9**) के अनुसार सामाजिक समारोह पर किए गए व्यय को अभ्यर्थी के चुनाव व्यय के रूप में माना जाएगा। तथापि, यह अनुदेश धार्मिक समुदाय द्वारा अपने संस्थानों के अन्दर प्रथागत प्रथा के तौर पर आयोजित लंगर, भोज आदि या कोई समारोह जैसे शादी, मृत्यु आदि के लिए एक सामान्य भोज किसी भी व्यक्ति (अभ्यर्थी को छोड़कर) द्वारा आयोजित किया जाता है तो ऐसे सामुदायिक भोज/लंगर/दावत/ आदि पर किया गया व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा बशर्ते अभ्यर्थी उसमें सामान्य आगंतुक के रूप में भाग लेता है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी ने ऐसे सामुदायिक भोज इत्यादि के आयोजन में कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया है और ऐसे सामुदायिक भोज इत्यादि के आयोजन में किसी भी तरीके से राजनैतिक अभियान नहीं चलाया गया है। सामुदायिक भोज आदि पर प्रतिबंध, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्वाचन क्षेत्र में मतदान / पुनर्मतदान के पूरा होने के बाद समाप्त हो जाएगा। (आयोग का दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 की अनुदेश सं. 76 /अनुदेश/ 2011/ ईईएम, **अनुलग्नक-घ9**)

केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा कई राज्यों में हुए विभिन्न उप-निर्वाचन, 2016 के दौरान आयोग के संज्ञान में यह लाया गया कि कुछ अभ्यर्थी विदेशों में रहने वाले प्रवासी निर्वाचकों के वोट अपने पक्ष में प्राप्त करने के लिए भारत से विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं। इस संदर्भ में, आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि भले ही विधि के अधीन अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं अथवा पार्टी नेताओं द्वारा बाहर जाकर प्रवासी निर्वाचकों के वोट मांगना वर्जित नहीं है, उन देशों में उनकी यात्रा, उनके आवास, भोजन व्यवस्था इत्यादि पर पार्टी नेताओं, उनके अभिकर्ताओं या उन अभ्यर्थियों द्वारा उपगत सभी व्यय उनके निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्राधिकृत या उपगत व्यय माना जाएगा। अत: ऐसे सभी व्यय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अंतर्गत माने जाएंगे और संबंधित

अभ्यर्थी द्वारा उनके निर्वाचन व्यय के लेखों में जोड़ा जाएगा जो कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन होगा।

तथापि, आयोग आगे यह भी स्पष्ट करना चाहेगा कि उक्त निर्वाचनों में मतदान के प्रयोजनार्थ प्रवासी निर्वाचकों के भारत आने के लिए उन्हें हवाई टिकट या अन्य किसी प्रकार का प्रलोभन, नकद या वस्तु रूप में, दिया जाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) के अनुसार 'रिश्वतखोरी' का भ्रष्ट आचरण तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अर्थों में 'रिश्वतखोरी" का निर्वाचकीय अपराध होगा। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिश्वतखोरी के उपर्युक्त निर्वाचकीय अपराध और भ्रष्ट आचरण करने पर विधि के सुसंगत उपबंधों के अधीन दांडिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अन्य कोई व्यक्ति या संगठन जो उपर्युक्त निर्वाचनों के संबंध में भारत के प्रवासी निर्वाचकों के यात्रा व्यय वहन करने का प्रस्ताव करता है या अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से उनके वोट प्राप्त करने के लिए ऐसा अन्य कोई प्रलोभन देते हैं तो उनके विरूद्ध भी यही दांडिक कार्रवाई की जाएगी। (**अनुलग्नक-घ20**)

12. विभिन्न साधनों द्वारा उपहारों के बदले दिए जाने वाले टोकनों के वितरण या धन वितरण की जाँच:

मतदाताओं को पार्टियों / अभ्यर्थियों द्वारा टोकनों का वितरण भ्रष्ट आचरण का दूसरा ऐसा रूप है जिसके बारे में पूर्व में शिकायतें मिली हैं। यह भी बताया गया है कि टोकन का वितरण आरती देने के समय या बैठक/ समारोह में किया जाता है तथा आधि-व्यवसायी को मतदाताओं को रिश्वत देने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निर्वाचन प्रचार तथा सामाजिक सभाओं के लिए की गई बैठकों/समारोहों सहित किसी भी विधि से टोकन वितरण की रोकथाम उचित रूप से साक्ष्यों को एकत्रित करके और पुलिस को शिकायत करके की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके दुरूपयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार की गतिविधियों के बारे में सही समय पर उपयुक्त सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक, स्वयं सेवकों, नेहरू युवक केंद्रों तथा अन्य एन जी ओ के साथ बैठक की व्यवस्था करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी, आयकर अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्वाई के लिए सहायक निदेशक /उप निदेशक, प्रभारी आयकर सहित अधि-व्यवसायियों की सूची एकत्र कर उस पर कड़ी दृष्टि रखेंगे।

13. विभिन्न अभ्यर्थियों /राजनैतिक पार्टियों द्वारा किसी सरकारी योजना के अंतर्गत मजदूरी के संवितरण सहित नकदी के वितरण पर रोकथाम:

मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकारी योजनाओं जैसे ग्रामीण रोजगार योजना, और सरकार की अन्य विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेतन के अतिरिक्त कार्यकर्ताओं को राजनैतिक पार्टियों / अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन की पूर्वसंध्या पर पैसे दिए जाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग को अभ्यावेदन दिए गए। यह नोट किया जाए कि जबकि आदर्श आचार संहिता के कारण गरीब लोगों को विपत्ति में नहीं डाला जाता, योजना के अंतर्गत कार्यकर्ताओं

को वेतन, जिसके लिए वह अधिकृत है, के अतिरिक्त राजनैतिक पार्टियों / अभ्यर्थियों द्वारा उनको नकद भुगतान की अनुमति नहीं है। यह भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन अपराध है। जिला निर्वाचन अधिकारी वेतन और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अन्य लाभ के संवितरण का अनुवीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी अभ्यर्थी/राजनैतिक पार्टी द्वारा योजना के अंतर्गत वेतन के साथ कोई नकद भुगतान या उपहार सामग्री नहीं दी गई है। यह भी देखा गया है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए निर्वाचन के पूर्वदिन सरकारी योजनाओं के अंतर्गत नकद लाभ (बकाया और अग्रिम राशि दोनों) का विवरण किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान के दिन से 72 घंटों के अन्दर ऐसे किसी भी बकाया और अग्रिम राशि का वितरण न किया जाए।

14. निर्वाचन के दौरान मदिरा के उत्पादन, भंडारण तथा वितरण का अनुवीक्षण :

निर्वाचनों की अधिसूचना की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक मदिरा उन्माद को नियंत्रण में रखने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:-

(i) मदिरा का उत्पादन, कुल खरीद, अनुज्ञप्त स्टॉकिस्ट की स्टॉक सीमा, आई एम एफ एल/बियर / कंट्री लिकर के खुदरा विक्रेता की दैनिक प्राप्ति तथा कुल खरीद तथा मदिरा बिक्री दुकानों के बंद होने के समय का पिछले वर्ष के उत्पादन आंकड़ों के संदर्भ में बारीकी से अनुवीक्षण किया जाएगा।

(ii) अधिसूचना की तारीख से मतदान पूर्ण होने/दोबारा मतदान होने तक राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अंतर्गत चौबीसों घंटे प्रतिनियुक्त विशेष प्रवर्तन स्टाफ द्वारा आर टी ओ चेक पोस्ट तथा बॉर्डर चेक पोस्ट पर वाहनों की अंतर-राज्यीय गतिविधियों पर उत्पाद शुल्क विभाग के स्टॉफ द्वारा गहन निगरानी रखी जानी चाहिए। राज्य में सभी मद्यनिर्माणशालाओं और गोदामों को पुलिस गार्ड सहित 24X7 सी सी टी वी निगरानी में रखा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना उचित लाइसेंस के कोई शराब जारी नहीं की गई है। राज्य में शराब के अवैध भंडारण और अवैध शराब के लाने-ले जाने पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आई एम एफ एल, बियर तथा कंट्री लिकर के अंतर-राज्यीय संचलन के अनुवीक्षण के लिए सीमावर्ती राज्यों के साथ उत्पाद शुल्क आयुक्तों के बीच अंतर-राज्यीय समन्वय होना चाहिए |

(iii) उत्पाद शुल्क विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों तथा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए ताकि उपर्युक्त पहलुओं का अनुवीक्षण किया जा सके तथा छापे मारकर अवैध शराब पकड़ी जा सके।

(iv) जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, आई एम एफ एल, बियर तथा कंट्री लिकर के लिए अलग फार्मो में इस सार संग्रह के **अनुलग्नक-ख12** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार एकांतर दिवसों पर राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी और व्यय प्रेक्षक को भी भेजेंगे | उसके पश्चात उत्पाद शुल्क विभाग के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, संपूर्ण राज्य की

उत्पाद शुल्क गतिविधियों पर उसी प्रपत्र में एकांतर दिवस रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा उसकी एक प्रति आयोग को भेजेंगे।

(v) निर्वाचन के दौरान मदिरा के भण्डारण और अवैध वित्तरण की रोकथाम के लिए आयोग का दिनांक 14 नवम्बर, 2013 का अनुदेश सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2013/खण्ड-VIII, जो जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और सभी प्रेक्षकों को सम्बोधित किया गया था और जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारियों को दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध करवाना था, को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए (**अनुलग्नक-घ13**)। जिला निर्वाचन अधिकारी और ज़िला उत्पाद-शुल्क अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह अपनी दैनिक रिपोर्ट दिए गए फॉमेट में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उत्पाद-शुल्क विभाग के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करें।

15. बैकों से नकद निकासी का अनुवीक्षण:

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से नकद की प्रतिदिन संदेहास्पद निकासी पर जिला निर्वाचन अधिकारी, सभी बैंकों से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहेगा। आयोग ने अपने दिनॉक 19 जुलाई, 2012 के पत्र संख्या 61/शिकायत/ए पी-एल एस/2012 /ईईपीएस (**अनुलग्नक-घ12**) द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिये है कि वे बैंक से निम्नलिखित सन्देंहास्पद लेन देन की जानकारी मांगें :

(i) असामान्य तथा संदेहास्पद नकद निकासी या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 1 लाख से अधिक की राशि उस परिस्थिति में बैंक में जमा करवाना जबकि पिछले 2 महीने के दौरान इस प्रकार जमा व निकासी न की गई हो।

(ii) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिला/निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खाते में एक ही बैंक खाते से आर टी जी एस द्वारा राशि का असामान्य स्थानांतरण, जबकि ऐसे अंतरण का पहले कोई नजीर नहीं रहा हो।

(iii) मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल हलफनामे में उल्लिखित अभ्यर्थियों को, उनके पति/उनके पत्नी या उनके आश्रितों के बैंक खाते से एक लाख से अधिक की नकदी की जमा या निकासी |

(iv) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दल के खाते में एक लाख से अधिक नकदी की जमा या नकदी की निकासी |

(v) अन्य कोई संदेहास्पद नकदी का लेन देन जिसका निर्वाचकों को रिश्वत देने में उपयोग किया गया हो। जिला निर्वाचन अधिकारी बैंकों से नियमित रूप से रिपोर्टे प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे और उसे विश्लेषण के लिए व्यय प्रेक्षक को सौंपेंगे। अन्वेषण, यदि कोई है, उड़न दस्ते के माध्यम से या आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय के जरिए उड़न दस्तों द्वारा किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि निर्वाचन प्रक्रिया में धन का प्रयोग तो नहीं हुआ है।

यदि नकदी की बड़ी राशि की संदेहास्पद प्रकार की निकासी का कोई मामला सामने आता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाए और उस बड़ी राशि, जो कि 10 लाख रूपये से अधिक हो, के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को [महानिदेशक आयकर (अन्वेषण) का कार्यालय] या सहायक निदेशक/ उप निदेशक, जिला प्रभारी आयकर, को आयकर नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना दे दी जाएगी।

16. राजनैतिक दल के व्यय का अनुवीक्षण:

निर्वाचन की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक साधारण दल प्रचार में राजनैतिक दल के व्यय पर उड़न दस्ते (तों) के माध्यम से जिला प्राधिकारियों द्वारा निगरानी रखनी चाहिए। यद्यपि साधारण दल प्रचार पर व्यय अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाना चाहिए फिर भी, साक्ष्य सहित रिकार्ड किए गए प्रेक्षणों को निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के 45 दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विहित **अनुलग्नक-ग1** में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक-घ1

जनसभाओं / रैलियों इत्यादि पर व्यय का ब्योरा

(अभ्यर्थी / उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जनसभा / रैली इत्यादि आयोजित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला आवेदन)

जिले का नाम: निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम......

अभ्यर्थी का नाम : राजनैतिक दल, यदि कोई हो.....

जनसभा / रैली इत्यादि की तारीख, समय एवं अवधि:

{स्थान} जनसभा /रैली इत्यादि का स्थान:

क्रम सं.	व्यय की मद	अभ्यर्थी / उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रस्ताव		राजनीतिक दल द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रस्ताव		अन्य संगठनों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रस्ताव		प्रभारी अधिकारी के अनुसार रिपोर्ट	
		यूनिटों की सं.	लागत	यूनिटों की सं.	लागत	यूनिटों की सं.	लागत	यूनिटों की सं.	लागत
1.	पंडाल एंव फिक्सचर								
2.	बैरिकेडिंग और तोरण								
3.	मेजें								
4.	कुर्सियाँ								
5.	अन्य फर्नीचर								
6.	लाउड स्पीकर एवं माइक्रो फोन								
7.	पोस्टर								
8.	बैनर								
9.	कट आउट								
10.	डिजीटल बोर्ड								
11	प्रकाश की मदें जैसे पंक्तिबध्द लाइट इत्यादि								

12.	विद्युत बोर्ड को भुगतान किए गए/देय विद्यत कनेक्शन प्रभार इत्यादि								
13	अन्य मदें								
14	....								
योग									

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/का नाम और हस्ताक्षर तथा राजनैतिक पार्टी/अन्य किसी संघ अधिकारी प्रभारी का नाम और हस्ताक्षर

तरीख:

अनुलग्नक-घ2

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0० 3/9/ (इ.एस.008) / 94-जे.एस.- II दिनांक: 2 सितम्बर, 1994

आदेश

विषय: पैम्फलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध।

निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है | उक्त धारा 127क निम्नलिखित उपबंधित करता है :-

"127क पैम्फलेट, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध:-

(1) कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो।

(2) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा:- जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए।

(क) जहां यह उस राज्य की राजधानी में मुद्रित हुआ है, उसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, तथा

(ख) किसी अन्य मामले में, जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहाँ यह मुद्रित हुआ है-

(3) इस भाग के प्रयोजनार्थ:-

(क) हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढाने के लिए किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा तथा वाक्यांश 'मुद्रक' को तदनुसार समझा जाएगा, तथा

(ख) "निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर" से तात्पर्य है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के समूह के निर्वाचन के प्रचार या पूर्वाग्रह के उद्देश्य से वितरित किए गए हैण्ड बिल अथवा दस्तावेज या कोई इश्तहार जो निर्वाचन के संदर्भ में हो परन्तु जिसमें केवल निर्वाचन एजेन्टों अथवा कार्यकर्ताओं के लिए निर्वाचन सभा अथवा नेमी अनुदेशों की तिथि, समय, स्थान तथा अन्य विवरण की घोषणा से जुड़े कोई हैंडबिल, विज्ञापन अथवा पोस्टर शामिल न हों।

(4) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) अथवा उप धारा (2) के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे दो हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(क) निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर उक्त प्रतिबंध, इन दस्तावेजों के प्रकाशकों एवं मुद्रकों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किए गए हैं ताकि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले या सामग्री शामिल हों, जो अवैध, आपराधिक या आपत्तिजनक हों तो संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्रवाई की जा सकती है। ये प्रतिबंध राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर हुए अनधिकृत निर्वाचन व्ययों पर रोक लगाने के उद्देश्य में भी सहायक होते हैं।

(ख) आयोग ने यह सूचित किया है कि निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन से जुड़े कानून के उक्त उपबंधों का अनुपालन करने की बजाय उनको भंग करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। निर्वाचन के समय बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेजों को मुद्रित, प्रकाशित, परिचालित कर निजी तथा सरकारी भवनों की दीवारों पर चिपकाया जाता है, जिनके संबंध में ऊपर वर्णित विधि की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है। मुद्रणालय प्रकाशक द्वारा 127क (2) के अधीन अपेक्षित घोषणा सहित मुद्रित दस्तावेजों को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों या जैसी स्थिति हो, संबंधित जिला मजिस्ड्रेटों को बिरले ही भेजते हैं। कई बार धारा 127क (1) का उल्लंघन करते हुए निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक तथा /अथवा उसके प्रकाशक का नाम एवं पता नहीं लिखा होता है।

(ग) साथ ही, आयोग से यह शिकायत की जाती है कि उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध समय से कोई कार्यवाही नहीं की जाती, परिणामस्वरूप आपत्तिजनक सामग्री निर्बाध रूप से प्रकाशित तथा परिचालित होती रहती है। इस संबंध में रहीम खान बनाम खुर्शीद अहमद तथा अन्यों (*एआइआर 1975 एस सी 290) में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टीका-टिप्पणियों की और ध्यान आकृष्ट किया जाता है। *"यहाँ तक कि इस स्थिति में भी हम यह पाते हैं कि प्रश्नगत हैंडबिल में युद्रक ओर प्रकाशक का नाम नहीं हैं यद्यपि निर्वाचन विधि द्वार यह अपेक्षित है। दुर्भाग्यवश जब इस प्रकार मुद्रित सामग्री परिचालित की जाती है तो विधि की ऐसी कोई एजेन्सी नहीं है जो विधिवत जॉच के पश्चात् त्वरित कार्रवाई करे जिसके परिणामस्वरुप कोई भी मुद्रक या अभ्यर्थी या प्रचारक विधि की चिन्ता नहीं करता और वह बिना स्त्रोत की जानकारी दिए सफलतापूर्वक अफवाह फैलाता है क्योंकि वह जानता है कि निर्वाचन के पश्चात् लम्बे समय तक कुछ भी नहीं होगा।/ जब कोई कानूनी कार्रवाई होती है तगी यह प्रश्न उठाया जाता है; विधि के नियमों को सही समय पर प्रवर्तित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विधान बनाना।"*

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त विषय पर विधि के ऊपर लिखित उपबंधों की अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में अन्य सभी शक्तियों को समर्थ करते हुए तथा उक्त विषय पर इसके सभी पूर्व अनुदशों का अतिक्रमण करते हुए आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप से निदेशित करता है :-

5.(1) जैसे ही निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय, विधान सभा अथवा परिशद् निर्वाचन क्षेत्र से किसी निर्वाचन की घोषणा की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट ऐसे निर्वाचन की घोषणा के तीन दिनों के अन्दर उक्त घोषणा के संबंध में अपने जिले के सभी मुद्रणालयों को सूचित करेंगे (लिखेंगे)।

(क) उपर्युक्त धारा 127 (क) की अपेक्षाओं की तरफ उनका ध्यान दिलाते हुए विशेष रूप से अनुदेश दिए जाते हैं कि किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा:

(ख) प्रिंटिंग प्रेसों से धारा 127 क (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) भेजने तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजने को कहा जाएगा:

(ग) स्पष्ट शब्दों में उन्हें यह बता दिया जाए कि धारा 127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों में प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकती है।

5.(2) राज्य राजधानियों में स्थित प्रिंटिंग प्रेसों के संबंध में मुख्य निर्वाचक अधिकारी भी वही कार्रवाई करेंगे |

5.(3) किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 'क' में धारा 127 क (2) के अनुसरण में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा। यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी। मुख्य निर्वाचक अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, को अग्रेषित करते समय यह प्रिंटर द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए |

5.(4) उपर्युक्त निदेशानुसार, मुद्रक, मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अंदर इसकी चार प्रतियां तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत करेगा | इस प्रकार की मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ प्रिंटर कागजातों की प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा, जो कि इसके साथ अनुलग्नक 'ख' के रूप में संलग्न है, में इस संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के संबध में, जोकि ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की प्रिंटिंग के तीन दिनों के अंदर उसके द्वारा मुद्रित किये गए हों, प्रिंटर द्वारा इस प्रकार की सूचना न देकर अलग-अलग दी जाएगी।

5.(5) जैसे ही जिला मजिस्ट्रेट प्रिंटिंग प्रेस से कोई निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि प्राप्त करते हैं वे इस बात की जांच करेंगे कि क्या प्रकाशक या प्रिंटर ने कानून की अपेक्षाओं तथा आयोग के उपर्युक्त अनुदशों का पालन किया है। वे इसकी एक प्रति अपने कार्यालय के किसी मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेंगे ताकि सभी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी पा अन्य इच्छुक व्यक्ति ये जांच लें कि क्या ऐसे दस्तावेजों के संबंध में कानून की

अपेक्षाओं का विधिवत रूप से पालन हुआ है या अन्य निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के उन मामलों, जिनमें कानून की उपरोक्त अपेक्षाओं का उल्लंघन हुआ है, को संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

5.(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त पैम्फलेटों तथा पोस्टरों इत्यादि के संबंध में उपरोक्त उप-पैरा (5) में उल्लिखित के अनुसार वही अनुवर्ती कार्रवाई भी करेगा।

5.(7) यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्वाचन पैम्फलेटस, पोस्टर इत्यादि के संबध में ऊपर लिखित धारा 127 'क' के कथित प्रावधानों और/या आयोग के अनुदेशों का उल्लंघन का मामला आता है या ऐसा उनके ध्यान में लाया जाता है तो वे इसकी जांच के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर देंगे। ऐसे सभी मामलों में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शीघ्रातिशीघ्र अभियोजन आरंभ कर देना चाहिए तथा इन मामलों में संबंधित अदालतों में गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए।

6. आयोग एतद्द्वारा सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा अन्य संबधितों को चेतावनी देते है कि उपर्युक्त विषय पर आयोग के निदशों तथा कानून के उल्लंघन को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाएगा तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी |

7. यदि कानून के उपर्युक्त प्रावधानों तथा आयोग के निदेशों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार अधिकारी इस संबंध में अपने कार्यो के निष्पादन में असफल पाया जाता है तो उसके विरूद्ध पदीय कर्तव्य भंग करने के लिए शास्तिक कार्रवाई के साथ-साथ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से तथा उसके नाम से

(एस.के.मेंदीरत्ता)
सचिव

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
2. सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

परिशिष्ट-क

निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि के प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा का प्रोफार्मा
(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क देखें)

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी..(नाम) निवासी..................................गांव/टाउन.......................................(जिला)....……………………… (राज्य), एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं...(निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि का विस्तृत ब्यौरा दें) का प्रकाशक हूँ...द्वारा प्रिंट किए गए हैं |

(मुद्रण प्रेस का नाम) (प्रकाशक के हस्ताक्षर)

स्थान...

दिनांक.......................................

पूरा पता.....................................

द्वारा अनुप्रमाणित किए गए (प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले)

हस्ताक्षर (नाम तथा पता)
हस्ताक्षर (प्रतिहस्ताक्षर करने वाले का नाम तथा पता)
हस्ताक्षर (मुद्रक का नाम तथा पता)

परिशिष्ट-ख

निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेटों इत्यादि के मुद्रण के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

1. मुद्रक का नाम तथा पता:……………………………………………………………...............................

2. प्रकाशक का नाम तथा पता:...

3. प्रकाशक के मुद्रण आदेश की तारीख:..

4. प्रकाशक की घोषणा की तारीख:...

5. निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेटों इत्यादि का संक्षिप्त विवरण :..

6. उपर्युक्त मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या :...

7. मुद्रण की तारीख:…………………………………………………………………………….....

8. उपर्युक्त दस्तावेजों के संबंध में प्रकाशक से लिए जा रहे मुद्रण प्रभार (कागज की लागत सहित)...

स्थान.................................
तारीख..............................

(मुद्रक के हस्ताक्षर)
तथा मुद्रक की सील

अनुलग्नक-घ3

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 10.4.2004 का पत्र सं0 76/2004/ जे.एस-II

विषय -बैरीकेडों तथा मंच इत्यादि पर उपगत किए जाने वाला व्यय |

1. आयोग के दिनांक 21 अक्टूबर, 1994 के आदेश संख्या 437/6/ई एस/0025/94 / एम सी एस के साथ पठित (अनुदेश 2004 के अनुदेशों का सार-संग्रह की मद संख्या 133 के रूप में पुन: प्रस्तुत) दिनांक 29 मार्च, 1996 के आयोग के पत्र सं. 437/ 6 /ओ आर/95 / एम सी एस /1158 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी राजनीतिक नेता या अभ्यर्थी द्वारा प्रचार अभियान के संबंध में सुरक्षा व्यवस्थाओं यथा बैरीकेडिंग/मंच इत्यादि पर उपगत व्यय संबंधित राजनैतिक दल द्वारा किया जाएगा। आयोग में इस संबंध में शंकाए प्राप्त हुई हैं कि क्या मंचों / बैरीकेड्स के निर्माण पर व्यय राजनैतिक दल से लिया जाएगा या राजनैतिक दल से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के समूह या उस विशेष अभ्यर्थी, जो कि बैठक के उस अवसर पर उपस्थित थे, जहॉ राजनैतिक दलों के नेता भाग लेते हैं, के खाते में डाला जाएगा।

2. राजनीतिक दलों द्वारा उपगत व्यय तथा अभ्यर्थियों द्वारा उपगत व्यय में अंतर दिखाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (ए आई आर 1975 एस सी 308) में मार्गदर्शी सिद्धांत निरूपित किए हैं जहां शीर्ष न्यायालय ने अवलोकन किया है कि “किसी अभ्यर्थी को समर्थन देने वाले राजनीतिक दल जब सामान्य दलीय प्रचार से हटकर उसके निर्वाचन के संबंध में व्यय करता है तथा वह अभ्यर्थी जानबूझ कर उसका लाभ उठाता है और कार्यक्रम या गतिविधि में भाग लेता है और उस पर हुए व्यय या स्वीकृति या मौन सहमति को अस्वीकार कर देता है तब कुछ विशेष परिस्थितियों में यह अनुमान लगाना उचित ही होगा कि उसी ने राजनैतिक दलों को ऐसा व्यय करने के लिए प्राधिकृत किया है और वह यह कहकर कि उपगत व्यय उसके द्वारा नहीं बल्कि उसकी पार्टी द्वारा किया गया है, उच्चतम सीमा की सख्ती से नहीं बच सकता।

3. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 में संशोधन करने पर धारा 77 के स्पष्टीकरण 2 के अधीन आने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा यात्रा पर किए गए व्यय ही केवल अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के खाते में शामित्र होने के कारण छूट प्राप्त करेंगे | राजनीतिक दलों द्वारा किए गए अन्य उपगत/प्राधिकृत खर्चे, अन्य संघ व्यक्ति निकाय/व्यष्टि निकायों को भी अभ्यर्थी के खाते में समाविष्ट किया जाना अपेक्षित है।

4. आयोग ने मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया तथा कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्दिष्ट किया है :-

(i) दलों/आयोजकों की ओर से सुरक्षा प्रबंधक के मद्देनजर सरकारी एजेंसियों द्वारा शुरू में बनाए गए बैरीकेड्स /मंचों पर व्यय उस अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में बैठक होती है या जब राजनीतिक दल के नेता ऐसी किसी बैठक को संबोधित करते हैं, तो उस समय उपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के समूह के खर्चे में डाल दिया जाएगा | जब किसी मामले में 'नेता' की ऐसी कथित बैठक के समय किसी राजनीतिक दल के एक से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हैं, तो व्यय को सभी के मध्य विभाजित कर दिया जाएगा तथा जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी, जहाँ ऐसी बैठक होती है, बैठक के तीन दिनों के अंदर संबंधित सरकारी एजेंसी से अंतिम खर्चा प्राप्त कर अभ्यर्थी को उसके व्यय की हिस्से की जानकारी देंगे। यह जानकारी अन्य अभ्यर्थियों से संबंधित जिलों के रिटर्निंग आफिसर / निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दी जाएगी ।

(ii) जहाँ अभ्यर्थियों अथवा राजनीतिक दल अथवा आयोजकों द्वारा सुरक्षा मामलों के कारण उनकी अपनी निधि से मंच / बैरीकेड का निर्माण किया जाता है, वहॉ यह राशि नेता की सभा में उपस्थित संबंधित अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थियों के दल के लेखों में दर्शायी जाएगी | इन लेखों को निर्वाचन प्रेक्षक या लेखे की संवीक्षा के लिए नियुक्त नामित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा।

5. आयोग ने आगे यह निदेश दिया है कि उन सभी मामलों में, जहाँ सरकारी एजेन्सियों द्वारा अवरोधों / मंचों का निर्माण किया जाता है, अभ्यर्थी / राजनीतिक दल / आयोजक पहले ही अवरोधों / मंच की अनुमानित लागत जमा करेंगे |

6. चालू साधारण निर्वाचन के प्रथम एंव द्वितीय चरण के लिए जारी की गई अधिसूचना की तिथि के मध्य उन मदों पर पहले से उपगत व्यय के लिए संबंद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी उपर्युक्त पैरा 4 के अनुसार तत्काल कार्रवाई करेंगे तथा सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित करेंगे |

अनुलग्नक-घ4

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य राजनीतिक दलों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 576/3/2005/न्या.अनु.- II, दिनांक 29.12.2005

विषय:-राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार अभियान-अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के संबंध में।

1. मुझे आपका ध्यान निर्वाचन व्ययों के लेखों के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 की उपधारा (1) के उपबंधों की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है | उक्त उपधारा के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1(क) के अनुसार राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा अपने राजनीतिक दल के प्रचार कार्यक्रम के लिए वायुमार्ग से या अन्य किसी से की गई यात्रा पर उपगत व्यय, कथित धारा के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा | यहाँ यह नोट किया जाए कि उक्त स्पष्टीकरण 1(क) के अधीन प्रदान किया गया लाभ केवल तब ही उपलब्ध होगा, जब नेताओं के नामों (गैर मान्यता प्राप्त दल के मामले में अधिकतम 20 तथा मान्यता प्राप्त दल के मामले में अधिकतम 40) की सूचना, उप धारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत यथापेक्षित निर्वाचन के लिए अधिसूचना की तिथि से 7 दिनों के भीतर आयोग को तथा संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जाए।

2. ऊपर लिखित उपबंध पहले भी राजनीतिक दलों के संज्ञान में लाए गए हैं | राजनीतिक दलों को ऊपर स्पष्ट की गई धारा 77 (1) के उपबंधों को ध्यान में रखने का परामर्श दिया जाता है | इस क्रम में यदि कोई राजनीतिक दल उक्त उल्लिखित स्पष्टीकरण 2 की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है, तो उस पार्टी को स्पष्टीकरण 1 के अधीन दिए जाने वाले लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे, तथा ऐसे दलों के मामले में सभी नेताओं के यात्रा व्यय संबंधित अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखा में सम्मिलित किए जाएंगे।

3. आपका ध्यान आयोग के पत्र सं० 437/6/97/योजना-III, दिनांक 18.3.1997 (प्रति संलग्न) में निहित अनुदेशों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है | उक्त पत्र के अनुदेशों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए उपयोग किए गए सभी वाहनों का विवरण संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दर्ज कराया जाना अपेक्षित है । इस संदर्भ में यह नोट किया जाए कि दुपहिया वाहन जैसे मोटर साइकल, स्कूटर, मोपेड इत्यादि भी उक्त पत्र के अनुदेशों के अंतर्गत आते हैं, तथा ऐसे वाहनों से संबंधित सूचना भी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दर्ज की जानी अपेक्षित है।

4. जहाँ राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार अभियान में विमान / हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है, वहां संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसकी पूर्व-सूचना दी जानी चाहिए। ऐसी सूचना

देते समय भाड़े पर लिए जाने वाले वायुयानों / हेलीकॉप्टरों की संख्या, उस कंपनी का नाम, जहाँ से वायुयान / हेलीकॉप्टर किराए पर लिए गए हैं, स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। आगे किसी भी वायुयान / हेलीकॉप्टर को निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए उपयोग किए जाने के तीन दिनों के भीतर कवर किए जाने वाले क्षेत्रों की पूर्ण जानकारी, उड़ानों की संख्या तथा भुगतान किए गए / किए जाने वाले किराए भाड़े के साथ यात्रियों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

5. कृपया इस पत्र की पावती भेजें |

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 437/6/97-पीएलएन-III दिनांक18 मार्च, 1997

विषय: लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन-निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों के दुरुपयोग पर अनुदेश-तत्संबंधी |

1. आयोग निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाने के लिए अनुदेश जारी करता रहा है जिसका कड़ाई से पालन एवं अनुसरण किया जाना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता संरक्षित करने और उसे लोगों के सही विकल्प का प्रतिबिंब बनाने के हित में आयोग ने, अब निदेश दिया है कि निम्नलिखित अनुदेशों का लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के सभी साधारण एवं उप-निर्वाचनों में कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। ये अनुदेश संविधान के अनुच्छेद 324 और इस ओर से आयोग को समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
2. निर्वाचन प्रचार प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कारों / वाहनों को किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे हो जाने तक, किसी भी परिस्थिति में, तीन से अधिक वाहनों के काफिले में आने-जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी अपेक्षाकृत बड़े काफिलों को टुकड़ों में बांटा जाएगा, चाहे उनमें केन्द्रीय या राज्य सरकार के किन्हीं मंत्री ही को क्यों न ले जाया जा रहा हो। हालांकि, यह ऐसे किसी व्यक्ति के संदर्भ में निर्गत सुरक्षापरक अनुदेशों की शर्त के अधीन होगा। दूसरे शब्दों में, काफिले में, किसी भी परिस्थिति में, उस खास व्यक्ति के सुरक्षापरक श्रेणीकरण के दृष्टिगत अनुमत सुरक्षा वाहनों सहित किसी भी व्यक्ति के तीन से अधिक वाहन नहीं होंगे।
3. निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे हो जाने तक, किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में जिला प्रशासन, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा अन्य पार्टी नेताओं के साथ रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों पर निकटता से नजर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग के अनुदेशों की अवहेलना न की जाए।
4. अगर कोई व्यक्ति, काफिले को टुकड़ों में बांट दिए जाने के बावजूद, ऊपर विहित सीमाओं से परे जाकर वाहनों के काफिले में आता-जाता है तो यह सुनिश्चित करना स्थानीय प्रशासन का दायित्व होगा कि ऐसे वाहनों को, निर्वाचन की प्रक्रिया पूरे हो जाने तक, आयोग के निदेशों के उल्लंघन में इस्तेमाल किए जाने की अनुमति न दी जाए।
5. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को कहा जाए कि वे प्रचार शुरू करने से पहले ऐसे सभी वाहनों के विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी या इस ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी / (रियों) को उपलब्ध कराएं जिनका वे निर्वाचन प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी अतिरिक्त वाहनों की आगे कोई भी तैनाती केवल तभी की जाएगी जब अभ्यर्थियों या उसके एजेंट द्वारा वाहनों की वास्तविक तैनाती से काफी पहले इस आशय का नोटिस दे दिया जाए। निर्वाचन अभियान के लिए तैनात

किए जाने वाले वाहनों का विवरण देते समय उन क्षेत्र तहसील (लों) के विवरण भी सम्प्रेषित किए जाने चाहिए जिनमें वाहन प्रचालित होंगे।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस तरह प्राप्त विवरणों को निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों को उपलब्ध कराना चाहिए ।

7. अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन एजेंटों द्वारा जिला प्रशासन को दी गई जानकारी के अनुसार निर्वाचन प्रचार के लिए नियोजित वाहन प्रशासन द्वारा अधिग्रहित नहीं किए जाने चाहिएं।

8. यदि ऐसा कोई वाहन प्रचार-अभियान में इस्तेमाल में लाया जाता पाया जाता है जो प्रचार के लिए जिला प्रशासन के पास पंजीकृत नहीं है, तो यह अभ्यर्थी द्वारा अनधिकृत प्रचार माना जाएगा और उस पर भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX क के दांडिक उपबंध लागू होंगे और इसलिए, उस वाहन को निर्वाचन-प्रक्रिया से तत्काल हटा दिया जाएगा।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

अनुलग्नक-घ5

भारत सरकार के मंत्रिमण्डल सचिव, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग का दिनांक 24 अक्टूबर, 2008 का पत्र सं0 437/6 /1/ 2008--सी सी तथा बी ई.

विषयः- मुख्य प्रचारकों द्वारा यात्रा पर निर्वाचन व्यय, निर्वाचन अभियान के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग, इत्यादि |

1. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 की उप-धारा के अनुसार यह उपबंधित है कि "निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेन्ट के द्वारा उस तिथि जिस दिन उसे नामांकित किया गया है तथा उसके परिणाम की घोषणा की तिथि के मध्य दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए, उसके, अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन से संबंधित सभी व्यय का पृथक एवं सही लेखा रखेंगे।" उपधारा (2) के अधीन यह उपबंधित है कि लेखा में वैसे विवरण शामिल होगें जैसा कि उप-धारा (3) के अधीन निर्धारित है, कि कुल उक्त व्यय निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण (1) में यह उपबंधित है कि राजनीतिक दलों के कार्यक्रम के प्रचार के लिए नेताओं (सामान्यता हमारे द्वारा स्टार प्रचारक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) के द्वारा हवाई अथवा परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा यात्रा पर होने वाले व्यय को निर्वाचन के लिए उस राजनीतिक दल के अभ्यर्थी द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा।

3. धारा 77 (1) के उपबंधों तथा उसके अधीन स्पष्टीकरण (1) को इस प्रकार सामंजस्यपूर्ण पढ़ा जाए कि वे धारा 77 (1) के उपबंधों के मुख्य उद्देश्य को निष्प्रभाव न करें। धारा 77 (1) स्पष्ट रूप से यह अनुबंधित करता है कि अभ्यर्थी को उसके अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत सभी निर्वाचन व्ययो का लेखादेना होगा। स्पष्टीकरण (1) ऐसे व्यय लेखे से छूट प्राप्ति की प्रकृति है जो राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों के निर्वाचन में व्यय होता है ताकि उसके राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा उसके निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन प्रचार किया जा सके तथा उनके द्वारा हवाई अथवा परिवहन के अन्य किसी साधनों पर उपगत किसी व्यय को अभ्यर्थी के कुल व्यय का हिस्सा नहीं माना जाएगा | अतः यह कि वैसे अभ्यर्थी जिन्हें धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से राजनीतिक दल के द्वारा नेता घोषित किया गया है, उन्हें धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण (1) के अर्थ के अन्तर्गत उसके अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने राजनीतिक दल का नेता नहीं समझा जा सकता है, चाहे अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में उसकी पार्टी के अन्य अभ्यर्थियों के साथ

स्थिति कैसी भी हो। अपने निर्वाचन क्षेत्र / क्षेत्रों में प्रथमतः वह एक अभ्यर्थी है। अतः वह अपने निर्वाचन क्षेत्र / क्षेत्रों में अपनी यात्रा चाहे हेलीकॉप्टर / हवाई जहाज अथवा परिवहन के किसी अन्य साधनों पर व्यय उपगत करता हो, उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित अधिकतम व्यय की कुल सीमा के लिए लेखा देना होगा। जब वह स्टार प्रचारक के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में जाता है, तो उसके निर्वाचन क्षेत्र से अन्य निर्वाचन क्षेत्र में की गई यात्रा पर व्यय छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आएगी तथा इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र से अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने अभियान के लिए की गई यात्रा व्यय पर छूट प्राप्त होगी। परन्तु एक बार वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुँच जाता है तथा उक्त निर्वाचन क्षेत्र के भीतर ही यात्रा करता है तो उसे उसके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर ऐसी यात्रा पर व्यय का लेखा देना होगा। ऊपर लिखित उपबंधों की कोई अन्य व्याख्या करना धारा 77 (1) में निर्धारित उद्देश्यों को विफल करना होगा। उप निर्वाचनों के मामले में यह अधिक स्पष्ट होगा जहाँ राजनीतिक दल अपने अभ्यर्थी का नाम स्टार प्रचारक के रूप में शामित्र करते हैं तथा उसे संचार के किसी अन्य साधन को अपनाते हुए तथा इसके लिए बिना लेखे के अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर यात्रा करने का लाइसेंस प्राप्त होगा।

प्रतिलिपि : सभी मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनीतिक दल।

अनुलग्नक- घ6

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं. 464/ अनुदेश/2011/ईपीएस   दिनांक : 28 मार्च, 2011

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

1. असम, दिसपुर
2. पश्चिम बंगाल, कोलकाता
3. केरल, तिरूवनन्तपुरम
4. तमिलनाडु, चैन्नई
5. पुडुचेरी, पुडुचेरी।

विषय: विधानसभा का साधारण निर्वाचन-2011, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के जिला पदाधिकारियों हेतु वाहन परमिट-तत्संबंधी |

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर और आयोग के समसंख्यक अनुदेश दिनांक 23 मार्च, 2011 के आंशिक संशोधन के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने मामले की समीक्षा की है और अब यह निर्णय लिया है कि यदि कोई राजनीतिक दल निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनों के लिए जिले में अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में अपने जिला स्तरीय पदाधिकारियों,/ नेताओं (स्टार प्रचारक को छोड़कर) के प्रयोग के लिए वाहनों की अनुमति लेने हेतु आवेदन करता है, तो संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में परमिट व्यक्ति के नाम से दिया जाएगा और उसमें वाहन की पंजीकरण संख्या का भी उल्लेख होगा। इस वाहन पर व्यय राजनीतिक दल द्वारा उपगत किया जाएगा और अभ्यर्थियों द्वारा उपगत किया जाएगा। यह परमिट अन्य जिलों में यात्रा के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, मुझे यह भी कहना है कि आयोग ने निदेश दिया है कि किसी जिले विशेष के लिए केवल एक ही परमिट किसी मान्यता प्राप्त दल को जारी किया जाएगा चाहे वह राष्ट्रीय हो या राज्यीय |

इसके अतिरिक्त यह भी कहना है कि परमिट, राजनीतिक नेता के नाम को निर्दिष्ट करते हुए जारी किया जाना चाहिए, वाहन की संख्या और अवधि जिसके लिए जारी किया गया है का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों और स्टार प्रचारकों को जारी किए गए कागजों से अलग एक रंगीन कागज पर परमिट जारी किया जाए ताकि इसको आसानी से पहचाना जा सके | परमिट की एक प्रमाणित कॉपी वाहन के विंड स्क्रीन पर स्पष्टत: प्रदर्शित की जानी चाहिए और पुलिस या अन्य प्राधिकारियों द्वारा जांच के लिए मूल कॉपी व्यक्ति को अपने पास रखनी चाहिए। इस मामले में, निगरानी दलों को भी सूचित किया जाना चाहिए |

भवदीय,

ह./-

(सुमित मुखर्जी)

अवर सचिव

अनुलग्नक-घ7

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 76 /अनुदेश/2011/ ईईएम दिनांक: 7 अप्रैल, 2011

सेवा में,

असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा पश्चिम बंगाल के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण-अभ्यर्थी से संबंधित व्यय-नकद भुगतान-पर अनुदेश के संबंध में।

महोदय,

समसंख्यक अनुदेश दिनांक 7 फरवरी, 2011 के संदर्भ में राजनीतिक दलों ने आगे स्पष्टीकरण माँगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच कर ली है तथा मुझे निम्नलिखित को स्पष्ट करने को निदेश हुआ है :-

1. आयोग के अनुदेश सं. 76/अनुदेश/2011/ई.ई.एम, दिनांक 7.2.2011 में उल्लिखित है कि अभ्यर्थी निर्वाचन के प्रयोजन से खोले गए बैंक खाते से पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा सभी निर्वाचन व्यय उपगत करेंगे, सिवाय छोटे व्ययों के जहाँ चैक जारी करना संभव नहीं है | कुछ राजनीतिक दलों ने इस प्रकार के नकद व्यय की सीमा का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण की मॉग की है। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों द्वारा किसी व्यक्ति /सत्ता को किसी मद के व्यय के लिए दी जानेवाली राशी यदि 20,000* रूपये से अधिक नहीं होती है, तो इस प्रकार का व्यय निर्वाचन के प्रयोजन से खोले गए बैंक खाते से निकालकर नकद रूप में उपगत किया जा सकता है। अन्य सभी भुगतान उक्त बैंक खाते से पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा किया जाएगा।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी उस तिथि से जिस दिन उसे नामांकित किया गया है तथा जिस दिन परिणाम की घोषणा की गई हैं (दोनों तिथि सहित), सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखेगा। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी अभ्यर्थियों की उनके निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर का रख-रखाव करते समय <u>नामांकन दाखिल करने के दिन</u> (अर्थात उस दिन से) उपगत सभी व्यय तथा नामांकन की तिथि से पूर्व जैसे प्रचार सामग्रियों आदि पर उपगत सभी व्यय के लिए भी हिसाब देना होगा, जो नामांकन अवधि के बाद प्रयोग किया गया है। नामांकन दाखिल करते समय आयोजित रैली या जुलूस से संबंधित सभी व्यय, अभ्यर्थियों के लेखे में जोड़ा जाएगा।

3. जब आम जनता किसी से भी किसी भुगतान या प्रतिपूर्ति प्राप्त किये बिना अपने व्यक्तिगत वाहन का प्रयोग करते हुए अभ्यर्थी /अभ्यर्थियों की जन रैली / जुलूस / जन सभा में शामिल होती है, तो इसे अभ्यर्थी के व्यय में नहीं डाला जाएगा। यद्यपि, किसी अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के हित के लिए झण्डे या बैनर या पोस्टर लगाकर प्रचार के प्रयोजन से रैली या जन सभा में प्रयोग किए गए व्यक्तिगत वाहन अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के व्यय में डाला जाएगा। यदि वाणिज्यिक

पंजीकरण संख्या वाले वाणिज्यिक वाहनों का प्रयोग किसी अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के रैली या जनसभा के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार के वाहनों पर व्यय को अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के खाते में डाला जाएगा।

4. अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के प्रयोजन से लिए गए तथा प्रयोग किए गए व्यक्तिगत वाहन को प्रचार वाहन माना जाएगा तथा बाजार दर से ईंधन पर अनुमानित व्यय तथा चालक का वेतन अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के लेखे में डाला जाएगा | यदि अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए अन्य वाहनों का प्रयोग प्रचार के प्रयोजन से किया जाता है तो इस प्रकार के वाहनों को किराए पर लेने के लिए अधिसूचित दर के अनुसार अनुमानित व्यय का अभ्यर्थी /अभ्यर्थियों द्वारा हिसाब दिया जाएगा।

5. दल प्रतीक में ध्वजों, कैम्पों, मफलरों के प्रयोग को आदर्श आचार संहिता पर अक्सर पूछे जाने वाले (एफ ए क्यु) प्रश्न के प्रश्न सं. 72 में स्पष्ट किया गया है | दल प्रतीक में ध्वजों, मफलरों या कैप जैसी मदों पर व्यय के लिए संबंधित दल द्वारा अपने निर्वाचन व्यय के रूप में हिसाब देना होगा। यदि वे अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों का नाम या फोटो लगाते हैं तो इसे अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा। यद्यपि दल / अभ्यर्थी द्वारा मुख्य वस्तु जैसे साड़ी, कमीज, टी-शर्ट, धोती इत्यादि की आपूर्ति तथा वितरण, मतदाताओं को रिश्वत की भांति है, अत: इसकी अनुमति नहीं है।

6. भारत निर्वाचन आयोग की अनुदेश सं. 464/अनुदेश/2011/ई.ई.एस, दिनांक 28.03.2011में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के लिए जिला स्तर के पदाधिकारियों/नेताओं (स्टार प्रचारकों के अलावा) का जिले के भीतर विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने के प्रयोजन से वाहन पर व्यय को अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के खाते में नहीं डाला जाएगा। आगे यह स्पष्ट किया गया है कि यदि जिला कार्यकर्ता स्वयं उसी जिले से निर्वाचन लड़ रहा है तथा उस निर्वाचन क्षेत्र में, जहॉ से वह निर्वाचन लड़ रहा है ऐसे वाहन का प्रयोग अपने आने-जाने के लिए करता है या इस प्रकार के वाहन का प्रयोग किसी विशेष अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के प्रचार के लिए किया जाता है तो वाहन का भाड़ा प्रभार, प्रचार के प्रयोजन से वाहन का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के खाते में डाला जाएगा।

7. आपसे अनुरोध है कि इसे सभी संबंधितों को सूचित किया जाए।

भवदीय,

ह./-

(अविनाश कुमार)

अवर सचिव

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल
2. असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल तथा पुडुचेरी राज्यों के सभी राजनीतिक दल।

ह./-

(अविनाश कुमार)

अवर सचिव

***कृप्या अनुलग्नक-ङ11 और अनुलग्नक-ङ12 को देखें।**

अनुलग्नक-घ8

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 464 / आंध्र प्रदेश-लो.स. तथा आंध्र प्रदेश-वि.स / उप. निर्वा./ 2011 /ई ई एम दिनांक: 3 जून, 2011

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के प्रचारकों द्वारा उपगत किए गए आवास संबंधी व्ययों के बारे में स्पष्टीकरण।

महोदय,

1. मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के उपबंधों को संदर्भित करने का निदेश हुआ है। उक्त धारा की उप-धारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित स्पष्टीकरण 1 (क)-के अनुसार राजनीतिक दल के नेता, जो दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक हैं, उनकी निर्वाचन संबंधी यात्रा के बारे में उपगत व्यय अभ्यर्थी का व्यय नहीं माना जाएगा। स्टार प्रचारकों द्वारा अथवा उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र में होटलों तथा कमरों को बुक करवाने से संबंधित व्यय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन छूट प्राप्त नहीं है।

2. इसके अतिरिक्त, मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्टार प्रचारक जिस निर्वाचन क्षेत्र में किसी अभ्यर्थी के लिए प्रचार करते हैं, उनके भोजन आवास के व्ययों सहित सभी व्यय उस अभ्यर्थी विशेष के व्यय खाते में जोड़े जाएंगे, बशर्ते कि-

(क) स्टार प्रचारकों / प्रचारकों ने अभ्यर्थी के लिए वास्तव में प्रचार किया हो, तथा

(ख) स्टार प्रचारकों / प्रचारकों ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभियान के प्रयोजन से व्यावसायिक होटल या लॉज में रहते हुए ऐसे भोजन / आवास पर खर्च किया हैं, चाहे ऐसे अभ्यर्थी द्वारा उसका भुगतान किया गया है या नहीं।

3. ऐसे व्यावसायिक बोर्डिंग एवं लॉजिंग का बाजार मूल्य अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा बावजूद इसके कि बोर्डिंग एवं लॉजिंग सम्मानार्थ रूप में हो। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई प्रचारक एक निर्वाचन क्षेत्र में बोर्डिंग एवं लॉजिंग की सुविधा प्राप्त करते हुए अन्य अभ्यर्थियों के लिए प्रचार करने हेतु दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में यात्रा करता है, तो लॉजिंग एवं बोर्डिंग व्ययों को उन अभ्यर्थियों के व्यय के रूप में आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा।

4. ऐसे सभी मामलों में तत्काल नोटिस जारी कर दिया जाएगा तथा इस पर तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

5. इससे मुख्य निर्वाचन अधिकारी आंध्र प्रदेश के दिनांक 30.04.2011 के पत्र सं. 1760 / इलेक्शन डी / 2011-7 का निपटान हो जाता है।

भवदीय,

ह./-

(अविनाश कुमार)

अवर सचिव

अनुलग्नक-घ9

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाईल सं. 76/ अनुदेश /2011/ई.ई.एम. दिनांक: 05 दिसम्बर, 2011

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश |

विषय:- सामुदायिक भोज (लंगर, भोज, आदि) पर हुए व्यय-अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखा में शामिल करना-तत्संबंधी ।

महोदय,

1. मुझे, सामुदायिक भोज (लंगर, भोज आदि) पर हुए व्यय और इसे अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखे में शामिल करने के संबंध में, आयोग के दिनांक 07.10.2011 के समसंख्यक अनुदेश का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है ।

2. उपरोक्त अनुदेश के संदर्भ में, प्रादेशिक समुदायों द्वारा अपने धार्मिक संस्थानों में प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर भोज आदि और धार्मिक अनुष्ठान जैसे विवाह, मृत्यु आदि सामाजिक प्रथा के तौर पर आयोजित सामुदायिक भोज (लंगर, भोज आदि) आदि में अभ्यर्थियों की भागीदारी के संबंध में प्रश्न उठाया गया है | प्रश्नगत संदर्भ में आयोग के अनुदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि “यदि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचकों से मिलने के लिए सामुदायिक भोज (किसी भी नाम से बुलाया गया है) या तो उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोजित, में भाग लेता है” तो सामाजिक समारोह पर किए गए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के रूप में माना जाएगा और उसके लेखा में जोड़ा जाएगा । यह एतद्द्वारा फिर से स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अनुदेश, धार्मिक समुदायों द्वारा अपने संस्थानों के अन्दर प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर, भोज आदि या कोई समारोह जैसे शादी, मृत्यु आदि के लिए एक सामान्य भोज पर लागू नहीं होता है जब यह किसी व्यक्ति (अभ्यर्थी को छोड़कर) द्वारा आयोजित किया जाता है तो ऐसे सामुदायिक भोज/लंगर/दावत आदि पर किया गया व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा बशर्तें कि अभ्यर्थी उसमें सामान्य आगुंतक के रूप में भाग लेता है |

इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी ने ऐसे सामुदायिक भोज आदि में कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया हो और ऐसे सामुदायिक भोज आदि में किसी भी तरीके से राजनैतिक अभियान नहीं चलाया गया हो ।

3. कृपया इस पत्र की पावती दें |

भवदीय,
ह./-
(एस.के. रूडोला)
सचिव

अनुलग्नक-घ10

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/ अनुदेश /2012/ई ई पी एस दिनांक : 20 जनवरी, 2012

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मणिपुर तथा गोवा

विषय: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण (2) के अंतर्गत आने वाले दल के नेताओं (स्टार प्रचारकों) के निर्वाचन व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण तत्संबंधी मामला।

महोदय / महोदया,

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण (2) के अन्तर्गत आने वाले स्टार प्रचारकों पर राजनीतिक दलों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं| आयोग, अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरणों को एतद्द्वारा जारी करता है :-

1. प्रिन्ट /इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन पर व्ययः- यदि प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपरोक्त नेता के फोटो अथवा अपील सहित दल के सामान्य प्रचार के विज्ञापन को किसी अभ्यर्थी के संदर्भ के बिना मुद्रित या प्रसारित किया जाता है, तो ऐसे साधारण विज्ञापन पर व्यय को राजनीतिक दल के लेखे में डाला जाएगा। यदि ऐसा नेता किसी निर्वाचन क्षेत्र का अभ्यर्थी है, तो प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चाहे उनका फोटो लगा हो तो ऐसे दल के साधारण प्रचार पर व्यय को ऐसे नेता के लेखे में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि यह दल के साधारण प्रचार की प्रकृति में है तथा यह निर्वाचन क्षेत्र के किसी संदर्भ के बिना हैं।

2. पोस्टरों, बैनरों, फलैगों इत्यादि पर व्यय:- यदि उपरोक्त नेताओं के फोटो अथवा अपील वाले पोस्टर, बैनर, फ्लैग इत्यादि किसी अभ्यर्थी के संदर्भ के बिना निर्वाचनों के दौरान प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे व्यय को राजनीतिक दल के लेखे में डाला जाएगा| यदि, तथापि कोई नेता किसी निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी है, तो ऐसी सामग्रियाँ जिनका प्रयोग वास्तव में उसके निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है, का आनुपातिक व्यय उसके निर्वाचन व्यय के खाते में डाला जाएगा।

3. यात्रा व्ययः- आयोग ने व्यय अनुवीक्षण पर दिनांक 20 अगस्त, 2009 का अपना अनुदेश सं. 76/2009/ एस डी आर तथा आयोग के अनुदेश के सुंसंगत पैरा 5.6.3 में संशोधन किया है तथा इसे एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई परिचर, सुरक्षा गार्ड, चिकित्सा परिचर, या कोई अन्य व्यक्ति या दल का कोई सदस्य जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है, तथा उपरोक्त राजनीतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक) के साथ उनके वाहन/हवाई जहाज/ हेलीकॉप्टर इत्यादि में यात्रा करते हैं, तो ऐसे नेता के यात्रा व्ययों को पूरी तरह से राजनीतिक दल के लेखे में

डाला जाएगा | यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राजनैतिक नेता के यात्रा व्यय के किसी भाग को अभ्यर्थी के लेखे में नहीं डाला जाएगा, यदि नेता (स्टार प्रचारक) के वाहन का प्रयोग करने वाले ऐसे व्यक्ति अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार में कोई भूमिका अदा नहीं करते हैं | तथापि, यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे नेता के साथ वाहन का प्रयोग करता है तो यात्रा व्यय का 50 प्रतिशत अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के खाते में डाला जाएगा |

भवदीय,
ह. /-
(सुमित मुखर्जी)
सचिव

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को
प्रति प्रेषित

अनुलग्नक-घ11

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0: 76 /अनुदेश /2012/ई.ई.पी.एस./ खण्ड-I   दिनांक: 09 फरवरी, 2012

सेवा में,

सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः- उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर व गोवा की विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों से साधारण निर्वाचन, 2012- राजैनेतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान वीडियो वैन के उपयोग पर स्पष्टीकरण - तत्संबंधी।

महोदय / महोदया,

मुझे आयोग के दिनांक 31 अक्तूबर, 2008 के पत्र सं0० 437/6/अनु./2008-सी.सी. व बी.ई. (प्रतिलिपि संलग्न) के संदर्भ में निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों द्वारा वीडियो वैन आदि के प्रयोग के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा इस मामले में इस प्रकार के व्यय के लेखांकन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस विषय में स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है :-

(i) यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी की फोटो या उसके नाम का उल्लेख किए बिना राजनैतिक दलों के द्वारा वीडियो वैन का प्रयोग दल के सामान्य प्रचार के लिए किया जाता है तो इसे पार्टी के खाते में डाला जाएगा और इसकी सूचना लोक सभा के मामले में राजनैतिक दल को 90 दिनों के अंदर तथा विधान सभा निर्वाचनों के मामले में निर्वाचनों की समाप्ति के पश्चात् पार्टी द्वारा 75 दिनों के अंदर दे दी जानी चाहिए|

(ii) यदि अभ्यर्थी (र्थियों) के नाम या फोटो वैन पर प्रदर्शित किए गए हैं या फिर अभ्यर्थी (र्थियों) का कोई पोस्टर/बैनर उस पर प्रदर्शित किया गया है और वह वैन उसी के निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है, तो वह व्यय उस अभ्यर्थी (र्थियों) के खाते में डाला जाएगा।

भवदीय,
ह./-
(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

अनुलग्नक-घ12

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 61/ शिकायत/ आ.प्र.-लो.स./2012 /ई ई पी एस   दिनांक : 19 जुलाई, 2012

सेवा में,

सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय:- संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन के दौरान संदेहजनक लेन-देन के संबंध में बैंकों से सूचना प्राप्त करना-तत्संबंधी |

महोदय,

इंडियन बैंक एसोशियेसन के दिनांक 6 जून, 2012 के पत्र सं. विधिक/ 5946 (प्रति संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बैंको से किए गए संदेहजनक नकद लेन-देन के संबंध में निम्नलिखित सूचना मॉगेगा :--

(i) पिछले दो महीने में जमा या निकासी का कोई उदाहरण हुए बिना निर्वाचन के दौरान रू.1 लाख से अधिक की असामान्य एवं संदेहजनक राशि की निकासी या बैंक खाते में डाला जाना |

(ii) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले/ निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे अंतरण का कोई पूर्व उदाहरण हुए बिना आर.टी. जी. एस के माध्यम से एक बैंक खाते में विभिन्न व्यक्तियों के खाते में राशि का असामान्य रूप से अंतरण |

(iii) अभ्यर्थियों या उनकी पत्नी या उनके आश्रितों, जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र में उल्लिखित है और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारियो की वेबसाइट में उपलब्ध है, के बैंक खाते में रू.1 लाख से अधिक की नकद राशि जमा करना या निकालना |

(iv) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दल के खाते से रू.1 लाख से अधिक की नकद राशि की निकासी या जमा करना |

(iv) अन्य कोई भी संदेहजनक नकद लेन-देन, जिसे निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा।

2. उपरोक्त सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रक्रियाबद्ध की जाएगी तथा जहाँ भी यह संदेह हो कि नकद राशि का प्रयोग निर्वाचकों के रिश्वत देने के लिए किया जा सकता है, तो फलाईनग स्कवायड को पूरी जांच के पश्चात आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा जा सकता है। तथापि, यदि जमा की जाने वाली निकासी की नकद धन राशि की रकम रु.10 लाख से अधिक हो, तो ऐसी सूचना को आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को आयकर विधियों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी जानी चाहिए।

भवदीय,

ह./-

(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:-

श्री के रामाकृष्णन, मुख्य कार्यपालक, भारतीय बैंक संघ, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कॉम्प्लेक्स, सेन्टर-1, छठा तल, कुफी परेड मुम्बई-400005, को इस अनुरोध सहित कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी बैंक को अनुपालन करने के संबंध में सूचित करें।

ह./-

(अविनाश कुमार)

अवर सचिव

अनुलग्नक-घ13

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं.: 76/अनुदेश /ई ई पी एस/2013/ वाल्यूम-VIII दिनांक: 14 नवम्बर, 2013

सेवा में,

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
मध्य प्रदेश,
भोपाल
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान,
जयपुर

विषय: निर्वाचनों के दौरान मदिरा के भण्डारण एवं अवैध वितरण को रोकना - जिला निर्वाचन अधिकारियों को मदिरा की बिक्री की दैनिक रिपोर्ट के लिए अनुदेश-तत्संबंधी मामले |

महोदय,

मुझे, निर्वाचन के दौरान मदिरा के उत्पादन, भंडारण तथा वितरण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों (निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का सार संग्रह जुलाई 2013, खण्ड 5.10.6, पृष्ठ-28) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है। इसके अलावा मुझे यह भी सूचित करने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन के दौरान गैर कानूनी रूप से मदिरा के वितरण को रोकना कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों से यह भी आशा की जाती है कि वे ऐसी गतिविधियों को मॉनीटर करें।

2. इस संबंध में, समय-समय पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं तथा ऐसी आई एम एफ एल दुकानों की सूची जहां आई एम एफ एल की बिक्री में संदेहजनक वृद्धि हुई है, जिला निर्वाचन अधिकारियों को पहले से उपलब्ध करा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी भी जानकारी है कि जिले की सभी उत्पाद शुल्क इकाईयां, अर्थात-मदिरा कारखाने, बोतल बन्द करने की इकाईयां, मदिरा के गोदाम संबंधित अधिकारियों की सतत निगरानी के अधीन लाए गए हैं। महत्वपूर्ण इकाईयों में अधिकारियों और सशस्त्र बलों को चौबीसों घंटे तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, लगभग सभी जिलों में, उपलब्ध अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान मदिरा की आवाजाही की निगरानी रखने का विशेष उत्तरदायित्व दिया जाना है। कुछ अधिकारियों को निर्वाचनों के दौरान मदिरा की सीमा पर आवाजाही रोकने के लिए सीमा जांच चौकी में भी तैनात किया गया है।

3. हालांकि, राज्य में उत्पाद शुल्क प्रणाली को दुरूस्त करने के लिए उपाय कारगर सिद्ध हुए हैं, फिर भी जिला स्तर पर इस स्थिति में और भी सुधार की आवश्यकता है। मदिरा की खुदरा दुकानें मदिरा वितरण की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील बन रही हैं। सभी जिला कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को इसमें और अधिक केन्द्रित एवं व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की जरूरत है।

4. आयोग को निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं:-

(क) स्थानीय गंदी बस्तियों, झोपड़-पटिटयों तथा दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में सस्ते किस्म के आई एम एफ एल तथा देशी मदिरा का निर्वाचन से पूर्व वितरण के लिए भण्डारण। यह भण्डारण रीटेल (खुदरा) दुकाने जो राज्य उत्पाद-शुल्क अधिनियम तथा सामान्य एवं विशेष लाइसेन्स शर्तों का उल्लंघन करते हुए लोगों को थोक में मदिरा बेच रहे हैं, की मदद से किए जा रहे हैं।

(ख) कुछ दुकानों में स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह रिपोर्ट मिली है कि कुछ दुकानें यद्यपि वे स्टॉक रजिस्टर रखती हैं, परन्तु वे ब्राण्ड वार स्टॉक रजिस्टर नहीं रखती हैं। इससे दिन-प्रतिदिन की बिक्री को मॉनीटर करने में कठिन समस्याएं आती हैं तथा इन दुकानों के वास्तविक स्टॉक के सत्यापन को प्रायः असंभव कर देती हैं।

(ग) अभ्यर्थियों द्वारा कूपनों को जारी किया जा रहा है जो दुकानों में मदिरा की बोतलों में बदल दिए जाते हैं। यह राज्य उत्पाद-शुल्क अधिनियम /नियम की शर्तों का उल्लंघन है जो नकद के अलावा किसी भी रूप में बिक्री को प्रतिबन्धित करता है।

5. उपरोक्त को देखते हुए, मुझे निम्नलिखित अनुदेशों के अनुपालन का अनुरोध करने का निर्देश हुआ हैं:-

(i) <u>मदिरा बिक्री की दैनिक मॉनीटरिंग :-</u>

प्रत्येक जिले में मदिरा की औसतन 25 रीटेल दुकानें हैं। जिला कलेक्टरों को ऐसी दुकानें जहां बिक्री में अत्यधिक वृद्धि हुई है, के संबंध में दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए। इसे करने का एक अच्छा तरीका यह है कि अपनी मदिरा की प्रत्येक रीटेल दुकान का अक्टूबर, 2013 का दैनिक औसतन बिक्री रिकार्ड प्राप्त करना होगा तथा उसकी अक्टूबर महीने के औसत दैनिक बिक्री के आंकड़ों से तुलना करना होगा। जहां-कहीं भी बिक्री की मात्रा की वृद्धि 30% या उससे अधिक हुई हो तो यह थोक बिक्री की संभावना की ओर इंगित करता है। इसकी जांच की जानी चाहिए तथा उस दुकान के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें यहां तक कि लाइसेंस रद्द किया जाना भी हो सकता है।

इसके लिए, रिपोर्टिंग हेतु निर्धारित प्रपत्र, अनुलग्नक-1 में संलग्न है। जिला कलेक्टर द्वारा जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी /सहायक आयुक्त से यह रिपोर्ट प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई के पश्चात रिपोर्ट को अनुलग्नक-2 में निर्धारित फार्मेट में अपनी टिप्पणी के साथ निर्वाचन आयोग (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) को भेजे जाने की आशा की जाती है।

(ii) **<u>स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव सुनिश्चित करना :-</u>**

आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कुछ दुकानें स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव बिल्कुल नहीं कर रही हैं या फिर निर्धारित फार्मेट का अनुसरण किए बिना ही इसका रख-रखाव

कर रही हैं। यह थोक बिक्री की सूचना को छिपाने तथा स्टॉक जाँच को अत्यन्त जटिल बनाने के उद्देश्य से किया जाता है।

जिला कलेक्टरों को जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी /सहायक आयुक्त के सहयोग से सभी दुकानों में ब्राण्डवार स्टॉक रजिस्टर के उचित रख-रखाव को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए।

(iii) **<u>मदिरा की बिक्री के लिए टोकनों अथवा कूपनों का प्रयोग:-</u>**

अखबारों द्वारा यह रिपोर्ट दी जा रही है कि अभ्यर्थी कूपनों / टोकनों के वितरण का सहारा ले रहे हैं, जो मदिरा की दुकानों पर मदिरा की बोतलों के लिए बदले जा सकते हैं। जैसा कि पूर्व में इंगित किया गया है कि यह राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम की सामान्य लाइसेन्स शर्तों का उल्लंघन है। कलेक्टरों से यह आशा की जाती है कि वे ऐसी दुकानों के विरूद्ध कार्रवाई करें।

(iv) **<u>मदिरा की संवेदनशील दुकानों की सूची तैयार करना तथा गहन अनुवीक्षण करना:-</u>**

अपने जिले में मदिरा की दुकानों को निम्नलिखित मानदंड के आधार पर संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत करना:-

(क) ऐसी दुकानें जिनका मदिरा स्टॉक 01.11.2012 की तुलना में 01.11.2013 को 50% या उससे अधिक है। ऐसी आइ एम एफ एल दुकानों की सूची आपको पहले ही भेज दी गई है। तथापि, आपको अपने जिले में देशी मदिरा की दुकानों के लिए इस कार्य को दुहराना चाहिए।

(ख) ऐसी दुकानें जो गंदी बस्ती में अवस्थित हों अथवा गंदी बस्ती के अत्यंत समीप अवस्थित हों।

(ग) ऐसी दुकानें जो मुख्य सड़कों से दूर अवस्थित हों तथा भीतरी ग्रामीण इलाकों में अवस्थित हों।

(घ) ऐसी दुकानें जो अक्टूबर, 2013 की औसत दैनिक बिक्री की तुलना में नवम्बर में किसी भी दिन की बिक्री की वृद्धि 30% से अधिक दर्शाई गई हो।

इन दुकानों का अनुवीक्षण अवश्य होना चाहिए तथा उनके ब्राण्डवार स्टॉक रजिस्टर की जाँच दैनिक आधार पर की जानी चाहिए।

(v) **<u>निर्वाचन में वितरण के लिए मदिरा के भण्डारण को रोकना:-</u>**

शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियाँ, झोपडपट्टियाँ, शिविर (यदि कोई हो) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूरवर्ती या दुर्गम निवास स्थान अवैध मदिरा के संभावित भण्डारण केंद्र हैं। उत्पाद शुल्क अधिकारियों के साथ कलक्टरों से यह आशा की जाती है कि वे ऐसे इलाकों की पहचान करें तथा इन इलाकों में निरन्तर पुलिस गश्ती करवाएं तथा छापा मारें |

6. इन अनुदेशों के आलोक में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें कि वे निर्धारित प्रपत्र के अनुलग्नक-2 में दैनिक रिपोर्ट विशेष उत्पाद शुल्क सचिव (मुख्य निर्वाचन अधिकारी), राज्य सरकार को दें जो सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में समेकित रिपोर्ट आयोग को भेजेंगे।

7. इन अनुदेशों को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों तथा उत्पाद शुल्क विभाग के सभी प्रेक्षकों तथा अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

ह./-
(एस के रूडोला)
सचिव

आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. श्री डी आर जोहरी, अपर उत्पाद-शुल्क आयुक्त और नोडल अधिकारी, उत्पाद शुल्क, सी-100/50 शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश (कैम्प बैग/स्पीड पोस्ट / ई-मेल द्वारा)
2. श्री जितेन्द्र कुमार उपाध्याय, आर ए एस, अपर उत्पाद शुल्क अधिकारी (प्रशासन) क्षेत्र, उदयपुर, राजस्थान (कैम्प बैग / स्पीड पोस्ट / ई-मेल द्वारा)

अनुलग्नक-1

जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा कलेक्टर को मदिरा अनुवीक्षण पर दैनिक रिपोर्ट (केवल वे दुकानें जिनकी दिनांक…………………… महीना ....वर्ष..................... में औसत बिक्री में 30% या अधिक की वृद्धि हुई है, की दैनिक बिक्री की रिपोर्ट देना अपेक्षित है)

जिले का नाम:

दिनांक:

क्रम सं.	दुकान का नाम एवं पता	दुकान........महीना........ वर्ष..... की दैनिक औसत बिक्री (थोक लीटर में)	कल की बिक्री (थोक लीटर मे)	बिक्री में प्रतिशत की वृध्दि (%)	वृध्दि के कारण	की गई कार्रवाई

अनुलग्नक-2

कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मदिरा अनुवीक्षण पर दैनिक रिपोर्ट।

जिले का नाम:
दिनांक :

1. जिले में आई एम एफ एल दुकानों की सं. :
2. जिले में देशी मदिरा की दुकानों की सं. :
3. सभी दुकानों में ब्राण्ड-वार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव (हाँ / नहीं)
   (जहां उल्लंघन पाया गया है उन दुकानों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का उल्लेख करें और कृपया यह भी उल्लेख करें कि क्या तब से ब्राण्ड वार उचित स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव किया जा रहा है)
4. जिले में संवेदनशील मदिरा की रीटेल दुकानों की सूची :
   (कृपया पूर्ण पते एवं लाइसेंसधारी का नाम और इसे संवेदनशील घोषित करने के लिए कारण की सूची संलग्न करें)

क्रम सं.	दुकान का नाम एवं पता	लाइसेंसधारी का नाम	इसे संवेदनशील के रुप में वर्गीकृत करने का कारण	गहन अनुवीक्षण के लिए उठाए गए कदम

5. किसी भी उल्लंघन के लिए किसी मदिरा की दुकान के विरूद्ध की गई कार्रवाई:-
   (की गई कार्रवाई और लगाए गए आर्थिक दण्ड का उल्लेख करें, यदि कोई हों)

क्रम सं.	दुकान का नाम एवं पता	लाइसेंसधारी का नाम	पाए गए उल्लंघन	की गई कार्रवाई	उल्लंघन का संशोधन किया गया या नहीं

6. जिले में अवैध मदिरा के भण्डारण के संभावित स्थानों की सूचीः-

क्रम सं.	स्थान का नाम	मोहल्ले/गांव का नाम	प्रभावी भण्डारण क्षेत्र होने के कारण	उठाए गए निरोधी या सुधारक कदम

7. दैनिक मदरा बिक्री अनुवीक्षण रिपोर्ट (केवल के दुकानें जिनकी दिनांक ....महीना..........वर्ष........... की दैनिक औसत बिक्री की तुलना में 30% की वृध्दि हुई है)

क्रम सं.	दुकान का नाम एवं पता	दिनांक........महीना........वर्ष..... की दैनिक औसत बिक्री (थोक लीटर में)	कल की बिक्री (थोक लीटर मे)	बिक्री में प्रतिशत की वृध्दि (%)	वृध्दि के कारण	की गई कार्रवाई

अनुलग्नक- घ14

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली– 110001

सं. 491 / एसएम / 2013 / संचार दिनांक : 25 अक्तूबर, 2013

सेवा में,

1. सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
2. सभी राष्ट्रीय /राज्जीय मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष / महासचिव

विषय:- निर्वाचन अभियान में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के संदर्भ में आयोग के अनुदेश।

महोदय,

निर्वाचन प्रचार के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर और सोशल मीडिया में निर्वाचन विधि के ऐसे कतिपय उल्लंघनों, जिनका निर्वाचनों में पारदर्शिता और समान अवसर दिए जाने के हित में विनियमन करना जरूरी है, पर भी आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया था।

सोशल मीडिया लोगों के बीच परस्पर संवाद के ऐसे साधन कहे जाते हैं जिनमें वे वर्चुअल समुदायों और नेटवर्कों में सूचना और विचारों का सृजन करते हैं, आपस में बांटते हैं और/या आदान-प्रदान करते हैं। यह कई पहलुओं जैसे गुणवत्ता, पहुंच, बारम्बारता, प्रयोज्यता, तात्कालिकता, और स्थायित्व में पारम्परिक /इंडस्ट्रियल मीडिया से भिन्न होता है। वेब एवं सोशल मीडिया की विद्यमानता में समय के साथ-साथ बढ़ोतरी हुई है और राजनीतिक एवं सामाजिक समूहों से ऐसी मांगें आई हैं कि निर्वाचनों के दौरान सोशल मीडिया का विनियमन किया जाए जैसे कि अन्य मीडिया का विनियमन किया जाता है।

सोशल मीडिया के मोटे तौर पर पांच भिन्न-भिन्न प्रकार हैं:-

क) सहयोगपरक (यथा विकीपीडिया)

ख) ब्लॉग एवं माइक्रोब्लॉग (यथा ट्विटर)

ग) विषय-वस्तु (कन्टेंट) समुदाय (यथा यू ट्यूब)

घ) सोशल नेटवर्किंग साइट (यथा फेसबुक)

ङ) वर्चुअल गेम-वर्ल्ड्स (यथा एप्पस)

निर्वाचन प्रचार से संबंधित विधिक उपबंध सोशल मीडिया पर उसी तरह लागू होते हैं जैसे वे किसी अन्य मीडिया का इस्तेमाल करके किए जाने वाले निर्वाचन प्रचार के किसी अन्य रूप पर लागू होते हैं। चूंकि, सोशल मीडिया, मीडिया का अपेक्षाकृत नया रूप है इसलिए, सभी संबंधितों को निम्नलिखित अनुदेशों के द्वारा सुस्पष्ट कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है:-

क. <u>अभ्यर्थियों द्वारा अपने सोशल मीडिया खातों के बारे में दी जाने वाली सूचना</u>

अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित है कि वे नाम- निर्देशन दाखिल करते समय प्रपत्र - 26 में शपथ-पत्र दाखिल करें। विस्तृत अनुदेश और वह फार्मेट, जिसमें शपथ-पत्र भरे जाने हैं, आयोग के पत्र सं. 3/4/2012/एसडीआर दिनांक 24 अगस्त, 2012 के जरिए जारी किए गए थे। इस प्रपत्र के पैरा 3 में यह अपेक्षा की गई है कि अभ्यर्थी के ई-मेल आईडी, यदि कोई हो, के बारे में आयोग को इस प्रपत्र में सूचित किया जाना चाहिए। आयोग यह आवश्यक समझता है कि अभ्यर्थियों के प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों के बारे में भी आयोग को सूचित किया जाना चाहिए। यह सूचना उक्त पैरा 3 में उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो नीचे दी गई है:-

"मेरा / मेरे टेलीफॉन नंबर है/हैं .... मेरा / मेरे ई-मेल आईडी (यदि कोई हो)…………………….…..है / हैं, और मेरा/मेरे सोशल मीडिया एकाउंट .... है / हैं।"

ख. <u>राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन</u>

एसएलपी (सिविल) एन. 6679/2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के अनुसरण में आयोग ने अपने आदेश सं. 509 /75/2004/जेएस-I /4572 दिनांक 15.04.2004 के जरिए इस विषय पर विस्तृत अनुदेश जारी किया था। इस आदेश में यह कहा गया था कि टेलीविजन चैनलों पर और / या केबल नेटवर्क पर विज्ञापनों को जारी करने का इरादा रखने वाली प्रत्येक पंजीकृत/राष्ट्रीय और राज्जीय राजनीतिक पार्टी और निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशन से पहले पूर्व-प्रमाणन के लिए भारत निर्वाचन आयोग / नामोद्दिष्ट अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा | यह आदेश आयोग के आदेश दिनांक 27.08.2012 के जरिए आगे संशोधित और समेकित किया गया था जिसमें जिला एवं राज्य स्तरों की मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों को अन्य प्रकार्यों यथा पेड न्यूज के विरूद्ध कार्रवाई करना आदि के साथ ऐसे विज्ञापन के पूर्व-प्रमाणन का उत्तरदायित्व दिया गया था। चूंकि ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइटें भी परिभाषा के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसलिए, आयोग के अपने आदेश सं. 509/75/2004/ जेएस- I/4572 दिनांक 15.04.2004 में निहित अनुदेश भी, आवश्यक परिवर्तनों सहित सोशल मीडिया वेबसाइटों के सहित वेबसाइट पर लागू होंगे और पूर्व-प्रमाणन की परिधि में आएंगे। इसलिए, आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि राजनीतिक दलों / अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइटों सहित इंटरनेट आधारित कोई भी मीडिया / वेबसाइटों के लिए कोई भी राजनीतिक विज्ञापन, उसी फार्मेट और उन्हीं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व-प्रमाणन कराए बिना रिलीज नहीं किए जाएं जैसाकि पूर्वोक्त आदेशों में संदर्भित है।

ग. <u>सोशल मीडिया वेबसाइटों सहित इंटरनेट के माध्यम से प्रचार पर व्यय</u>

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77, उप-धारा (1) के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अपेक्षित है कि वे उस तारीख, जिस दिन उन्होंने नाम-निर्देशन दाखिल किया है और वह तारीख जब उसके परिणाम की घोषणा हुई है, दोनों ही दिन सम्मिलित, के बीच उसके या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन से संबंधित सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखे | भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में कॉमन कॉज

बनाम भारत संघ में निर्देश दिया गया था कि राजनीतिक दलों को भी निर्वाचनों के खर्च का एक विवरण भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे विवरण विधान सभा निर्वाचनों के 75 दिनों और लोक सभा निर्वाचनों के 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं | यह स्पष्ट है कि सोशल मीडिया में कोई विज्ञापन के माध्यम से निर्वाचन प्रचार पर होने वाला व्यय निर्वाचनों से संबंधित सभी व्यय का हिस्सा है।

कोई भी अस्पष्टता दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि अभ्यर्थी व्यय का सही लेखा अनुरक्षित करने और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने, दोनों, के लिए प्रचार के सभी व्ययों में सोशल मीडिया के विज्ञापनों के व्यय भी सम्मिलित होंगे। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विज्ञापनों को कैरी करने के लिए इंटरनेट कंपनियों और वेबसाइटों को किए गए भुगतान के साथ-साथ विषय-वस्तु के रचनात्मक विकास पर होने वाले प्रचार संबंधी प्रचालनात्मक व्यय, ऐसे अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा अपने सोशल मीडिया एकाउन्ट्स को बनाए रखने के लिए नियोजित कामगारों की टीम को दिए गए वेतनों और मजदूरियों पर प्रचालनात्मक व्यय, आदि सम्मिलित होंगे।

घ. <u>सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर विषय-वस्तु पर आदर्श आचार संहिता का लागू होना</u>

आयोग ने निर्वाचनों के दौरान राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता बनाई हुई है जो आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा करने की तिथि से लेकर निर्वाचनों के सम्पन्न होने तक लागू रहती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आदर्श आचार संहिता के उपबंध और आयोग के समय-समय पर जारी सम्बद्ध अनुदेश अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइट सहित इंटरनेट पर डाले जाने वाली विषय-वस्तु पर भी लागू होंगे।

ड. अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों से इतर व्यक्तियों द्वारा डाली गई विषय-वस्तु का जहां तक संबंध है आयोग इस मुद्दे से निपटने के व्यावहारिक तरीकों, जहां तक कि वे राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के निर्वाचन प्रचार से जुडी हैं, या उनसे तर्कसंगत रूप से जोड़ा जा सकता है, पर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परामर्श से इस मामले पर विचार कर रहा है।

कृपया ये अनुदेश तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों, मीडिया और निर्वाचन प्रेक्षकों सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाएं।

भवदीय,
ह./-
(राहुल शर्मा)
अवर सचिव
टेलीफोन : 011-23052070

अनुलग्नक-घ15

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाइल सं. 76/ अनुदेश / 2012 / ईईपीएस / वाल्यूम-I दिनांक : 22 जनवरी, 2014

सेवा में

सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण 1 के अंतर्गत राजनीतिक दल के नेताओं (स्टार प्रचारकों) द्वारा उपगत निर्वाचन व्यय से संबंध में स्पष्टीकरण-तत्संबंधी मामला।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय पर आयोग के दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के समसंख्यक पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2009 तथा 20 अगस्त, 2009 के पत्र सं. 76/2009/एसडीआर, दिनांक 31.10.2008 के पत्र सं. 437/6/अनुदेश / 2008 के पैरा (iii) तथा दिनांक 20.01.2012 के पत्र सं. 76 / अनुदेश /2012 / ईईपीएस के पैरा 3 (प्रतियां संलग्न है) के अधिक्रमण में, मुझे निम्नानुसार स्पष्टीकरण देने का निदेश हुआ है :-

(क) यदि कोई परिचारक, सुरक्षा कर्मी, चिकित्सा परिचारक सहित या कोई व्यक्ति दल के सदस्य सहित, जो कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है या इलैक्ट्रोनिक या प्रिंट मीडिया का कोई प्रतिनिधि, राजनैतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक) के साथ उसके वाहन / विमान / हेलीकॉप्टर में यात्रा करता है तो ऐसे नेता का यात्रा व्यय पूर्णतया राजनैतिक दल के लेखा में जोड़ा जाएगा बशर्ते कि नेता (स्टार प्रचारक) के साथ वाहन का प्रयोग करने वाले राजनीतिक दल के उक्त सदस्य अथवा मीडिया कर्मी अथवा परिचर निर्वाचन प्रचार में किसी भी अभ्यर्थी के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी भूमिका अदा नहीं करता हो। तथापि, यदि नेता के साथ वाहन का प्रयोग करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार में किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य करता है या यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे नेता (नेताओं) के साथ उनके वाहन / विमान / हैलीकॉप्टर में यात्रा करता है तो नेता के यात्रा व्यय का 50% ऐसे अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के खाते में डाला जाएगा।

(ख) राजनैतिक दलों के नेताओं (स्टार) प्रचारकों के नाम, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के स्पश्टीकरण 2 में परिभाषित किया गया है, राजनैतिक दलों द्वारा ऐसे निर्वाचनों के लिए अधिसूचना की

तारीख से सात दिनों की अवधि के अन्दर भारत निर्वाचन आयोग या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर दिया जाना है और ऐसे नेता को उस तिथि से जब भारत निर्वाचन आयोग या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास उनके नाम सहित सूची प्राप्त की गई हो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन लाभ प्राप्त करने का हकदार हैं।

(ग) यदि नेता (स्टार प्रचारक) अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी रैली का हिस्सा है तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन लाभ प्राप्त करने का हकदार है। यद्यपि, यदि नेता (स्टार प्रचारक) किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहा है तो वह उक्त अधिनियम की धारा 77 के अधीन, अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए व्ययों में लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और उसके निर्वाचन क्षेत्र में हुए यात्रा व्ययों सहित, उसके द्वारा आयोजित बैठकों या रैली पर हुआ व्यय उसके निर्वाचन व्यय के लेखा में जोड़ा जाएगा।

(घ) यदि रैली/बैठक नेता (स्टार प्रचारक) के निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित की जाती है जहां नेता अन्य नेताओं के साथ मंच साझा करता है तो बैठक का व्यय नेता तथा ऐसे सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में बांट दिया जाता है। यद्यपि, यदि, वह (स्टार प्रचारक) अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अपने दल के दूसरे अभ्यर्थियों के साथ रैली / बैठक में भाग लेता है तब बैठक व्यय ऐसे सभी अभ्यर्थियों जिनके लिए निर्वाचन प्रचार, ऐसी रैली /बैठक आयोजित की जाती है, के निर्वाचन व्यय में बांटा जाएगा और उसके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर आयोजित ऐसी रैली / बैठक का व्यय का कोई भी भाग नेता (स्टार प्रचारक) के निर्वाचन व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा।

यह राज्य में सभी राजनैतिक दलों सहित सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए।

भवदीय,

ह./-

(एस.के. रूडोला)

सचिव

अनुलग्नक- घ16

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/2014/ई ई पी एस/वाल्यूम-VII   दिनांक : 09 अप्रैल, 2014

सेवा में

सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2014-मंत्रियों/अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले सुरक्षा कवर पर व्यय- अनुदेश तत्संबंधी।

संदर्भ :

(i) आयोग का पत्र सं. 437/6/96 - पी एल एन -III दिनांक 09.04.1996;
(ii) आयोग का पत्र सं. 437/6/2007/ पी एल एन - III दिनांक 24.10.2007;
(iii) आयोग का पत्र सं. 464 / अनुदेश /2009/ई पी एस दिनांक 08.02.2009;
(iv) आयोग का पत्र सं. 437/अनुदेश/2009/सी सी तथा बी ई दिनांक 25.03.2009

महोदय / महोदया,

आयोग ने, पूर्व में, ऐसी लागत (व्यय) के लेखाकरण के संबंध में समय-समय पर कई अनुदेश जारी किए हैं, जो मंत्रियों/स्टार प्रचारकों / अभ्यर्थियों को उनकी सुरक्षा पात्रता के आधार पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुरक्षा पर उपगत होगा।

2. आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि सुरक्षा वाहन तथा गार्डों पर उपगत व्यय का अभ्यर्थियों द्वारा या राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। भ्रम को दूर करने के लिए तथा सभी संबंधितों की सुविधा के लिए सुरक्षा कर्मी/सुरक्षा वाहनों पर व्यय से संबंधित विषय का आदर्श आचार संहिता के लागू होने की अवधि के दौरान अनुपालन करने के लिए एतद्द्वारा परितुलन किया जाता है और दोहराया जाता है।

(i) भारत सरकार के निदेशों के अंतर्गत 'जेड+' (जेड प्लस) सुरक्षा कवर प्राप्त व्यक्ति-विशेष के लिए राज्य के स्वामित्व वाले एक बुलेट प्रूफ वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति है। ऐसे व्यक्ति, चाहे वे पद धारण करते हों या नहीं, तथा चाहे वे अभ्यर्थी हों या नहीं, को आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आने वाली निर्वाचन-अवधि के दौरान उक्त राज्य स्वामित्व वाले बुलेट प्रूफ वाहनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। स्टैण्ड-बाय के नाम पर एक से अधिक वाहनों का इस्तेमाल करने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए

जब तक कि कोई खास मामले में सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट रूप से विहित न कर दिया जाए। ऐसी अवधि के दौरान जब इसका प्रयोग गैर-आधिकारिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे वाहनों के प्रणेदनन की लागत का वहन किया जाना चाहिए।

(ii) दौरा करने वाले ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 77 के स्पष्टीकरण के अनुसरण में राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित 'स्टार प्रचारक' हैं, के मामले में इससे संबंधित व्यय दल के खाते (लेखा) में डाला जाएगा। यदि स्टार प्रचारक एक अभ्यर्थी है, तो निर्वाचन-क्षेत्र में वाहन की प्रणोदन-लागत उसके निर्वाचन व्यय लेखा में डाली जाएगी।

(iii) यदि सुरक्षा सुविधा का लाभ लेने वाला पार्टी पदाधिकारी एक स्टार प्रचार नहीं है, तथा वह अभ्यर्थी के लिए प्रचार करता है, तो ऐसे प्रचार के लिए इस्तेमाल में लाए गए सुरक्षा वाहन की प्रणोदन लागत अभ्यर्थी के खाते में जोड़ी जाएगी।

(iv) पायलटों, एस्कार्ट्स आदि के सहित काफिले के साथ-साथ चलने वाले वाहनों की संख्या पूरी तरह से सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुदेशों के अनुसार होगी तथा किसी भी परिस्थिति में उनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ऐसे सभी पायलट /एस्कार्ट्सं वाहन, चाहे वे सरकार के स्वामित्व वाले हों या भाड़े पर लिए गए हों, की प्रणोदन लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उपलब्ध कराए गए मैन पावर की लागत पर भी कोई वसूली नहीं किए जाने की जरूरत है।

3. ये अनुदेश सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाएं।

भवदीय,

ह. /-

(एस. के. रूडोला)

सचिव

अनुलग्नक- घ17

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/2014/ई ई पी एस खण्ड-I दिनांक : 09 मई, 2014

सेवा में

सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी |

विषय: अभ्यर्थी/स्टार प्रचारक द्वारा मतदान के पश्चात तथा परिणाम की घोषणा से पूर्व यात्रा-तत्संबंधी-मामला I

महोदय,

ऐसे दृष्टान्त रिपोर्ट किए गए हैं कि राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों सहित निर्वाचन लड़ने वाले कई अभ्यर्थी मतदान के पश्चात आधिकारिक या गैर-आधिकारिक प्रयोजन से विमानों / हैलीकॉप्टरों का प्रयोग करते हैं तथा यात्रा पर हुए ऐसे व्यय के लेखांकन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस विषय वस्तु में, मुझे निम्नलिखित अनुसार स्पष्ट करने का निदेश हुआ है :-

(i) मतदान के पश्चात तथा परिणाम की घोषणा से पूर्व के व्यय, जिसे निर्वाचन के संबंध में कहा जा सकता है, का केवल अभ्यर्थी द्वारा लेखांकन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार किया जाएगा।

(ii) अतः, मतदान की तिथि के पश्चात स्टार प्रचारक या अभ्यर्थी की यात्रा पर व्यय, जो निर्वाचन से संबंधित नहीं है, को किसी भी अभ्यर्थी के लेखे में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि स्टार प्रचारक / अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है जहां उसने निर्वाचन लड़ा है तो मतगणना की तिथि से पूर्व या मतगणना के दिन, मतगणना की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के भीतर हुए यात्रा व्यय को उसके लेखे में जोड़ा जाएगा।

(iii) यदि मतदान के पश्चात, स्टार प्रचारक के निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर उसके यात्रा व्यय को राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाता है तो उस राजनीतिक दल द्वारा उक्त व्यय को विधान सभा निर्वाचन की समाप्ति के 75 दिन के भीतर या लोक सभा निर्वाचन के 90 दिन के भीतर, आयोग को प्रस्तुत किए गए अपने लेखे में दर्शाना होगा।

2. इस संबंध में, एतद्द्वारा, आपसे अनुरोध है कि राज्य में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, व्यय प्रेक्षकों, अभ्यर्थियों तथा राजनीतिक दलों को सूचित कर दें।

भवदीय,

ह./-

(अविनाश कुमार)

अवर सचिव

अनुलग्नक- घ18

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 61/शिकायत/2014/ई ई पी एस/खण्ड-VI दिनांक : 09 जून, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: लोकसभा साधारण निर्वाचन-2014-विमान / हेलिकॉप्टर के पार्किगं प्रभार का लेखांकन-तत्संबधी।

महोदय / महोदया,

निर्वाचन प्रचार के दौरान अभ्यर्थियों / दलों द्वारा रिर्पोट किए जा रहे पाक्रिंग प्रभारों के लेखांकन के बारे में आयोग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस मामले में, मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि विमान / हेलिकॉप्टर के पार्किगं प्रभारों की गणना निम्नलिखित अनुसार की जाएगी:-

1. विमानन क्षेत्र में, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण या अलग-अलग हवाई अड्डे पर प्राइवेट हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार विमान के पार्किगं प्रभार (दिन/रात) प्रभारित किए जाते हैं। अतः, अभ्यर्थी के व्यय की गणना के लिए वास्तविक रूप में भुगतान की गई धनराशि या ऐसे हवाईअड्डों पर देय धनराशि प्रभारित होगी। वाणिज्यिक हवाईअड्डों से भिन्न स्थानों पर, पार्किगं प्रभार प्रचालक या अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई वास्तविक धनराशि के अनुसार होंगे।
2. अतः, किसी भी विमान के पार्किगं प्रभारों की गणना करने के लिए, वाणिज्यिक हवाईअड्डों पर पार्किगं प्रभार भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण या प्राईवेट हवाईअड्डा प्रचालक से प्राप्त कर लेने चाहिए। अन्य स्थलों पर पार्किगं के लिए, विमान की पार्किगं हेतु प्रचालक या अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक प्रभारों को गणना के प्रयोजनार्थ लिया जाएगा ।
3. व्यय के लेखांकन के किसी भी विवाद पर, आयोग के दिनांक 14.03.2013 के अनुदेश सं. 76/अनुदेश/ई ई पी एस/2013/ खण्ड-I (संलग्न 3 पृष्ठ) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
4. आपसे अनुरोध है कि हाल ही में सम्पन्न लोकसभा निर्वाचन-2014 तथा आन्ध्र प्रदेश, उडीसा, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन, 2014 एवं कुछ अन्य उप-निर्वाचनों के दौरान तैनात व्यय प्रेक्षकों सहित इसे सभी के ध्यान में लाएं।

भवदीय,

ह./-

(अविनाश कुमार)

अवर सचिव

अनुलग्न- घ19

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खण्ड –II दिनांक : 29 मई, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए वाहनों की अनुमति और निर्वाचन व्यय के लेखों में व्यय उपगत कराना-तत्संबंधी।

महोदया / महोदय,

मुझे, आयोग के दिमांक 16 मार्च, 2007 के पत्र सं. 437/6/2007-पीएलएल-III (खण्ड –III) की ओर आपका ध्यात्न आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि, निर्वाचनों के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रचार अभियान के उद्देश्य से वाहनों का उपयोग करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाती है। आयोग के ध्यान में यह आया है कि कुछ अभ्यर्थी प्रचार-अभियान में उपयोग के लिए वाहनों की अनुमति लेते हैं और भाड़े पर लिए गए/चलाए गए वाहनों पर उपगल व्यय को अपने निर्वाचन व्यय के लेखों में प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसे वाहन निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्राय: अन्यों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं।

2. इसलिए, मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि यदि अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात दो दिन से अधिक की समयावधि के लिए प्रचार-अभियान में लगाए गए वाहन (नों) को प्रयोग में नहीं लाते हैं तो, वे ऐसे वाहनों के लिए अनुमति वापस लेने हेतु रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेंगे। यदि, अभ्यर्थी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी को प्रचार अभियान में लगाए गए ऐसे वाहनों की अनुमति को वापस लेने हेतु सूचित नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने प्रचार-अभियान के उद्देश्य के लिए अनुमति प्रास वाहनों का प्रयोग किया है और तदनुसार, ऐसे वाहनों के प्रयोग के लिए अधिसूचित दरों के अनुसार यह व्यय उनके निर्वाचल व्यय के लेखों मैं जोड़ा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के व्यय कां लेखांकल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे सभी बाहनों और अनुमत्ति वापस लेने सम्बन्धी अनुरोधों का विवरण लेखांकल दल को दिया जाएगा।

3. इसे सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों और उनके एजेंटों, संबंधित अधिकारियों और व्यय प्रेक्षकों के ध्यान में लाया जाए।

4. कृपया इस पत्र की पायती दें।

भवदीय,

ह./-

(एस. के. रूडोला)

सचिव

अनुलग्नक- घ20

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/2016/ एस डी आर दिनांक 30 अप्रैल, 2016

सेवा में,

सभी मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीक्रत
गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों
के अध्यक्ष/महासचिव

विषय: सभी अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्यय -निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनार्थ विदेशी दौरों पर जाने हेतू यात्रा व्यय - तत्संबंधी

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा अन्तःस्थापित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20क के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो अपने रोजगार, शिक्षा अथवा अन्यथा के कारण भारत में अपने सामान्य निवास स्थान पर न होकर भारत के बाहर है (चाहे अस्थायी रूप से अथवा नही),उनके पासपोर्ट में यथाउल्लिखित भारत में उनका निवास स्थान जिस निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है, की निर्वाचक्त नामावली मे अपना नाम पंचीकृत कराने के हकदार है। भारत में निर्वाचकों के रूप में इस प्रकार से पंजीकृत भारतीय नागरिक (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत "प्रवासी निर्वाचन" कहा जाएगा) जब संयोगवश मतदान वाले दिन अपने मूल स्थान पर उपस्थित होते हैं तो भारत में उनके संबंधित मूल निर्वाचन क्षेत्रों में जहां वे ऐसे प्रवासी निर्वाचकों के रूप मे रिजिस्ट्रीकृत है, में वोट डालने के हकदार होंगें। विधि के उपर्यक्त उपबंधों के अनुसरण में विदेशों मे रह रही भारतीय नागरिकों की बड़ी संख्यां ने लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ देश के विभिन्न हिस्सों मे निर्वाचक नामावलियों में अपना नाम पंजीकृत करा लिया है ।

2. आयोग के ध्यान में लाया गया है कि केरल ,पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साधारण निर्वाचनों तथा कुछ राज्यों में हाल ही में आयोजित किए जा रहे उप निर्वाचनों के वर्तमान चक्र के संबंध मे कुछ अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनार्थ भारत से विदेशों की यात्रा कर रहे हैं ताकि वे उन देशों में बसे हुए प्रवासी निर्वाचकों से अपने पक्ष में वोट मांग सके। इस सैदर्भ मे, आयोग ने सपष्ट किया है कि हालांकि दलीय नेताओं, अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा बाहर जाकर प्रवासी निर्वाचकों से वोट मांगना विधि के अधिन वर्जित नहीं है, अतः उन अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ताओं या दलीय नेताओं द्वारा उन देशों मे उनकी यात्रा, भोजन-आवास इत्यादि पर किया गया सारा व्यय उनके निर्वाचनों कें संदर्भ में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत या उपगत किया गया माना जाएगा । अतः इस प्रकार के सभी व्यय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 77(1) के अंतर्गत ही माने जांएगे और संबंधित अभ्यर्थी द्वारा

उनके निर्वाचन व्यय के लेखों में शामिल किए जाएंगे और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन होंगे।

3. इसके अतिरिक्त आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रवासी निर्वाचकों को "एयर टिकट" या अन्य किसी प्रकार का प्रल्लोभन देना कि वे उक्त निर्वाचनों में मतदान के प्रयोजनार्थ भारत आएं, भारतीय दंड संहिता कि धारा 171 ख के अन्तर्गत "रिश्वत" संबंधी निर्वाचक्रीय अपराध होगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(1) के अर्थों में "रिश्वत" संबंधी अष्ट आचरण भी होगा | यह कहने कि जरुरत नही है कि ऊपर उल्लिखित निर्वाचकीय अपराध और रिश्वत संबंधी भ्रष्ट आचरण करना विधि ते सुसंगत उपबंधों के अधीन संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई को आकृष्ट करेगा इसके आलावा कोई अन्य व्यक्ति या संगठन जो उक्त निर्वाचनों में मतदान के संबंध में प्रवासी निर्वाचकों के भारत आने का यात्रा व्यय वहन करता है अथवा अभ्यर्थी या उनके या उनके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से उनका वोट मांगने के लिए ऐसे ही प्रकार के अन्य प्रलोभन देता हैं तो यह भी उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई आकृष्ट करेगा।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पार्टी द्वारा खड़े किए गए सभी अभ्यर्थियों को विधि के उपर्युक्त उपबंधों में उनके अनुपालन, मार्गदर्शन और सूचनार्थ सुचित करें।

5. आयोग द्वारा विधि सम्बन्धी उपर्यक्त स्पष्टीकरण भ्रविष्य में ल्रोक सभा और राज्य विधान सभाओं से सभी निर्वाचनों में समान रुप से लागू होगा

6. कृपया पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(के.एफ. विलफ्रिड़)

प्रधान सचिव

सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचक अधिकारियों को प्रतिलिपि। यह अनुरोध किया जाता है कि इस पत्र की प्रति आपके राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों को दी जाए |

अनुलग्नक- घ21

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नह दिल्ली-110001

सं. 76/ईसीआई/अनु.प्रकार्या/ईईएम/ईईपीएस/2019/खंड-XX दिनांक:18 अप्रैल, 2019

सेवा में

सभी राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: लोक सभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019-विज्ञापनों/पारदर्शिता रिपोर्ट पर खर्च पर नज़र रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म-तत्संबंधी

महोदय/महोंदया,

मुझे आयोग के दिनांक 25 अक्तूबर, 2013 के पत्र संख्या 491/एसएम/2013/संचार [**अनुलग्नक-घ14,** निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार-संग्रह (फरवरी, 2019)] का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि **गूगल, फेसबुक और ट्विटर अपने प्लेटफार्मों के निम्नलिखित लिंकों पर ''एड ट्रांस्पेरेंसी रिपोर्ट्स'' प्रदर्शित करके प्रदत्त राजनीतिक विज्ञापनों (पेड पोलिटीकल एडवरटाइजमेंट) के संबंध में पारदर्शिता बरत रहे हैं; इन प्लेटफार्मों पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक प्रचारों हेतु किए गए भुगतानों को दर्शाया गया है:-**

(i) https://transparencyreport.google.com

(ii) https://www.facbook.com/ads/library/report/?Source=archive-landing-page&country=IN

(iii) https://ads.twitter.com/transparency

2. आपसे अनुरोध है कि आवश्यक अनुपालन हेतु इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकाशियों, व्यय प्रेक्षकों और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण **दल** के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय

ह./-

(राजन जैन)

(अवर सचिव)

अनुलग्नक- घ22

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नह दिल्ली-110001

सं, 76/ईसीआई/अनु.प्रकार्या/ईईएम/ईईपीएस/2019/खंड-XVIII दिनांक : 19 मई, 2019

सेवा में

सभी राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: लोक सभा के साधारण निर्वाचन-2019-हेलीपैड निर्माण और पार्किंग प्रभारों पर उपगत व्यय का लेखांकन-स्पष्टीकरण-तत्संबंधी

महोदय/महोंदया,

ऐसा देखा जाता है कि राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों दवारा निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनार्थ बड़ी संख्या में हैलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जा रहा है। हेलीपैडों के निर्माण से संबंधित व्यय के सबंध में एक स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार हैलीपैड के निर्माण के साथ-साथ हैलीपैंड साइट विकास, विघटित सामग्री को हटाना और हैलीकॉप्टर के पार्किंग प्रभार राजनैतिक दल के नेता (स्टार प्रधारक के रूप में लोकप्रिय) के संबंध में उनकी यात्रा, उनकी सुरक्षा पात्रता पर विचार किए बिना, संबंधित राजनैतिक दल का व्यय उसी राजनैतिक दल द्वारा उपगत किया जाएगा और उनके निर्वाचन व्यय के लेखे में जोड़ा जाएगा न कि अभ्यर्थी(थियाँ) के निर्वाचन व्यय के लेखे में जोड़ा जाएगा।

2. स्टार प्रचारक जो कि अभ्यर्थी भी है अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने के लिए हैलीकॉप्टर को किराए पर लेने, हैलीपेड तैयार करने इत्यादि पर उपगत व्यय का लेखा रखेगा। तथापि, अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने हेतु जाने और उस निर्वाचन क्षेत्र सें वापस आने का यात्रा व्यय उसके खाते मैं दर्ज नहीं किया जाएगा (ईसीआई के दिनांक 24.10.2008 के पत्र संख्या 437/6/1/2008-सीसी और बीई की प्रति संलग्न)।

3. आपसे अनुरोध है कि आवश्यक अनुपालन हेतु इस स्पष्टीकरण को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों, व्यय प्रेक्षकों और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय

ह./-

(राजन जैन)

(अवर सचिव)

‘ङ’

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखे का रख-रखाव करना

भाग 'ङ' की विषय-सूची

क्र. सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
1.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन खर्चों के लेखे का रख-रखाव करने की प्रक्रिया	208
2.	निर्वाचन व्यय के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा खोले जाने वाले अलग-अलग बैंक खाते	208-210
3.	अभ्यर्थी द्वारा बनाए रखा जाने वाला निर्वाचन व्यय का रजिस्टर	210
4.	निर्वाचन खर्चों, नकदी और बैंक रजिस्टर के दिन-प्रतिदिन के लेखे को भरने की प्रक्रिया	210-211
5.	अभ्यर्थी की ओर से अतिरिक्त व्यय एजेंट की नियुक्ति	211-212
6.	अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन खर्चों का लेखा दर्ज करने के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं	212-213
7.	लेखा समाधान बैठक	214
8.	निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने के कारण स्थगित किए गए मतदान में निर्वाचन व्यय की सीमा	214-215
9.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अधीन उस अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की अपेक्षा, जिसकी मृत्यु हो गई है	215

निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके नाम-निर्देशन की तिथि और परिणाम की घोषणा की तिथि (दोनों तिथियां सम्मिलित) के बीच उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या अधिकृत सभी प्रकार के निर्वाचन व्यय का सही और सटीक लेखा-जोखा रखना है। इस तरह, उन्हें भिन्न-भिन्न रजिस्टरों में अपने निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का लेखा बनाए रखना है, इस संबंध में सभी बिलों और वाउचरों का संकलन करना है और साथ ही साथ, उन्हें अधिसूचित तिथियों को अपने लेखे का निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण करवाना है। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का ठीक तरीके से लेखा बनाए रखना ऐसा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो एक अभ्यर्थी को कर्तव्यपरायणता के साथ निष्पादित करना है अन्यथा निर्वाचन खर्चों के उसके लेखे में विसंगति पाए जाने के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अंतर्गत निरर्हता कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

1. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखे के रख-रखाव की प्रक्रिया :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार नाम निर्देशन की तारीख से परिणाम घोषित होने तक, दोनों तारीखों को सम्मिलित करते हुए निर्वाचन के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा निर्वाचन के संबंध में सभी व्ययों, चाहे वह उसके द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए हों या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा, अलग एवं सही लेखा रखेगा |

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 उपबंधित करती है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना होता है। इस 30 दिन की अवधि की गणना में परिणाम घोषित करने की तारीख शामिल नहीं है। आयोग का दिनांक 10.4.1995 का पत्र सं. 76/95/ जे.एस.- II (**अनुलग्नक–ङ4** पर प्रति संलग्न) स्पष्ट करता है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के हित में उन्हें जिस भाषा में निर्वाचक नामावली मुद्रित की गई है उसी भाषा यथा हिंदी, अंग्रेजी या अन्य किसी स्थानीय भाषा (ओं) में, निर्वाचन व्यय दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन नामावली के लिए अनुमोदित प्रादेशिक भाषा में उनके निर्वाचन व्यय के लेखे की विवरणियां दाखिल करने के संबंध में फार्म/ रजिस्टर / नियमों के उद्धरण प्राप्त हों तथा कोई भी अभ्यर्थी यह शिकायत न कर सके कि वह निर्वाचन व्यय की विवरणियां दाखिल करने के संबंध में सांविधिक अपेक्षाओं से अनभिज्ञ था, इसलिए वह प्रतिदिन के लेखे का उचित रूप से तदनुसार लेखा नहीं रख पाया। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए समय-समय पर जारी आयोग के विभिन्न अनुदेश **अनुलग्नक- ङ5- ङ6** पर दिए गए हैं।

2. निर्वाचन व्यय के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पृथक बैंक खाते का खोला जाना : (अनुलग्नक–ङ7 पत्र सं. 76/अनुदेश /2013/ ईईपीएस / खण्ड -IV, दिनांक 15 अक्तूबर, 2013)

केवल निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण को सरल बनाने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से एक पृथक बैंक खाता खोलने की अपेक्षा की जाती है। यह खाता अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन दाखिल करने के कम से कम एक

दिन पहले खोला जाएगा। नाम-निर्देशन दाखिल करते समय अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में इस बैंक खाते के खाता संख्या की सूचना दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इसी बैंक खाते से किए जाएंगे। निर्वाचन कार्यों पर व्यय किया जाने वाला सारा पैसा, अभ्यर्थी की स्वयं की निधि सहित किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त निधि का ध्यान किए बिना, इसी बैंक एकाउंट में जमा करवाया जाएगा। परिणाम की घोषणा के बाद, सार-विवरणी फाईल करते समय व्यय के खाते के विवरण के साथ-साथ अभ्यर्थी बैंक खाते का खाता विवरण की प्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा। जहाँ कहीं भी अभ्यर्थी ने अपना बैंक खाता नहीं खोला या फिर बैंक खाते का लेखा विवरण नहीं दिया है तो रिटर्निंग आफिसर को ऐसे सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने सम्बन्धी नोटिस जारी कर देना चाहिए |

निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाता खोल सकता है। यह बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति, जो कि अभ्यर्थी का निर्वाचन एजेंट नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जाना चाहिए।

बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है। ये खाते को-ऑपरेटिव बैंकों या डाक घरों सहित किसी भी बैंक में खोले जा सकते हैं। अभ्यर्थियों के विद्यमान बैंक खाते इस प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं करने चाहिए क्योंकि निर्वाचन प्रयोजनार्थ अलग बैंक खाता होना चाहिए |

जिला निर्वाचन अधिकारी सभी बैंकों, डाक घरों को उचित अनुदेश जारी करेंगे ताकि अभ्यर्थियों को बैंक खाते खोलने में अविलंब सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्वाचन उद्देश्य से समर्पित काउंटर खोला जाना सुनिश्चित किया जा सके | निर्वाचन अवधि के दौरान उन्हें प्राथमिकता पर उक्त खातों से आहरण एवं जमा की अनुमति भी दी जानी चाहिए।

आयोग ने अनुदेश सं) 76/अनुदेश/2011/ईईएम दिनॉक 7.4.2011 (**अनुलग्नक-घ7**) इस आशय से जारी किया है कि निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खातों से अभ्यर्थी 'रेखांकित आदाता को देय चैक' द्वारा सभी निर्वाचन व्यय उपगत करेगा। तथापि, यदि अभ्यर्थी (र्थियों) द्वारा व्यय की किसी भी मद के लिए किसी व्यक्ति/हस्ती को राशि देय है तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यह राशि 10,000/-रू0 से अधिक नहीं है तो निर्वाचन प्रयोजनार्थ खोले गए बैंक खाते से इस राशि का आहरण कर यह व्यय नकद रूप में उपगत किया जा सकता है। अन्य सभी भुगतान उक्त बैंक खाते से 'रेखांकित आदाता को देय चैक' द्वारा किए जा सकते हैं।

सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे निर्वाचन के उद्देश्य के लिए खोले गए पृथक बैंक खाते में निर्वाचन व्यय के लिए निश्चित की गई राशि जमा कर दें और उनके सभी निर्वाचन व्ययों को उक्त खाते में से खर्च किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नामांकन से पहले अगर अलग बैंक खाता नहीं खोला गया है या बिना

उक्त खाते में जमा किए कोई अन्य राशि खर्च की गई है तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने 'अपेक्षित रीति के अनुसार' खाते का रख-रखाव नहीं किया है।

आयोग ने पारदर्शिता तथा लेखांकन के हित में यह भी निदेश दिया है कि, अभ्यर्थीगण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी एक व्यक्ति या इकाई से नकद रूप में या ऋण के रूप में 10,000/- रु. से अधिक के अंशदान प्राप्त नहीं करेंगे तथा अभ्यर्थी द्वारा 10.000/- रु. से अधिक के सभी अंशदान ऋण आदाता के खाते में देय चेक या ड्राफ्ट या खाता हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे एवं अभ्यर्थीगण ऐसे व्यक्तियों / इकाईयों के पूरे नाम तथा पता रखेंगे जिसका दिन-प्रतिदिन के लेखे तथा निर्वाचन व्यय के सार विवरण के संगत स्तम्भों में उल्लेख किया जाएगा। (**अनुलग्नक- ङ8, अनुलग्नक- ङ11** और **अनुलग्नक–ङ12**)

3. अभ्यर्थी द्वारा बनाए रखा जाने वाला निर्वाचन व्यय रजिस्टर :

प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अपेक्षित है कि वह नाम-निर्देशन कागजात दाखिल करते समय एरिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे दिए गए रजिस्टर (**अनुलग्नक – ङ1**) में अपने निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा बनाए रखे। रजिस्टर के तीन हिस्से होंगे :

(i) सफेद पन्नों में पार्ट 'क' में दैनिक लेखे का रजिस्टर

(ii) गुलाबी पन्नों में पार्ट 'ख' के अनुसार नकद रजिस्टर तथा

(iii) पीले पन्नों में पार्ट 'ग' के अनुसार बैंक रजिस्टर

अभ्यर्थी को ऊपर उल्लिखित ये रजिस्टर प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निर्वाचन प्रेक्षक को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ संख्यांकित होना चाहिए तथा रजिस्टर में पृष्ठों की कुल संख्या के बारे में रजिस्टर के प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। रजिस्टर में संपूर्ण निर्वाचन अवधि के लिए पर्याप्त पृष्ठ होने चाहिए। तथापि, यदि रजिस्टर जल्दी भर जाता है तो अभ्यर्थी अनुपूरक रजिस्टर मांग सकता है और रिटर्निंग अधिकारी उसी फार्मेट में उसे अनुपूरक रजिस्टर जारी करेगा। अभ्यर्थी इन रजिस्टरों को प्राप्त करने की पावती देगा। जिला निर्वाचन अधिकारी को इस प्रकार की रसीद की प्रति रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त करनी चाहिए।

4. निर्वाचन खर्चों के दैनिक लेखे के रजिस्टर, कैश तथा बैंक रजिस्टर भरने की प्रक्रिया

(क) दैनिक लेखे का रजिस्टर:

यह रजिस्टर संपूर्ण निर्वाचन खर्चो के निमित्त है जिसमें 9 स्तंभ हैं और इसे दैनिक आधार पर तिथिवार भरना होता है। जब कभी किसी विशेष दिवस को कोई व्यय नहीं होता, उस तारीख के सामने 'शून्य' लिखना चाहिए। सभी स्तंभों को भली प्रकार से भरने के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक तारीख को उपगत/प्राधिकृत खर्चों की कुल धनराशि (प्रदत्त/बकाया दोनो के सहित) भी भरी जाए। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी स्त्रोत से वस्तु रूप में

प्राप्त और निर्वाचन-प्रचार में प्रयुक्त वस्तुओं या सेवाओं का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। वास्तव में, इस रजिस्टर में अभ्यर्थी /निर्वाचन एजेंट / पार्टी / अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उपगत / प्राधिकृत निर्वाचन व्यय अंतर्विष्ट होते हैं। ऐसे खर्चों के स्रोत के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपनी स्वयं की निधि से उपगत/प्राधिकृत राशि का संगत स्तंभ में उल्लेख किया जाना चाहिए। चाहे राशि राजनैतिक पार्टी से प्राप्त की गई हो या राजनैतिक पार्टी द्वारा प्राधिकृत की गई हो, चाहे नकद हो या किसी वस्तु के रूप में हो, उन सबका उल्लेख संबंधित कॉलम में किया जाना चाहिए। राजनैतिक पार्टी से इतर किसी व्यक्ति या हस्ती से या तो नकद या वस्तु रूप में प्राप्त कोई भी धनराशि के स्रोत का इस निमित्त बनाए गए स्तंभ में उल्लेख किया जाना चाहिए।

(ख) कैश रजिस्टर:

किसी भी स्त्रोत से नकदी में प्राप्त सभी धनराशि, जिसमें अभ्यर्थी के बैंक खाते से निकासी भी शमिल है, को नाम-निर्देशन की तारीख से परिणामों की घोषणा तक तिथिवार कैश रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उस व्यक्ति या हस्ती का नाम तथा पता, जिससे धनराशि नकद के रूप में प्राप्त हुई है, की प्रविष्टि भी कैश रजिस्टर के प्राप्ति कॉलम में की जाएगी। यदि निर्वाचन प्रयोजनार्थ खोले गए बैंक खाते से नकदी का आहरण किया जाता है तो उसे उचित विवरण के साथ प्राप्ति कॉलम में दिखाया जाना चाहिए । नकदी में उपगत सभी खर्चों को 'भुगतान' स्तंभ में दिखाया जाना चाहिए। जब नकदी की कोई राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है तो उसे भी 'भुगतान' स्तंभ में दर्ज किया जाएगा जहां कहीं भी प्राप्ति या अदायगी नहीं की गई है, वहां 'शून्य' का उल्लेख किया जाना चाहिए। तिथिवार नकद शेष भी दिखाया जाना अपेक्षित हैं। यदि अभ्यर्थी के किसी शाखा कार्यालय या किसी व्यक्ति को नकदी दी गई तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, सभी भुगतान चैक से किए जाने के प्रयास करने चाहिए तथा निर्वाचन अभियान के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में धनराशि ले जाने से बचना चाहिए |

(ग) बैंक रजिस्टर :

अभ्यर्थी किसी भी स्त्रोत से निर्वाचन खर्चों के निमित्त प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि, जिसमें उसकी निजी निधि भी शमिल है, निर्वाचन के प्रयोजनार्थ खोले गए बैंक खाते में जमा करवाएगा। सभी निर्वाचन खर्चों को केवल इस बैंक खाते से चैक जारी करके ही उपगत किया जाएगा। तथापि, लघु खर्चों के मामले में, जहां चैक जारी करना संभव नहीं है, रकम का नकदी में निकासी कर उचित वाउचरों के साथ भुगतान किया जाएगा। जमा, निकासी तथा दैनिक शेष का ब्यौरा बैंक रजिस्टर के संबंधित स्तभ में दर्ज किया जाएगा। जहां कहीं कोई जमा या निकासी नहीं की गई है, वहां तिथि के सामने 'शून्य' लिखा जाना चाहिए |

5. अभ्यर्थी की ओर से अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति

आयोग के विद्यमान अनुदेशों के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों को यह अनुमति दी जाती है कि व्यय संबंधी विभिन्न मामलों में अभ्यर्थी की सहायता करने के लिए निधारित फार्मेट (**अनुलग्नक–ङ3**) में अतिरिक्त एजेंट की नियुक्ति कर सकता

है। यदि किसी व्यक्ति को नियम के अंतर्गत संसद का या विधान मण्डल का सदस्य होने या चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तथा जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 40 के अंतर्गत निर्वाचन एजेंट कें रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसे ऐसा अतिरिक्त एजेंट नियुक्त नहीं करना चाहिए। मंत्री /संसद सदस्य / विधायक / पार्षद / मेयर या कार्परेशन/सभापति या नगर पालिका/जिला परिषद को अभ्यर्थी के एजेंट के रूप में नियुक्त करने के विरुद्ध सामान्य निषेध है, इसी प्रकार अतिरिक्त एजेंट की नियुक्ति के लिए भी यही नियम लागू होगा। यह नोट किया जाए कि अतिरिक्त एजेंट असांविधिक कार्यों के निष्पादन के लिए होते हैं न कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 12 के साथ पठित धारा 40 के अंतर्गत नियुक्त निर्वाचन एजेंट के अभ्यर्थी की ओर से कर्तव्य निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत होते हैं।

6. अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने हेतु प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं:

(क) लेखा दाखिल करने हेतु प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं:

अभ्यर्थी को अपने दैनिक रजिस्टर, बिल और वाउचर्स तथा सहायक दस्तावेज के साथ-साथ **अनुलग्नक–ङ2** के अनुसार सार विवरण प्रस्तुत करना है। सार विवरण में पावती फार्म के साथ-साथ भाग I से भाग IV तक होता है और तत्पश्चात उसकी अनुसूची 1 से 11 तक होती है। इन अनुसूचियों में विभिन्न मदों पर अभ्यर्थी अथवा पार्टी या अन्यों द्वारा उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय के ब्योरे, अभ्यर्थियों के फंड का स्रोत दिखाया जाता है। उसके सभी भागों और अनुसूचियों को भली प्रकार भरा जाना चाहिए और जहां यह लागू न हो, अभ्यर्थी को 'शून्य' या लागू नहीं' लिखना चाहिए।

(ख) सार विवरण के साथ अपेक्षित दस्तावेज :

प्रेक्षक द्वारा यथानिरीक्षित निर्वाचन व्यय के दैनिक लेखा का रजिस्टर वाउचर्स सहित मूल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी मद के लिए वाउचर्स संलग्न नहीं किए जाते हैं तो इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि क्यों अपेक्षित वाउचर्स प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं था। सभी बिलों और वाउचरों पर या तो अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं।

(i) सार विवरण का भाग I से भाग IV तक और अनुसूचियां 1 से 11 तक पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं।

(ii) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा यथा प्रमाणित बैंक विवरण की प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए।

(iii) प्रारूप के अनुसार शपथपत्र पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ही हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं और इसे सार विवरण के साथ जमा कराया जाना चाहिए।

(iv) आयोग द्वारा यथानिर्धारित पावती जिसमें निर्वाचन व्यय के लेखे की प्राप्त करने की तिथि और समय इंगित किया होगा, को भी इस प्रयोजनार्थ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैनात अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए।

(v) रजिस्टर के निरीक्षण के समय रिटर्निंग अधिकारी या व्यय प्रेक्षक द्वारा इंगित की गई व्यय की किसी भी मद में विसंगति के मामले में ऐसी मद पर विसंगति हेतु कारण सहित स्पष्टीकरण अलग से संलग्न किया जाना चाहिए।

(vi) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिसों की प्रतियां और निर्वाचन व्यय के संबंध में प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण भी संलग्न किया जाना चाहिए।

(vii) अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ता को यह बताया जाना चाहिए कि सांविधिक उपबंधों के अधीन वह अभ्यर्थी भी जो निर्वाचन हार गए हैं, उनको भी निर्धारित रीति और निर्धारित समय के अंदर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने होते हैं अन्यथा वे निरहित होने के भागी होंगे।

(ग) दोषपूर्ण विवरणों के परिणाम:

ऐसे विवरण दाखिल करना जो सही और सत्य न हों, के परिणामस्वरूप चूक हेतु आयोग द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है जिसके कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन उसे संसद या राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य होने या सदस्य चुने जाने के लिए तीन साल की अवधि के लिए निरर्हित किया जा सकता है।

लेखा प्राप्त करने के लिए काउंटर पर उपस्थित अधिकारी को यह जांच कर लेनी चाहिए कि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत लेखे सभी प्रकार से पूर्ण एवं अभ्यर्थी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किए गए हैं। निर्वाचन अभिकर्ता का प्रमाणपत्र ही पर्याप्त नहीं है। यह जांच भी की जानी चाहिए कि लेखा विवरण के साथ दाखिल किए जाने वाले सभी अपेक्षित दस्तावेज यथा रजिस्टर, सार विवरण पार्ट (I से IV तक और शपथपत्र सहित अनुसूची 1 से 11 तक) बिल और वाउचरों को लेखे के साथ संलग्न किया गया है। बिलों और वाउचरों पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं। यदि अपूर्ण लेखे दाखिल किए जाते हैं तो कमियों का उल्लेख पावती रसीद में ही किया जाना चाहिए और अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को विधि द्वारा निर्धारित समय के अंदर सही और पूर्ण लेखे दाखिल करने के अनुदेश देते हुए उसी समय बता दिया जाना चाहिए। निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 87 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी से अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के अपने लेखे दाखिल करने की तारीख से दो दिन के अंदर नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाने की अपेक्षा की जाती है जिसमें अभ्यर्थी का नाम और लेखा दाखिल करने की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए निर्वाचन व्यय के लेखे के सार विवरण की प्रति और ऐसे लेखे दाखिल करने के दो दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के बोर्ड पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम रनर-अप के संबंध में नोटिस बोर्ड पर सूचित किया जाएगा। लेखों की प्रति 1/- रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क अदा करने पर जनता के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

7. लेखा समाधान बैठक: (अनुलग्नक-ग10, ग12)

(क) परिणाम की घोषणा की तारीख से 26वें दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली लेखा समाधान बैठक में, अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय की कम करके बताई गई धनराशि, यदि कोई हो, के समाधान के लिए और एक मौका दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को इस बैठक के बारे में परिणाम की घोषणा के दिन को या तक लिखित में सूचित किया जाए ताकि वे/उनके निर्वाचन एजेंट निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एकत्रित सबूतों तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी नोटिसों के साथ अपने निर्वाचन व्यय के लेखे में निर्वाचन व्यय की विवादित मदों का लेखा-समाधान कर सकें |

(ख) लेखे की संवीक्षा करने के बाद डीईएमसी उन मामलों में विस्तृत कारण देते हुए आदेश पारित करेगी जिनमें अंतरों का कोई लेखा-समाधान नहीं हो सका और उसे उसी दिन अभ्यर्थी / एजेंट को तामील करेगी। यदि अभ्यर्थी डीईएमसी के आदेश से सहमत है तो वह उसे अपनी अंतिम लेखे में समाविष्ट करेगा। यदि अभ्यर्थी डीईएमसी के आदेश से सहमत नहीं है तो वह अपनी असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखकर अपना अंतिम लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी ने लेखा-समाधान बैठक से पूर्व अपना लेखा पहले ही दाखिल कर दिया है तो वह डीईएमसी के निष्कर्षों को समाविष्ट करने के लिए निर्वाचन की समाप्ति के 30 दिनों की सांविधिक अवधि के अंदर लेखे में संशोधन कर सकता है।

(घ) यदि अभ्यर्थी परिणाम की घोषणा के दिन से 30 दिनों की विनिर्धारित अवधि के अंदर बिना किसी विधिमान्य कारणों के निर्वाचन ख्र्चों के अपने विवरणों को दाखिल नहीं करता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्रेरणा से अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगेंगे और अभ्यर्थी के उत्तर एवं अपनी संस्तुति के साथ आयोग को एिपोर्ट भेजेंगे।

(ङ) लेखा समाधान बैठक के बावजूद, यदि अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल लेखे में कोई असंगति है तो जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी संस्तुतियों, डीईएमसी आदेश, रजिस्टरों, बिलों एवं वाउचरों की प्रमाणित प्रतियों तथा अन्य साक्ष्य सामग्रियों के साथ आयोग को संवीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।

(च) जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट को इसे अंतिम रूप देने के तीन दिनों के अंदर इसकी प्रविष्टि ENCORE में की जानी है। (**अनुलग्नक – ग17**)

8. निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने के कारण स्थगित किए गए मतदान में निर्वाचन व्यय की सीमा

निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर स्थगित किए गए मतदान की स्थिति में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन, पहले से निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी को, जिसकी नाम-निर्देशन करने के उपरांत और मतदान से पहले मृत्यु हो जाती है और उस नव-नामांकित अभ्यर्थी, जिसे मृत अभ्यर्थी के स्थान पर राजनैतिक दल द्वारा नामित किया

जाता है, के लिए अपेक्षित है कि वह संबद्ध राजनैतिक दल द्वारा अपने नामांकन पत्र दायर होने की तारीख से लेकर आयोग द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख तक अपने निर्वाचन व्यय का लेखा बनाए रखे। **(संलग्नक ड.9)**

9. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अधीन उस अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की अपेक्षा, जिसकी मृत्यु हो गई है

अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर उसके निर्वाचन व्यय के लेखे की पूर्वधारणा बनाने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए उस अभ्यर्थी पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 की अपेक्षा लागू नहीं रह जाएगी, जिसकी मृत्यु हो गई है। **(संलग्नक ड· 10)**

अनुलग्नक- ङ1

(भाग - क)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर

अभ्यर्थी का नामः...

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई होः..

निर्वाचन क्षेत्र जहां से निर्वाचन लड़ा गयाः..

परिणाम की घोषणा की तारीखः..

निर्वाचन एजेन्ट का नाम एवं पताः...

उपगत/ प्राधिकृत कुल व्ययः..

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनो तारीखें सम्मिलित)

1.	2.				3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
व्यय /घटना की तारीख	व्यय की प्रकृति				कुल राशि रु. में (भुगतान किया गया+बकाया	आदाता का नाम और पता	बिल सं./ वाउचर सं. और तारीख	अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि	राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशी और राजनैतिक दल का नाम	अन्य व्यक्ति/संस्था/ निकाय/किसी अन्य द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (पूरा नाम और पता लिखें	टिप्पणी, यदि कोई हो
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर								

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे /मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए)।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :-

1. इस रजिस्टर का रख-रखाव दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए एवं यह निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी अथवा उनकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के अध्यधीन होगा |
2. यह रजिस्टर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन व्यय की विवरणी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को मूल रूप में सौपा जाएगा | इसके साथ विहित आरुपों में निर्वाचन व्ययों के सार विवरण और समर्थक शपथ-पत्र अवश्य भेजे जाने चाहिए | कोई भी व्यय की विवरणी निर्वाचन व्ययों के सार विवरण (भाग I से IV तक तथा अनुसूची 1 से 11 तक) एवं शपथ पत्र के बिना पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. केवल उन मदों के वाउचर संलग्न नहीं किए जा सकते हैं जो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 86 (2) में सूचीबद्ध हैं, जैसे डाक व्यय, रेल यात्रा । यदि इस नियम के द्वारा कोई वाउचर संलग्न नहीं किया जाता है तो विहित रजिस्टर में इस प्रभाव से यह स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाना चाहिए कि अपेक्षित वाउचर प्राप्त करना व्यवहार्य क्यों नहीं था।
4. लेखा तथा सार विवरण यदि उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दाखिल किया जाता है तो उसे अभ्यर्थी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तथा अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि रखे गए लेखा की सही प्रति है। अभ्यर्थी को स्वयं शपथ-पत्र पर शपथ लेनी चाहिए |
5. अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा सीधे उपगत अथवा प्राधिकृत व्ययों के अलावा, अभ्यर्थी के निर्वाचन से संबंधित राजनीतिक दल, अन्य संगठन, व्यक्तियों के निकायों, व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत सभी व्यय को लेखा में शामिल किया जाना अपेक्षित है | इसका एकमात्र अपवाद पार्टी के कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए राजनैतिक दल के नेताओं की यात्रा के संबंध में किया गया व्यय है | (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) का स्पष्टीकरण 1 एवं 2 देखें)
6. यदि उपर्युक्त स्तम्भ 2 और 3 में प्रदर्शित किसी मद पर व्यय किसी राजनैतिक दल/संगठन/व्यक्तियों के निकाय/ कोई व्यक्ति (अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त) द्वारा उपगत / प्राधिकृत है तो स्तम्भ 7 और 8 में उसका नाम एवं पूरा पता प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
7. उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ 2 और 3 में निर्दिष्ट कुल व्यय में, सभी नकद व्यय और अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी वस्तुओं और अन्य प्रकार से प्राप्त सेवाओं की कीमत भी शामिल होनी चाहिए।
8. इस रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार सफेद पृष्ठों के भाग-क में दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, गुलाबी पृष्ठों के भाग-ख में यथा उल्लिखित नकद राशि रजिस्टर, तथा पीले पृष्ठो के भाग-ग में यथा उल्लिखित बैंक रजिस्टर शामिल होना चाहिए।

(भाग - ख)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के लेखे के रख-रखाव के लिए नकद रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम : राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई होः

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा :

परिणाम की घोषणा की तिथि :

निर्वाचन एजेन्ट का नाम और पता :

(नामांकन की तिथि से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि तक, दोनो तिथियों सहित)

प्राप्ति				भुगतान				शेष राशि	टिप्पणी, यदि कोई हो
तिथि	व्यक्ति/दल /संस्था /निकाय/किसी अन्य का नाम तथा जिससे राशि प्राप्त की गई	रसीद संख्या	राशि	बिल संख्या/ वाउचर संख्या तथा तिथि	प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	व्यय की प्रकृति	राशि	वह स्थान जहाँ पर या जिस व्यक्ति के पास शेष राशि रखी गई है (यदि नकद एक से अधिक स्थान/व्यक्ति के पास रखा गया है, तो नाम तथा शेष राशि का उल्लेख करें	कोई व्यय जो इस सारणी के स्तम्भ 7 में उल्लिखित है तथा जो भाग-I के सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित नहीं है, उसे यहाँ स्पष्ट किया जाना चाहिए।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन यह मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखी गयी सही प्रति है (परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए)।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(भाग - ग)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के लेखे के रख-रखाव के लिए बैंक रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम : राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई होः

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा था :

परिणाम की घोषणा की तिथि :

निर्वाचन एजेन्ट का नाम और पता :

बैंक का पताः

शाखा का पताः

खाता सं. :

(नामांकन की तिथि से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि तक, दोनो तिथियों सहित)

जमा				भुगतान				शेष	टिप्पणी, यदि कोई हो
तिथि	व्यक्ति/दल /संस्था /निकाय/किसी अन्य का नाम तथा पता जिससे राशि प्राप्त की गई/ बैंक में जमा की गई	नकद /चैक संख्या, बैंक का नाम तथा शाखा	राशि	चैक संख्या	प्राप्तकर्ता का नाम	व्यय की प्रकृति	राशि		कोई व्यय जो इस सारणी के स्तम्भ 7 में उल्लिखित है तथा जो भाग-1 के सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित नहीं है, उसे यहाँ स्पष्ट किया जाना चाहिए।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन यह मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखी गयी सही प्रति है (परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए)।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिन प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव हेतु दिशा निर्देश :

अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वयं के निधि या राजनैतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति, निकाय, संस्था या कम्पनी से प्राप्त रोकड़, चैक अथवा ड्राफ्ट या पे आर्डर को अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से खोले गए अलग बैंक खाते में डाला जाए।

1. <u>प्राप्त किए गए रोकड़ के लिए:-</u>

1.1 <u>निर्वाचन व्यय के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभ्यर्थी का स्वयं का रोकड़:-</u> यदि अभ्यर्थी अपने स्वयं का रोकड़ लाता है तो उसे निर्वाचन व्ययों के लिए खोले गए बैंक खाते में इस रोकड़ को जमा करवाना होगा। तब बैंक रजिस्टर में (दिन-प्रतिदिन के लेखे रजिस्टर का भाग-ग) स्तम्भ-2 में 'अभ्यर्थी की स्वयं की निधि', स्तम्भ-3 में 'रोकड' तथा स्तम्भ-4 में 'धनराशि' लिखकर प्रविष्टि की जाए।

1.2 अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/दल संगठन निकाय से प्राप्त रोकड़:- यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति/दल से रोकड़ प्राप्त किया जाता है, तो इस धनराशि को रोकड़ रजिस्टर (भाग-ख) में प्राप्ति की तरफ स्तम्भ 1 में दिनांक, स्तम्भ 2 में उस व्यक्ति / दल आदि का नाम तथा पता जिनसे रोकड़ प्राप्त किया गया है, स्तम्भ 3 में 'प्राप्ति सं.' (यदि कोई हो) तथा स्तम्भ-4 में नकद धनराशि लिखकर प्रविष्टि की जाए। रोकड़ रजिस्टर में प्रविष्टि करने के बाद यह धनराशि निर्वाचन व्ययों के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा की जाएगी जो निर्वाचन व्ययों के लिए खोला गया है। एक बार यह राशि बैंक खाते में जमा हो जाए तो इसके लिए रोकड़ रजिस्टर में भुगतान के तरफ स्तम्भ 5 में दिनांक, स्तम्भ-6 में 'बैंक खाता संख्या' तथा स्तम्भ-7 में 'जमा' तथा स्तम्भ 8 में 'धनराशि' लिखकर प्रविष्टि की जाए।

1.3 बैंक में राशि जमा होने के बाद, बैंक रजिस्टर (भाग-ग) के स्तम्भ-1 में दिनांक, स्तम्भ-2 में 'अभ्यर्थी का स्वयं का रोकड़, स्तम्भ-3 में 'रोकड', स्तम्भ-4 में राशि लिखकर अद्यतन किया जाए । ऐसा इसलिए करना है ताकि बैंक पासबुक से मिलान करने पर बैंक में जमा धनराशि की निकासी की जा सके |

2. <u>प्राप्त किए गए चेक /ड्राफट / पे आर्डर के लिए</u>

2.1 <u>किसी व्यक्ति / दल/संगठन आदि अथवा अभ्यर्थी के स्वंय के बैंक खाते से प्राप्त किए गए चेक / ड्राफ्ट / पे आर्डरः-</u> यदि अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से किसी व्यक्ति /दल आदि से चेक / ड्राफ्ट / पे आर्डर प्राप्त करता है अथवा वह अपने स्वयं के बैंक खाते से चेक / ड्राफ्ट जारी करता है, तो उसे इन्हें निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए उक्त बैंक खाते में जमा करना होगा | उसे बैंक रजिस्टर के जमा की तरफ स्तम्भ-1 में दिनांक, स्तम्भ-2 में व्यक्ति / दल का नाम तथा पता जिनसे चेक प्राप्त किया गया है, स्तम्भ-3 में ड्राफ्ट /पे आर्डर सं. तथा बैंक का नाम / शाखा तथा स्तम्भ-4 में चेक /ड्राफ्ट / पे आर्डर की राशि का उल्लेख करते हुए प्रविष्टि करनी होगी | यदि यह चेक उसके अपने बैंक खाते से हैं, तो इसे बैक रजिस्टर के स्तम्भ 2 में 'अभ्यर्थी की स्वयं की निधि' में उल्लेख करना है।

3. <u>नकद रूप से भिन्न प्राप्त किया गया सामान एवं सेवाएं :-</u>

3.1 पार्टी अथवा किसी व्यक्ति/ निकाय/ संगठन से नकद रूप से भिन्न प्राप्त कुछ सामग्री अथवा सेवाएं जैसे वाहन, पोस्टर, पैम्फ्लेट, मीडिया का विज्ञापन, हैलीकॉप्टर, हवाईजहाज इत्यादि:- यदि कोई व्यक्ति दल/निकाय/संगठन अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार इत्यादि के लिए गैर नकद रूप में कुछ सामान अथवा सेवाएँ देता है तो इन सामानों के लिए दिन-प्रतिदिन के लेखे के रजिस्टर के भाग क के स्तम्भ-1 में दिनांक स्तम्भ-2 में 'विवरण' मात्रा, प्रति इकाई दर', उक्त रजिस्टर के स्तम्भ-3 में 'व्यय की प्रकृति तथा कुल कीमत' (सामग्रियो का सांकेतिक मूल्य) की प्रविष्टि की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि इस प्रकार की सामग्रियों को राजनैतिक दल द्वारा उपलब्ध कराया गया है, तो इसकी कुल-कीमत तथा राजनैतिक दल का नाम स्तम्भ-7 में लिखा जाना चाहिए तथा यदि इस प्रकार की सामग्री किसी अन्य व्यक्ति/ संगठन आदि के द्वारा दिया गया है तो राशि तथा ऐसे व्यक्तियों / संगठनों आदि के नाम तथा पते को इस रजिस्टर के स्तम्भ 8 में उल्लिखित किया जाएगा।

4. <u>सभी निर्वाचन व्ययों के लिए :</u>

4.1 सभी निवर्चिन व्यय की दिन-प्रतिदिन के लेखे (भाग-क) के रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी। जब कभी भी कोई व्यय उपगत होता है, जैसे-टैक्सी की मॉग की जाती है तो इसकी प्रविष्टि दिन प्रतिदिन के लेखे (भाग-क) के रजिस्टर में स्तम्भ-1 में 'दिनॉक' के अन्तर्गत, व्यय की प्रकृति जैसे टैक्सी नंबर............ स्तम्भ-2 में, कुल घंटे/दिन जिसके लिए मांग की गई है तथा प्रति घंटो/दिन के दर के विवरण के अंतर्गत तथा कुल राशि स्तम्भ-3 में, टैक्सी उपलब्ध कराने वाले का नाम तथा पता स्तम्भ 4 में, बिल/ वाउचर सं. स्तम्भ-5 में की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा राशि का भुगतान किया जाता है, तो इस राशि के स्तम्भ 6 में उल्लिखित करना होगा। यदि टैक्सी उपलब्ध कराने वाले को राशि का भुगतान सीधे राजनैतिक दल के द्वारा किया जाता है तो, दल का नाम तथा राशि स्तम्भ-7 में उल्लिखित होगी, यदि इसका किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया जाता है, तो राशि तथा ऐसे व्यक्ति का नाम एवं पता स्तम्भ-8 में उल्लिखित होगा।

4.2 <u>चेक द्वारा व्ययों के भुगतान के लिए:-</u>

व्ययों के लिए सभी भुगतान (सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एकल पार्टी को रू 10,000/- तक के छोटे/व्ययों की छोड़कर) केवल एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा की जाएगी | चेक से भुगतान करने के लिए बैंक रजिस्टर (भाग-ग) में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी :- स्तम्भ-5 में चेक संख्या, स्तम्भ-6 में अदाकर्ता का नाम जिसे चेक जारी किया गया है, स्तम्भ-7 में व्यय की प्रकृति तथा स्तम्भ-8 में राशि का उल्लेख किया जाएगा।

4.3 <u>छोटे व्ययों के नकद भुगतान के लिए:-</u>

यदि छोटे व्ययों का कोई भी भुगतान नकद रूप में किया जाता है (वह भी तब जब सम्पूर्ण निर्वाचन प्रचार की अवधि के दौरान किसी एक व्यक्ति को नकद भुगतान की राशि रू. 10,000,/- से अनधिक हो) तब नकदी निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए उक्त खाते में से निकाली जाएगी | इसके लिए, प्रविष्टि बैंक रजिस्टर (भाग-

ग), चैक संख्या दर्शाते हुए निकासी के लिए स्तम्भ-5 'स्वय' स्तम्भ-6, व्यय की प्रकृति ' छोटे व्ययों के लिए निकासी’ स्तम्भ-7, और राशि स्तम्भ-8 में लिखी जाएंगी। निकासी के बाद, यह राशि नकद रजिस्टर (भाग-ख) में प्राप्ति की तरफ प्रविष्टि करते हुए दर्शाई जाए | इसके लिए, तारीख स्तम्भ-1, में 'स्वयं' स्तम्भ-2 में, बैंक से निकासी स्तम्भ-3 में और धन राशि स्तम्भ-4 में दर्शाई जाए। यदि ऐसी छोटी राशि विभिन्न ब्रांच कार्यालयों या एजेंटों को छोटे खर्च करने के लिए दिया जाता है, तब राशि और व्यक्ति का नाम/ स्थान स्तम्भ-9 में प्रविष्टि किया जाए | छोटे व्ययों का भुगतान करने के बाद, ऐसे व्यय दिन वार खाते (भाग-क) में प्रविष्टि किया जाए जो निम्नलिखित है: तारीख स्तम्भ-1 में, भुगतान की प्रकृति स्तम्भ-2 में, कुल राशि स्तम्भ-3 में, आदाता का नाम और पता स्तम्भ-4 में, बिल/वाउचर सं. स्तम्भ-5 में और स्वयं स्तम्भ-6 में।

अनुलग्नक- ङ2

निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

भाग-I: निर्वाचन व्ययों का सार विवरण		
I	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी
II	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	
III	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	
IV	निर्वाचन का स्वरूप (राज्य विधान सभा/लोक सभा के साधारणनिर्वाचन/उप-निर्वाचन का उल्लेख करें)	
V	परिणाम घोषित करने की तारीख	
VI	निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता	
VII	यदि अभ्यर्थी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो कृपया उस राजनैतिक दल के नाम का उल्लेख करें	
VIII	क्या राजनैतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है?	हां/नहीं

दिनांक : अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान : नाम

भाग-II अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण					
क्र.सं.	विवरण	अभ्यर्थी/उसकेनिर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय (रूपये में)	राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (रूपये में)	अन्यों द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (रूपये में)	कुल निर्वाचन व्यय(स्तम्भ (3), (4) एवं (5) का जोड़)
1	2	3	4	5	6
I	जन सभाएं, रैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय I. क: जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात्: राजनैतिक दल के स्टार प्रचारकों पर होने वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-1 के अनुसार संलग्न करें)				
	I ख : स्टार प्रचारक (कों) के साथ जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर किया गया व्यय (अर्थात : साधारण पार्टी प्रचार वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची 2 के अनुसार संलग्न करें)				
II	क्रम संख्या-I में उल्लिखित जन सभाओं, रैलियों जुलूस इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर				

	अन्य प्रचार सामग्री (अनुसूची 3 के अनुसार संलग्न करें)				
III	(क) केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित निजी स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो चैनल आदि में प्रिंट तथाइलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची 4 के अनुसार संलग्न करें)				
	(ख) केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित अभ्यर्थी के स्वामित्व या अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल के स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो चैनल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची 4कके अनुसार संलग्न करें)				
IV	अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नों) पर व्यय (अनुसूची 5 के अनुसार संलग्न करें)				
V	प्रचार कार्यकर्ताओं/अभिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची 6 के अनुसार संलग्न करें)				
VI	अन्य कोई प्रचार व्यय				
VII	आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन पर उपगत व्यय (अनुसूची-10 के अनुसार संलग्न)				
VIII	**VIII वर्चुअल प्रचार-अभियान पर होने वाला व्यय (अनुसूची 11 के अनुसार संलग्न करें)**				
	कुल योग				

भाग-III अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई निधियों के स्रोत का सार		
क्र.सं.	**विवरण**	**राशि (रुपये में)**
1	2	3
I	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची 7 के अनुसार संलग्न करें)	
II	पार्टी(पार्टियों) से नकदी या चेक इत्यादि के रूप में में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 8 के अनुसार संलग्न करें)	
III	किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदे इत्यादिके रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 9 के अनुसार संलग्न करें)	
	कुल	

भाग-IV
शपथ-पत्र का प्ररूप

जिला निर्वाचन अधिकारी..(जिला, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) के समक्ष

श्री/श्रीमती/सुश्री......................................सुपुत्र/पत्नी/पुत्री.......................... का शपथ पत्र

मैं,.................................सुपुत्र/पत्नी/पुत्री .... आयु......... वर्षनिवासी.. एतद्द्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूं :-

(1) यह कि मैं,..............................संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से ....की लोक सभा/विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला/वाली अभ्यर्थी था/थी, जिसका परिणाम .... को घोषित किया गया था।

(2) यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक .... (वह तारीख, जब मुझे नामांकित किया गयाथा) एवं उसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने मेरे एवं मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखा है।

(3) यह कि उक्त लेखा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित कियागया था एवं उक्त रजिस्टर, इस लेखा में उल्लिखित अनुसमर्थक वाउचर/ बिल के साथ संलग्न है ।

(4) यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता,मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य एसोशिएशन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एंव अन्यव्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें इसमें शामिल हैं एवं उनमें (लोक प्रतिनिधित्वअधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 एंव 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा केसंबंध में किए गए व्यय को छोड़ कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है।

(5) यह कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के अनुलग्नक-।। में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण मेंमेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/अन्य एसोशिएशन/मुझे समर्थन देने वालेव्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं ।

(6) यह कि पूर्व पैरा (1) से (5) तक में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसारसत्य हैं, और इनमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है ।

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष 202 .... के इस...............दिन में...............................द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ ली गई)

(साक्ष्यांकन प्राधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर तथामुहर)

पावती प्रपत्र

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,
....
....
....

महोदय,

मैं अपने निर्वाचन व्यय के लेखा के रख-रखाव के लिए आपके पत्र सं................................दिनांक................................., जिसके साथ उसके संलग्नकों, जिसमें अन्य दस्तावेजों के सहित क्रम सं..................... वाला रजिस्टर है,.................................की पावती देता हूं।

2. मैंने निर्वाचन व्ययों के लेखे के रख-रखाव और उस लेखे की सत्य प्रति निर्वाचनअधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल करने संबंधी विधिगत अपेक्षाओं को नोट कर लिया है।

भवदीय,

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित)

*जो लागू न हो, उसे काट दें.

पावती (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

....(निर्वाचन क्षेत्र) के परिणाम, जो .... (तिथि) को घोषित कियागया था, के संबंध में निर्वाचन व्ययों का लेखा.. (तिथि) को उनकी ओर से या उनके द्वारा दाखिल किया गया था, मैंने आज .... वर्ष) के.................महीने) के .... दिनांक को प्राप्त कर लिया है।

जिला................................
जिला निर्वाचन अधिकारी
कार्यालय मुहर

अनुसूचियां-1 से 11: निर्वाचन निधियों एवं अभ्यर्थी के व्यय का विवरण

अनुसूची-1

जनसभा/रैली/जुलूस आदि (अर्थात राजनैतिक दल के स्टार प्रचारक के साथ किए गए व्यय के अलावा) में व्यय

क्र. सं.	व्यय का स्वरूप	कुल धनराशि, रूपये में	व्यय के स्रोत		
			अभ्यर्थी/अभिकर्ता द्वाराउपगत/अधिकृत राशि	राजनैतिक दलों के नामसहित उपगतराशि	अन्यों के द्वारा उपगत राशि
1	2	3	4	5	6
1	आगंतुकों को लाने, ले-जाने के लिए वाहन				
2	मंच, पंडाल एवं फर्नीचर, फिक्सचर,पोल आदि तैयार करना				
3	तोरण एवं बैरिकेड आदि				
4	फूल/माला				
5	लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन,एम्पलिफायर, मिलानकर्ता आदि भाड़े पर लेना				
6	पोस्टर, हैंडबिल, पैम्पलैट, बैनर, कटआउट, होरडिंग				
7	पेय जैसे चाय, पानी, कोल्डड्रिंक जूसआदि				
8	डिजिटल टी वी- बोर्ड डिसप्ले,प्रोजक्टर डिसप्ले, टिकर बोर्ड, 3डी डिसप्ले				
9	गण्यमान्य व्यक्तियों पर व्यय, संगीतज्ञों को भुगतान, अन्य कलाकारों का पारिश्रमिक आदि				
10	प्रकाश की मदें जैसे पंक्तिबद्ध लाइट, बोर्ड आदि				
11	परिवहन पर व्यय,हैलीकाप्टर/एयरक्राफ्ट/वाहन/नाव आदि का प्रभार (स्वयं, गणमान्य व्यक्ति या स्टार प्रचारक के अलावा किसी अन्य प्रचारक के लिए)				
12	विद्युत खपत/जनेरेटर प्रभार				
13	स्थल के लिए किराया				
14	गार्ड एवं सुरक्षा प्रभार				
15	स्वयं, गणमान्य व्यक्ति, दल कार्यकर्ता या स्टार प्रचारक सहित किसी अन्य प्रचारक के लिए रहने व खाने का व्यय				
16	अन्य व्यय				
	कुल				

अनुसूची-2

स्टार प्रचारक (कों) के साथ जनसभा, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्थी के लिए यथा प्रभाजित व्यय(सिवाय उन व्ययों के जो सामान्य दल प्रचार पर किए गए हैं)

क्रम सं.	दिनांक एवं स्थान	स्टार प्रचारक (कों) के नाम एवं दल का नाम	स्टार प्रचारक (कों) के साथ जनसभा, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्थी के लिए यथा प्रभावित व्यय (सिवाय उन व्ययों के जो सामान्य दल प्रचार पर किए गएहैं) की राशि रूपये में			टिप्पणी यदि कोई हो
1	2	3	4			5
			व्यय का स्रोत			
			अभ्यर्थी /एजेंट के द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य के द्वारा राशि	
2						
3						
4						

कुल						

अनुसूची-3

अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार के लिए प्रचार सामग्री जैसे हैंड बिल, पैम्पलैटस, पोस्टरों, होर्डिंग, बैनरों, कटआउट्स, गेट एवं आर्च, वीडियों एवं ऑडियों कैसट्स, सी.डी./डी.वी.डी., लाऊड स्पीकरों, एम्पलिफायरों,डिजिटलटी.वी./बोर्ड डिसप्ले, 3 डी डिसप्ले आदि पर होने वाले व्यय का विवरण (अर्थातः अनुसूची 1 एवं 2 में शामिल किए गए व्यय के अलावा)

क्रम सं.	व्यय का स्वरुप	कुल धन राशि, रुपये में	व्यय के स्रोत			टिप्पणी यदि कोई हो
			अभ्यर्थी / एजेंट द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य द्वारा राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
कुल						

अनुसूची-4

केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया न्यूज़ आइटम/टी वी/रेडियो चैनल इत्यादि सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिकमीडिया के माध्यम से प्रचार पर व्यय के ब्योरे जिसमें एम सी एम सी द्वारा निर्णीत या अभ्यर्थियों द्वारा स्वैच्छित रुप से स्वीकृत पेड न्यूज भी शामिल है। इन व्योरों में निजी स्वामित्व वाले अखबारों/टी.वी/रेडियों चैनल इत्यादि में प्रदर्शित/प्रकाशित होने वाली ऐसी सभी खबरों पर उपगत व्यय शामिल हैः

क्र. सं.	मीडिया(इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट) की प्रकृतितथा अवधि	मीडिया प्रोवाइडर का नाम व पता(प्रिंटइलेक्ट्रॉनिक/एसएमएस/वाइस/केबल टी.बी, सोशल मीडिया आदि)	एजेंसी, रिपोर्टर, स्वतंत्र, पत्रकार, कम्पनी या कोईअन्य व्यक्ति का नाम एवं पता, जिसे यदि कोई प्रभार/कमीशन का भुगतान किया गया है/देय है	कुल राशि (रु. में) स्तम्भ	व्यय के स्रोत		
					अभ्यर्थी/अभिकर्ता द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य द्वारा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
कुल							

अनुसूची-4क

केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया, न्यूज आइटम/टी वी/रेडियो चैनल इत्यादि सहित प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार पर होने वाले व्यय के ब्योरे, जिसमें एम सी एम सी द्वारा निर्मित या अभ्यर्थी द्वारा स्वैच्छिक रुप से स्वीकृत पेड न्यूज भी शामिल है। इन व्योरों में अभ्यर्थी या अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल के स्वामित्व वाले अखबार/टी.वी/रेडियों चैनल में प्रदर्शित/प्रकाशित होने वाले ऐसी सभी खबरों पर उपगत व्यय शामिल हैः

क्र सं.	मीडियाकीप्रकृति (इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट) की तथा अवधि	मीडिया प्रोवाइडर का नाम व पता (प्रिंटइलेक्ट्रॉनिक /एसएमएस/वाइस/केबल टी.बी, सोशल मीडिया आदि)	एजेंसी, रिपोर्टर, स्वतंत्र, पत्रकार, कम्पनी या कोई अन्य व्यक्ति का नाम एवं पता, जिसे प्रभार/कमीशन, यदि कोई है, का भुगतान किया गया है/देय है)	कुल राशि (रु. में)	व्यय के स्रोत		
					अभ्यर्थी / अभिकर्ता द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य द्वारा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

1							
2							
3							
4							
कुल							

अनुसूची-5

अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार हेतु प्रचार वाहन (नों) पर व्यय और वाहन (नों) पर मतदान व्यय का विवरण।

क्र. सं.	वाहन का रजिस्ट्रेशन नं. एवं वाहन का प्रकार	वाहन का किराया प्रभार			जिन दिनों में प्रयोग किया गया उनकी संख्या	उपगत/ प्राधिकृत कुल व्यय रुपये में	व्यय के स्रोत		
		वाहन के किराए/रख रखाव की दर	ईधन प्रभार (यदि किराए के अंतर्गत शामिल नहीं है।)	चालक प्रभार (यदि किराए के अंतर्गत शामिल नहीं है।)			अभ्यर्थी/ एजेंट द्वारा व्यय	राजनैतिक दल द्वारा व्यय	अन्य द्वारा व्यय
1	2	3क	3ख	3ग	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
4									
कुल									

अनुसूची-6

मतदान पर्ची के वितरण हेतु मतदान केन्दों से बाहर अभ्यर्थी के बूथों (किऑस्क) पर और प्रचार कार्यकर्ता/अभिकर्ताओं पर होने वाले व्यय के व्योरेः

क्रम सं.	तरीख और स्थल	प्रचार कार्यकर्ताओं पर व्यय			उपगत /प्राधिकृत कुल राशि (रु. में)	व्यय के स्रोत		
		व्यय की प्रकृति	दर	कार्यकर्ताओं/अभिकर्ताओं की संख्या/किऑस्क की संख्या		अभ्यर्थी / अभिकर्ता द्वारा व्यय की गई राशि	राजनैतिक दल द्वारा खर्च की गई राशि	अन्य द्वारा खर्च की गई राशि
1	2	3क	3ख	3ग	4	5	6	7
1		मतदाता पर्ची केवितरण हेतु स्थापित किए गए अभ्यर्थी बूथ (किऑस्क)						
2		प्रचार कार्यकर्ताओं को मानदेय/वेतनइत्यादि						
3		भोजन व्यवस्था						
4		आवास व्यवस्था						
5		अन्य						
कुल								

अनुसूची-7

निर्वाचन प्रचार हेतु प्रयुक्त स्वयं की निधि का विवरण

क्र सं.	दिनांक	नकदी	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक सं. आदि	कुल धन-राशि रूपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1					

2					
3					
4					
कुल					

अनुसूची-8

पार्टी (यों) से नकद या चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट या खाता स्थानांतरण द्वारा प्राप्त एकमुश्त धन राशि का विवरण

क्र. सं.	राजनैतिक दलों के नाम	दिनांक	नकद	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक सं. आदि	कुल धन-राशि रूपये में	टिप्पणी, यदि कोई है
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
कुल						

अनुसूची-9

किसी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संघ/व्यक्तियों के निकाय इत्यादि से कर्ज, उपहार या दान आदि के रूप में प्राप्त एकमुश्त धन राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम एवं पता	दिनांक	नकद	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट / चेक सं. आदि	यदि कर्ज उपहार या दान आदि का विवरण	कुल धन-राशि रूपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
कुल							

अनुसूची-10

समाचार पत्र और टी वी चैनल में आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, के प्रकाशन पर उपगत व्यय का विवरण

क्र. सं.	समाचार पत्र			टेलीविजन			भुगतान का तरीका(इलेक्ट्रोनिक/चैक/डीडी/नकद) (कृपया विवरण दें)
	समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन की तारीख	उपगत संभावित व्यय (रु. में)	चैनल का नाम	अंतर्वेशन/दूरदर्शन प्रसारण की तारीख एवं समय	उपगत संभावित व्यय (रु. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

अनुसूची-11							
वर्चुअल प्रचार-अभियान पर होने वाले निर्वाचन व्यय का ब्यौरा							
क्र. सं.	वर्चुअल प्रचार-अभियान का स्वरूप (सोशल मीडिया प्लेटफार्म/ऐप/अन्य साधनों का उल्लेख करें)	विषय-वस्तु तैयार करने वाले का नाम	संदेश प्रसारित करने वाले मीडिया का नाम	कुल धनराशि (रु. में)	व्यय का स्रोत		
					अभ्यर्थी/एजेंट द्वारा धनराशि	राजनैतिक दल द्वारा धनराशि	अन्य द्वारा धनराशि

ध्यान दें

1. अनुसूची 5 में :-

   (क) आदेश की प्रति जिसमें सभी वाहनों की सूची निहित है, जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारीकिए गए हैं, संलग्न की जानी है।

   (ख) यदि अभ्यर्थी/उसके रिश्तेदार/एजेंट का वाहन निर्वाचन कार्यों के प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ऐसेसभी वाहनों को किराए पर लेने का कल्पित किराया, केवल एक वाहन को छोड़कर जो अभ्यर्थी का है और उसके प्रयोग में लाया जा रहा है, ईंधन का कल्पित किराया और ऐसे वाहनों के चालक का वेतन, उपरोक्त सारणी में व्यय की कुल धन राशि में जोड़ा जाएगा।

2. सभी अनुसूचियों में वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा; या किसी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संघों/व्यक्ति निकाय आदि द्वारा अभ्यर्थी के पक्ष पर उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसीवस्तुओं एवं सेवाओं का कल्पित किराया ऊपर दिए संबंधित कॉलमों में दर्शाया जाना चाहिए।

3. भाग-III में, राजनैतिक दल या अन्यों से प्राप्त निधि या अभ्यर्थी की स्वयं की कुल धन-राशि कातिथि-वार उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में ऐसी धन राशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गएअभ्यर्थी के बैंक खाते में पहले जमा करा देनी चाहिए।

4. सार विवरणी का प्रत्येक पृष्ठ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षारित किया जाना चाहिए।

(आयोग द्वारा अपने पत्र सं. 76/वर्चुअल कैम्पेन/ईईपीएस/2022, दिनांक 15 जनवरी, 2022 के जरिए संशोधित, अनुबंध-च9 पर रखा हुआ है)

अनुलग्नक- ङ3

व्यय मामलों के लिए अतिरिक्त एजेन्टों की नियुक्ति हेतु प्रपत्र

(साधारण) उप -निर्वाचन के लिए .... (वर्ष का उल्लेख करें)

1. राज्य का नाम
2. निर्वाचन क्षेत्र का नाम
3. अभ्यर्थी का नाम और पता
4. संबद्ध पार्टी, यदि कोई हो
5. अतिरिक्त एजेन्ट का नाम
6. अतिरिक्त एजेन्ट का पूरा डाक पता
7. सम्पर्क टेलीफोन सं.

मैं..(अभ्यर्थी का नाम) एतद्द्वारा, उपरोक्त निर्वाचन के लिए श्री/श्रीमती/..को अपने अतिरिक्त एजेन्ट के रूप में नियुक्त करता हूं। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उन्हें विधि के अधीन संसद या राज्य विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित नहीं किया गया है और उक्त व्यक्ति कोई मंत्री / संसद सदस्य / विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य / निगम मेयर / नगरपालिका / जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं है और ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे राज्य द्वारा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान:
दिनांकः

अनुलग्नक- ङ4

निर्वाचन आयोग का दिनांक 10.04.1995 का आदेश सं. 76/95 / न्या.अनु.-II

<u>आदेश</u>

विषय: वह भाषा जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जा सकता है।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अधीन, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, निर्वाचन व्ययों का लेखा जिस भाषा में दाखिल कर सकता है, इस प्रश्न का आयोग द्वारा परीक्षण किया गया।
2. निर्वाचन विधि के अधीन सभी सांविधिक दस्तावेजों एवं फॉर्मों को स्थानीय स्वीकृत भाषाओं में प्रिन्ट करके उपलब्ध कराया जाता है। अभ्यर्थी एवं अन्य व्यक्तियों की विविध याचिकाओं एवं प्रत्यावेदनों को स्थानीय भाषाओं में दाखिल करने की अनुमति दी गई है | इन दस्तावेजों को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया गया है कि वे हिन्दी या अंग्रेजी में नहीं हैं।
3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जो अभ्यर्थी इन भाषाओं में दक्ष नहीं है वे वंचित महसूस करेंगे तथा अभ्यर्थी द्वारा दाखिल निर्वाचन व्ययों का लेखा इस आधार पर अस्वीकृत करना कि यह अंग्रेजी या हिन्दी में नहीं है, न्यायोचित नहीं होगा | यदि निर्वाचन व्ययों के लेखे में कोई गलतियां पाई जाती हैं तो उस पर हिंदी या अंग्रेजी के ज्ञान की कमी का आरोप लगाया जा सकता है |
4. सभी सांविधिक दस्तावेज और फॉर्म स्थानीय स्वीकृत भ्राषाओं में तैयार किए जाएंगे, इस आदेशात्मक उपबन्ध के अलावा आयोग अपने प्रमुख आदेशों एवं अनुदेशों में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश देता है कि यदि वे आदेश और अनुदेश राज्य की राजनीतिक पार्टियों, अभ्यर्थियों और जनता के मध्य व्यापक प्रचार और परिचालन के लिए हैं तो उनका स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करवा लिया जाए।
5. इस प्रकार, विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की निष्पक्षता के लिए उन्हें निर्वाचन व्ययों का लेखा हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा जिसमें निर्वाचक नामावली मुद्रित है, दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी | यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को, निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने से सम्बन्धित फॉर्म/रजिस्टर/नियमों का उद्धरण इत्यादि निर्वाचक नामावली के लिए अनुमोदित स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो जाएं जिससे कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी यह शिकायत न कर पाए कि उन्हें निर्वाचन व्ययों की विवरणी दाखिल करने से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं की जानकारी नहीं है और वह तदनुसार समुचित रूप से अपने दैनिक लेखे का रख-रखाव कर सकता है।

अनुलग्नक- ङ5

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 3.4.2004 का पत्र सं० 3/1/ 2004 / न्या.अनु.- II

विषयः- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के प्रयोजन के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नाम।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण -2 के अधीन मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजनीतिक पार्टियों को उक्त धारा के अधीन स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (1) का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नेताओं के नाम आयोग और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संचारित करने अपेक्षित हैं।

आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में राजनीतिक पार्टियों से प्राप्त प्रत्येक सूची की प्रतिलिपि, राज्य में सभी प्रेक्षकों एवं सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को भेजी जाए।

अनुलग्नक–ङ6

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिवों को संबोधित दिनांक 31 अक्तूबर 2008 का आयोग का पत्र संख्या 437/6/आई एन एस टी/2008 - सी सी तथा बी ई

विषयः- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण के खण्ड (क) का लाभ उठाते हुए प्रचारकों द्वारा सड़क परिवहन के प्रयोग-के संबंध में|

(i) मुझे आयोग के दिनांक 16 अक्तूबर, 2007 के पत्र सं. 437/6 / 2007 /वोल्यूम-IV-पी एल एन-III द्वारा जारी आयोग के अनुदेशों और दिनांक 7 अक्तूबर, 2008 के पत्र सं. 3/7/2008/ जे एस-III द्वारा जारी अनुदेशों का संदर्भ लेने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने पहले ही रक्षार्थ वाहनों के प्रयोग संबंधी दिशा - निदेशों को संशोधित कर दिया है। परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (क) के अधीन दिए स्पष्टीकरण के खण्ड (क) का जिन नेताओं ने लाभ उठाया है, उनके द्वारा निर्वाचन अभियान के दौरान सड़क पर कारवां के साथ जाने वाले वाहनों की संख्या की अनुमति के संबंध में पहले का अनुदेश संशोंधित किया गया है और उसके स्थान पर यह अनुदेश है।

कारवां में वाहनों की संख्या पर प्रतिबन्ध वापस ले लिया गया है, तथापि कारवां के वाहनों को ऊपर संदर्भित नए अनुदेश के अनुसार उल्लिखित शर्त की पुष्टि करनी होगी।

(ii) यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण के खण्ड (क) का लाभ उठाने वाले राजनीतिक दलों द्वारा सड़क परिवहन प्रणाली का प्रयोग किया जाना है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस बात की परवाह किए बिना, कि वही वाहन किसी नेता द्वारा पूरे राज्य में निर्वाचन अभियान के लिए प्रयोग किया जाना है या ऐसे पार्टी नेताओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वाहन प्रयोग किए जाने हैं, केन्द्र रूप से अनुमति जारी की जाएगी | परमिट उस सम्बद्ध व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाएगा जो किसी भी क्षेत्र में उसके द्वारा प्रयोग किए जा रहे वाहन के विंडस्क्रीन में इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा | अभ्यर्थियों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रकार जारी किए गए परमिट का रंग, जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले परमिट के रंग से स्पष्ट रूप से भिन्न होगा।

(iii) यदि इस तरह मद संख्या II में अनुमति प्राप्त वाहन मद सं. (II) में संदर्भित नेता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भी अधिकृत है तो ऐसे मामले में इसका 50% व्यय उस क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के लड़ने वाले अभ्यर्थी से सम्बद्ध पार्टी के व्यय में दर्ज किया जाएगा।

(iv) यदि अभियान के लिए वीडियो वैन के प्रयोग की अनुमति दिए जाने से पहले किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा राज्य में अभियान के लिए वीडियो वैन का प्रयोग किया जाना है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन का इस तरह का प्रयोग, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हो | इस विषय में आपका ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2006 की दिनांक 23.6.2006 और 14.2.2007 की रिट याचिका सं. 3648 (एम जी) के निर्णय की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है | संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे वाहनों पर उपगत व्यय को जहाँ वैन/ वाहन प्रयोग किए गए हैं, उस क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के व्यय के सम्मुख यथानुपात रूप में वितरित किया गया हो |

इसे तुरन्त सभी राजनीतिक पार्टियों ओर सभी निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों के नोटिस में लाया जाए।

अनुलग्नक–ङ7

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिलली- 110001

सं. 76/अनुदेश/ 2013 /ईईपीएस / खण्ड-IV दिनांक : 15 अक्तूबर, 2013

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ शासित
क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलना-तत्संबंधी मामला।

महोदय / महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन आयोग में निहित है। इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं कि अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार में अत्यधिक धनराशि खर्च करते हैं, जो एक समान अवसर प्रदान किए जाने की भावना के विपरीत है तथा वे अपने निर्वाचन व्ययों के दिन-प्रतिदिन के लेखे में सही व्ययों को नहीं दर्शाते हैं। अतः, निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के लिए, अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों के सही लेखे के अनुरक्षण की सुविधा प्रदान करने तथा इसकी उचित निगरानी के लिए भी भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित अनुदेश जारी करता है :

(i) निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण की सुविधा उपलब्ध करने के लिए, प्रत्येक अभ्यर्थी को विशेषकर निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता खोलना अपेक्षित है। यह खाता निर्वाचन के प्रयोजनार्थ किसी भी समय खोला जा सकता है किन्तु यह अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के एक दिन पहले के पश्चात नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में सूचित की जाएगी। जहां भी अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है, रिटर्निंग अधिकारी, आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे।

(ii) निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जाना चाहिए।

(iii) बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है। खाते, सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाक घरों में खोले जा सकते हैं। अभ्यर्थी के विद्यमान बैंक खाते को इस प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इसे निर्वाचन के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता होना चाहिए।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इस बैंक खाते से ही किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों पर उपगत किए जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहित निधि का स्रोत चाहे जो भी हो, इस बैंक खाते में डाले जाएंगे। परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किए जाने वाले यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय के विवरण सहित इस बैंक खाते की विवरणी की एक स्वप्रमाणित प्रति भी अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकरी को प्रस्तुत की जाएगी।

(v) अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों को निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खाते से क्रास्ड एकाउन्ट पेयी चैक, या ड्राफ्ट या आर टी जी एस/एन इ एफ टी के माध्यम से उपगत करेंगे। तथापि, यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति / इकाई को व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रू. 20,000 /-* से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को, उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों के उद्देश्य से समूची राशि को उक्त बैंक खाते में डाला जाना अपेक्षित है तथा उनके सभी निर्वाचन व्ययों को केवल उक्त खाते से ही उपगत किया जाएगा।

(vii) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को यह भी सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि निर्वाचन आयोग बनाम भाग्योदय जन परिषद तथा अन्य (एस एल पी सं० सी सी 20906 / 2012) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार, न तो कोई अभिकर्ता एवं उनके अनुयायी और न अभ्यर्थी स्वयं ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में रू 50,000/- से अधिक की नकद राशि ले जा सकता है।

(viii) एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई निर्वाचन व्यय बिना उक्त बैंक खाते के माध्यम से किया गया है या उपर्युक्त पैरा (V) में यथा निर्धारित चैक अथवा ड्राफ्ट या आर टी जीएस/एन इ एफ टी के माध्यम से नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा निर्धारित रीति से लेखे का अनुरक्षण नहीं किया है।

(ix) जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिलों में अवस्थित सभी बैंकों / डाक घरों को यथोचित अनुदेश जारी करेंगे कि वे यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयाजनार्थ बैंक खाते खोलने के लिए वे समर्पित काउन्टर खोलें। निर्वाचन अवधि के दौरान, बैंक उक्त खातों में जमा और उनसे आहरण करने की अनुमति प्राथमिकता आधार पर देंगे।

2. मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि इसे सभी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अधिकारियों और सभी संबंधितों के ध्यान में ला दें।

भवदीय,

ह./-

(एस.के.रूडोला)

सचिव

***कृप्या अनुलग्नक- ङ11 और अनुलग्नक- ङ12 को देखें।**

अनुलग्न- ङ8

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/वाल्यूम-॥ दिनांक : 09 जून, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः निर्वाचनों के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य से किसी व्यक्ति, इकाई या राजनीतिक दल से प्राप्त अंशदान इत्यादि-तत्संबंधी।

महोदय,

आयोग ने दिनांक 15.10.2013 के अपने अनुदेश सं. 76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/वाल्यूम-IV में यह निर्धारित किया है कि सभी अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य से एक पृथक बैंक खाता खोलेंगे जिसके माध्यम से ही प्रचार अग्नियान के सभी व्यय उपगत किए जाएंगे। आयोग ने खाता हस्तांतरण के माध्यम से अभ्यर्थियों को सभी भुगतान करने तथा नकद रूप में नहीं करने के लिए राजनीतिक दलों को अनुदेश सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29.08.2014 भी जारी किया है।

2. आयोग के ध्यान में यह आया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थीगण अपने निर्वाचन प्रचार व्यय के लिए राजनीतिक दलों के अलावा अन्य व्यक्तियों या इकाईयों से भी प्राय: नकद रूप में बड़े अंशदान या ऋण प्राप्त करते हैं। जहां तक राजनीतिक दलों का संबंध है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग के उपबंधों के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर राहत का दावा करने के लिए प्राप्त किए गए बीस हजार रूपये की धनराशि से अधिक के अंशदानों को निर्वाचल आयोग के समक्ष घोषित करना अपेक्षित है।

3. उपरोक्त अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि पारदर्शिता तथा लेखांकल के हित में, अभ्यर्थीगण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी एक व्यक्ति या इकाई से नकद रूप मैं या ऋण के रूप में 20,000/- रु. से अधिक के अंशदान प्राप्त नहीं करेंगे तथा अभ्यर्थी द्वारा 20,000/- रु. से अधिक के सभी अंशदान/ऋण अदाता के खाते में देय चेक या ड्राफ्ट या खाता हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे एवं अभ्यर्थीयण ऐसे व्यक्तियों/इकाईयों के पूरे नाम लथा पता रखेंगे जिसका दिन-प्रतिदिन के लेखे तथा निर्वाचन व्यय के सार विवरण के संगत स्तम्भों में उल्लेख किया जांएगा।

4. आप से अनुरोध है कि इसे सभी अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, व्यय प्रेक्षकों तथा संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

भवदीय,

ह./-

(एस. के. रुडोला)

सचिव

***कृप्या अनुलग्नक–ङ11 और अनुलग्नक–ङ12 को देखें।**

अनुलग्न- ङ9

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 76/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./ईईएम/ईईपीएस/2018/खण्ड.। दिनांक: 19 फरवरी, 2018

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
त्रिपुरा
अगरतला

विषय: त्रिपुरा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 – अभ्यर्थी की मृत्यु के कारण स्थगित मतदान में निर्वाचन व्यय की सीमा – तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर आयोग की अधिसूचना सं. 492/टीपी-एलए/2018, दिनांक 15.02.2018 (प्रति संलग्न) को संदर्भित करने और यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार, पहले से ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और 19-चारिलाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नए नाम-निर्दिष्ट सीपीआई(एम) अभ्यर्थी को, आयोग द्वारा अपनी पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 15.02.2018 द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार अपने नाम-निर्देशन फाइल करने की तारीख से 19-चारिलाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम की घोषणा की तारीख तक निर्वाचन व्यय के अपने लेखे का रख-रखाव करना होगा। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 90 के अनुसार, पहले से ही निर्वाचन लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों और 19-चारिलाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नए नाम-निर्दिष्ट सीपीआई(एम) अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है।

2. 19-चारिलाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पहले से ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे का रख-रखाव वैसे ही जारी रखेंगे जैसे कि वे 19-चारिलाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम की घोषणा तक अपने नाम-निर्देशन दाखिल करने की तारीख से रख रहे हैं।

3. यत:, सीपीआई(एम) के नए नाम-निर्दिष्ट अभ्यर्थी 19-चारिलाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम की घोषणा तक अपने नाम-निर्देशन दाखिल करने की तारीख से अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे का रख-रखाव करेंगे।

4. अनुरोध है कि इसे तत्काल संबंधित डीईओ, आरओ, अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों, व्यय प्रेक्षक, अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के संज्ञान में लाया जाए।

भवदीय,

ह./-

(अविनाश कुमार)

सचिव

अनुलग्न- ङ10

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 76/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./ईईएम/ईईपीएस/2018/खण्ड.VII दिनांक: 23 मार्च, 2018

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
त्रिपुरा
अगरतला

विषय: मृत्यु के मामले में शपथपत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं हस्ताक्षर करने के संबंध में स्पष्टीकरण – तत्संबंधी।

महोदय,

आपके पत्र सं. एफ.19 (60)-सीईओ/ईईएम/जीईएन/2017-18 दिनांक 15 मार्च, 2018 के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभ्यर्थी की मृत्यु होने की दशा में लेखा मामले की पूर्वधारणा रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 की अपेक्षा खगेंद्र जमातिया, जो त्रिपुरा विधान सभा निर्वाचन, 2018 में 29-कृष्णपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (अ.ज.जा.) से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, के मामले में लागू नहीं होगी।

भवदीय,
ह./-
(राजन जैन)
अवर सचिव

अनुलग्न- ङ11

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिलली-110001

सं.76/अनुदेश/2018/ईईपीएस   दिनांक: 12 नवम्बर, 2018

सेवा में,

1. सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
2. सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव
3. सभी राजनीतिक दलों के कोषाध्यक्ष

विषय: अभ्यर्थियों / राजनीतिक दलों द्वारा एक दिन में नकद रूप में लेनदेन के माध्यम से निर्वाचन व्यय/चंदे की न्यूनतम सीमा का पुनरीक्षण- रू 10,000/- (दस हजार) से अधिक के लेन-देन का चेक, डीडी, आरटीजीएस/एनईएफटी या अन्य इल्लेक्ट्रॉनिक माध्यम आदि के द्वारा करना तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे, संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन जारी आयोग के पत्र सं.76/अनुदेश/2011/ईईएम, दिनांक 7 अप्रैल, 2011, पत्र सं. 76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/वाल्यूम-IV, दिनांक 5 अक्तूबर, 2013 पत्र सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/वाल्यूम-II, दिनांक. 9 जून, 2015 और पत्र सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013, दिनांक 29 अगस्त/19 नवम्बर, 2014 (प्रतियां सलग्न) को संदर्शित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि नकद रूप में व्यय उपगत करने की अधिकतम राशि रू 20,000/- है। क्रास्ड अकाउन्ट पेयी चेक, बैंक ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा निर्वाचन व्यय उपगत करने के लिए रू. 20,000/- की न्यूनतम सीमा को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40क (3) में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए, आयोग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से पुनरीक्षित कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि अब से, पूर्वोक्त पत्रों में शामिल सभी परिस्थितियों में, अभ्यर्थी या राजनीतिक दलों द्वारा/को रू. 10,000/- (दस हजार) से अधिक के सभी निर्वाचन व्यय/डोनेशन को क्रास्ड अकाउंट पेयी चेक, या ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा या निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए अभ्यर्थी या राजनीतिक दत्र के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपगत किया जाएगा।

2. तदनुसार, आयोग के पत्र सं. 76/अनुदेश/2011/ईईएम दिनांक 7 अप्रैल, 2011 के पैरा(1), पत्र सं. 76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/वाल्यूम-IV दिनांक 15 अक्तूबर, 2013 के पैरा (V), पत्र सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/वाल्यूम-II, दिनांक 9 जून, 2015 के पैरा (3), पत्र सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29 अगस्त, 2014 के पैरा (IV) और पत्र सं.

76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 19 नवम्बर, 2014 के पैरा (5) में, रू 20,000/- के रूप में उल्लिखित अंक/शब्द को रू. 10,000/- (दस हजार) शब्द एवं अंक से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. आयोग का यह अनुदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। उन मामलों में, जहां आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा कर दी गई है, इस अनुदेश को रिटर्निंग अधिकारियों, व्यय प्रेक्षकों, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा अन्य सभी हितधारकों के नोटिस में लाया जाए।

4. इससे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के पत्र सं. पीए.3(1)(2)/आयकर/निर्वा./2018/8348, दिनांक 24 अक्तूबर, 2018 का भी निपटान हो गया है।

भवदीय,

ह./-

(राजन जैन)

अवर सचिव

***कृप्या अनुलग्नक-घ7, ङ7, ङ8, च4 और च6 को देखें।**

अनुलग्न- ङ12

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं.76/अनुदेश/2018/ईईपीएस   दिनांक : 30 नवंबर, 2018

सेवा में

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा एकल दिन में चैक, डीडी, आरटीजीएस/एनईएफटी अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इत्यादि के द्वारा 10,000/-रू. (दस हजार रूपये) से अधिक नकद लेन देन के माध्यम से निर्वाचन व्यय/चंदे की राशि की न्यूनतम सीमा में संशोधन – स्पष्टीकरण तत्संबंधी।

महोदया/महोदय,

मुझे अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रयोजन हेतु खोले गए बैंक खाते से जुड़े क्रॉस्ड अकांउट पेयी चैक, अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों द्वारा 10,000/-रू. (दस हजार रूपये) से अधिक निर्वाचन व्यय करने के संबंध में, आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 12 नवंबर, 2018* को संदर्भित करने का निदेश हुआ है। इस संबंध में एक स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या अभ्यर्थि(यों)/दलों द्वारा यह राशि एकल व्यक्ति/इकाई अथवा कई व्यक्तियों/इकाईयों को/उनसे एकल दिवस अथवा कई दिनों अथवा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान खर्च की जा सकती है।

2. आयोग के पूर्व पत्र दिनांक 12 नवंबर, 2018 के आंशिक संशोधन में, एतद्द्वारा यह उल्लेखनीय कि संपूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान किसी अभ्यर्थी/इकाई के साथ निर्वाचन के संबंध में किए गए एकल लेनदेन अथवा कुल लेन देन के लिए 10,000/-रू.(दस हजार) से अधिक का व्यय किसी अभ्यर्थी/राजनीतिक दल द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रकार का भुगतान अभ्यर्थी के निर्वाचन बैंक खाते से जुड़े किसी अकाउंट पेयी चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा अथवा किसी अन्य इलेक्टॉनिक माध्यम से न किया गया हो।

3. इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थियों द्वारा किसी एकल व्यक्ति/इकाई से एकल अथवा अनेक लेन देन के माध्यम से 10,000/-रू. से अधिक का नकद चंदा/अंशदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि,

राजनैतिक दलों के मामले में दान/चंदा प्राप्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग के वर्तमान प्रावधानों से नियंत्रित होना जारी रहेंगे।

4. आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण रिटर्निंग अधिकारियों, व्यय प्रेक्षकों, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों और अन्य सभी हितधारियों के ध्यान में लाएं।

भवदीय,

ह./-

(राजन जैन)

अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित : - सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव/कोषाध्यक्ष।

***कृप्या अनुलग्नक- ङ11 को देखें।**

‘च’

राजनीतिक दलों

द्वारा

निर्वाचन व्यय के लेखे

का

रख-रखाव करना

राजनीतिक दल लोकतांत्रिक संरचना में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक होते हैं क्योंकि ये उन अभ्यर्थियों को मैदान में उतारते हैं जो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। उनकी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उनके लिए यह लाज़मी हो जाता है कि वे निर्वाचनों के संचालन के दौरान सभी को समान अवसर देने के सिद्धांत का पालन करें। सामान्य दलीय प्रचार के लिए और अभ्यर्थियों को सहयोग देने के लिए उनके द्वारा उपगत व्यय की दल के स्तर पर उपयुक्त तरीके से लेखा-जोखा रखे जाने की जरूरत है। राजनीतिक दलों को यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके अभ्यर्थी विहित व्यय सीमाओं का पालन करें और विहित समय एवं रीति में निर्वाचन प्राधिकारियों को उसकी रिपोर्टिंग करें।

राजनीतिक दल

सुप्रीम कोर्ट ने कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (ए. आई. आर. 1975 एससी 308) दिनांक 10.04.1974 मामले में अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि राजनैतिक दल द्वारा उपगत व्यय, जिसे बताए गए अभ्यर्थी के निर्वाचन के साथ अभिज्ञात किया जा सकता है तथा जो साधारण दलीय प्रचार पर किए गए व्यय से भिन्न होता है, को अभ्यर्थी द्वारा विवक्षित रूप से प्राधिकृत किए जाने के कारण यह व्यय अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ने का भागी बनेगा। किसी निर्वाचन के संबंध में राजनैतिक दल द्वारा विज्ञापनों पर उपगत व्यय को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

(i) साधारण दलीय प्रचार पर व्यय जिसमें किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के किसी विशेष वर्ग /समूह का संदर्भ दिए बिना सामान्य रूप से दल तथा उसके अभ्यर्थी के लिए समर्थन मांगा जाए।

(ii) विज्ञापनों इत्यादि पर पार्टी द्वारा उपगत व्यय, जिसमें किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के लिए प्रत्यक्ष रूप से समर्थन तथा वोट मांगें जाएं।

(iii) पार्टी द्वारा उपगत व्यय जो किसी विशेष अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थियों के समूह की संभावनाओं को बढ़ावा देने से लिए व्यय से संबंधित हो सकता है। कंवर लाल गुप्ता मामले में निर्णय के अनुपात का संदर्भ लेते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि राजनीतिक दलों द्वारा किसी विज्ञापन के मामले में, चाहे वह प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया में उपर्युक्त श्रेणी (i) में आता हो, जो किसी विशेष अभ्यर्थी या दिए गए अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन से संबंधित नहीं है, ऐसा व्यय राजनैतिक दल का साधारण मत प्रचार पर किया गया व्यय समझा जाएगा। उपर श्रेणी (ii) तथा (iii) में आने वाले व्यय के मामलों में जो विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह से संबंधित है, व्यय को संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत व्यय समझा जाएगा तथा इस प्रकार के व्यय को उक्त अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन व्यय के हिसाब में लेना होगा।

अभ्यर्थी के नाम या फोटो के बिना दल के पोस्टरों या बैनरों या विज्ञापनों इत्यादि पर व्यय राजनीतिक दल द्वारा, दल के व्यय के रूप में दर्शाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के पश्चात तथा निर्वाचन की अधिसूचना से पहले की अवधि में पार्टी द्वारा किये गए व्यय भी, राजनीतिक दल द्वारा निर्वाचन व्यय के रूप में दर्शाए जाने चाहिए | राजनीतिक दल, स्कैन की गई साफ्ट प्रति के साथ विहित फार्मेट में निर्वाचन व्यय को विधानसभा मतदान के मामले में 75 दिनों के भीतर या लोकसभा मतदान के मामले में 90 दिनों के भीतर आयोग को भेजेगा |

मतदान के बाद तथा मतगणना की तारीख से पहले के केवल ऐसे खर्चों का. जिन्हें निर्वाचन के संबंध में किया गया कहा जा सकता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा लेखा-जोखा रखा जाएगा। मतदान के पश्चात, स्टार प्रचारक या अभ्यर्थी (उसके निर्वाचन से संबंधित नहीं) की यात्रा पर होने वाले व्यय को किसी अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि स्टार प्रचारक/अभ्यर्थी अपने ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हैं, जहां से उन्होंने निर्वाचन लड़ा था तो मतगणना वाले दिन या उससे पहले मतगणना की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए निर्वाचन-क्षेत्र के अंदर का यात्रा व्यय उसके खाते में जोड़ा जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र से बाहर का यात्रा व्यय उसके खाते में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि कोई राजनैतिक दल स्टार प्रचारक का उसके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर का खर्च उठा रहा है तो राजनैतिक दल द्वारा यह खर्च निर्वाचनों की समाप्ति के 75 दिनों के अंदर आयोग को प्रस्तुत लेखे में दिखाया जाएगा (**अनुलग्नक-च2** पर संलग्न आयोग के दिनांक 09 फरवरी, 2012 का अनुदेश संख्या 76/अनुदेश/2012/ई ई पी एस)। आयोग के पत्र सं. 76/ईई/2012-पीपीईएमएस दिनांक 21 जनवरी, 2013 (अनुबंध-च3) के साथ संलग्न राजनैतिक दलों का प्रतिवेदन फार्मेट आयोग के पत्र सं. 76/वर्चुअल कैम्पेन/ईईपीएस/2022, दिनांक 15 जनवरी, 2022 (अनुबंध-च9) के जरिए आशोधित किया गया है।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को निर्वाचन की अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची भेजनी चाहिए। राजनीतिक दलों को विधानसभा निर्वाचन के 75 दिनों के भीतर या लोक सभा के निर्वाचन में 90 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को अपने निर्वाचन व्ययों का ब्यौरा दाखिल करना अपेक्षित है। निर्वाचन खर्च के ब्यौरे में अलग-अलग अभ्यर्थियों को दी गई एकमुश्त सभी रकम, स्टार प्रचारकों तथा अन्य दलीय पदाधिकारियों की यात्रा पर खर्च, बैनरों, पोस्टरों, मंचों, कटआउट, तोरणों तथा होर्डिंग पर खर्चों का ब्यौरा, साधारण दलीय प्रचार तथा अलग-अलग अभ्यर्थियों दोनों के लिए प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि में विज्ञापन का ब्यौरा शामिल होना चाहिए। इसमें राज्य में निर्वाचन के दौरान निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त विमानों और भरे गए उड़ानों की संख्या, कम्पनी का नाम जिसने विमानों को किराये पर लिया/उपलब्ध कराए, उड़ान अवधि और विमान लीज पर देने/ उपलब्ध कराने वाली कम्पनी को प्रदत्त/देय धनराशि, वाउचरों की प्रति के सहित, सम्मिलित है। ये अनुदेश आयोग के पत्र संख्या 76/ईई /2012/ पीपीईएमएस दिनांक 21 जनवरी, 2013 में **अनुलग्नक-च3** में अंतर्विष्ट हैं। **राजनैतिक दलों के लिए भी यह अपेक्षित है कि वे अपने अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रकाशन (अनुबंध- च8) और आभासी (वर्चुअल) प्रचार-अभियान (अनुबंध-च9) के लिए उनके द्वारा उपगत व्यय को दर्शाएं।**

राजनैतिक दलों को, (i) आंशिक विवरण, के अतिरिक्त (ii) उपर्युक्त के अनुसार दलों द्वारा भरे जाने के लिए अपेक्षित निर्वाचन व्यय का अंतिम विवरण (विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन की समाप्ति के 75 दिनों/90 दिनों के अंदर), अभ्यर्थी को दलों द्वारा किए गए एकमुश्त भुगतान के संबंध में निर्धारित फॉर्मेट में, विधान सभा/लोक सभा के निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के अंदर, भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष (राष्ट्रीय और राज्यीय दलों के संबंध में) या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के मामले में जहां पार्टी मुख्यालय स्थित है) भी दाखिल करना होगा। (**अनुलग्नक -च7**)

स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान के संचालन के लिए, सभी राजनीतिक दलों को नकद लेन-देन करने से बचना चाहिए। सभी दलीय पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रचार के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नकद राशि नहीं ले जाने के लिए परामर्श देना चाहिए। दलों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचन व्यय में आत्म-संयम बरतें और अपने अभ्यर्थियों को तदनुरूप सलाह दें (**अनुलग्नक -च1**, पत्र संख्या 76/ अनुदेश / 2010 / 371-463 दिनांक 20 अक्टूबर, 2010)। दलों को सुसंगत फार्मो में तथा नियत समय में प्राप्त चंदे की सूची भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्हें अपने लेखे की लेखा-परीक्षा भी करवानी चाहिए तथा अपनी आयकर विवरणी, प्राप्ति एवं व्यय के ब्यौरों का उल्लेख करते हुए, विहित समय में, दाखिल करना चाहिए।

आयोग ने दलीय निधियों तथा निर्वाचन व्यय में पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर अपने पत्र संख्या सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013, दिनांक 29 अगस्त, 2014 (**अनुलग्नक -च4**) द्वारा दिशा-निर्देश और अपने पत्र सं. 76/पीपीईएमएस / पारदर्शिता/2013 दिनांक 19 नवम्बर, 2014 (**अनुलग्नक -च6**) द्वारा अतिरिक्त स्पष्टीकरण जारी किए हैं| राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि व्यय उपगत एवं उन्हें लेखांकित करते हुए उनका अनुसरण करें। दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना हैं;-

यह अपेक्षित है कि (क) राजनीतिक दल का कोषाध्यक्ष या ऐसा व्यक्ति जो दल के द्वारा प्राधिकृत है, सभी राज्यों और निचले स्तरों में लेखे का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, दल के केन्द्रीय मुख्यालय में समेकित लेखे का उपरोक्त प्रावधान के अधीन अपेक्षित रीति से अनुरक्षण करेगा, (ख) उसके द्वारा यथा-अनुरक्षित लेखे को द इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स ऑफ इण्डिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी राजनीतिक दलों के लेखांकन एवं लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शी नोट के अनुरूप होना होगा और (ग) वार्षिक लेखा, योग्यता प्राप्त पेशेवर चार्टर्ड अकाउण्टैंट द्वारा लेखा-परीक्षित एवं प्रमाणित किया जाएगा।

एकरूपता लाने के लिए, सभी राजनीतिक दल आयोग को या **अनुलग्नक -च4** के पैरा (vi) में उल्लिखित ऐसे प्राधिकारी को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ परीक्षित, वार्षिक लेखे की एक प्रति प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर से पहले प्रस्तुत करेंगे। मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दल सभी रिपोर्ट, अर्थात् फॉर्म 24क में अंशदान रिपोर्टे, चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा यथा-सत्यापित लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखे एवं निर्वाचन व्यय विवरण भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष दाखिल करेंगे, अमान्यताप्राप्तत राजनैतिक दल इसे विहित समय में आयोग के पत्र सं.76/ पीपीईएमएस / पारदर्शिता / 2014, दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 (**अनुलग्नक-च5**) के अनुसरण में, उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल करेंगे, जिस राज्य में दल का मुख्यालय स्थापित है।

राजनीतिक दल अपनी जन सभाओं के दौरान जनता द्वारा दान की गई खुदरा राशियों को छोडकर, ऐसे सभी व्यक्तियों, कम्पनियों या इकाईयों के नाम एवं पते को बनाए रखेंगे जो उन्हें दान देंगे। यदि कोई दल किसी प्रकार का व्यय कर रहा है तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि रु. 10,000/- से अधिक का कोई भी भुगतान एक दिन में किसी व्यक्ति या कम्पनी या इकाई को नकद रूप में नहीं किया जाए, सिवाय जहां (क) भुगतान ऐसे किसी गांव या नगर में

किया जाता है जहां पर बैंक की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं; या (ख) भुगतान किसी कर्मचारी या दलीय पदाधिकारी को वेतन, पेंशन या उसके खर्च की प्रतिपूर्ति में किया जाए; या (ग) किसी संविधि के अधीन नकद भुगतान अपेक्षित है। (**अनुलग्नक- ङ11** और **अनुलग्नक- ङ12**)

यदि दल अपने अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन खर्च में कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना चाहता है तो यह सहायता निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगी। दल द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का भुगतान केवल रेखांकित आदाता को देय चैक या ड्राफ्ट या बैंक एकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा न कि नकदी के रूप में। जबकि मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल सभी रिपोर्टों अर्थात फार्म 24क में अंशदान की रिपोर्टों, **अनुलग्नक -च4** के पैरा 3(i) में संदर्भित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा यथा-प्रमाणित लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, और निर्वाचन व्यय विवरण निर्वाचन आयोग के पास दाखिल करेंगे जबकि गैर-मान्यता प्राप्त दल उसे संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन धिकारी (सी ई ओ) (अर्थात जहां दल का मुख्यालय स्थित है) के पास निर्धारित समय एवं रीति से दाखिल करेंगे।

आयोग इस तथ्य से अवगत है कि राजनैतिक दलों द्वारा जन सभाओं / रैलियों में हुंडी / पेटिका संग्रहण के माध्यम से निधियां प्राप्त की जाती हैं, जहां यह संभव नहीं है कि दाताओं के नाम एवं पते रिकार्ड किए जा सकें। अतः, आयोग ने ऐसे संग्रहण को उपरोक्त अनुदेश की परिधि से छूट प्रदान की है। जन सभा /रैली में हुंडी/पेटिका संग्रहण के माध्यम से जुटाए गए चंदे के अतिरिक्त सभी प्रकार के चंदे / दान के मामले में, प्रत्येक दाता के नाम एवं पते के रिकार्ड का रख-रखाव राजनैतिक दलों द्वारा किया जाना है जैसा कि अन्य सभी सामाजिक / सिविल सोसाइटी / संगठनों द्वारा किया जाता है।

राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त नकदी अपने दिन-प्रतिदिन के खर्चों का भुगतान करने के लिए अपेक्षित राशि को छोड़कर, 10 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर अपने बैंक खातों में जमा करवाई जानी अपेक्षित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकृत राजनैतिक दल के पास अपने दिन-प्रतिदिन के खर्च का भुगतान करने के उद्देश्य से नकदी की कुल राशि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दल के औसत मासिक नकद व्यय से सामान्यतया अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के हित में सभी दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग द्वारा जारी पारदर्शिता दिशा-निर्देशों का अनुसरण करें और आयोग के विधिपूर्ण निदेशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी जैसा कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1986 के पैरा 16क के अधीन कल्पित है।

राजनीतिक दलों को अपने निर्वाचन खर्चों, अंशदान रिपोर्टों के संबंध में और अपने लेखा-परीक्षित लेखे के बारे में भी निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने हैं :-

(i) अंशदान रिपोर्ट - प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर या आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए सीबीडीटी द्वारा यथा-विस्तारित वैसी तारीख तक |

(ii) वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखा - प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर तक |

(iii) निर्वाचन व्यय का विवरण - विधान सभा निर्वाचन के पूरा होने के 75 दिनों और लोक सभा निर्वाचन के पूरा होने के 90 दिनों के भीतर|

(iv) आंशिक निर्वाचन व्यय विवरण, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा अभ्यर्थियों को संवितरित करने वाली धनराशि का विवरण दिया गया हो, परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा।

मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों को पूर्वोक्त विवरण भारत निर्वाचन आयोग के पास दाखिल करना है, जबकि अमान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों को उसे विहित समय और रीति में संबंधित राज्यों /संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचम अधिकारी के पास दाखिल करना है।

आयोग ने आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन राजनैतिक दलों की आईटीआर दायर करने के लिए नियत तारीख को राजनैतिक दलों द्‌वारा वार्षिक लेखा-परीक्षित खाता को प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से लिंक करने का निर्णय लिया है। तदनुसार सभी राजनैतिक दल आयकर अधिनियम की धारा 139 के अनुसार राजनैतिक दलों को आईटीआर दायर करने की अंतिम तारीख से एक महीने के भीतर अपना वार्षिक लेखा-परीक्षा खाता प्रस्तुत करेंगे। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 और इसके बाद के वर्षों के लिए वार्षिक लेखा-परीक्षा खाता को प्रस्तुत करने के संबंध में लागू होगा। (अनुबंध- **च10**)

अनुलग्नक- च1

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं0: 76/अनुदेश/2010 दिनांक : 20 अक्तूबर, 2010

सेवा में,

अध्यक्ष / महासचिव
सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और
राज्यीय राजनैतिक दल

विषय: निर्वाचनों के दौरान धन बल के प्रयोग को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदम- तत्संबंधी |

महोदय / महोदया,

आयोग को ऐसे दृष्टान्तों की सूचना मिली है और मीडिया में यह बात आई है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन, मदिरा और विविध प्रयोजनीय मदों का गुप्त तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। मतदाताओं के परितोषण के लिए धन, मदिरा या अन्य किसी मद का ऐसा वितरण रिश्वतखोरी है और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन भ्रष्ट आचरण भी है।

2. सभी राजनैतिक दलों के साथ 4 अक्तूबर, 2010 को आयोजित आयोग की बैठक में निर्वाचनों के दौरान धन बल के प्रयोग पर विचार-विर्मश किया गया था और बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के दौरान आयोग के निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के अनुदेशों का सभी दलों द्वारा स्वागत किया गया था। (आयोग के अनुदेशों की प्रतियां वेबसाईट www.eci.gov.in पर उपलब्ध हैं)

3. ऐसे अपराधों की घटना को रोकने के लिए, आयोग ने, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में धन, मदिरा और अन्य मदों के वितरण पर नजर रखने और उक्त मदों को जब्त करने के लिए, विधि प्रवर्तन एजेंसियों को उड़न दस्तों का गठन करने के अनुदेश जारी किए हैं। हवाई पत्तनों, मुख्य रेलवे स्टेशनों, होटलों, फार्म हाऊसों, वित्तीय दलालों ओर हवाला एजेंटों के माध्यम से धन की आवाजाही पर नजर रखने के लिए आयकर विभाग के अनुवीक्षण निदेशालय की सेवाओं के लिए भी अनुरोध किया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्ययों के लिए अलग से बैंक खाता खोलने और सभी निर्वाचन व्यय उक्त बैंक खाते के माध्यम से करने के लिए भी सलाह दी है।

4. यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि निर्वाचन उद्देश्य के लिए अपने अभ्यर्थियों को दल द्वारा उपलब्ध करवाई गई कोई भी निधि, अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के दिन-प्रति-दिन के लेखे में दर्शाई पड़ना आवश्यक है और

राजनैतिक दलों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे लेखों का रख-रखाव करें और जब निर्वाचन सम्पन्न हो जाएं तो उन्हें आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

5. निर्वाचनों की शुचिता बनाए रखने के लिए और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए यह सलाह दी जाती है कि राजनैतिक दल नकदी के लेन-देन से बचें और अपने पदाधिकारियों, अधिकारियों, एजेंटों और अभ्यर्थियों को चल रही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में नकदी नहीं ले जाने के लिए हिदायत दें।

6. कृपया पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(अनुज जयपुरियार)

सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इसे सभी संबंधितों के नोटिस में लाया जाए।
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
3. आयकर (अनु.) महानिदेशक, बी.सी.पटेल मार्ग, पटना-800001 को आवश्यक कार्रवाई के लिए।

अनुलग्नक-च2

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, आशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0: 76 / अनुदेश / 2012 / ई.ई.पी.एस. दिनांकः 9 फरवरी, 2012

सेवा में,

1. पंजाब,
2. उत्तर प्रदेश,
3. उत्तराखण्ड,
4. मणिपुर,
5. गोवा

के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः- पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर तथा गोवा विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2012-मतदान की तारीख के पश्चात् स्टार प्रचारकों तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा एयरक्राफ्ट / हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा पर हुए व्यय को जोड़ना - तत्संबंधी।

महोदय / महोदया,

मीडिया द्वारा ऐसे बहुत से दृष्टांत रिपोर्ट किए गए हैं कि राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों सहित बहुत से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा मतदान की तारीख के पश्चात् एयरक्राफ्ट्स / हेलीकॉप्ट्र का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार की यात्रा पर व्यय के संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है, इस मामले में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार मतदान के पश्चात् तथा गणना की तारीख से पहले के व्ययों को निर्वाचन संबंधी व्यय माना जाएगा और इसका लेखा केवल अभ्यर्थी द्वारा दिया जाएगा|

(ii) इसलिए, निर्वाचन के पश्चात् स्टार प्रचारक या अभ्यर्थी (अपने निर्वाचन के संदर्भ में नहीं) की यात्रा पर होने वाले व्यय को किसी अभ्यर्थी के खाते में नहीं डाला जाएगा। यदि स्टार प्रचारक / अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से उसने निर्वाचन लड़ा हैं, में जाता है तो मतगणना की तारीख वाले दिन या उससे पहले मत

गणना की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के अंदर के यात्रा व्यय को उसके लेखे में डाला जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र से बाहर की यात्रा व्यय उसके लेखे में नहीं डाला जाएगा|

(iii) यदि स्टार प्रचारक का उसके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर का यात्रा व्यय राजनैतिक दल वहन कर रहा है तो उक्त व्यय निर्वाचनों की समाप्ति के 75 दिनों के अंदर राजनैतिक दल द्वारा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

2. इस संबंध में आपसे एतद्द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य में सभी राजनैतिक दलों तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचित करें।

भवदीय,
ह./-
(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

प्रतिलिपि:-

सभी राष्ट्रीय दलों को सूचनार्थ|

अनुलग्नक-च3

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं: 76/ ईई / 2012-पीपीईएमएस दिनांक: 21 जनवरी, 2013

सेवा में,

अध्यक्ष / महासचिव

(सभी राजनैतिक दल)

विषय:- राजनैतिक दलों द्वारा "निर्वाचन व्यय की विवरणी" फाइल करने के लिए प्रपत्र का आशोधन-विधान सभा निर्वाचनों के 75 दिनों लोक सभा निर्वाचनों के 90 दिनों के अंदर फाइल किया जाएगा।

महोदय,

1. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार 'कॉमन कॉज़' बनाम भारत संघ एवं अन्य (ए.आई.आर 1996 एस सी 3081) के मामले में निर्वाचन आयोग ने अपने दिनांक 27.12.2001, 22.03.2004 तथा 13.01.2009 के पत्र द्वारा एक फार्मा निर्धारित किया है जिसमें राजनैतिक दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक लोक सभा / राज्य विधान सभा के निर्वाचन के संबंध में अपने निर्वाचन व्यय का विवरण आयोग की संवीक्षा के लिए प्रस्तुत करें। राजनैतिक दलों द्वारा फाइल किए गए विवरण को आयोग की वेबसाइट पर रखा जाता है।

2. इसके अतिरिक्त मुझे यह सूचित करने का भी निदेश हुआ है कि सुसंगत सूचना पर और सुव्यवस्थित तथा संरचनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने के लिए आयोग द्वारा एक सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। अतः, आयोग ने उक्त प्रपत्र में आशोधन किया है जो कि एतद्द्वारा संलग्न किया जा रहा है तथा आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उपर्युक्त आशोधित प्रपत्र पार्ट-क में पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय पर व्यय के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाता है, पार्टी के अथवा राज्य दलों (जिलों / स्थानीय इकाईयों सहित) द्वारा राज्य इकाई(ईयों) पर सूचना भाग-ख में, सूचना का सार भाग 'ग' और भाग 'घ' में सत्यापन संबंधी सूचना उपलब्ध कराता है। व्यय के ब्यौरे प्रपत्र के अनुसार अनुसूचियों में उपलब्ध करवाए जाएंगे। संशोधित प्रपत्र में बेहतर स्पष्टता तथा जिम्मेवारी के लिए साधारण पार्टी प्रचार के लिए राजनैतिक दलों के खर्चे तथा अभ्यर्थियों के नामे डाले जाने वाले खर्चों का भी द्विभाजन किया गया है।

3. दलों या उनके द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अधिकृत/उपगत व्ययों की संवीक्षा हेतु अपेक्षित सूचना मांगी गई है जिसके लिए उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण (1) के अर्थों में, निर्वाचन व्ययों की अपनी विवरणी, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 78 के अधीन फाइल की गई थी, में छूट का दावा किया था।

4. मुझे सभी राजनैतिक दलों को यह सूचित करने का भी निदेश हुआ है कि वे 01 जनवरी, 2013 के पश्चात होने वाले सभी निर्वाचनों के लिए इस संशोधित प्रपत्र में ही "निर्वाचन व्यय का विवरण" हाई प्रति और सी डी में सॉफ्ट प्रति में फाइल करेंगे।

5. इसे सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए और इस पत्र की पावती भेजें |

भवदीय,

ह./-

(वरिंदर कुमार)

सचिव

संलग्नकः- उपर्युक्त के अनुसार

प्रतिलिपिः - सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसे राज्य में सभी राजनैतिक दलों की सूचना में लाएं,
- सभी जिला निर्वाचन अधिकारी
- सभी रिटर्निंग अधिकारी

लोकसभा/विधान सभा के निर्वाचनों में राजनैतिक दल के निर्वाचन व्यय का विवरण

(निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक)

1. राजनैतिक दल का नामः...
2. लोकसभा/राज्य के विधान सभा के लिए निर्वाचन...
   (विधान सभा केमामले में राज्य के नाम का उल्लेख करें तथा जो संगत ना हो उसे काट दें)
3. निर्वाचन की घोषणा की तिथि...
4. निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि..

भाग-क

5. दल के केंद्रीय मुख्यालयों में उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का विवरण

5.1	क. दल क केंद्रीय मुख्यालयों में दल की निधियों का अथ-शेष' (ओपनिंग बैलेंस) (निर्वाचन की घोषणा की तिथि को)	राशि
	विवरण	राशि
	(i) रोकड़ शेष	
	(ii) बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा का नाम दर्शाएँ)	
	कुल	
5.2	ख. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक दल के केंद्रीय मुख्यालयों के सभी स्त्रोंतों से सकल प्राप्तियां	राशि
	विवरण	धनराशि
	(i) नकद	
	(ii) चैक अथवा ड्राफ्ट इत्यादि	
	(iii) वस्तुगत रूप में (किसी व्यक्ति /संस्था से प्राप्त मानार्थ वस्तुएँ अथवा सेवाएँ) (कृपया किसी व्यक्ति/संस्था से मानार्थ रूप में प्राप्त ऐसी वस्तुएँ अथवा सेवाएँजैसे-हैलीकॉप्टर सेवाएँ इत्यादि का विवरण तथा कल्पित मूल्य का उल्लेख करें)	
	कुल	
5.3	क. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए उपगत/प्राधिकृत सकल व्यय (यदि एक से अधिक राज्यशामिल हों, तो दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा उपगत राज्यवार एकल व्ययों को अनुसूची-1 में दिया जाए)	
	दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा सकल व्यय का विवरण	राशि
	(i) नकद	
	(ii) चैक/ड्राफ्ट इत्यादि	
	(iii) प्राधिकृत व्यय, परन्तु निर्वाचन के सम्पन्न होने की तिथि को बकाया रह जाना	
	कुल	
	ख. दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा उपगत/प्राधिकृत उपरोक्त सामान्य दल प्रचार व्यय का विवरण	राशि
	(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के स्पष्टीकरण 1 में यथा विनिर्दिष्टस्टार प्रचारकों का यात्रा व्यय (अनुसूची-2 में दिए गए फार्मेट में विवरणों को संलग्न किया जाए)	
	(ii) स्टार प्रचारकों के अलावा अन्य नेताओं का यात्रा व्यय (विवरणों को अनुसूची-2क में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(iii) सामान्य दल प्रचार पर मीडिया विज्ञापन (प्रिंट इलैक्ट्रोनिक, बल्क एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टी.वी. चैनल इत्यादि) पर व्यय	
	(iv) सामान्य दल प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बैजों, स्टीकरों, आर्चों, गेटों, कट-आउट, होडिंग, झण्डे इत्यादि सहित प्रचार सामग्रियों पर व्यय (विवरणों को अनुसूची-4 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	

	(v) सामान्य दल प्रचार के लिए जनसभाओं/जलूसों/रैली इत्यादि पर व्यय (विवरणों को अनुसूची-5 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(vi) सामान्य दल प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय (विवरणों को अनुसूची-6 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	समान्य पार्टी प्रचार पर कुल व्यय	
5.4	क. दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा अभ्यर्थी/(अभ्यर्थियों) के लिए उपगत/प्राधिकृत सकल व्यय	
	(i) दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा दल के अभ्यर्थी/(अभ्यर्थियों) अथवा अन्य अभ्यर्थी/(अभ्यर्थियों) को या तो नकद अथवा अन्य माध्यमों जैसे-चेक/डीडी/पी.ओ./आरटीजीएस/फंड ट्रान्सफर इत्यादि के द्वारा कुल एकमुश्त राशि का भुगतान। (विवरणों को अनुसूची-7 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(ii) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) विशेष के फोटो या नाम सहित मीडिया विज्ञापन (प्रिंट तथा इलैक्ट्रोनिक, बल्क एसएमएस,	
	केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल इत्यादि पर अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के निर्वाचन व्यय के रूप में आरोप्य कुल व्यय। (विवरणों को अनुसूची 8 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(iii) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के फोटो तथा /अथवा नाम सहित प्रचार सामग्री (जैसे पोस्टरों, बैनरों, निर्वाचन सामग्रियों इत्यादि) पर कुल व्यय (विवरणों को अनुसूची-9 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(iv) स्टार प्रचारकों अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) सहित अन्य नेताओं की रैली में जनसभाओं/जलूसों इत्यादि (बैरीकेडों/ऑडियो इत्यादि/श्रोताओं/समर्थकों के लिए भाड़ेमें लिए गए वाहनों) पर कुल व्यय (सामान्य दल प्रचार के अलावा) (विवरणों को अनुसूची-10 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(v) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए कोई अन्य व्यय (विवरणों को अनुसूची-11 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(vi) दल के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अभ्यर्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने पर उपगत व्यय (विवरण अनुसूची-23क में दिए गए फार्मेट में संलग्न किए जाएं)	
	(vii) दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/ऐप/अन्य साधनों के माध्यम से वर्चुअल प्रचार-अभियान पर व्यय (विवरण अनुसूची 24क में दिए गए फार्मेट में संलग्न किया जाए)	
	अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) पर कुल व्यय	
5.5	निर्वाचन व्यय के लिए दल (जिले एवं स्थानीय निकायों सहित) की राज्य इकाई (इकाईयों) अथवा अन्य दल को दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा दी गई कुल एक मुश्त राशि (कृपया राज्यवार राशि दर्शाये)। यदि राजनैतिक दल एक या एक से अधिक अवसर पर भुगतान करता है, तो तिथिवार विवरणों का उल्लेख किया जाए।	

	दल की राज्य इकाई का नाम जिसे भुगतान किया गया है/अन्य राजनैतिक दल (यदि कोई हो)	भुगतान की तारीख (खें)	नकद चेक/ डीडी इत्यादि की संख्या	राशि
	1.			
	2.			
	3. इत्यादि			
	कुल			

5.6	क. निर्वाचन सम्पन्न होने पर दल के केंद्रीय मुख्यालयों में दल की निधियों का अंतः शेष (क्लोजिग बैलेंस)	धनराशि
	विवरण	धनराशि
	(i) रोकड़ शेष	
	(ii) बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा के नाम का उल्लेख करें)	
	कुल	

भाग-ख

6. .... राज्य के लिए सभी जिला स्तर तथा स्थानीय निकायों सहित राजनैतिक दल की राज्य इकाई द्वारा अथवा राज्यीय दल के मुख्यालय द्वारा उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का विवरण

I. यदि राजनैतिक दल एक या एक से अधिक राज्य में निर्वाचन व्ययों को उपगत/ प्राधिकृत करता है, तो प्रत्येक राज्य का ब्यौरा इस प्रोफार्मा के अनुसार अलग शीट में दिया जाए,

II. राज्य के भीतर मुख्यालयों वाले राज्यीय राजनैतिक दल इस प्रोफार्मा में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

6.1	क. राज्य इकाई (जिले स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों सहित) की अथ शेष राशि (ओपनिंग बैलेंस) (निर्वाचन की घोषणा की तिथि को) विवरण	राशि
	विवरण	राशि
	(i) रोकड़ शेष	
	(ii) बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा के नाम का उल्लेख करें)	
	कुल	
6.2	क. राज्य ईकाई द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक सभी स्रोतों से सकल प्राप्तियाँ (जिला स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों सहित)	
	विवरण	राशि
	(i) नकद	
	(ii) चैक अथवा ड्राफ्ट आदि	
	(iii) वस्तुगत रूप में (किसी भी व्यक्ति/संस्था से प्राप्त मानार्थ वस्तुएँ अथवासेवाएँ) (कृपया किसी भी व्यक्ति /संस्था से मानार्थ रूप में प्राप्त ऐसी वस्तुएँ अथवा सेवाएँजैसे हैलीकॉप्टर सेवाएँ आदि के कल्पित मूल्य का उल्लेख करें)	
	कुल	
6.3	क. सामान्य दल प्रचार (निर्वाचन के घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने कीतिथि तक) के लिए राज्य इकाई (जिला स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों)द्वारा उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय।	
	राज्य इकाई द्वारा सकल व्यय का विवरण	राशि
	(i) नकद	
	(ii) चैक अथवा ड्राफ्ट आदि	
	(iii) व्यय प्राधिकृत, परन्तु निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि पर बकाया रह जाना	
	कुल	
	ख. राज्य इकाई (जिला स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों सहित) द्वारा उपगत सामान्य दल प्रचार के लिए व्यय का विवरण	
	(i) राज्य इकाई द्वारा उपगत स्टार प्रचारकों पर यात्रा व्यय (विवरणों को अनुसूची-12 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(ii) राज्य इकाई द्वारा अन्य नेताओं पर यात्रा व्यय (विवरणों को अनुसूची-13 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(iii) राज्य इकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार पर मीडिया विज्ञापन (प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रोनिक, बल्क एसएमएस, केबल, वेबसाइट तथा टीवी चैनल इत्यादि) पर व्यय । (विवरणों को अनुसूची-14 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(iv) राज्य इकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बैज, स्टीकरों, आर्चेज, गेट, कट-आउट, होर्डिंग्स, झण्डे इत्यादि सहित प्रचार सामग्रियों पर व्यय । (विवरणों को अनुसूची-15 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(v) राज्य इकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए जन सभाओं / जलूसों / रैलीइत्यादि पर व्यय (विवरणों को अनुसूची-16 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(vi) राज्य इकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय । (विवरणों को अनुसूची-17 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	कुल	
6.4	क. अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) (सामान्य दल प्रचार के अतिरिक्त) को आरोप्य जिला स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाइयों सहित अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए राज्य इकाई द्वारा उपगत या प्राधिकृत सकल व्यय	

	(i) राज्य इकाई द्वारा दल के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को नकदी या अन्य माध्यमों, यथा- चेक/डीडी/पीओ/आरटीजीएस/फन्ड ट्रान्सफर इत्यादि द्वारा कुल एकमुश्त भुगतान । (विवरणों को अनुसूची-18 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)			
	(ii) राज्य ईकाई द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के फोटो या नाम सहित अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए मीडिया विज्ञापन (प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रोनिक बल्क एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टीवी चैनलइत्यादि) पर कुल व्यय । (विवरणों को अनुसूची-19 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)			
	(iii) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के फोटो तथा/अथवा नाम सहित प्रचार सामग्री (जैसे पोस्टरों, बैनरों, कट-आउटों, निर्वाचन सामग्री इत्यादि) परकुल व्यय (विवरणों को अनुसूची-20 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)			
	(iv) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के साथ स्टार प्रचारकों की रैली में बैरीकेडों/ ऑडियोआदि/दर्शकों/समर्थकों के लिए किराए पर लिए गए वाहनों पर राज्य इकाई द्वाराकुल व्यय (सामान्य दल प्रचार के अतिरिक्त) (विवरणों को अनुसूची-21 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)			
	(v) राज्य ईकाई द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए कोई अन्य व्यय (विवरणों को अनुसूची-22 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)			
	(vi) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी (यों) की आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने पर उपगत व्यय (विवरण अनुसूची-23ख में दिए गए फार्मेट में संलग्न किए जाएं)			
	(vii) राज्य इकाई द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/ऐप/अन्य साधनों के माध्यम से वर्चुअल प्रचार-अभियान पर व्यय (विवरण अनुसूची 24ख में दिए गए फार्मेट में संलग्न किया जाए)			
	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) पर कुल व्यय			
6.5	दल की राज्य इकाई (जिले तथा स्थानीय इकाईयों सहित) द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए दूसरे दल (दलों) को दी गई कुल एक मुश्त राशि। यदि राजनैतिक दल एक याएक से अधिक अवसर पर भुगतान करते हैं, तो तिथिवार विवरणों का उल्लेखकरना है।			राशि
	दल की राज्य इकाई का नाम जिसे भुगतान किया गया है/अन्य, राजनैतिक दल (यदि कोई हों) का नाम	भुगतान की तिथि (तिथियाँ)	नकद, चेक / डीडी इत्यादि की संख्या	धनराशि
	1.			
	2.			
	3. इत्यादि			
	कुल			
6.6	निर्वाचन सम्पन्न होने के पश्चात दल की राज्य इकाई (जिले एवं स्थानीय इकाईयों सहित) का अंतः शेष			राशि
	विवरण			राशि
	(i) रोकड़ शेष			
	(ii) बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा के नाम का उल्लेख करें)			
	कुल			

भाग-ग

7. भाग-क तथा ख में सारणियों में यथोल्लिखित, सभी प्राप्तियों तथा निर्वाचन के दौरान (निर्वाचन के घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने तक) राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का सार

क	दल का नाम	
ख	मतदान की तिथि (तिथियां)	
ग	निर्वाचन: (राज्य तथा विधान सभा /लोक सभा /निर्वाचन क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें)	
घ	अथ शेष (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/ जिला/स्थानीय स्तर के इकाइयों सहित सभी के लिए)	
	विवरण	राशि
	(i) रोकड़ शेष {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.1क (i)+6.1 क (i)}	

	(ii) बैंक में नकद {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.1क (ii)+ 6.1क (ii)}	
ङ	निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक सकल प्राप्तियाँ (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयां, दोनों)	
	विवरण	राशि
	(i) नकद {सभी राज्यों का 5.2क (i) + 6.2 क (i)}	
	(ii) चेक अथवा ड्राफ्ट {सभी राज्यों का 5.2क (ii) + 6.2 क (ii)}	
	(iii) वस्तुगत (अथवा मानार्थ प्राप्तियाँ) {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.2क(iii) + 6.2 क (iii)}	
	(iv) कुल प्राप्ति (प्राप्तियाँ)	
च	निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक (केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाईयों, दोनों में) सामान्य दलप्रचार के लिए उपगत/प्राधिकत कुल व्यय ।	
	विवरण	राशि
	I. नकद अथवा चेक/डीडी आदि {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (i) +6.3 क(i)}	
	II. चेक अथवा ड्राफ्ट {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (ii) + 6.3 क (ii)}	
	III. प्राधिकृत व्यय, परन्तु निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि को बकाया रह जाना {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (iii) +6.3 क (iii)}	
	IV सामान्य दल प्रचार पर कुल व्यय	
छ	राजनैतिक दल द्वारा सामान्य दल प्रचार के अतिरिक्त अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिएउपगत/प्राधिकृत कुल व्यय(केन्द्रीयमुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाईयों, दोनों में)	
	विवरण	राशि
	I. नकद अथवा चेक /डीडी आदि द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को भुगतान {5.4क (i) + 6.4 क(i)}	
	II. वस्तुगत रूप में- क. मीडिया को किए गए भुगतान {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (ii) +6.4 क(ii)}	
	ख. प्रचार सामग्री {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (iii) + 6.4 क(iii)}	
	ग. जन सभाएँ, जलूस आदि {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (iv) + 6.4क (iv)}	
	घ. कोई अन्य व्यय {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क(v) + 6.4क(v)}	
	ङ. आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रसार-प्रचार {सभी निर्वाचन संबंधी राज्यों के 5.4क (vi) +6.4क(vi)}	
	III. सोशल मीडिया प्लेटफार्मो/ऐप/अन्य साधनों के माध्यम से वर्चुअल प्रचार-अभियान पर व्यय [निर्वाचन वाले सभी संबंधित राज्यों का 5.4.क(vii)+6.4.क.(vii)]	
	IV अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का कुल व्यय	
ज	समान्य दल प्रचार के लिए तथा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए सकल व्यय (इस सारणी के ऊपर के च(iv) + छ(iv) का कुल जोड़)	
झ	अंत शेष (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाईयों; दोनों में)	
	विवरण	राशि
	क. रोकड़ शेष {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.6क(i) + 6.6क(i)}	
	ख. बैंक शेष {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.6क(ii) + 6.6क (ii)}	
	ग. कुल अंत शेष (क्लोजिंग बैलेंस)	

भाग-घ

सत्यापन

मैं, श्री/श्रीमती.......................................एतद्द्वारा सत्यापित एवं घोषित करता/करती हूँ कि निर्वाचन व्यय (भाग क, ख, ग) की विवरणी में यथादर्शित निर्वाचन व्यय के लेखों में लोकसभा/..राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के संबंध में राजनैतिक दल {पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों/राज्य इकाई (जिला स्तर तथा स्थानीय इकाईयों सहित)} द्वाराउपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें शामिल हैं तथा उनमें से कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है; तथा

निर्वाचन व्यय की उक्त विवरणी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही लेखा है तथा किसीभीमहत्वपूर्ण तथ्य कोछिपाया नहीं गया है।

दिनांक

कोषाध्यक्ष अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
एवं मुहर

प्रति हस्ताक्षरित

पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव
के हस्ताक्षर

लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित

लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर
एवं मुहर

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों द्‌वारा व्यय

अनुसूची-1

निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति की तारीख तक साधारण पार्टी प्रचार के लिए पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्‌वारा अधिकृत /उपगत राज्य-वार सकल व्यय का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	नकद	चेक इत्यादि	अधिकृत व्यय, परंतु जो निर्वाचन की समाप्ति की तारीख को बकाया रह गया	कुल
1					
2					
3					
				कुल	

अनुसूची-2

पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्‌वारा अधिकृत/उपगत स्टार प्रचारक (कों) का यात्रा व्यय

क्रम सं.	राज्य और स्थल	बैठक की तारीख	स्टार प्रचारक का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हेलीकॉप्टर, विमान आदि)	हेलीकॉप्टर या विमान के मामलें में आदाता का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
					कुल	

अनुसूची-2क

पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्‌वारा अधिकृत/उपगत (घोषणा के पश्चात तथा नामांकन से पहले वाले व्यय सहित) अन्य नेता(ओं) के यात्रा व्यय

क्रम सं.	राज्य और स्थल	बैठक की तारीख	नेता का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हेलीकॉप्टर, विमान आदि)	हेलीकॉप्टर या विमान के मामलें में आदाता का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
					कुल	

अनुसूची -3

पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्‌वारा अधिकृत/उपगत पार्टी के सामान्य प्रचार-अभियान (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एसएमएस, केबल, वेबसाइट तथा टीवी चैनल इत्यादि) पर व्यय

क्रम सं.	राज्य	आदाता का नाम	मीडिया का नाम (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक,एसएमएस/केबल, टीवी चैनल इत्यादि	प्रिंट/टेलीकास्ट/एसएमएस की तारीख (तारीखें)	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
				कुल	

अनुसूची -4

पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्‌वारा अधिकृत/उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बिल्लों, स्टिकरों, आर्च, गेट, कट-आउट्स, होर्डिंग, झंडों इत्यादि सहित प्रचार सामग्री पर व्यय

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)

1				
2				
3				
			कुल	

अनुसूची -5				
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत आम सभाओं/जुलूस/रैली (यथा मंच/ऑडियो/बैरीकेड/वाहन इत्यादि) पर व्यय				
क्रम सं.	राज्य एवं स्थल	बैठक/जुलूस/रैली की तारीख	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
			कुल	

अनुसूची-6					
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय					
क्रम सं.	राज्य	प्रयोजन	तारीख	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
				कुल	

अनुसूची-7						
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत पार्टी के अभ्यर्थी (र्थियों) या अन्य अभ्यर्थी (र्थियों), यदि कोई हों, को नकद या अन्य माध्यमों यथा चैक/डी डी/पी ओ/आर टी जी एस/निधि हस्तांरण इत्यादि द्वारा कुल एकमुश्त भुगतान। यदि राजनैतिक दल एक से अधिक अवसर पर अभ्यर्थी (र्थियों) को भुगतान करता है तो तारीख-वार ब्यौरों का उल्लेख किया जाएगा।						
क्रम सं.	राज्य का नाम विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम तथा पार्टी का नाम	भुगतान की तारीख (खें)	नकद राशि	चक/डीडी संख्या इत्यादि तथा तारीख	भुगतान की गई कुल राशि
1						
2						
3						
					कुल	

अनुसूची-8					
अभ्यर्थी (र्थियों) के फोटो या नाम सहित मीडिया विज्ञापन (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एसएमएस , केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल इत्यादि) पर कुल व्यय अथवा इस प्रकार के ऐसे व्यय जिन्हें पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों द्वारा अधिकृत/उपगत किसी/किन्ही अभ्यर्थी (र्थियों) के नामे डाला जा सकता है					
क्रम सं.	राज्य	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम	मीडिया का नाम (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक/एसएमएस, केबल, टीवी इत्यादि)	प्रिंट/प्रसारण/एसएमएस की तिथि/यां	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
				कुल	

अनुसूची -9				
अभ्यर्थी (थियों) के फोटो या नाम सहित प्रचार सामग्री (यथा पोस्टर, बैनर्स, निर्वाचन सामग्री इत्यादि) पर कुल व्यय अथवा इस प्रकार के ऐसे कुल व्यय जिन्हें पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों द्वारा अधिकृत / उपगत हों, एवं उन्हें किसी, अभ्यर्थी (थियों) के नामें डाला जा सकता हो।				
क्रम सं.	राज्य/विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
			कुल	

अनुसूची -10					
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा जनसभाओं/जुलूस इत्यादि पर अधिकृत/उपगत कुल व्यय (साधारण पार्टी प्रचारकों के अतिरिक्त) (स्टार-प्रचारकों अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के साथ अन्य नेताओं की रैली में दर्शकों/समर्थकों के लिए किराए पर लिए गए वाहन/बैरिकेड/ऑडियो आदि)					
क्रम सं.	राज्य एवं स्थल	स्टार प्रचारकों और अन्य नेता (नेताओं) के नाम अभ्यर्थी (र्थियों) का नाम	तारीख	व्यय की मदें	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
				कुल	

अनुसूची -11					
अभ्यर्थी (र्थियों) के लिए पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत अन्य कोई व्यय					
क्रम सं.	राज्य	विधान सभा/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
				कुल	

निर्वाचन व्यय के राज्य-वार ब्यौरे

राज्य का नाम...

अनुसूची-12						
राज्य /जिला / स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत स्टार प्रचारक(कों) के कुल व्यय						
क्रम सं.	राज्य और स्थल	बैठक की तारीख	स्टार प्रचारक (को) का/के नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हैलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट आदि)	हैलीकॉप्टर, या एयरक्राफ्ट के मामले में आदाता का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
					कुल	

अनुसूची-13

राज्य /जिला / स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत अन्य नेता (ओं) के यात्रा व्यय (घोषणा के पश्चात तथा नामांकन से पहले के व्यय सहित)						
क्रम सं.	राज्य और स्थल	बैठक की तारीख	नेता (ओं) का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हेलीकाप्टर, विमान आदि)	हेलीकाप्टर या विमान के मामलें में आदाता का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
					कुल	

अनुसूची -14					
राज्य/जिला/स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत सामान्य पार्टी प्रचार पर मीडिया विज्ञापन (प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एसएमएस, केबल, वेबसाइट तथा टीवी चैनल इत्यादि) पर व्यय					
क्रम सं.	राज्य	आदाता का नाम	मीडिया का (प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक,एसएमएस / केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल इत्यादि) नाम	प्रिंट/ टेलीकास्ट/एसएमएस आदि की तारीख	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
				कुल	

अनुसूची -15				
राज्य /जिला / स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत सामान्य पार्टी प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बिल्लों, स्टिकरों, आर्च, गेट, कट-आउट्स, होर्डिंग, झंडों इत्यादि सहित प्रचार सामग्री पर व्यय				
क्रम सं.	राज्य	विधान सभा/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
			कुल	

अनुसूची -16				
राज्य /जिला / स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत लोक बैठकों / जुलूस / रैली (यथा मंच / ऑडियो / बैरीकेड / वाहन इत्यादि) पर व्यय				
क्रम सं.	राज्य एवं स्थल	बैठक/जुलूस/रैली की तारीख	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
			कुल	

अनुसूची-17				
राज्य /जिला / स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय				
क्रम सं.	राज्य	प्रयोजन/ मदों के ब्यौरे	व्यय की तारीख	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
			कुल	

अनुसूची-18						
राज्य /जिला / स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत पार्टी के अभ्यर्थी(र्थियो), यदि कोई है, को नकदी या अन्य किसी माध्यम यथा चेक/डी डी/पी ओ/आर टी जी एस/निधि हस्तांरण इत्यादि में कुल एकमुश्त भुगतान। यदि राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयां एक से अधिक अवसर पर अभ्यर्थी (र्थियों) को भुगतान करती है तो तारीख-वार ब्यौरों का उल्लेख किया जाए।						
क्रम सं.	राज्य का नाम विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का/के नाम तथा अन्य पार्टी होने की दशा में पार्टी के नाम का उल्लेख करें	भुगतान की तारीख (खें)	नकद राशि	चैक/डीडी संख्या इत्यादि तथा तारीख	संदत्त कुल राशि
1						
2						
3						
					कुल	

अनुसूची-19					
अभ्यर्थी (र्थियों) के फोटो या नाम सहित विशेष अभ्यर्थी (र्थियों) के लिए राज्य/जिला/स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत मीडिया विज्ञापन (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल इत्यादि) पर कुल व्यय और ऐसे व्यय जिन्हें अभ्यर्थी (यों) के नामे डाला जा सके					
क्रम सं.	राज्य	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम	मीडिया का नाम (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक/एसएमएस /केबल, टीवी)	प्रिंट/टेलीकास्ट एसएमएस इत्यादि की तारीख (खें)	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
				कुल	

अनुसूची -20				
अभ्यर्थी (र्थियों) के फोटो और/पोस्टर नाम सहित प्रचार सामग्री (यथा पोस्ट, बैनर्स, निर्वाचन सामग्री इत्यादि) पर कुल व्यय अथवा राज्य /जिला / स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत ऐसे व्यय जिसे/जिन्हें अभ्यर्थी (र्थियों) के नामे डाला जा सके।				
क्रम सं.	राज्य/विधान सभा/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
			कुल	

अनुसूची -21						
राज्य/जिला/स्थानीय इकाईयों (साधारण पार्टी प्रचार के अतिरिक्त) द्वारा अभ्यर्थी (र्थियों) के लिए आम सभाओं/जुलूसों इत्यादि पर अधिकृत/ उपगत कुल व्यय (स्टार प्रचारकों या अन्य नेताओं की रैली में दर्शकों/समर्थकों के लिए बैरीकेड्स/ऑडियो इत्यादि/भाडे पर वाहन)						
क्रम सं.	राज्य एवं स्थल	स्टार प्रचारक (कों) और अन्य नेता (ओं) का/के नाम	अभ्यर्थी (र्थियों) का /के नाम	दिनांक	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
					कुल	

अनुसूची -22

राज्य/जिला/स्थानीय इकाईयों द्वारा अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत/ उपगत अन्य कोई व्यय					
क्रम सं.	राज्य	विधान सभा/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी (र्थियों) का/के नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
				कुल	

अनुसूची -23क								
केन्द्रीय मुख्यालय में स्थित राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, को प्रकाशित करने पर उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय								
क्रम सं.	वेबसाइट	समाचार-पत्र			टेलीविजन			भुगतान का तरीका (इलेक्ट्रॉनिक/चैक/डीडी/नकद) (कृपया विवरण दें)
	वह अवधि जब प्रदर्शित किया गया	समाचार पत्र का (के) नाम	प्रकाशन की तारीख (तारीख में)	उपगत किया गया व्यय (रू. में)	चैनल (चैनलों) का (के) नाम	अंतर्वेशन/ दूरदर्शन प्रसारण की तारीखएवं समय	उपगत किया गया व्यय (रू. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुसूची -23ख								
राज्य/जिला/स्थानीय इकाईयों में स्थित राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, को प्रकाशित करने पर उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय								
क्रम सं.	वेबसाइट	समाचारपत्र			टेलीविजन			भुगतान का तरीका (इलेक्ट्रॉनिक/चैक/डीडी/नकद) (कृपया विवरण दें)
	वह अवधि जब प्रदर्शित किया गया	समाचार पत्र का (के) नाम	प्रकाशन की तारीख (तारीखें)	उपगत किया गया व्यय (रू. में)	चैनल (चैनलों) का (के) नाम	अंतर्वेशन/ दूरदर्शन प्रसारण की तारीखएवं समय	उपगत किया गया व्यय (रू. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुसूची 24क					
सोशल मीडिया प्लेटफार्मो/ऐप/अन्य साधनों के माध्यम से वर्चुअल प्रचार पर पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा सामान्य पार्टी प्रचार के लिए प्राधिकृत/उपगत कुल व्यय					
क्र.सं.	राज्य	वर्चुअल प्रचार का स्वरूप (सोशल मीडिया प्लेटफार्मो/ऐप/अन्य साधनों का उल्लेख करें)	विषय-वस्तु बनाने वाले का नाम	संदेश प्रसारित करने वाली मीडिया का नाम	कुल धनराशि (बकाया राशि सहित)
1	2	3	4	5	6

अनुसूची 24ख					
सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/ऐप/अन्य साधनों के माध्यम से वर्चुअल प्रचार पर राज्य/जिला/स्थानीय इकाई द्वारा सामान्य पार्टी प्रचार के लिए प्राधिकृत/उपगत कुल व्यय					
क्र.सं.	राज्य	वर्चुअल प्रचार का स्वरूप (सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/ऐप/अन्य साधनों का उल्लेख करें)	विषय-वस्तु तैयार करने वाले का नाम	संदेश प्रसारित करने वाले मीडिया का नाम	कुल धनराशि (बकाया राशि सहित)
1	2	3	4	5	6

(आयोग द्वारा अपने पत्र सं. 76/वर्चुअल कैम्पेन/ईईपीएस/2022, दिनांक 15 जनवरी, 2022 के जरिए संशोधित, अनुबंध-च9 पर रखा हुआ है)

अनुलग्नक-च4

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

सं0 : 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013 दिनांक : 29 अगस्त, 2014

सेवा में,

1. सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष / महा सचिव
2. सभी राजनीतिक दलों के कोषाध्यक्ष

विषय: दल की निधियों एवं निर्वाचन व्यय मामलों में पारदर्शिता एवं लेखांकन पर दिशा-निर्देश-तत्संबंधी |

महोदय / महोदया,

संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वावम आयोजित करवाने का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन अयोग में निहित है। विभिन्न क्षेत्रों से चिन्ताएं व्यक्त की गई हैं कि धन बल एक समान अवसर में अवरोधक बन रहा है और निर्वाचनों की शुद्धता दूषित कर रहा है। निर्वाचनों के दौरान धन बल के दुरूपयोग को रोकने के लिए आयोग ने समय-समय पर अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों को पूर्व में अनेक अनुदेश जारी किए हैं।

2. राजनीतिक दलों से यह अपेक्षित है वे निर्वाचनों के दौरान एवं अन्य समय, दोनों में, जुटाई गई निधियों एवं उपगत व्यय के संबंध में पारदर्शिता एवं लेखांकन का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के आयोजन के संबंध में यह आवश्यक और व्यावहारिक है कि राजनीतिक दलों की निधियों के संबंध में पारदर्शिता लाने एवं लेखांकन के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध करवाए जाएं |

3. दिशा-निर्देशों को प्रतिपादित करने के संबंध में, आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से टिप्पणी /सुझाव / इनपुट्स मांगे हैं। इन दलों में से अधिकतर ने पारदर्शिता संबंधी दिशा निर्देशों के मुद्दे का समर्थन किया है जबंकि कुछ अन्यों के भिन्न मत थे। राजनीतिक दलों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए और निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता के हित में, आयोग ने राजनीतिक दलों को निधियन में पारदर्शिता लाने एवं लेखांकन के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निम्नलिखित दिशा निर्देश एतद्द्वारा जारी किए हैं:-

(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13क का परन्तुक (क), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित करता है कि राजनीतिक दल लेखों की ऐसी पुस्तकें रखेंगे और अनुरक्षित करेंगे जिसमें से उनकी आय से उचित कटौती की जा सके। तदनुसार, यह अपेक्षित है कि (क) राजनीतिक दल का कोषाध्यक्ष या

ऐसा व्यक्ति जो दल के द्वारा प्राधिकृत है, सभी राज्य और नीचले स्तरों के लेखों के अनुरक्षण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, दल के केन्द्रीय मुख्यालय में समेकित लेखों का, उपरोक्त प्रावधान के अधीन, अपेक्षित रीति से अनुरक्षण करेगा (ख) उसके द्वारा अनुरक्षित लेखों को द इन्सीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट ऑफ इण्डिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी राजनीतिक दलों के लेखांकन एवं लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार होना होगा और (ग) वार्षिक लेखा, योग्यता प्राप्त पेशेवर चार्टर्ड अकाउण्टैंट द्वारा लेखा-परीक्षित एवं प्रमाणित किया जाएगा।

(ii) आयोग ने नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं में 8 अक्तूबर, 2010 से संशोधन किया है जिसमें दल को, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति जमा करवानी अपेक्षित है। तदनुसार, एकरूपता लाने के लिए, सभी राजनीतिक दल आयोग को या नीचे पैरा (xi) में उल्लेखित ऐसे प्राधिकारी को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ परीक्षित, वार्षिक लेखों की एक प्रति प्रत्येक वर्ष 3l अक्तूबर से पहले प्रस्तुत करेंगे।

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी जी बी एवं 80 जी जी सी के प्रावधान में, अन्य बातों के साथ-साथ यह वर्णित है कि किसी व्यक्ति या कम्पनी द्वारा नकदी के रूप में राजनीतिक दल को किए गए अंशदान में से कोई भी कटौती करने के अनुमति नहीं दी जाएगी। तदनुसार, राजनीतिक दल अपनी जन सभाओं के दौरान जनता द्वारा दान की गई खुदरा राशियों को छोडकर, सभी ऐसे व्यक्तियों, कम्पनियों या इकाईयों के नाम एवं पते का अनुरक्षण करेंगे जो उनको दान देते हैं। इसके अतिरिक्त, नकदी के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की राशि / दान संबंधित लेखा पुस्तक में विधिवत रूप से लेखांकित किया जाएगा एवं इसकी प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर, दल के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। यद्यपि, दल के दिन-प्रतिदिन की कार्य पद्धति के लिए एवं नकद व्यय के भुगतान के लिए, दल अपेक्षित यथोचित राशि रख सकता है।

(iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40क (3) यह उपबंधित करता है कि आयकर नियम, 1962 के नियम 6 घ घ में यथा उपबंधित छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर, किसी भी व्यापारिक इकाई द्वारा एक व्यक्ति को एक दिन में रू. 20,000/-* से अधिक के सभी भुगतान अकाउण्ट पेई चैक/ड्राफ्ट द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार, यदि कोई दल किसी प्रकार का व्यय कर रहा है तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि रू. 20,000 /-* से अधिक के कोई भी भुगतान एक दिन में किसी व्यक्ति या कम्पनी या इकाई को नकदी के रूप नहीं किया जाए, सिवाय जहां (क) भुगतान किसी गांव या नगर में किया जाता है जहां पर बैंक की सेवाएं उपलब्ध नहीं है; या (ख) भुगतान किसी कर्मचारी या दल के कार्यकर्त्ता को वेतन, पेंशन या उसके व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाता है; या (ग) किसी विधि के अधीन नकद भुगतान अपेक्षित है।

(v) लोक प्रतिनिधित्व अधिनिमय, 1951 की धारा 77(3) किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय की उच्चतम सीमा को उपबंधित करती है। अतः, यदि दल अपने अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्यय में कोई वित्तीय

सहायता उपलब्ध कराना चाहता है तो यह सहायता निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगी। दल द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का भुगतान केवल क्रॉस अकाउण्ट पेई चैक या ड्राफ्ट या बैंक अकाउण्ट ट्रान्सफर के माध्यम से किया जाएगा न कि नकदी के रूप में।

(vi) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सभी रिपोर्ट अर्थात फार्म 24क में अंशदान की रिपोर्ट, उपरोक्त पैरा 3(i) में संदर्भित चार्टर्ड अकाउण्टैंट द्वारा यथा प्रमाणित लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, और निर्वाचन व्यय विवरण निर्वाचन आयोग के पास दाखिल करेंगे जबकि गैर मान्यता प्राप्त दल यह सब संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी ई ओ) (अर्थात जहां दल का मुख्यालय स्थित है) के पास निर्धारित समय एवं रीति से दाखिल करेंगे |

4. उपर्युक्त दिशा-निर्देश सभी राजनीतिक दलों पर 01 अक्तूबर, 2014 से लागू होंगे।

भवदीय,

ह./-

(मलय मल्लिक)

अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इसे अपने संबंधित राज्यों के सभी राजनीतिक दलों के नोटिस में लाया जाए।
2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को राजनीतिक दलों के लिए उपयुक्त नियम बनाने के संदर्भ में।
3. अध्यक्ष, इन्सीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टैंट ऑफ इण्डिया, आई सी ए आई भवन, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, बाक्स न. 7100, नई दिल्ली-110002 को राजनीतिक दलों के मार्गदर्शी
नोट पर बिन्दुओं को शामिल करने के संदर्भ में।

***कृप्या अनुलग्नक- ङ11 और अनुलग्नक- ङ12 को देखें।**

अनुलग्नक-च5

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/पीपीईएमएस पारदर्शिता/2014 दिनांक : 14 अक्तूबर, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचल अधिकारी

विषय: दल संबंधी निधियों तथा निर्वाचन व्यय मैं पारदर्शिता और लेखाकंन पर दिशा-निर्देश-अमान्यत प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण-तत्संबंधी।

महोदय /महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आयोग के दिनांक 29 अगस्त, 2014 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल निर्धारित समय के अंदर तथा विधि के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग को सभी रिपोर्ट यथा; (क) फार्म 24 में अंशदान रिपोर्ट, (ख) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे (ग) निर्वाचन व्यय विवरण जमा करवाएंगे जबकि अमान्यता प्राप्त दल यही सब रिपोर्ट संबंधित राज्य (अर्थात वह राज्य जहां पार्टी मुख्यालय स्थित है) के मुख्य निर्वाचल अधिकारियों को जमा करवाएंगे। उपरोलिखित दिशा-निर्देश 01 अक्तूबर, 2014 से सभी राजनैतिक दलों को लागू हो गए हैं (प्रति संलग्न)।

2. उपर्युक्त के अवलोकन में मुझे आपसे यह अनुरोध करने के निदेश दिए गए है कि कआप इसे आयोग की प्रतीक आदेश अधिसूचना के अनुसार ऐसे सभी राजनैतिक दलों जिनका राज्य में मुख्यालय है जिन्होंने पत्र व्यवहार के लिए अधिकारिक पते दिए हुए है, के ध्यान में लाएं ताकि वे मुख्य निर्वाचल अधिकारी के कार्यालय में अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। (आयोग की दिनांक 10.03.2014 की प्रतीक आदेश अधिसूचला दिनांक 16.09.2014 की संशोधन अधिसूचला और दिनांक 26.09.2014 का पत्र सं. 56/2014/पीपीएस-॥ की प्रति तुरंत संदर्भ के लिए एतद्द्वारा संलग्न किए जा रहे हैं)

3. राज्यीय स्तर के अमान्यता प्राप्त दलों से रिपोर्ट प्राप्स होने पर मुख्य निर्वाचल अधिकारी के कार्यालय द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा;

(i) अंशदान रिपोर्टों, वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों तथा निर्वाचल व्यय के बिवरणों की स्कैनड प्रतियों को उनकी प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर जनता के दर्शनार्थ संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचल अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसे "राज्यीय स्तर राजनैतिक दलों की रिपोर्ट और लेखा विवरण," जिसका लिंक "वर्तमान खबरें" से होगा, के शीर्ष के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

(ii) अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा जमा कराई गई रिपोर्टो/विवरणों की सूची को समेकित करके उनकी प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर, एतद्द्वारा संलग्म प्रारूप (अनुलग्नक-क, ख, ग) के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। किसी भी राजनैतिक दल से विवरण/रिपोर्ट की प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा इस सूची का आवधिक अद्यतन किया जाएगा। संबंधित पार्टी की रिपोर्ट/विवरणों की स्कैनड प्रतियों का स्टेट्स रिपोर्ट के साथ लिंक होना चाहिए।

(iii) राजनैतिक दलों द्वारा रिपोर्टो/विवरणों को जमा कराने की अंतिम तारीख निम्न अनुसार होगी :

1. अंशदान रिपोर्ट-आयकर विवरणी भरने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर या केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर द्वारा आगे बढ़ाई गई ऐसी कोई तारीख
2. वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे-प्रत्येक वर्ष 31 अक्टुबर
3. निर्वाचन व्यय का विवरण-विधान सभा निर्वाचन की समाप्ति के 75 दिनों के अंदर और लोक सभा निर्वाचन की समाप्ति के 90 दिनों के अंदर

(iv) रिपोर्टो/विवरणों को जमा कराने में हुई चूक संबंधी मामले में संबंधित राजनैतिक दलों को इस संबंध में पत्र लिखकर संबंधित चूक को उनके ध्यान में लाना चाहिए और इस पत्र को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।

(v) अंशदान रिपोर्ट की प्रति को संबंधित राज्य के आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त को भी अग्रेषित किया जाएगा जिसमें राजनैतिक दल द्वारा ऐसी रिपोर्ट के प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख होगा। जिन पार्टियों ने समय पर अंशदान रिपोर्ट को जमा नहीं कराया है उनका आयकर विभाग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग के अनुरूप उन्हें मिलने वाले टैक्स लाभों को नकारने के लिए कारवाई की जाएगी।

(vi) विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 2010 की धारा-2 खंड(I) के अधीन यथा पारिभाषित विदेशी स्रोतों से प्राप्त किसी भरी प्रकार के चंदे के बारे में उस मंत्रालय द्वारा कार्रवाई और संवीक्षा के लिए मृह मंत्रालय, भारत सरकार को भी अंशदान रिपोर्ट अग्रेषित की जानी चाहिए।

भवदीय,

ह./-

(मलय मल्लिक)

अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:

निदेशक (आई.टी.) मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा ई सी आई की वेबसाइट में प्रस्तावित परिवर्तन करने के लिए।

अनुलग्नक-क

....वित्तीय वर्ष के लिए...(संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम) के गैर मान्यता प्राप्त दलों द्वारा जमा कराई गई अंशदान रिपोर्ट

रिपोर्ट जमा करवाने के लिए नियत तारीख...

क्रम सं.	दल का नाम	मुख्यालय/ कार्यालय का पता	नियत तारीख को या उससे पहले जमा करवाएं जाने की स्थिति में		नियत तारीख के बाद दाखिल करवाए जाने की स्थिति में		टिप्पणी
			जमा करवाने की तारीख	दर्शाई गई कुल अंशदान (राशि) (रूपए में)	जमा करवाने की तारीख	दर्शाई गई कुल अंशदान (राशि) (रूपए में)	
1	2	3	4(क)	4(ख)	5(क)	5(ख)	6

ध्यान दें : स्तंभ 4(क) और 5 (क) में राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की स्कैनड प्रतियों के लिंक दिए गए हैं।

दिनांकः

हस्ताक्षर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

अनुलग्नक-ख

वित्तीय वर्ष.. के लिए...(संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम) के मुख्यालय/अधिकारिक पता रखने वाले अमान्यता प्राप्त दलों द्वारा जमा करवाई गई वार्षिक लेखा परीक्षा की स्थिति वार्षिक लेखा परिक्षा रिपोर्ट जमा करवाने के लिए नियत तारीख

जिस तारीख को सूची तैयार की गई...

क्रम सं.	दल का नाम	मुख्यालय /कार्यालय का पता	नियत तारीख को या उससे पहले जमा करवाएं जाने की स्थिति में			नियत तारीख के बाद दाखिल करवाए जाने की स्थिति में			टिप्पणी
			जमा करवाने की तारीख	कुल आय (रुपए में)	कुल व्यय (रुपए में)	जमा करवाने की तारीख	कुल आय (रुपए में)	कुल व्यय (रुपए में)	
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	5(क)	5(ख)	5(ग)	6

ध्यान दें : राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की स्कैनड प्रति का लिंक स्तंभ 4(क) और 5 (ख) में दिया गया हैं।

दिनांकः

हस्ताक्षर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

अनुलग्नक-ग

....के साधारण निर्वाचन 20... के लिए निर्वाचन व्यय विवरण जमा कराने की स्थिति व्यय विवरण जमा करवाने के लिए नियत तारीख..........................

जिस तारीख को सूची तैयार की गई..

क्रम सं.	दल का नाम	मुख्यालय/ कार्यालय का पता	नियत तारीख को या उससे पहले जमा करवाएं जाने की स्थिति में		नियत तारीख के बाद दाखिल करवाए जाने की स्थिति में		टिप्पणी
			जमा करवाने की तारीख	कुल आय (रुपए में)	जमा करवाने की तारीख	कुल आय (रुपए में)	
1	2	3	4(क)	4(ख)	5(क)	5(ख)	6

ध्यान दें : राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट की स्कैनड प्रति का लिंक स्तंभ 4(क) और 4 (ख) में दिया गया हैं।

दिनांकः

हस्ताक्षर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

अनुलग्नक-च6

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/पी पी ई एम एस / पारदर्शिता /2013 दिनांक : 19 नवंबर, 2014

सेवा में

1. सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष /महासचिव
2. सभी राजनैतिक दलों के कोषाध्यक्ष

विषय: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29.08.2014 को जारी राजनैतिक दलों के लिए पारदर्शिता दिशा-निर्देशों का स्पष्टीकरण-तत्संबंधी मामला।

महोदय / महोदया

आयोग के दिनांक 29.08.2014 के पत्र संख्या 76/ पीपीईएमएस / पारदर्शिता / 2013 का कृपया संदर्भ लें जिसमें आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 का अवलंबन लेते हुए राजनैतिक दलों के लिए पारदर्शिता दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग की शक्तियों के बारे में संदेह करते हुए कुछ पार्टियों की ओर से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन्होंने कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा है। अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात, निम्नलिखित मामलों पर एतद्द्वारा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है :

1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन, आयोग के पास सर्वांगीण शक्तियां हैं और देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का संचालन कराना इसका पवित्र कर्तव्य है। हाल ही में, निर्वाचन अभियानों में काले धन के बढ़ते हुए प्रयोग की सूचनाएं मिली हैं जोकि चारों ओर गहरी चिंता का विषय है। निर्वाचनों में काले धन का प्रयोग अभ्यर्थियों को एक समान अवसर देने में बाधा उत्पन्न करने के साथ-साथ निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दूषित करता है। अतः, संविधान में यथा प्रतिष्ठापित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन और निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता के संरक्षण के उद्देश्य से पारदर्शिता दिशा-निर्देशों की आवश्यकता थी। इस क्षेत्र में विधिक शून्यता थी जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है, जैसा कि मोहिन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (एआईआर 1978 एस सी 851) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था।

2. इन दिशा निर्देशों को सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात ही तैयार किया गया था। इस प्रकार से, अनुच्छेद 324 के अधीन आयोग द्वारा जारी विधियुक्त अनुदेश सभी राजनैतिक दलों पर बाध्यकारी हैं और उनका उल्लंघन निर्वाचन प्रक्रिया, जो कि किसी भी लोकतंत्र की आधार शिला है, की पारदर्शिता को प्रभावित करेगा।

3. राजनैतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनैतिक दलों को वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों को अनिवार्य रूप से आयोग को दाखिल करने के अनुदेश दिए गए हैं, जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों हेतु आवश्यक घटक हैं। ऐसे व्यक्तियों, कम्पनियों तथा हस्तियों का नाम और पता रखने के निदेश दिए गए हैं जो राजनैतिक दलों को चंदा

देते हैं, इसका अभिप्रेत यह सुनिश्चित करना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख में यथा अनुबद्ध निषिद्ध स्त्रोंतों से राजनैतिक दलों द्वारा कोई पूंजी प्राप्त नहीं की जा रही है। तथापि, आयोग लोक बैठकों / रैलियों में राजनैतिक दलों द्वारा हुंडी /बकेट कलेक्शन के माध्यम से पूंजी जुटाने की कार्यप्रणाली के संबंध में सचेत हैं, जहां दान देने वालों के नाम व पते का रिकार्ड रखना संभव नहीं होता। अतः, आयोग ने ऐसी वसूली को उपर्युक्त अनुदेशों की परिधि से बाहर रखा है। सार्वजनिक बैठकों /रैली में हुंडी /बकेट कलेक्शन के माध्यम से एकत्र किए गए चंदे को छोड़कर, सभी चंदों के मामले में राजनैतिक दल द्वारा प्रत्येक दान देने वाले के नाम व पते का रिकार्ड रखा जाना अपेक्षित होता है जैसा कि अन्य सभी सामाजिक / सिविल सोसाइटी /संगठनों द्वारा किया जाता है।

4. रोजमर्रा खर्च होने वाली अपेक्षित राशि को छोड़कर राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त की गई नकदी 10 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर उनके बैंक खातों में जमा करवा दी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि रोजमर्रा के होने वाले खर्च के प्रयोजनार्थ पंजीकृत राजनैतिक दल के हाथ में कुल राशि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पार्टी के औसत मासिक नकदी व्यय से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. सभी राजनैतिक दल माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अनुबद्ध लोक सभा निर्वाचनों के 90 दिनों के अंदर या विधान सभा निर्वाचन के 75 दिनों के अंदर भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत करेंगे और इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि पार्टियां नियत समय सीमा के अंदर अपने निर्वाचन व्यय का वास्तविक एवं यथातथ्य विवरण दाखिल करें| चूंकि, सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के बैंक खाते हैं और सभी को संयुक्त रूप से प्रोत्साहित करने हेतु बैंक की विस्तारित सेवाएं हैं, उपरोक्त पारदर्शिता दिशा-निर्देश के पैरा (IV) में यथा उल्लिखित भुगतान के अतिरिक्त सभी दल किसी व्यक्ति या हस्ती को एक ही दिन में 20,000* रु. से अधिक का भुगतान एकाउंट पेइ चैक या ड्राफ्ट या एकाउंट ट्रांसफर द्वारा करेंगे। इससे निर्वाचनों के दौरान नकदी के अत्याधिक प्रवाह को रोकने में मदद मिलेगी और यह पार्टियों के निर्वाचन व्यय में पारदर्शिता भी लाएगा।

6. आयोग का यह प्रयास रहा है कि निर्वाचनों के दौरान सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने हेतु समान अवसर उपलब्ध हों। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के हित में सभी पार्टियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग द्वारा जारी पारदर्शिता दिशा निर्देशों का अनुसरण करें और आयोग के विधिपूर्ण निदेशों के उल्लंघन पर निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 16क के अधीन यथा परिकल्पित कार्रवाई होगी।

भवदीय

ह./-

(मलय मल्लिक)

अवर सचिव

***कृप्या अनुलग्नक- ङ11 और अनुलग्नक- ङ12 को देखें।**

अनुलग्नक-च7

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

पत्र सं. 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/खण्ड-II दिनांक: 08 सितम्बर, 2015

सेवा में

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः- राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा होने के 30 दिन के भीतर आंशिक निर्वाचन व्यय विवरण दाखिल किया जाना-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर आंशिक निर्वाचन व्यय विवरण दाखिल करने के संबंध में दिनांक 8 सितम्बर, 2015 के आयोग पत्र सं. 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/खण्ड- II की प्रति इस अनुरोध के साथ मुझे इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे अपने/राज्य संघ शासित क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों के ध्यान में लाया जाए। दल से किए गए पत्र-व्यवहार की एक प्रति आयोग के संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

2. इसके अतिरिक्त, आपसे अनुरोध है कि अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय और परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर दाखिल, प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाले जाएंगे।

यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 21 जनवरी, 2013 के आयोग के पत्र सं. 76/ईई/2012-पीपीईएम और दिनांक 29 अगस्त, 2014 के पत्र सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 में यथाउल्लिखित राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्यय दाखिल करने के संबंध में अनुदेश उसी रूप में लागू रहेंगे।

3. कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

ह./-

(अविनाश कुमार)

अवर सचिव

राजनीतिक दल निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुभाग और एसडीआर अनुभाग को प्रतिलिपि प्रेषित।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

पत्र सं. 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/खण्ड-II दिनांक: 08 सितम्बर, 2015

सेवा में

अध्यक्ष/महासचिव

1. सभी राष्ट्रीय दल
2. सभी राज्यीय दल
3. सभी गैर मान्यता प्राप्त दल

विषयः- राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर आंशिक निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत करना -तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे आयोग के दिनांक 21 जनवरी, 2013 के पत्र सं. 76/ईई/2012-पीपीईएमएस और दिनांक 29 अगस्त, 2014 के पत्र सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013(प्रतिलिपियां संलग्न) को संदर्भित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राजनैतिक दलों को विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन के समाप्त होने के 75 दिनों/90दिनों के भीतर अपना " निर्वाचन व्यय विवरण " भारत निर्वाचन आयोग को (राष्ट्रीय और राज्यीय दलों के मामले में) या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (गैर मान्यताप्राप्त दलों के मामले में जहाँ दल का मुख्यालय स्थित है) के समक्ष दाखिल करना होगा।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, की धारा 77 के अंतर्गत जिस लेखा का कुल व्यय विवरण रखा जाएगा और जो किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के निर्वाचन के संबंध में उपगत या अधिकृत किया जाएगा वह निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 90 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। सामान्यतः राजनैतिक दल निर्वाचनों के दौरान खड़े किए गए अपने अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्यय हेतु नकदी या वस्तु रूप में सहयोग/अंशदान देते हैं और अभ्यर्थियों को अपने विवरणों में ऐसा व्यय प्रदर्शित करना होगा। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए पारदर्शिता और लेखों के समाशोधन हेतु और संविधान के अनुच्छेद-324 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजनैतिक दलों को

(i) आंशिक विवरण जो भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष (राष्ट्रीय और राज्यीय दलों के मामले में) या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (गैर मान्यताप्राप्त दलों के मामले में, जहाँ दल का मुख्यालय स्थित है) के समक्ष, अनुलग्नक-क में नियत प्रारूप में विधान सभा/लोकसभा के निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा होने के बाद 30 दिन के भीतर दल द्वारा अभ्यर्थियों को किए गए एकमुश्त भुगतान के संबंध में और (ii) निर्वाचन व्यय संबंधी अंतिम विवरण विधानसभा/लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन के समाप्त होने के 75 दिनों/90 दिनों के भीतर उपरोक्तानुसार, दलों द्वारा दाखिल किया जाना अपेक्षित है।

3. इस बात को दोहराया जाता है कि राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय आयोग के दिनांक 29 अगस्त, 2014 के आयोग के पत्र सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 उपर्युक्त एवं संलग्न के पैरा 3(i) में यथासंदर्भित चार्टर्ड अकाउंटैट द्वारा प्रमाणीकृत होना चाहिए।

4. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(एस. के. रूडोला)

सचिव

राजनीतिक दल निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुभाग और एसडीआर अनुभाग को प्रतिलिपि प्रेषित।

अनुलग्नक-क

दल का नामः
क्या मान्यताप्राप्त हैः.................(हाँ या नही)

निर्वाचन का नामः
निर्वाचन की घोषणा की तिथिः
निर्वाचन समाप्त होने की तिथिः

दल के अभ्यर्थियों या अन्य अभ्यर्थियों, यदि कोई प्राधिकृत किए गए हों पर दल द्वारा नकद रूप में या लिखत जैसे चेक/डी डी/पीओ/आर टी जी एस/ निधि अंतरण इत्यादि द्वारा कुल एकमुश्त उपगत भुगतान। यदि राजनैतिक दल अभ्यर्थियों को एक से अधिक अवसरों पर भुगतान करता है तो तिथिवार उल्लेख किया जाना चाहिए।						
क्रम सं.	राज्य का नाम/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम	अभ्यर्थी का नाम	भुगतान की तारीख	नकद राशि	चेक/डी डी/पीओ/आर टी जी एस/ निधि अंतरण इत्यादि	कुल (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
कुल योग						

दिनांकः हस्ताक्षर (राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष)

नोटः दल के केन्द्रीय मुख्यालयों या राज्यीय इकाइयों द्वारा किए गए अधिकृत भुगतान के लिए अलग अनुलग्नकों में प्रस्तुत किया जाए।

अनुलग्नक-च8

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.76/ईसीआई/अनुदेशा/ईईएम/ईईपीएस/2019/खण्ड-XVII दिनांक : 8 मई, 2019

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

विषय: अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की संक्षित विवरणी तथा राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्यय की सारणी का संशोधित्त फार्मेट-तत्संबंधी।

महोदया/महोदय,

मुझे आयोग के दिनांक 10 अक्तूबर, 2018 के पत्र संख्या 3/4/2017/एसडीआर/खण्ड-II तथा दिनांक 19 मार्च, 2019 के पत्र संख्या 3/4/2019/एसडीआर/खण्ड-I (प्रतियां संलग्न) का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान तीन बार अभ्यर्थियों (टी.वी. एवं समाचार पत्रों) और राजनैतिक दलों (वेबसाइट, टी.वी. एवं समाचार पत्रों) द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रचार-प्रसार पर निर्वाचन व्ययों के लेखाकरण के संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए थे।

2. आयोग ने परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अन्दर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल की जाने वाली संक्षित विवरणी के फार्मेट के संबंध में दिनांक 13 जनवरी, 2017 के अपने पत्र संख्या 76/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./ईईएम/ईईपीएस/2016/खण्ड-IX ["निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार-संग्रह (फरवरी, 2019" के अनुलग्नक–ङ2*] के तहत अनुदेश जारी किया था। ऊपर उल्लिखित प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थियों की निर्वाचन व्यय की संक्षित विवरणी का फार्मेट उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन में उनके द्वारा उपगत व्यय को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है।

3. राजनैतिक दलों से यह भी अपेक्षित है कि वे निर्धारित फार्मेट में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (अमान्यता प्राप्त दल) तथा भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष (मान्यता प्राप्त दल) दिनांक 21 जनवरी, 2013 के ईसीआई पत्र सं.76/ईई/2012-पीपीईएमएस ["निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार-संग्रह" का अनुलग्नक-च2**] के संदर्भ में विधान सभा/लोक सभा के निर्वाचन समाप्त होने के क्रमश: 75 दिनों/90 दिनों के अन्दर अपना निर्वाचन व्यय संबंधी विवरण प्रस्तुत करें। ऊपर उल्लिखित प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) में आयोग द्वारा जारी निदेशों को ध्यान में

रखते हुए, राजनैतिक दलों द्वारा अपने अभ्यर्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन के लिए उपगत व्यय को शामिल करने हेतु संशोधित किया गया है।

4. आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे लोक सभा, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, एवं सिक्किम और उप-निर्वाचन, 2019 के निर्वाचनरत साधारण निर्वाचनों में राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों एवं अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के ध्यान में लाएं और उन्हें यह भी बताएं कि वे अपना निर्वाचन व्यय केवल संशोधित फार्मेट में ही दाखिल करें। इसे आवश्यक कार्रवाही के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी, व्यय प्रेक्षकों तथा अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में भी लाया जाए।

5. इस संबंध में जारी निर्देश की प्रति आयोग को भेजी जाए।

भवदीय,
ह./-
(राजन जैन)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. सभी राष्ट्रीय तथा राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल ।(विशेष संदेशवाहक/स्पीड पोस्ट द्वारा)
2. वरिष्ठ डीईसी (यूएस), डीईसी (एसएस), डीईसी (एसजे) एवं डीईसी (सीबीके) के वरिष्ठ पीपीएस/पीपीएस/पीए/पीएस |
3. जोनल वरिष्ठ प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अवर सचिव, के पीए / पीएस, जोनल अनुभाग, सीईएमएस-II, पीपीईएमएस, एसडीआर, आरसीसी।

ह./-
(राजन जैन)
अवर सचिव

नोट: *अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के सार विवरण का संशोधित फार्मेट अनुबंध ङ2 पर रखा हुआ है।

** राजनैतिक दल के निर्वाचन व्यय के विवरण का संशोधित फार्मेट च3 पर रखा है।

[Guidelines of ECI on Publicity of Criminal Antecedents by Political Parties and Candidates' is available on the ECI website www.eci.gov.in at the following link:
Important Instructions-Updated Guidelines on publicity of criminal antecedents by political parties and candidates, in light of the Hon'ble Supreme Court's judgment dated 10th August, 2021-reg.
and

https://eci.gov.in/files/file/13949-updated-guidelines-on-publicity-of-criminal-antecedents-by-political-parties-and-candidates-in-light-of-the-honble-supreme-courts-judgment-dated-10th-august-2021-reg/]

अनुलग्नक-च9

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/वर्चुअल कैंपेन/ईईपीएस/2022 दिनांकः 15 जनवरी, 2022

सेवा में

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः **अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय का सार विवरण और राजनैतिक दल के निर्वाचन व्यय के विवरण का संशोधित फॉर्मेट-तत्संबंधी।**

महोदय/महोदया

मुझे अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का सार विवरण और राजनैतिक दल के निर्वाचन व्यय के विवरण के अंतिम बार संशोधित किए गए फॉर्मेट के संबंध में आयोग के पत्र सं. 76/ईसीआई/अनु./ईईएम/ईईपीएस/2019/खंड XVII, दिनांक 8 मई, 2019 (प्रति संलग्न) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचनों में अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों द्वारा वर्चुअल प्रचार की बढ़ रही प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय का सार विवरण और राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्यय के विवरण के फॉर्मेट को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

2. अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपने निर्वाचन व्यय का सार विवरण और अभ्यर्थियों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अनुरक्षित किए जाने हेतु अपेक्षित अपना दैनंदिनी खाता रजिस्टर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अंतर्गत निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें। अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के संक्षिप्त विवरण के मौजूदा फॉर्मेट को भाग-।। में अनुसूची 11 और पंक्ति VIII में वर्चुअल प्रचार अभियान में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए व्यय को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय के सार विवरण का संशोधित फॉर्मेट संलग्न है।

3. राजनैतिक दलों से भी यह अपेक्षित है कि वे विधान सभा/लोक सभा निर्वाचनों के पूर्ण होने के क्रमशः 75 दिन/90 दिन के भीतर भारत निर्वाचन आयोग (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल) और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल) को अपना निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत करें। राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्यय के सार विवरण के मौजूदा फॉर्मेट को अनुसूची 24क और 24ख, पंक्ति 5.4 (vii), पंक्ति 6.4 (vii) और पंक्ति 7छ (III) में वर्चुअल प्रचार अभियान में राजनैतिक दलों

द्वारा किए गए व्यय को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। राजनैतिक दल के निर्वाचन व्यय के विवरण का संशोधित फॉर्मेट संलग्न है।

4. आपसे अनुरोध है कि आप इसकी जानकारी निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों को दें और उन्हें केवल संशोधित फॉर्मेट में ही अपने निर्वाचन व्यय दायर करने के लिए प्रेरित करें। इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों, व्यय प्रेक्षकों और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों की जानकारी में भी लाया जाए।

5. इस संबंध में जारी किए गए अनुदेश की एक प्रति, आयोग को भी पृष्ठांकित की जाए।

भवदीय

ह./-

(अनूप कुमार खाखलारी)

अवर सचिव

प्रतिलिपिः

1. सभी राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल। (विशेष संदेशवाहक/स्पीड पोस्ट द्वारा)
2. एसजी, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, वरिष्ठ प्रधान सचिव, निदेशकों, प्रधान सचिव, सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/निजी सहायक।
3. सीईएमएस-I, II, III, IV और पीपीईएमएस।

ह./-

(अनूप कुमार खाखलारी)

अवर सचिव

नोट: *अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के सार विवरण का संशोधित फार्मेट अनुबंध ङ2 पर रखा हुआ है।

** राजनैतिक दल के निर्वाचन व्यय के विवरण का संशोधित फार्मेट च3 पर रखा है।

अनुलग्नक- च10

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 56/एए/2020-21/पीपीईएमएस दिनांक: 21 जनवरी, 2022

सेवा में

राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव/कोषाध्यक्ष (सूची संलग्न),

विषय: राजनैतिक दलों द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करना - तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे ऊपर उल्लिखित विषय का संदर्भ देने तथा आयोग के दिनांक 29 अगस्त, 2014* के पत्र के तहत जारी किए गए पारदर्शिता दिशानिर्देश को आपके ध्यान में लाने का निदेश हुआ है जिसमें यह निदेश दिया गया है कि सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल, भारत निर्वाचन आयोग के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा यथाप्रमाणित अपने वार्षिक लेखापरीक्षित खातों को दाखिल करेंगे। अमान्यताप्राप्त दल अपने-अपने राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों (अर्थात् वह राज्य, जहां राजनैतिक दल का मुख्यालय स्थित है) के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर से पूर्व, विहित रीति से उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित खातों को दाखिल करेंगे।

2. आयोग ने राजनैतिक दलों द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करने की नियत तिथि को आय-कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत राजनैतिक दलों की आय-कर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि के साथ लिंक करने का निर्णय लिया है।

3. तद्नुसार, सभी राजनैतिक दल आय-कर अधिनियम की धारा 139 के अनुसार राजनैतिक दलों द्वारा आय-कर विवरणी भरने की अंतिम तिथि से एक माह के भीतर अपने वार्षिक लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करेंगे। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 और इसी तरह आगे भी वार्षिक लेखापरीक्षित खाते प्रस्तुत करने के लिए लागू रहेगा।

भवदीय

ह./-

(कुमार राजीव)

सचिव

अग्रेषित: सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे अपने-अपने संबंधित राज्यों के सभी राजनैतिक दलों के ध्यान में लाएं।

ह./-

(कुमार राजीव)

सचिव

***कृप्या अनुलग्नक- च 4 को देखें।**

‘छ’

उड़न दस्तों,

स्थैतिक निगरानी दलों,

एटीएम वाहनों,

हेलीकॉप्टरों आदि की जांच

करने के लिए

और

आयकर विभाग आदि

द्वारा

अनुवीक्षण करने के लिए

मानक प्रचालन प्रक्रियाएं

आयोग के अनुदेशों को एक-समान रूप से कार्यान्वित किया जाता है और उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों, एटीएम वाहनों के माध्यम से नकदी के पारवहन, हेलीकॉप्टरों/विमानों की जांच करने और गैर-वाणिज्यिक हवाई अडडों / हेलीपैडों में की जाने वाली जांच के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं ताकि उनके क्रियान्वयन में परिनियोजित अधिकारियों और कार्मिक को सहूलियत मिल सके।

क. <u>उड़न दस्तों (एफएस) एवं स्थैतिक निगरानी दलों (एसएसटी) के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी):</u>

निर्वाचनों की शुचिता को बनाए रखने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन-क्षेत्र में अत्यधिक प्रचार खर्चों, रिश्वत की मदों का नकद या वस्तु रूप में वितरण, अवैध शस्त्रों, गोला-बारूद, शराब या असामाजिक तत्वों आदि को लाने-ले जाने/आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों और जांच चौकियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र संख्या 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015 / खण्ड-II, दिनांक 29 मई, 2015 (**अनुलग्नक -छ7**) के अनुसार मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की है। उड़न दस्ते (एफएस) एवं स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली दैनिक गतिविधि रिपोर्टों के फार्मेट इसके साथ संलग्न हैं (**अनुलग्नक -ख8,ख9 एवं ख10**)। प्रत्येक उड़न दस्ते तथा स्थैतिक निगरानी दल के सदस्यों को यथासंभव सीमा तक, एक दिन में 8 घंटे से अधिक की ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी तथा उन्हें मतदान /पुनर्मतदान के तुरन्त पश्चात् वापिस बुला लिया जाएगा।
आयोग ने, किसी भी परिसर में नकदी या अन्य मूल्यवान वस्तुओं इत्यादि के भंडारण के संबंध में शिकायतों की प्राप्ति पर उड़न दस्तों द्वारा अनुवर्ती कारवाई के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया अ **अनुलग्नक -छ9** के अनुसार जारी की है। जब्त धनराशि तब तक अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय नहीं मानी जाएगी जब तक कि न्यायालय में दाखिल मुकदमे पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले लिया जाता और उस समय तक जब तक कि उसकी प्रविष्टि छाया प्रेक्षण रजिस्टर में न कर दी जाए। शिकायत / एफ आई आर प्रति साक्ष्य फोल्डर में रखी जाएगी (आयोग का अनुदेश सं. 76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/वाल्यूम-V दिनांक 18 अप्रैल, 2013, **अनुलग्नक -छ3**)

ख. <u>ए टी एम वाहनों आदि द्वारा नकदी के पारवहन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया</u>
वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा निर्धारित 'एस ओ पी' के अनुसरण में, **अनुलग्नक-छ2** के अनुसार प्रति संलग्न, एक बार फिर से कहा जाता है कि नकदी को सावधानीपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बैंकों को निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए:-

(i) बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहय स्रोत एजेंसियों / कंपनियों से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाड़ियां किसी भी परिस्थिति में बैंक की नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नकदी नहीं ले जाएंगी। इस प्रयोजनार्थ, बाहय स्रोत एजेंसी/कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी पत्र/ दस्तावेज इत्यादि होने चाहिए जिसमें उन्हें बैंकों द्वारा दी गई नकदी, जिसे वे ए टी एम मशीनों में भरेंगे और अन्य शाखाओं, बैंकों या करेंसी पेटी में रखने के लिए ले जाएंगे, का उल्लेख होगा।

(ii) बाहय स्त्रोत एजेंसियों / कंपनियों के कार्मिक जो नकदी ले जाने वाली गाड़ी के साथ जाएंगे, संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे।

(iii) उपर्युक्त प्रक्रिया इस कारण से निर्दिष्ट की गई है कि निर्वाचन की अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत कर्मचारी (जिला निर्वाचन अधिकारी या अन्य कोई प्राधिकृत कर्मचारी) बाहय स्त्रोत एजेंसी / कंपनी से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाड़ी को निरीक्षण के लिए रोकते हैं तो वह एजेंसी / कंपनी दस्तावेजों तथा मुद्रा के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा यह स्पष्ट कर सकने की स्थिति में होनी चाहिए कि उन्होंने वह नकदी बैंकों के ए टी एम को नकदी से भरने या बैंकों की कुछ अन्य शाखाओं या मुद्रा पेटी में नकदी पहुंचाने के लिए बैंक के अनुदेशों पर नकदी ले जा रहे हैं।

(iv) उपर्युक्त प्रक्रिया मानक प्रचालन नियमों तथा नकदी ले जाने हेतु बैंकों की प्रक्रिया का अंश होगी। (**अनुलग्नक-छ2**) निर्वाचनों के दौरान पाई गई संदेहास्पद या अवैध नकदी, विदेशी मुद्रा तथा नकली भारतीय करेंसी नोटों (एफ आई सी एन) इत्यादि की सूचना के संबंध में जिले में सुसंगत प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किया जा सकता है।

आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय को निर्वाचनों के दौरान तैनात किया जाएगा और वे भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 76/अनुदेश /ईईपीएस /2013/खंड-VII, दिनांक 16 जनवरी, 2013 (**अनुलग्नक-छ1**) यथा-उल्लिखित प्रकार्यों का निष्पादन करेंगे। दैनिक गतिविधि रिपोर्ट, संशोधित आरूप (**अनुलग्नक -ख11**) के अनुसार आयकर के सहायक / उप निदेशक द्वारा संबंधित महानिदेशक, आयकर (अन्वेषण) / आयकर विभाग (अन्वेषण) के कार्यालय के नोडल अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जो बाद में उन रिपोर्टो को समेकित करेंगे और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रति सहित इसे प्रत्येक एकांतर दिवस पर निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।

ग. **<u>हेलिकॉप्टर /निजी विमानों की जाँच करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया :-</u>**

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या सीएएस-7(15)/2012/ प्रभाग-I (निर्वाचन), दिनांक 03.07.2013 तथा अनुशेष सं. सीएएस-7 (15)/2012/ प्रभाग-I (निर्वाचन), दिनांक 11.10.2013 (**अनुलग्नक – छ4, छ5 तथा छ6**) के जरिए अन्य सभी अनुदेशों के अधिक्रमण में, निम्नलिखित कदमों की सिफारिश करते हुए अनुदेश जारी किए हैं:

<u>वाणिज्यिक हवाई अड्डों पर आरोहण-पूर्व जांच</u>

(i) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान व्यक्तियों एवं सामान की तलाशी और जांच करने के संबंध में सभी नियमों एवं प्रक्रियाओं को निरपवाद रूप से सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। किसी विमान / हेलीकॉप्टर, जिनमें वाणिज्यिक /चार्टर्ड विमान शमिल हैं, पर सवार होने वाले सभी यात्रियों (सिवाय उनके जिन्हें नियमों के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं) और सभी सामानों (सिवाय उनके जिनके लिए नियमों के अंतर्गत छूट-प्राप्त है) को मतदान सम्बद्ध राज्य के प्रचालनात्मक हवाई अड्डों के आरोहण-पूर्व सिक्‍्यूरिटी चेक एरिया से गुजरना / गुजारना होगा।

(ii) वाणिज्यिक हवाई अड्डों पर चार्टर्ड विमानों (फिक्स्ड विंग विमानों के सहित) और हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग या उड़ान भरने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) या रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) से पूर्व-अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। वाणिज्यिक हवाई अड्डों का एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) चार्टर्ड विमानों या हेलीकॉप्टरों की ट्रैवल प्लान के बारे में उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को यथासंभव यथाशीघ्र, अधिमानतः आधे घंटे पहले, सूचित करेगा जिसमें हवाई अड्डा अवस्थित है।

(iii) हालांकि, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, एटीसी ऐसे सभी चार्टर्ड विमानों या हेलीकॉप्टरों, वाणिज्यिक हवाई अड्डों के लैंडिंग एवं उड़ान भरने, लैंड करने के समय, उड़ान भरने के समय और यात्री मालसूची, रूट प्लॉन आदि का रिकार्ड रखेगा। एटीसी संबंधित राज्य के सीईओ को और उस जिले के डीईओ को इस सूचना की एक प्रति विमान के लैंड करने / उड़ान भरने की तिथि के बाद 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएगा जिसमें हवाई अड्डा अवस्थित है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) निरीक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापन करने के लिए ऐसी सूचना व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। एटीसी निरीक्षण के लिए व्यय प्रेक्षक को भी आवश्यकतानुसार रिकार्ड उपलब्ध कराएंगे।

(iv) ऐसे व्यक्तियों / यात्रियों (जिन्हें नियमों के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं हैं) के सभी सामानों, जिनमें हैंड बैगेज शमिल हैं, की भी सीआईएसएफ /राज्य /संघ राज्यक्षेत्र पुलिस द्वारा बिना किसी रियायत के स्क्रीनिंग की जाएगी जिन्हें विमान तक जाने के लिए वाहन की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति है।

(v) मतदान सम्बद्ध राज्य के लिए या उससे उड़ान भरने वाले विमानों के सामान से 10 लाख रु से अधिक की नकदी या 1 किग्रा या उससे अधिक वजन के सोना-चांदी का पता लगने पर सीआईएसएफ या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के पुलिस प्राधिकारी तत्काल आयकर विभाग को रिपोर्ट करेंगे।

(vi) सूचना मिलने पर आयकर विभाग आयकर कानूनों के अनुसार आवश्यक सत्यापन करेंगे और अगर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो आवश्यक उपाय करेंगे। वे कोई भी नकदी या सोना-चांदी रिलीज करने से पहले निर्वाचन आयोग / संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सूचित करेंगे ।

(vii) कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियां जैसे सीआईएसएफ, राज्य पुलिस और आयकर विभाग अपनी आंतरिक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) इस तरह तैयार करेंगी कि पता लगने से लेकर हवाई अड्डे पर जब्ती या रिलीज तक के सम्पूर्ण घटनाक्रम को क्लोज सर्किट टीवी /वीडियो कैमरा द्वारा फिल्माया जाए। इस प्रयोजन के लिए सभी वाणिज्यिक हवाई अडडों में ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी संस्थापित किए जाएंगे जहां नकदी /सोना-चांदी का पता लगता है/गिना जाता है/जब्त किया जाता है। सीसीटीवी, कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियों, जिनमें आयकर विभाग शामिल हैं, के पूछताछ चैम्बरों में भी संस्थापित किए जाएं। सीसीटीवी / वीडियो कैमरा की ऐसी रिकार्डिंग हवाई अड्डा प्रचालक / प्राधिकार के पास 3 महीनों की अवधि के लिए संरक्षित रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर निर्वाचन आयोग /सीईओ को उपलब्ध कराई जाए।

गैर-वाणिज्यिक हवाई अड्डों / हेलीपैडों में जांच-

(viii) दूरवर्ती /अनियंत्रित हवाई अड्डों, हेलीपैडों में राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का उड़न दस्ता या पुलिस प्राधिकारी, विमान के पायलट के समन्वय से, विमान से बाहर आने वाले सभी सामान (किसी यात्री द्वारा लिए गए हस्तधारित पर्स या पाउच के सिवाय) की स्क्रीनिंग / प्रत्यक्ष जांच करेगा। रिट याचिका सं. 231/2012 दिनांक 09.11.2012 निर्वाचन आयुक्त बनाम भाग्योदय जनपरिषद एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी या एजेंट या दलीय पदाधिकारी के कोई भी अनधिकृत हथियार, निषिद्ध वस्तुओं, 50,000/- रु से अधिक की नकदी की पड़ताल की जाएगी और उन्हें जब्त करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे दूरवर्ती अनियंत्रित हवाई अडडों / हेलीपैडों में उतरने के समय किसी भी यात्री के शरीर की तब तक तलाशी नहीं की जाएगी जब तक कि व्यक्ति द्वारा अनधिकृत हथियारों या निषिद्ध सामानों, आदि ढोए जाने के बारे में कोई विनिर्दिष्ट जानकारी न हो।

(ix) दूरवर्ती/अनियंत्रित हवाई अड्डों और हेलीपैडों में अभ्यर्थी द्वारा या राजनीतिक दल द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को ट्रैवल प्लॉन, जिले में लैंड करने के स्थान और विमानों /हेलीकॉप्टरों के यात्रियों के नामों का उल्लेख करते हुए लैंड करने से कम से कम 24 घंटे पहले संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देना होगा ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर सके और हेलीपैड का कोऑर्डिनेट भी उपलब्ध करा सके। इस प्रकार का आवेदन मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी उसी दिन प्राथमिकता आधार पर अनुमति जारी करेंगे।

(x) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन-क्षेत्र में विमान/हैलीकॉप्टर के लैंड करने के पांच दिनों के भीतर विमान / हेलीकॉप्टर की मालिकाना /लीज पर लेने वाली कम्पनी को प्रदत्त / देय भाड़ा प्रभारों, यात्रियों के नाम और राजनीतिक दल का नाम (यदि पार्टी ने भाड़े पर लेने के खर्च का वहन किया हो) के बारे में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भी सूचित करेंगे।

(xi) साधारण विमान/चार्टर्ड /निजी विमानों तथा राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा भाड़े पर लिए गए विमानों में वहन किए जाने वाले यात्री, वायु कर्मी तथा सामान को निर्धारित उड़ानों में अपनायी जाने वाली उसी सामान्य आरोहण-पूर्व सुरक्षा जांच प्रक्रिया के माध्यम से चढ़ाया जाएगा जो अनुसूचित फ्लाइटों पर लागू होता है। इसी प्रकार, सामान्य अवरोहण प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा तथा ऐसे यात्रियों तथा सामान की हवाई अड्डे के किसी भी अन्य द्वार से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्बाध निकासी के लिए छूट-प्राप्त श्रेणी के यात्रियों की आवाजाही के बारे में पहले से समन्वित किया जाए परन्तु उनके साथ ले जाए जाने वाले सामान की स्क्रीनिंग की जाएगी।

(xii) आने वाले यात्रियों, सामान्य विमान/चार्टर्ड /निजी विमानों तथा राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा भाड़े पर लिये गए विमानों के वायु कर्मी के सामान (किसी यात्री के हस्तधारित पर्स या पाउच के अतिरिक्त) का केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/ए.एस.जी अथवा राज्य पुलिस द्वारा आकस्मिक स्क्रीनिंग / प्रत्यक्ष जांच की जाएगी। हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आगमन पर एक्स-बिस उपलब्ध कराया जा सकता है। सीआईएसएफ / एएसजी इस ड्यूटी के लिए यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त मैनपावर तैनात करेंगे।

(xiii) इन लाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम (आई बी एस एस) को नियन्त्रित करने वाले एयरपोर्ट आपरेटर तथा स्टैंड एलोन एक्स-बिस के माध्यम से सामान की स्क्रीनिंग में तैनात एयरक्राफ्ट ऑपरेटर अवैध हथियारों का पता चलने पर पुलिस को रिपोर्ट करेंगे तथा संदेहजनक धनराशि/सोना-चांदी के बारे में निर्वाचनरत राज्यों में तैनात आयकर अधिकारी (रियों) को अविलम्ब रिपोर्ट करेंगे; तथा,

(xiv) जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि निर्वाचनरत राज्यों में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सुदूर / अनियंत्रित हवाई अड्डों / हेलीपैडों में / से उड़ान भरने वाले सामान्य विमान/चार्टर्ड/निजी विमानों तथा राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले अथवा उनके द्वारा किराए पर लिए गए विमान में अवैध हथियारों, निषिद्ध सामग्रियों तथा संदेहजनक धनराशि /सोने-चांदी की आवाजाही को रोके।

घ. गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट धारक (एनएसओपी) हायरिंग प्रभार नियत करने के लिए स्वतंत्र है और ऐसे प्रभारों को डी जी सी ए (एनएसओपी) के कार्यालय द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा रहा है (**अनुलग्नक -छ8**), एनएसओपी की सूची डी.जी.सी.ए की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर लिंक Operators-Non Scheduled पर उपलब्ध है)।

ङ. अधिकारिता वाली सीबीआईसी फील्ड इकाइयां निवारक सतर्कता तंत्र को चुस्त-दुरूस्त कर सकें और चुनावों के दौरान संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, ड्रग्स/नारकोटिक्स, मुफ्त की वस्तुओं और तस्करी से लाई गई वस्तुओं के प्रवाह को रोकने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मानक प्रचालन प्रक्रिया विहित की है (अनुलग्नक- छ 10)।

च. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों के अध्यक्ष और सीएमडी को निर्वाचन के लिए तय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके पड़ोसी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईंधन खरीदने के लिए कूपन की बिक्री को रोकने और इसकी जांच करने के लिए सभी उचित उपाय करने की सलाह दी है ताकि इससे चुनावी प्रक्रिया दूषित न हो। **(अनुलग्नक- छ 11)**

छ. व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (ईएससी) और व्यय संवेदनशील पॉकेट (ईएसपी) की पहचान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)। **(अनुलग्नक- छ12)**

अनुलग्नक- छ1

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.76/अनुदेश/ ईईपीएस/2013/खण्ड-II दिनांकः 16 जनवरी, 2013

सेवा में,

अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
वित्त मंत्रालय,नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली।

विषय: नागालैण्ड, त्रिपुरा और मेघालय विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2013-निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर आयोग के अनुदेशों में संशोधन-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 11.01.2013 के अपने प्रैस नोट द्वारा नागालैण्ड, त्रिपुरा और मेघालय विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन व्यय पर कड़ी निगरानी रखने पर उपरोक्त राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी आयोग के दिनांक 27 जुलाई, 2012 के पत्र सं.76/अनुदेश/2012/ईईपीएस और क्रमानुसार दिनांक 17.12.2012 और 15.01.2013 के संशोधित पत्र (प्रतियां संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है।

2. क्योंकि काला धन निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को दूषित करता है, इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि निर्वाचनों के दौरान काले धन के प्रयोग पर नियन्त्रण करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक प्रबंध करें:-

(क) <u>आयकर विभाग द्वारा अनुवीक्षण:-</u>

आयकर विभाग, राज्य में सभी हवाई अड्डे, मुख्य रेलवे स्टेशन, होटल, फार्म हाऊसों, हवाला एजेंटों, वित्तीय दलालों, कैश कूरियरों, आधि-व्यवसायियों और अन्य संदिग्ध एजेंसियों / व्यक्तियों जो निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अघोषित राशि के संचलन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, पर कड़ी निगरानी रखेगा। इस उद्देश्य के लिए आयोग द्वारा राज्य के प्रभारी, आयकर के महानिदेशक (अन्वे.) के पर्यवेक्षण में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं का अधिग्रहण किया जाता है। अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों का स्थापन किसी राज्य में निर्वाचनों की अधिसूचना के तुरंत बाद राज्य की राजधानी में या ऐसे संवेदनशील स्थानों पर जो आयकर विभाग द्वारा निर्णित किए जाते हैं, में करना होता है।

(ख) इस उद्देश्य के लिए, आयकर के महानिदेशक (अन्वे.), अधिक मात्रा में ऐसी नकदी या अन्य मर्दे जिनका निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग करने का संदेह हो, के संचलन के सम्बन्ध में शिकायतें या सूचना प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री नम्बर सहित मुख्यतः राज्य की राजधानी में 24x7 नियंत्रण कक्ष और शिकायत अनुवीक्षण

प्रकोष्ठ खोलने के लिए कदम उठाएंगे। आयकर अन्वेषण निदेशालय, सूचना और शिकायत के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध स्वतंत्र जांच चलाएगा और डी ई ओ सुरक्षा कर्मियों को उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा। जांच का परिणाम आयकर अन्वेषण निदेशालय द्वारा संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रति देते हुए आयोग को रिपोर्ट किया जाएगा।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्वेषण निदेशालय और वित्तीय आसूचना इकाई (एफ आई यू), भारत सरकार भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थियों द्वारा घोषित परिसम्पत्तियों और देयताओं के शपथ-पत्र की प्रतियाँ डाउऊनलोड करेगा। एफ आई यू अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना जो उनके पास उपलब्ध है, को भी सत्यापित करेगा और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के माध्यम से राज्य के डी जी आई टी (अन्वे.) को रिपोर्ट भेजेगा। अन्वेषण निदेशालय, आयकर विभाग के पास उपलब्ध सूचना को भी सत्यापित करेगा और जहां कहीं भी सम्पत्तियों या देयता या लम्बित देयों के सम्बन्ध में सूचना छिपाए जाने का मामला हो तो इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजेगा। किसी भी स्थिति में, परिसम्पत्तियों से संबंधित अन्वेषण रिपोर्ट, मतदान की तिथि से अधिक से अधिक 6 महीने की अवधि में भेजी जाएगी।

(घ) यदि किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा किए गए निर्वाचन व्ययों से संबंधित कोई सूचना या तो निर्वाचन प्रचार के दौरान या अभ्यर्थियो सहित किसी व्यक्ति की उनके स्वतन्त्र अन्वेषण के दौरान, चुनाव से पहले या बाद में, अन्वेषण निदेशालय द्वारा एकत्रित की जाती है तो उसे आयोग को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(ङ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयकर विभाग का अन्वेषण निदेशालय उन राजनैतिक दलों जो चंदा ले रहे हैं और निर्वाचनाधीन राज्यों में बिना सांविधिक रिटर्न भरे कर में छूट का आनंद ले रहे हैं, उनकी और विभाग द्वारा निर्वाचन की घोषणा होने के 2 सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को करेगा।

(च) <u>आयकर कार्मिकों की तैनातीः-</u>

(i) राज्य में आसूचना एकत्रित करने के अतिरिक्त आयकर कार्मिकों का दल ऐसे संवेदनशील स्थानों पर स्वयं को अवस्थित करेगा जहां अघोषित रोकड़ आदि की बड़ी धन राशि की आवाजाही का संदेह हो और आयकर कानूनों के अनुसार कार्रवाई करेगा |

(ii) इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग, निर्वाचनाधीन राज्यों के सभी हवाई अड्डों और निर्वाचनाधीन राज्यों में व्यावसायिक उड़ानों वाले हवाई अड्डों में विमान आसूचना इकाई खोलेगा और निर्वाचनाधीन राज्यों में आने वाले और वहां से उड़ान भरने वाले विमानों (निजी विमानों सहित) द्वारा राशि की आवाजाही पर सख्त निगरानी रखेगा। यदि हवाई अड्डे पर 10 लाख से अधिक नकदी पाई जाती है तो आयकर विभाग, आयकर कानूनों के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएगा। यदि आयकर कानूनों के अधीन यह जब्त करना संभव नहीं है तब आयकर विभाग राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचना तत्काल हस्तान्तरित करेगा जो यदि नकदी निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग में लाए जाने का संदेह हो तो भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कदम उठाएंगे। सी आई एस एफ प्राधिकारी इस संबंध में आवश्यक सूचना और सहयोग देंगे।

(iii) यदि किसी व्यक्ति द्वारा बैंक खाते से 10 लाख रूपये से अधिक की नकदी निकाले जानी की सूचना बैंक द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट की जाती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसे आयकर अन्वेषण निदेशालय के नोडल अधिकारी /जिले के प्रभारी सहायक निदेशक, आयकर (अन्वेषण) को हस्तान्तरित की जाएगी जो आयकर कानूनों के अधीन तुरंत कार्रवाई करेंगे।

3. आयकर (अन्वे.) के सहायक /उप निदेशक द्वारा क्रियाकलाप रिपोर्ट संशोधित फार्मेट (अनुलग्नक-24) के अनुसार संबंधित डी जी आई टी (अन्वे)/डी आई टी (अन्चे.) के कार्यालय में नोडल अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जो रिपोर्ट को संकलित करेंगे और इसे प्रत्येक एकान्तर दिवस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रति सहित भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। अनुलग्नक-24 में यथासंशोधित फार्मेट भी इसके साथ संलग्न है।

भवदीय,

ह./-

(एस.के. रूडोला)

सचिव

अनुलग्नक-छ2

फा.सं. 60(2)/2008-बीओ.-II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग,
तीसरा तल, जीवन दीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 20 फरवरी, 2013

सेवा में,

भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली।

(ध्यानाकर्षण: श्री एस.के. रूडोला, सचिव)

विषय: निर्वाचनों के दौरान बैंकों द्वारा यथार्थ एवं उचित नकदी का परिवहन-तत्संबंधी |

महोदय,

1. कृपया उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 29 मई, 2012 के पत्र सं.75/नि.व्यय/आई टी डी/2012/ईईपीएस/605 का संदर्भ लें और अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 06.11.2012 के समसंख्यक पत्र के द्वारा इस संबंध में उल्लेख करते हुए इस विभाग का उत्तर है कि भारतीय बैंकों के संघ द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रिया का विकास किया जाएगा और यह विभाग निर्वाचन आयोग के साथ निर्वाचन प्रचालन प्रक्रिया एस ओ पी में भी भागी होगा ताकि यह निर्वाचन तंत्र की जांच प्रक्रिया का हिस्सा बन सके और इस तरह से निर्वाचनों के दौरान बैंकों द्वारा यर्थात एवं उचित नकदी का सुचारू परिवहन सुनिश्चित कर सकें |

2. भारतीय बैंकों के संघ ने चुनिन्ृदा बैंकों के समूह से विचार /टिप्पणियां एकत्रित की और बैंकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर और विचार-विमर्श करने के बाद भारतीय बैंकों के संघ की प्रबंधन समिति ने नकदी के परिवहन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित कर सभी बैंकों को कार्यान्वयन हेतु परिचालित किए थे।

- बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि बाहय स्त्रोत एजेंसियों/कम्पनियों की नकदी वैन किसी भी परिस्थिति में उस बैंक के अलावा, किसी तृतीय पक्षकार एजेंसियों/व्यक्तियों की नकदी नहीं ली जाएगी। इस प्रयोजनार्थ, बाह्य एजेंसियों, कम्पनियों के पास एटीएम होगा जो कि उनके द्वारा एटीएम में नकदी डालने और अन्य शाखाओं, बैंकों या मुद्रा तिजोरी में नकदी पहुंचाने के लिए ले जाया जा रहा है। बैंक द्वारा जारी पत्र/ दस्तावेज इत्यादि होगा जिसमें बैंक द्वारा जारी की गई नकदी का विवरण दिया है।

- बाहय स्त्रोत एजेंसियों, कम्पनियों (की नकदी वैन) के साथ जाने वाले व्यक्ति संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी पहचान-पत्र रखेंगे।
- उपरोक्त प्रतिक्रिया इस कारण से अनुबद्ध की गई है कि निर्वाचन अवधि के दौरान यदि निर्वाचन आयोग का प्राधिकृत अधिकारी (जिला निर्वाचन अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी) बाह्य स्त्रोत एजेंसी/कम्पनी की नकदी वैन को जांच करने के लिए रोकता है तो एजेंसी/कम्पनी दस्तावेजों और मुद्रा की प्रत्यक्ष जांच के द्वारा निर्वाचन आयोग को स्पष्ट करने की स्थिति में होनी चाहिए कि बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक एटीएम को फिर से भरने या बैंक की कुछ अन्य शाखाओं या मुद्रा तिजोरी में नकदी ले जाने के उद्देश्य से उन्होंने बैंक से नकदी प्राप्त की है।
- उपरोक्त प्रक्रिया मानक प्रचालन नियमों और नकदी के परिवहन के लिए बैंकों की प्रक्रिया का हिस्सा होगी।

3. भारतीय बैंकों के संघ (आई बी ए) द्वारा सदस्य बैंकों की जारी दिनांक 04.02.2013 के परिपत्र की प्रति संलग्न की जा रही है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इन दिशा-निर्देशों को निर्वाचन तंत्र की जांच करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने और इस तरह, निर्वाचनों के दौरान बैंकों द्वारा यथार्थ एवं उचित नकदी का सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने पर विचार करें|

भवदीय,

ह./-

(डी.डी. महेश्वरी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सम्पक्र सं. 011-23748750

ई-मेल:usbo2-dfs@nic.in, bo2@nic.in

संलग्नकः उपरोक्त अनुसार |

अनुलग्नक- छ3

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/खण्ड-V दिनांक : 18 अप्रैल, 2013

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कर्नाटक
बंगलौर

विषय: भोजन परोसने, सामूहिक विवाह, जब्त राशि और अन्य मुद्दों पर निर्वाचन व्यय के विषय में स्पष्टीकरण-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे, ई-मेल द्वारा प्राप्त आपके पत्र सं0 शून्य दिनांक 13.04.2013 के संदर्भ में निम्नलिखित अनुसार स्पष्टीकरण देने का निदेश हुआ है।

1. <u>राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा आयोजित रैली में आए लोगों के लिए भोजन, कोल्ड ड्रिंक, छाछ का परोसा जानाः-</u>

(क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचन से संबंधित सभी व्ययों के लिए अलग एवं सही खाते रखें, जो उनके या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नाम-निर्देशन की तारीख से लेकर और परिणाम की घोषणा होने तक की तारीख के बीच किए गए हों। ऐसी मदों पर खर्च की गई धनराशि अभ्यर्थी (र्थियों) जिन्होनें रैली/बैठक आयोजित की है, के निर्वाचन व्ययों के नामे डाली जाएगी। यदि रैली /बैठक राजनैतिक दल द्वारा आयोजित की जाती हैं तो ऐसी मदों पर व्यय, कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (ए आई आर 1975 एस सी 308 दिनांक 10.04.1974) के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार विनियमित किया जाएगा जिसे निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण-मार्च, 2013 के अनुदेशों के पैरा 10.2 में समाविष्ट किया गया है।

(ख) तथापि, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ख के अंतर्गत रैली में उपस्थित लोगों को केवल पेय जल या छाछ परोसना रिश्वत देना नहीं माना जा सकता है।

2. <u>सामूहिक विवाहः-</u>

ऐसे कार्यक्रम पर आयोग द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि ऐसा कोई भी संदेह है कि कार्यक्रम, निर्वाचन अभियान के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है तो उनका अनुवीक्षण किया जाना चाहिए। तथापि, अभ्यर्थियों के व्यय को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण-मार्च, 2013 के अनुदेशों में दिए गए पैरा 5.10.2 और 5.10.3 के अनुदेश के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

3. <u>रक्षदल (काफिला) / बाईक रैलियां:-</u>

आयोग ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2010 के अपने पत्र सं) 437/6/आई एन एस टी/2010-सी सी एव बी ई के द्वारा यह तय किया है कि आचार संहिता अवधि के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के वाहन जो काफिले में चल रहे होते हैं, में सुरक्षा वाहनों को छोड़कर, यदि कोई अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों इत्यादि के नेताओं को उस रक्षदल में उपलब्ध करवाए गए हैं, दस वाहनों से अधिक नहीं होने चाहिएं।

4. <u>जब्त धनराशि या अन्य मदों को छाया प्रेक्षण रजिस्टर में अभिलिखित करनाः-</u>

विद्यमान अनुदेश के अनुसार यदि अभ्यर्थी से संबंधित जब्त राशि या अन्य मर्दे पाई गई हैं तो रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, शिकायतें/एफ आई आर दर्ज करने के बाद शिकायत/एफ आई आर की प्रति व्यय प्रेक्षक/सहायक व्यय प्रेक्षक को भेजेगा, जो उसे छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लिखित करेगा। आयोग ने दिनांक 21 मार्च, 2013 के अपने आदेश सं. 76/अनुदेश/2013/ई ई पी एस/खण्ड-I निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेश, मार्च 2013 का अनुलग्नक-73) के पैरा-6 के आंशिक संशोधन में यह एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि जब्त राशि अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के रूप में तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक न्यायालय में दर्ज मामला अंतिम रूप से निर्णित नहीं हो जाता है और तब तक छाया प्रेक्षण रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि नहीं की जाएगी। शिकायत/एफ आई आर की प्रति साक्ष्य फोल्डर में रखी जाएगी।

भवदीय,

ह./-

(एस.के.रूडोला)

सचिव

अनुलग्नक-छ4

सी ए एस -7(15) /2012/ प्रभाग-I निर्वा)
भारत सरकार
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो
(नागर विमानन मंत्रालय) 'अ' खंड, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001, दि.: 03/07/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हवाई अड्डों के जरिए अनधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं तथा संदेहजनक मुद्रा/सोने-चांदी के परिवहन पर रोक लगाने के लिए संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया-तत्संबंधी मामला।

संदर्भ : दिनांक 08.04.2011 और दिनांक 14.02.2012 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन

ऐसी खबरें मिली हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान चार्टेड विमानों, हेलीकॉप्टरों / वाणिज्यिक विमानन कम्पनियों के मालिकों के माध्यम से मतदान वाले राज्यों में अनधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं या अत्यधिक मात्रा में नकदी /बहुमूल्य धातुओं (सोना-चांदी) का परिवहन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ऐसी घटनाओं के प्रति चिंतित है, क्योंकि इनसे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी को एक समान धरातल नहीं मिल पाता है।

2. इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि मतदान वाले राज्यों के वाणिज्यिक हवाई अड्डों तथा गैर-वाणिज्यिक हवाई पटिटयों / हैलीकॉप्टरों में समान / यात्रियों पर मतदान वाले राज्यों में जाने वाले विमानों पर चढ़ने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखने के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए जायेंगे-

<u>वाणिज्यिक हवाई अड्डों पर जहाज पर चढ़ने से पहले जांच</u>

(i) मतदान वाले राज्यों में चुनाव प्रक्रिया के समय यात्रियों व सामान की तलाशी तथा जांच संबंधी सभी नियमों व पद्धतियों का बिना किसी अपवाद के, कड़ाई के साथ पालन किया जाना चहिए। सभी यात्रियों (कैवल उनके अतिरिक्त जिन्हें नियमों के अंतर्गत छूट प्राप्त है) तथा सभी सामान (उसके अतिरिक्त जिसे नियम के अंतर्गत छूट प्राप्त है), किसी भी व्यावसायिक /चार्टरित फ्लाईट सहित सभी वायुयानों / हैलीकॉप्टरों में प्रचालन एयरपोर्ट क्षेत्र में प्रवेश पूर्व सुरक्षा जांच से गुजरेगा |

(ii) वाणिज्यिक एयरपोर्टों पर विमानों (फिक्स्ड विंग विमान सहित) तथा हैलीकाप्टरों के अवतरण तथा उड़ान भरने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी | वार्णिज्यिक एयरपोर्टों पर विमान यातायात नियंत्रण (ए टी सी) द्वारा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

तथा उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी जिसमें वह हवाई अड्डा स्थित है, को चार्टरित एयरक्राफ्ट या हैलीकाप्टर की यात्रा योजना के बारे में यथाशीघ्र अधिमानतः आधे घण्टे पहले सूचित किया जाएगा।

(iii) तथापि, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वार्णिज्यिक एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले /अवतरण करने वाले ऐसे सभी निजी विमानों या हैलीकॉप्टरों का विमान यातायात नियंत्रण (ए टी सी) रिकार्ड रखेंगे जिसमें अवतरण का समय, उड़ान भरने का समय तथा यात्री अवतरण मालसूची, मार्ग योजना इत्यादि भी शामिल होंगे। विमान यातायात नियंत्रण (ए टी सी) इस सूचना की एक प्रति संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसमें वह हवाई अड्डा स्थित है, को अवतरण/उड़ान की तारीख के तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराएगें तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी इस जानकारी को निरीक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापन के लिए व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। विमान परिवहन नियंत्रण (ए टी सी) इस रिकार्ड को व्यय प्रेक्षक द्वारा निरीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराएगें |

(iv) ऐसे सभी यात्रियों (जिन्हें नियमों के अंतर्गत छूट दी गई है) किन्तु जिन्हें वायुयान तक जाने हेतु गाड़ी का प्रयोग करने की सुविधा दी गई है , द्वारा हाथ में ले जाए जाने वाले सामान सहित पूरे सामान की जांच बिना किसी छूट के के. औ. सु. ब./राज्य/ केंद्र शसित राज्य की पुलिस द्वारा की जाएगी।

(v) के. औ. सु. बल अथवा राज्य या केंद्रशासित राज्यों के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा रूपये दस लाख (10,00,000) से अधिक की नगदी अथवा 1 किग्रा या इससे अधिक मूल्य का सोना-चांदी पाए जाने पर, जो कि मतदान वाले राज्य में या वहां से ले जाया जा रहा है, राज्य के हवाई अडडे के आयकर विभाग को तुरंत सूचित किया जायेगा।

(vi) सूचना प्राप्त होने पर आयकर विभाग द्वारा आयकर नियमों के अनुरूप आवश्यक सत्यापन किया जायेगा और संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिये जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की किसी नगदी / बहुमूल्य धातु की मुक्ति के पहले उनके द्वारा निर्वाचन आयोग /मुख्य निर्वाचन अधिकारी / संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया जायेगा।

(vii) विधि प्रवर्तन एजेंसियों, जैसे के. औ. सु. बल, राज्य पुलिस और आयकर विभाग अपनी आंतरिक मानक प्रचालन पद्धति का विकास इस प्रकार करेंगे कि हवाई अड्डे में खोज से लेकर जब्ती अथवा मुक्त करने तक का पूरा घटना क्रम क्लोज़ सरकिट टी वी, वीडियो कैमरे में कैद हो रहा है। इस उद्धेश्य से सभी वाणिज्यिक हवाई अड्डों के ऐसे सभी स्थानों मे जहां नकदी / बहुमूल्य धातु का पता लगाया जाता है, गिना/जब्त किया जाता है तथा आयकर विभाग सहित सभी विधि प्रवर्तक एजेंसियों के पूछताछ के कमरों में क्लोज सरकिट टी वी लगाये जायेंगे। सी सी टी वी/वीडियो कैमरे की यह रिकार्डिंग हवाई अड्डा संचालक / प्राधिकारी द्वारा संरक्षित रखी जायेगी तथा जरूरत पड़ने पर निर्वाचन आयोग / मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।

<u>गैर वाणिज्यिक हवाई अड्डों / हैलीपैडों पर जांच</u>

(viii) सुदूर /अनियंत्रित हवाई अड्डों या हैलीपैडों में राज्यों केंद्र शसित राज्यों के उड़न दस्ते या पुलिस अधिकारी पायलट के साथ समन्वय करके क्राफ्ट से बाहर आने वालों के सामान की तलाशी /भौतिक जांच-पड़ताल करेंगे (महिलाओं द्वारा हाथ में लिए पर्स को छोड़कर)। किसी भी अभ्यर्थी या अभिकर्ता या दल के कार्यकर्ता से संबंधित अनधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं, 50,000 रू. से अधिक की नकदी की जांच की जाएगी और दिनांक 09.11.2012 की पट याचिका सं. 231/2012, निर्वाचन आयुक्त बनाम भाग्योदय जनपरिषद तथा अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जब्ती पर विचार किया जाएगा। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सुदूर अनियंत्रित हवाई अड्डों /हैलीपैडों पर जहाज से उतरते हुए यात्रियों की तलाशी नहीं ली जाएगी जब तक कि किसी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत अस्त्र-शस्त्र या निषिद्ध वस्तुएं ले जाने के संबंध में कोई विशेष सूचना न हो।

(ix) सुदूर / अनियंत्रित एयरपोर्टों तथा हैलीपैडों पर अवतरण के कम से कम 24 घंटे पहले अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन दिया जाएगा जिसमें यात्रा योजना के ब्यौरों, जिले में अवतरण का स्थान तथा एयरक्राफ्टों/ हेलीकॉप्टरों में यात्रियों के नामों का उल्लेख होगा ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा, विधि और व्यवस्था मामलों के संबंध में समुचित व्यवस्था कर सके और हैलीपेड उपलब्ध करवा सके। इस प्रकार के आवेदन प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी अग्रता आधार पर उसी दिन अनुज्ञा जारी करेगा।

(x) प्रत्येक अभ्यर्थी एयरक्राफ्ट /हेलीकॉप्टर के अवतरण के पांच दिनों के अंदर रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में उसके निर्वाचन क्षेत्र में एयरक्राफ्ट/ हेलीकॉप्टर का स्वामित्व रखने /लीज़ पर लेने के लिए कंपनी को उपगत/देय भाड़ा प्रभारों, राजनैतिक दल का नाम तथा यात्रियों के नाम के बारे में भी सूचित करेगा।

3. कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय को सूचित करते हुए उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जा रहा है।

ह./-
(आर.एन. ढोके, भा पु से)
अपर आयुक्त, सुरक्षा (ना.वि.)

<u>वितरण:-</u>

1. सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को |
2. महानिदेशक सी आई एस एफ, 13 सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक आई जी पी को।
4. डी जी सी ए सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली ।

5. अध्यक्ष, ए ए आई, सफदरजंग एयरपोर्ट नई दिल्ली।
6. आर डी सी ओ एस (सी ए), बी सी ए एस, दिल्ली, अमृतसर, मुम्बई, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गोहाटी: कड़े अनुपालन के लिए।
7. एम डी, डी आई ए एल, न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल-4 आई जी आई हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली-37
8. एम डी, एम, आई ए एल, सी एस हवाई अड्डा, पहला तल टर्मिनल आई वी, सन्ताक्रूज(पू.), मुम्बई-400009
9. एम डी, सी आई ए एल, कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा, कोचीन।
10. एम डी, एव आई ए एल, हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड, शमशाबाद-500409 जिला रंगा रेड्डी, आ.प्र.।
11. एम डी, बी आई ए एल, बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, प्रशासनिक ब्लॉक, बैंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवनाहल्ली, बैंगलोर-560300।
12. एम डी, एम आई एच ए एन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत निर्वाचन आयोग (श्री अनुज जयपुरियर, सचिव) निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली को पत्र सं.76/अनुदेश/2013/ई ई पी एस/खण्ड-I दिनांक 27 जून, 2013 के सन्दर्भ में।
2. सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, सी बी डी टी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. संयुक्त निदेशक, आई.बी., 35, एस पी मार्ग, नई दिल्ली।

आन्तरिक:-

1. सीओएससीए के पीपीएस
2. श्री आर.एन. ढोके, अपर सीओएस(सीए), नोडल अधिकारी, दूरभाष सं. 011-2331167 ; मोबाइल : + 94903626505
3. दूरमाष नं0 (011) 283467, मोबाइल नं. +91013626505
4. श्री एम.टी.बेग, सहायक सुरक्षा आयुक्त (सीए), वैकल्पिक नोडल अधिकारी, दूरभाष नं0 (011) 29731721
5. बी सी ए एस मुख्यालय के सभी अधिकारी।

ह./-

(आर.एन. ढोके, भा पु से)
अपर आयुक्त, सुरक्षा

अनुलग्नक- छ5

सं. सी ए एस -7(15)/2012 / डिव-I (निर्वाचन)
भारत सरकार
नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो
(नागरिक विमानन मंत्रालय) 'ए' विंग- I,II, III, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001,
दि.: 11/10 /2013

दिनांक 04/10/2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुशेष

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा मिजोरम की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन-2013 तत्संबंधी |

निर्वाचनरत राज्यों में वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एयरपोर्टों के माध्यम से अप्राधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं और संदेहास्पद धन,सोना-चांदी लाने-ले जाने को रोकने के लिए संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 04.10.2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगा

(i) साधारण विमान/चार्टर्ड /निजी विमानों तथा राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा भाड़े पर लिए गए विमानों में वहन किए जाने वाले यात्री, वायु कर्मी तथा सामान को निर्धारित उड़ानों में अपनायी जाने वाली सामान्य आरोहन पूर्ण सुरक्षा जांच प्रक्रिया के माध्यम से चढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार सामान्य अवरोहन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा तथा ऐसे यात्रियों तथा सामान की हवाई अड्डे के किसी भी अन्य द्वार से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्बाध निकासी के लिए छूट-प्राप्त श्रेणी के यात्रियों की आवाजाही के बारे में पहले से समन्वित किया जाए परन्तु उनके साथ ले जाए जाने वाले सामान की स्क्रीनिंग की जाएगी।

(ii) आने वाले यात्रियों, सामान्य विमान/चार्टर्ड / निजी विमानों तथा राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा भाड़े पर लिये गए विमान के वायु कर्मी के सामान (किसी यात्री के हस्तधारित पर्स या पाउच के अतिरिक्त) का केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/ए.एस.जी अथवा राज्य पुलिस द्वारा आकस्मिक स्क्रीनिंग / प्रत्यक्ष जांच किया जाएगा। एक्स-बिस के माध्यम से सामान की स्क्रीनिंग में तैनात विमान प्रचालक अवैध हथियारों का पता चालने पर पुलिस को रिपोर्ट करेंगे तथा संदेहजनक धनराशि /सोने चांदी के बारे में निर्वाचनरत राज्यों में तैनात आयकर अधिकारी (अधिकारियों) को अविलम्ब रिपोर्ट करेंगे; तथा

(iii) इन लाइन बैंगेज स्क्रीनिंग सिस्टम (आई बी एस एस) को नियन्त्रित करने वाले एयरपोर्ट आपरेटर तथा स्टैंड अलोन (एक्स बिस) के माध्यम से सामान की स्क्रीनिंग में तैनात एयर क्राफ्ट आपरेटर अवैध हथियारों का पता चलने पर पुलिस को रिपोर्ट करेंगे तथा संदेहजनक धनराशि/सोने चांदी के बारे में निर्वाचनरत राज्यों में तैनात आयकर अधिकारी (रियों) को अविलम्ब रिपोर्ट करेंगे। तथा,

(iv) जिला मजिस्ट्रेट /पुलिस अधीक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि निर्वाचनरत राज्यों में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सुदूर / अनियंत्रित हवाई पत्तनों / हेलीपैडों में / से उड़ान भरने वाले सामान्य विमान / चार्टर्ड / निजी विमानों तथा राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले अथवा उनके द्वारा किराए पर लिए गए विमान में अवैध हथियारों, निषिद्ध सामग्रियों तथा संदेह जनक धनराशि / सोने-चांदी की आवाजाही को रोके।

इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए और उपर्युक्त अनुदेश राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेंगे।

ह./-

(आर.एन. ढोके, भा पु से)
अपर आयुक्त, सुरक्षा (नागरिक विमानन)

वितरण:-

1. सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को |
1. महानिदेशक सी आई एस एफ, 13 सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक आई जी पी को।
3. डी जी सी ए सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, ए ए आई, सफदरजंग एयरपोर्ट नई दिल्ली।
5. आर डी सी ओ एस (सी ए), बी सी ए एस, दिल्ली, अमृतसर, मुम्बई, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गोहाटी: कड़े अनुपालन के लिए।
6. एम डी, डी आई ए एल, न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल-4 आई जी आई हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली-37
7. एम डी, एम, आई ए एल, सी एस हवाई अड्डा, पहला तल टर्मिनल आई वी, सन्ताक्रू ज(पू.), मुम्बई-400009
8. एम डी, सी आई ए एल, कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा, कोचीन।
9. एम डी, एव आई ए एल, हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड, शमशाबाद-500409 जिला रंगा रेड्डी, आ.प्र.।
10. एम डी, बी आई ए एल, बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, प्रशासनिक ब्लॉक, बैंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवनाहल्ली, बैंगलोर-560300।
11. एम डी, एम आई एच ए एन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत निर्वाचन आयोग (श्री अनुज जयपुरियर, सचिव) निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली को पत्र सं.76/अनुदेश/2013/ई ई पी एस/खण्ड-I दिनांक 27 जून, 2013 के सन्दर्भ में।
2. सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, सी बी डी टी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. संयुक्त निदेशक, आई.बी., 35, एस पी मार्ग, नई दिल्ली।

आन्तरिक:-

1. सीओएससीए के पीपीएस
2. श्री आर.एन. ढोके, अपर सीओएस(सीए), नोडल अधिकारी, दूरभाष सं. 011-2331167 ; मोबाइल : + 94903626505
3. दूरमाष नं0 (011) 283467, मोबाइल नं. +91013626505
4. श्री एम.टी.बेग, सहायक सुरक्षा आयुक्त (सीए), वैकल्पिक नोडल अधिकारी, दूरभाष नं0 (011) 29731721
5. बी सी ए एस मुख्यालय के सभी अधिकारी।

ह./-

(आर.एन. ढोके, भा पु से)

अपर आयुक्त, सुरक्षा

अनुलग्नक- छ6

फा. सं. सी ए एस-7(15)/2012/डिव (निर्वाचन)
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो
'ए' विंग- I, III, तल, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 12/11/2013

सेवा में,

महानिरीक्षक,
सी आई एस एफ (एयरपोर्ट सेक्टर)
13, सी जी ओ कांप्लेक्स,
नई दिल्ली

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा मिजोरम की विधान सभाओं के निर्वाचन-तत्संबंधी |

महोदय,

भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 01.11.2013 की पत्र संख्या 739 के प्रत्युत्तर में उपर्युक्त विषय पर सी आई एस एफ के दिनांक 9.11.2013 के पत्र संख्या 10679 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

2. इस संबंध में, बी सी ए एस का दिनांक 11.10.2013 का समसंख्यक पत्र (प्रति संलग्न) अन्य बातों के साथ-साथ यह बताता है कि साधारण विमान/चार्टर्ड/निजी विमानों तथा राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा भाड़े पर लिए गए विमानों में वहन किए जाने वाले यात्री, क्रु सदस्य तथा सामान को निर्धारित उड़ानों में अपनायी जाने वाली सामान्य आरोहण पूर्ण सुरक्षा जांच प्रक्रिया के माध्यम से चढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से ही सामान्य अवरोहन प्रक्रिया का अनुसरण भी किया जाएगा तथा ऐसे यात्रियों तथा सामान की हवाई अड्डे के अन्य किसी द्वार से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने दिनांक 8/11/2013 के पत्र संख्या 1583 द्वारा हवाई अड्डों को इस कार्यालय के दिनांक 1/11/2013 के समसंख्यक पत्र के प्रत्युत्तर में उपर्युक्त अनुदेशों को दोहराने के निदेश दिए थे। उपर्युक्त कर्त्तव्यों का विद्यमान जनशक्ति के पुनर्नियोजन द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।

3. उपर्युक्त के संदर्भ में अनुरोध है कि इस कार्यालय को सूचित करते हुए ऊपर बताई गई प्रक्रियाओं को लागू किया जाए।

अनुलग्नक : उपरोक्त अनुसार

भवदीय,
ह./-
(आर.एन.ढोके)
अपर सचिव (सुरक्षा) (नागर विमानन)

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश
2. डी जी पी, मध्य प्रदेश पुलिस
3. अध्यक्ष, भारतीय विमानापत्तन प्राधिकरण, आर जी भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. भारत के निर्वाचन आयुक्त (श्री बीबी गर्ग, संयुक्त निदेशक) निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

आंतरिक :
संयुक्त सी ओ एस सी ए के निजी सचिव,
ए सी ओ एस (एस) के निजी सचिव,
सभी आर डी सी ओ एस,
बी सी

अनुलग्नक- छ7

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/ई ई पी एस /2015/खण्ड-II दिनांक : 29 मई, 2015

सेवा में

सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: नकदी तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़े जाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया-तत्संबंधी |

महोदय,

आयोग के दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के आदेश सं. 76/अनुदेश /ईइपीएस /2015/खण्ड-XIX के अधिक्रमण में, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों इत्यादि की तैनाती के लिए और नकदी तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़े जाने के बारे में संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी), आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए, मुझे इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। (इटेलिक्स में परिवर्तन) |

2. आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे अनुपालन हेतु सभी निर्वाचन अधिकारियों आयकर विभाग, पुलिस विभाग तथा उत्पाद शुल्क विभाग के ध्यान में लाएं।

3. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,
ह./-
(एस.के. रूडोला)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/ अनुदेश/ई ई पी एस/2015/ खण्ड-II   दिनांक : 29 मई, 2015

आदेश

यतः, संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के सभी निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में निहित है; और

यतः, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के हित में निर्वाचकों को डराने, धमकी देने, प्रभावित करने और घूस देने के सभी रूपों को अवश्य रोका जाना चाहिए और; ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों के प्रलोभन के लिए नकदी, उपहार वस्तुएं, मदिरा या मुफ्त भोजन का वितरण; अथवा धमकी या डराने-धमकाने के द्वारा निर्वाचकों को भयभीत करने के लिए धन शक्ति और बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है; और

यतः, निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहु बल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171ख और 171ग के अंतर्गत अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अंतर्गत भी भ्रष्ट आचरण है;

इसलिए, अब, निर्वाचनों की शुचिता बनाए रखने के प्रयोजनार्थ भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन-द्षेत्र में अत्यधिक प्रचार खर्चों, घूस की वस्तुओं का नकद या वस्तु रूप में वितरण, अवैध हथियारों, गोला-बारूद, मदिरा, या असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए गठित उड़न दस्तों के लिए निम्नलिखित मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करता हैः

उड़न दस्ता (एफ एस)

1. प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र /खण्ड में तीन या अधिक उड़न दस्ते (एफ एस) होंगे। उड़न दस्ता निर्वाचन की घोषणा की तारीख से कार्य करना शुरू करेगा और मतदान समाप्त होने तक कार्य करता रहेगा।

2. उड़न दस्ता (क) आदर्श आचार-संहिता के उल्लंघनों और सम्बद्ध शिकायतों के सभी मामलों पर कार्रवाई करेगा; (ख) डराने, धमकाने, असामाजिक तत्वों, मदिरा, हथियार एवं गोला-बारूद तथा निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ भारी मात्रा में नकदी को लाने-ले जाने आदि की सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा; और (ग) अभ्यर्थियों/राजनीतिक दल द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा; (घ) आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किए जाने के उपरांत, राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली प्रमुख रैलियों, सार्वजनिक बैठकों या अन्य बड़े खर्चों की, वीडियो निगरानी दल (बीएसटी) की सहायता से वीडियोग्राफी की जाएगी।

3. व्यय संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्रों (ईएससी), में जरूरत के आधार पर एक से अधिक उड़न दस्ते होंगे। इस अवधि के दौरान उड़न दस्ते को और कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। उड़न दस्ते के अध्यक्ष के तौर पर मजिस्ट्रेट और उड़न दस्ते के अन्य कर्मचारियों के नाम और मोबाइल नंबर शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेंटर, आरओ, डीईओ, सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक एवं सहायक व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराए जाएंगे। व्यय संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्रों में केन्द्रीय अर्धसैनिक बल या राज्य सशस्त्र पुलिस को परिस्थिति के आधार पर उड़न दस्ते में शामिल किया जा सकता है और जि.नि.अ. इस संबंध में जरूरी कदम उठाएंगे। जि.नि.अ., उड़न दस्ते में साबित सत्यनिष्ठा के अधिकारियों को शामिल करेंगे।

4. जब कभी भी नकदी या शराब या रिश्वत की कोई अन्य वस्तु के वितरण के संबंध में या असामाजिक तत्वों या हथियारों और गोला-बारूद के लाने और ले जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है जो उड़न दस्ता मौके पर तत्काल पहुंचेगा। किसी भी अपराध होने की आशंका में, उडन दस्ते के प्रभारी पुलिस अधिकारी नकदी या धूस की मदों या ऐसी अन्य मदों को जब्त करेगा और जिन व्यक्तियों से मदें जब्त की गई हैं, उनके और गवाहों के बयान रिकार्ड करेगा और साक्ष्य जुटाएगा और जिस व्यक्ति से ऐसी मदें जब्त की हैं उसको जब्ती का समुचित पंचनामा, सी आर पी सी से प्रावधानों के अनुसार, जारी करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारिता वाले न्यायालय में 24 घंटे के भीतर मामले को प्रस्तुत किया जाए। उड़न दस्ते का मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि समुचित प्रक्रिय का अनुसरण किया गया है और कानून एवं व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।

5. उड़न दस्ता के मजिस्ट्रेट रिश्वत या नकदी की जब्ती की वस्तुओं के संदर्भ में अनुलग्नक-क पर दिए गए फार्मेट के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट भेजेंगे और उसकी प्रति आर.ओ., एस.पी. और व्यय प्रेक्षकों को भेजेंगे तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के संदर्भ में अनुलग्कक-ख में दिए गए फार्मेट में आरओ, डीईओ, एस.पी. और सामान्य प्रेक्षक को दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट भेजेंगें। पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालयों के नोडल अधिकारी को दैनिक क्रियाकलाप रिपोर्ट भेजेंगे जो जिले की ऐसी सभी रिपोर्टो का संकलन करेंगे और उसी फार्मेट (यानि अनुलग्नक-क एवं ख) में फैक्स/ई-मेल के द्वारा अगले दिन आयोग को एक समेकित रिपोर्ट भेजेंगे और उसकी एक प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे।

6. सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। उडन दस्ते के प्रभारी अधिकारी द्वारा (i) रिश्वत लेने और देने वाले व्यक्तियों; (ii) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनसे विनिषिद्ध वस्तुएं जब्त की गई हैं या (iii) ऐसे अन्य असामाजिक तत्व, जो गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं; के विरूद्ध शिकायतें/एफआईआर तत्काल दाखिल भी करेंगे। शिकायत/एफआईआर की प्रति सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आर.ओ. के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक को भेजी जाएगी। यदि उसका किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय से संबंध है तो व्यय प्रेक्षक उसका छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख करेंगे।

7. यदि नकदी, उपहार वस्तुएं, शराब या मुफ्त भोजन के वितरण के बारे में; या निर्वाचकों को धमकी देने/डराने के बारे में; या हथियारों / गोला-बारूद / असामाजिक तत्वों की आवाजाही के बारे में शिकायत प्राप्त हो और उड़न

दस्ते का घटना-स्थल पर तत्काल पहुंच पाना संभव नहीं हो तो सूचना घटना-स्थल के सबसे नजदीक मौजूद राज्य निगरानी दल या उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को दी जाए जो शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए घटना-स्थल पर तत्काल एक टीम भेजेंगे। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा या तो उड़न दस्ते द्वारा अग्रेषित शिकायतों के प्राप्त होने पर की गई या स्वतंत्र रूप से की गई सभी जक्षियों की उड़न दस्ते को भी रिपोर्टिंग की जाएगी जो ऐसी रिपोर्टो की प्रविष्टियां अपनी दैनिक कार्यकलाप रिपोर्टों के संगत कतारों / स्तंभों में करेंगे और ऐसा जब्ती की सूचना या की गई कार्रवाई की रिपोर्टों के दोहराए जाने से बचने के लिए किया जाता है।

8. प्रत्येक उड़न दस्ता अपने वाहन पर लगाई गई सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार में स्थानीय भाषा में निम्नलिखित उद्घोषणा करेगा: "भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए हैं जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं। सभी नागरिकों से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने /धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के हॉल फ्री नंबर……………. पर सूचित करना चाहिए |"

9. आयोग के विनाक 21.02.2015 के अनुदेश सं 23/1/2015-ईआरएस के अनुसार बूथ की निर्वाचक नामावलियों के परिशोधन और प्रमाणीकरण हेतु बनाए गए बूथ स्तरीय जागरूकता समूह (बी ए जी) या तो आयोग द्वार या अन्यथा विकसित किए गए मोबाइल सॉफ्टवेयर द्वारा अपने क्षेत्र में घटित होने वाले कदाचार के साक्ष्यों को एकत्रित करने में भी जुडें हुए होंगे/ जब कभी भी बूथ स्तरीय जागरुकता समूह द्वारा कोई सूचना दी जाती है तो उड़न दस्ते को न्यूनतम संभव समय में उस स्थान पर पहुंचना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिएं तथा संबधित साक्ष्य जुटाने चाहिएं।

10. जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) उपर्युक्त उद्धृत करते हुए अंग्रेजी या हिंदी या स्थानीय भाषा में पेम्फलेट प्रकाशित करवाएंगे और उड़न दस्तों के माध्यम से महत्वपूर्ण स्थानों पर वितरित करवाएंगे। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण उपायों पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी की जानी चाहिए |

11. निर्वचनों की घोषणा के उपरांत, जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किए जा रहे अनुवीक्षण तंत्र के बारे में आम जनता के हितलाभ के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऊपर उल्लिखित पैरा 8 में अपील करेंगे।

12. उड़न दस्तों द्वारा प्रयुक्त सभी वाहनों में उड़न दस्तों द्वारा किए गए अंतर-अवरोधन (इन्टरसेप्शन) की रिकार्डिंग करने के लिए सीसीटीवी कैमरे/वेबकैम लगाए जाएंगे या उनमें वीडियो कैमरे होंगे (उपलब्धता एवं आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर) |

<u>स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी):</u>

1. प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र/ खण्ड में तीन या अधिक स्थैतिक निगरानी दल होंगे और प्रत्येक दल में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा तीन या चार पुलिस कर्मी होंगे जो चेक पोस्ट पर कार्यरत होंगे। कुछेक निगरानी दलों में, क्षेत्र की संवेदनशीलता के आधार पर, केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल शामिल होंगे। क्षेत्र की संवेदनशीलता के आधार पर, स्थैतिक निगरानी दलों में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के कर्मियों को शामिल किया जाएगा।

2. यह दल व्यय संवेदनशील बस्तियां/झोंपडियों पर चेक पोस्ट स्थापित करेगा और अपने क्षेत्र में अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार एवं गोला-बारूद के लाने एवं ले जाने तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर भी नजर रखेगा। जांच किए जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। जांच की जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का वीडियो बनाया जाएगा या सीसीटीवी में रिकार्ड किया जाएगा।

3. एसएसटी का मजिस्ट्रेट उसी दिन अनुलग्नक-ग के अनुसार फार्मेट में जिला निर्वाचन अधिकारी को दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट भेजेगा और उसकी प्रति आरओ., एस.पी. और व्यय प्रेक्षक, सामान्य प्रेक्षक, एवं पुलिस प्रेक्षक को भेजेगा। एस.पी. दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी को भेजेगा। जो जिले की ऐसी सभी रिपोर्टो का संकलन करेंगे और उसी दिन फैक्स /ई-मेल के जरिए आयोग को उसी फार्मेट (यानि, अनुलग्नक-ग) में एक समेकित रिपोर्ट भेजेंगे और उसकी प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे |

4. स्थेतिक निगरानी दलों द्वारा जांच कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाएगी और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बगैर ऐसी कोई जांच नहीं होगी। दिनांक, स्थान एवं टीम संख्या की पहचान निशान के साथ वीडियो रिकार्ड/सीसीटीवी रिकार्ड अगले दिन रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जाएगा, जो आयोग द्वारा बाद में उसका सत्यापन किए जाने के लिए उसे संरक्षित रखेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस बात का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए कि जनता का कोई भी सदस्य 300/-रु जमा करके वीडियो / सीसीटीवी रिकार्ड की प्रति हासिल कर सकता है।

5. जब कभी भी किसी एजेंसी द्वारा जिले/राज्य की सीमाओं पर या किसी अन्य स्थान पर किसी भी प्रयोजनार्थ चेक पोस्ट स्थापित किए जाते हैं, तो क्षेत्र में जांच के दोहराव से बचने के लिए ऐसी टीम में एसएसटी भी वहां मौजूद होगी और नकदी या मदों की जब्ती की रिपोर्टिंग, एसएसटी द्वारा की जाएगी।

6. प्रमुख सड़कों या मुख्यमार्गीय सड़कों पर एसएसटी द्वारा जांच किए जाने की शुरूआत आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से होगी। स्थैतिक निगरानी दलों का नियंत्रण सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षकों के परामर्श से जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा और यह तंत्र, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में

या व्यय संवेदनशील पॉकेटों में मतदान से पहले अंतिम 72 घंटों में सुदृढ़ किया जाएगा और ऐसी अवधि के दौरान, एसएसटी को किसी भी परिस्थिति में विघटित नहीं किया जाएगा।

7. जांच के दौरान यदि, अभ्यर्थी, उसके एजेंट, या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50,000/- रु. से अधिक की नकदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा 10,000,/- रु के मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं ले जाई जा रही हैं, जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए किए जाने की संभावना हो या वाहन में कोई अन्य गैर-कानूनी वस्तुएं पाई जाती हैं तो वे जब्त किए जाने की शर्त के अधीन होगी। जांच किए जाने और जब्ती के सम्पूर्ण घटनाक्रम को वीडियो /सीसीटीवी में दर्ज किया जाएगा जो रिटर्निंग ऑफिसर को प्रतिदिन प्रस्तुत किया जाएगा।

8. यदि कोई स्टार प्रचारक अनन्य रूप से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 1 लाख रू. तक की नकदी ले जा रहा है, या कोई दलीय पदाधिकारी दल के कोषाध्यक्ष के उस प्रमाण-पत्र, जिसमें धनराशि और उसके अभिप्रेत उपयोग का उल्लेख किया गया हो, के साथ नकदी ले जा रहा हो तो स्थैतिक निगरानी दल में प्राधिकारीगण प्रमाण-पत्र की एक प्रति रख लेंगे और नकदी जब्त नहीं करेंगे। यदि वाहन में 10 लाख रूपये से अधिक की नकदी पाई जाती है और किसी अपराध से जुड़े होने या किसी अभ्यर्थी या अभिकर्ता या दलीय पदाधिकारी की सहलग्नता का कोई संदेह नहीं होता है तो स्थैतिक निगरानी दल नकदी जब्त नहीं करेगा, और आयकर कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आयकर प्राधिकारी को सूचना दे देगा।

9. जांच के दौरान यदि किसी अपराध होने की कोई आशंका है तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार एसएसटी के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा नकदी या अन्य मदों की जब्ती की जाएगी। एसएसटी के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में 24 घंटे के भीतर शिकायत / एफआईआर दर्ज की जाएगी।

10. उड़न दस्ते और स्थैतिक निगरानी दल को सामान या वाहन की जांच करने के समय विनम्र, मर्यादित एवं शिष्ट होना होगा। महिला द्वारा धारित पर्स की तब तक जांच नहीं की जाएगी जब तक कि वहां पर कोई महिला अधिकारी न हो। उड़न दस्ता अपने क्षेत्रों में जांच के दौरान स्थैतिक निगरानी दलों के कार्यकलाप एवं उपयुक्त आचरण का पर्यवेक्षण भी करेगा।

11. उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी दलों को आयोग के निदेशानुसार एडवान्स प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि दलों का गठन किया जाए और उन्हें उपयुक्त तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। पुलिस मुख्यालयों के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस संबंध में पुलिस बल को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें संवेदनशील बनाया जाए।

12. उड़न दस्ता या स्थैतिक निगरानी दल के आचरण के बारे में किसी शिकायत के संबंध में, वह प्राधिकारी जिनसे व्यक्ति कदाचार या उत्पीड़न संबंधी शिकायत के निवारण के लिए अपील कर सकता है, वह उस जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी (व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी) होंगे।

13. जब्ती के बाद, जब्त की गई धनराशि न्यायालय द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके से जमा की जाएगी और रू. 10 लाख से अधिक की नकदी की जब्ती की एक प्रति इस प्रयोजनार्थ परिनियोजित आयकर प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय समय से परे और अवकाश दिनों में भी, यदि आवश्यक हो, जब्त नकदी प्राप्त करने के लिए कोषागार इकाईयों को आवश्यक अनुदेश देंगे।

14. जहां कहीं भी उड़न दस्ते या स्थैतिक निगरानी दल या पुलिस प्राधिकारियों को अपने क्षेत्र में किसी अन्य संदिग्ध वस्तुओं, जिनमें भारी मात्रा में नकदी ले जाना शामिल है, के बारे में सूचना मिलती है तो वे ऐसी वस्तुओं के बारे में संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियां को सूचित रखेंगे।

15. स्थैतिक निगरानी दलों और उड़न दस्तों द्वारा प्रयुक्त सभी वाहनों में जीपीआरएस समर्थित ट्रैकिंग यूनिट लगाए जाएंगे ताकि दलों द्वारा यथासमय कार्रवाई किए जाने की मॉनीटरिंग की जा सके |

16. <u>नकदी रिलीज करना</u>

(i) आम जनता तथा सही व्यक्तियों को असुविधा से बचाने के लिए तथा उनकी शिकायतों, यदि कोई हों, का भी निवारण करने के लिए, जिले के तीन अधिकारियों, यथा
  (i) मुख्य कार्यपयालक अधिकारी, जिला परिषद /सी डी ओ/पी.डी.,, डी आर डी ए
  (ii) जिला निर्वाचन कार्यालय में व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी (संयोजक) तथा
  (iii) जिला कोषागार अधिकारी को मिलाकर एक समिति गठित की जाएगी। समिति, पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उड़न दस्ते द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जांच करेगी तथा जहां समिति यह पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकी / शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नकदी जब्त की गई थी, को ऐसी नकदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का एक स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर निर्णय लेगी।

(ii) जब्ती दस्तावेज में जब्ती के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए और नकदी की जब्ती के समय ऐसे व्यक्तियों को इसकी सूचना भी दी जानी चाहिए। समिति के संयोजक की दूरभाष संख्या सहित इस समिति की कार्यप्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए |

(iii) व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नकदी रिलीज करने के संबंध में सभी प्रकार की सूचना का एक रजिस्टर में रख-रखाव किया जाएगा। यह रजिस्टर क्रमांकित और तिथिवार होगा तथा इसमें अवरुद्ध / जब्त नकदी की राशि और संबंधित व्यक्ति(यों) को छोड़ दिए जाने की तारीख का विवरण होगा।

(iv) यदि रिलीज की गई नकदी 10(दस) लाख रु. से अधिक है, तो रिलीज किए जाने से पहले आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित किया जाएगा |

(v) उड़न दस्ते, एसएसटी या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की गई नकदी आदि की जब्ती के सभी मामले तत्काल जिले में गठित समिति के ध्यान में लाए जाएंगे और समिति ऊपर उल्लिखित पैरा (प) के अनुसार कार्रवाई

करेगी। किसी भी परिस्थिति में, जब्त की गई नकदी /जब्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं से संबंधित मामले, मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के पश्चात 7 (सात) दिनों से अनधिक समय के लिए तब तक लंबित नहीं रखे जाएंगे जब तक कि कोई प्राथमिकी / शिकायत न दर्ज की गई हो। यह रिटर्निंग अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे सभी मामलों को अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें और अपीलीय समिति के आदेशानुसार नकदी / बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज करें।

17. यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग को दैनिक क्रियाकलाप रिपोर्ट भेजने हेतु ई ई एम एस सॉफ्टवेयर, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, इस्तेमाल किया जा सकता है।

आदेश से,

ह./-

(एस.के. रूडोला)

सचिव

<u>नोट:-कृपया अनुलग्नक क, ख और ग के लिए अनुलग्नक ख8, ख9 और ख10 को देखें।</u>

<u>जिस व्यक्ति से नकदी / वस्तु जब्त की गई है उस व्यक्ति को रसीद देने के लिए प्रपत्र</u>

पुस्तिका संख्याः........... रसीद संख्याः.....................

दिनांकः.............................

कार्यपालक मजिस्ट्रेट का नाम .... (उड़न दस्ते / स्थैतिक निगरानी दल का नेतृत्व करने वाला)

1. श्री......................,निवासी.......................मोबाईल नं................से....................(तारीख) को................(राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम) के स्थान.....................(स्थान जहाँ से जब्ती की गई) से........................जिले के..................पुलिस थाने के........................विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, से नकदी........................धनराशि (शब्दों मे)/ अन्य वस्तुएं जब्त की गई क्योंकि इस पूरी धनराशी/अन्य वस्तुओं का प्रयोग निर्वाचकों को रिश्वत देने में किए जाने का संदेह था।

या

2. नकद रु............(रुपये शब्दों में) अन्य वस्तुओं के ब्यौरे श्री................. (आयकर विभाग के अधिकारी का नाम) को आयकर विधि के अधीन आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंपे गए। (जो लागू न हो उसे काट दें) शिकायत के निवारण के लिए आप.................................. (ए डी एम/एस डी एम, जो कि व्यय अनुवीक्षण एकक के प्रधान हैं, का नाम) को सात दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं या आवश्यक राहत के लिए आप संयुक्त निदेशक, आयकर (अन्वे) को भी अपील कर सकते हैं।

मुहर सहित हस्ताक्षर

(मजिस्ट्रेट का नाम, पदनाम व पता)

दिनांक :

अनुलग्नक- छ8

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खण्ड-V दिनांक: 20 जनवरी, 2016

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट धारकों (एनएसओपी) की सूची-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

नागर विमानन महानिदेशक, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 05.01.2016 का पत्र सं. एवी.14015/जन./2008-एटी-I जिसके साथ गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट धारकों के लिए सेवा प्रदाताओं की सूची अग्रेषित की गई है, एतद्द्वारा संलग्न है। नागर विमानन महानिदेशालय के कार्यालय ने सूचित किया है कि एनएसओपी धारक (सेवा प्रदाता) प्रभार निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं और ऐसे प्रभारों को डीजीसीए के कार्यालय द्वारा विनियमित नहीं किया जा रहा है।

मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि इस बात पर बल देते हुए इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए, कि जब कभी भी आवश्यक हो, हैलीकाप्टरों/वायुयानों इत्यादि के भाड़ा प्रभारों संबंधी सूचना वे प्रत्यक्षतः गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट धारको से प्राप्त करें।

भवदीय,

ह./-
(अविनाश कुमार)
सचिव

संलग्नकः उपरोक्त (33 पृष्ठ)

श्री वेद प्रकाश, प्रचालन निदेशक (विमान परिवहन), महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय, तकनीकी केन्द्र, सफदरजंग एयरपोर्ट के सामने, नई दिल्ली, (विशेष संवाहक द्वारा) को इस अनुरोध सहित प्रतिलिपि प्रेषित कि वे वांछित सूचना उपलब्ध करवाएं और डीजीसीए की वेबसाइट पर अद्यतित सूची रखें ताकि निर्वाचन प्राधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नवीनतम सूचना प्राप्त कर सकें।

ह./-
(अविनाश कुमार)
सचिव

अनुलग्नक- छ9

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2016/वाल्यूम-II   दिनांक: 04 अप्रैल, 2016

सेवा में

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः किसी भी परिसर में नकदी या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं आदि के भंडारण के संबंध मे शिकायतें मिलने पर उड़न दस्तों द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मानक प्रचालन कार्यविधि।

महोदय/महोदया,

मुझे आयोग के पत्र सं. 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/वाल्यूम-II दिनांक 29 मई 2015 का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उसमें दिए गए अनुदेश निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नकदी एवं अन्य वस्तुओं की जब्ती एवं निर्मुक्ति के लिए उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों आदि की तैनाती के संदर्भ में एक व्यापक मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) दी गई है।

एसओपी में भारी मात्रा में ऐसी नकदी आदि के मूवमेंट के संबंध में शिकायतों के दृष्टांत कवर किए गए हैं जिनका मतदाताओं को रिश्वत देने आदि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने का संदेह होता है। हालांकि, यह देखा गया है कि ऐसे किसी परिसर में नकदी के भारी मात्रा में भंडारण किए जाने से संबंधित शिकायतों के संदर्भ में शिकायत अनुवीक्षण प्रकोष्ठों और उड़न दस्तों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सुस्पष्ता का अभाव है जिनका निर्वाचन के संबंध में गैर-कानूनी उपयोग किए जाने का संदेह है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी शिकायतें या सूचना प्राप्त होने पर शिकायत अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, डीईएमसी या व्यय प्रेक्षक द्वारा निम्नलिखित कार्यविधि का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा कि किसी परिसर में भारी मात्रा में ऐसी नकदी या अन्य बहुमूल्य वस्तुएं पड़ी हुई हैं जिनका मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

1. ऐसी कोई शिकायत मिलने पर शिकायत अनुवीक्षण प्रकोष्ठ उसके बारे में व्यय प्रेक्षक को तत्काल सूचित करेगा।
2. व्यय प्रेक्षक या नोडल अधिकारी, डीईएमसी आयकर दल के प्रभारी के साथ समन्वयन करेगा। यदि जरूरत हो तो आयकर (अन्वेषण) के नोडल अधिकारी को भी समुचित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जा सकता है।
3. उड़न दस्ते का एक दल तुरंत मौके पर भेजा जाएगा। यह दल परिसर से कुछ दूरी पर किंतु नजरों के सामने व्यक्तियों को तैनात करेगा ताकि आयकर विभाग से दल के आने तक या विचारशील पूर्वक पूछताछ किए

जाने से इस बात का निर्णायक रूप से अनुमान लगाए जाने तक कि सूचना सही नहीं है, परिसर की निरंतर निगरानी की जा सके। यदि जरूरत हो तो वीडियोग्राफी भी की जा सकती है।

4. न तो व्यय प्रेक्षक और न ही उड़न दस्ते का कोई भी सदस्य आयकर दल के आगमन से पहले परिसर में प्रवेश करेगा।

5. तलाशी और जब्ती के संबंध में कोई भी कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। हालांकि, उड़न दस्ता दल के सदस्य या व्यय प्रेक्षक उस परिस्थिति में परिसर में प्रवेश कर सकते हैं जब आयकर दल द्वारा उनकी सेवाओं जो प्राधिकार आदि सहित सख्त रूप में आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होनी चाहिए, की आवश्यकता हो।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी/पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे आयकर दल तलाशी कार्य के निष्पादन में आवश्यक सहायता प्रदान करें।

7. उड़न दस्ता दल (दलों) को तलाशी की अवधि के दौरान परिसर में प्रवेश करने वाले या परिसर से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के अवरोधन और जांच के लिए समीप उपस्थित रहना चाहिए। ऐसे वाहनों में/ ऐसे व्यक्तियों के पास पाई गई नकदी या बहुमूल्य वस्तुएं उड़न दस्ते द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जब्त की जा सकती हैं।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यय प्रेक्षक या उड़न दस्ता अपने आप परिसर में कोई तलाशी नही लेंगे।

9. अनुदेशों के सार-संग्रह के पैरा 4.2.8 में निहित अनुदेश का व्यय प्रेक्षक द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। वे प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वयन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी एजेंसियों के मध्य सूचना का मुक्त प्रवाह एवं आदान-प्रदान हो। किसी भी एजेंसी से सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जानी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे आयकर विभाग, पुलिस विभाग और सभी निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में अनुपालनार्थ लाया जाए।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(सत्येन्द्र कुमार रूडोला)

प्रधान सचिव

अनुलग्नक- छ10

अनुदेश संख्या 22/2023-सीमा शुल्क

फा.सं. सीबीआईसी-21/125/2021-आईएनवी-सीमा शुल्क-सीबीईसी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)

अन्वेषण-सीमाशुल्क

*****

10वीं मंजिल, टावर-2, जीवन भारती बिल्डिंग,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ईमेलः inv-customs@gov.in

दूरभाष.011-21400625

दिनांकः 06.07.2023

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क/सीमा शुल्क (निवारक)/ केंद्रीय माल एवं सेवा कर,

प्रधान महानिदेशक, जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, नई दिल्ली,

प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, नई दिल्ली,

प्रधान महानिदेशक, डीजीएआरएम, नई दिल्ली।

महोदया/महोदय,

विषयः चुनाव के दौरान संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, ड्रग्स/स्वापक, मुफ्त वस्तुओं और तस्करी के सामान के प्रवाह को रोकने के लिए सीबीआईसी के अधिकारिता क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा निवारक सतर्कता तंत्र को और आगे बढ़ाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के सन्दर्भ में

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि चुनाव व्यय निगरानी तंत्र, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले कानूनी खर्च पर नज़र रखने के अपने दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ, विभिन्न व्यय निगरानी टीमों और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के बीच समन्वय की आवश्यकता महसूस करता है। भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए तस्करी के सामान/विनिषिद्ध माल और अन्य अवैध वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है, जिसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा रोके जाने की आवश्यकता है। एक

अन्य पहलू जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी वह है मतदाताओं को लुभाने के लिए गैर-मौद्रिक प्रलोभनों और नकदी का उपयोग, जिसे वितरण के लिए ऐसे सामानों के भंडारण को रोकने के लिए गोदामों आदि पर कड़ी निगरानी रखकर जांच करने की आवश्यकता भी होगी।

2. इसके अतिरिक्त, भारत निर्वाचन आयोग ने सुचारू और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीबीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा सूचनाओं के उचित आदान-प्रदान सहित समन्वित और केंद्रित ध्यान के महत्व पर जोर दिया है। इस संबंध में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीबीआईसी के कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाना चाहिएः

2.1 सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक) और केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अंचल के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) और माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीएसटीआई) की क्षेत्रीय इकाइयों के प्रधान अतिरिक्त महानिदेशक (प्रधान डीजी/अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) को मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों या उनकी ओर से बुलाई गई सभी बैठकों में भाग लेना चाहिए। उन्हें अंचल में अपने अधिकारियों द्वारा की गयी तैयारियों की स्थिति और विभिन्न चुनाव संबंधी कार्यों के बारे में आंकड़े/सूचना अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए।

2.2 प्रधान महानिदेशक (प्रधान डीजी), डीआरआई, प्रधान महानिदेशक, डीजीजीएसटीआई, प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक) और सीजीएसटी अंचल अपने अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में उचित रूप से जानकारी देंगे और सुग्राहित करेंगे। वे तुरंत और पूरे चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की बारीकी से निगरानी करेंगे, विशेष रूप से मतदाताओं को लुभाने के लिए गैर-मौद्रिक प्रलोभनों (साड़ी, शर्ट, टोपी, स्कार्फ, घरेलू सामान, मास्क, रसोई के सामान, आदि) और नकदी के उपयोग में तथा तस्करी/अवैध व अन्य सामानों को पकड़ना, मतदाताओं को लुभाने हेतु वितरण के लिए सामान रखने में उपयोग किए जाने वाले गोदामों की पहचान, नकदी की आवाजाही आदि और साथ ही अन्य प्रवर्तन एजेंसियों/विभागों से सूचनाओं और उन पर की गई कार्रवाई का प्रसार।

2.3 प्रधान डीजी, डीआरआई, प्रधान डीजी, डीजीजीएसटीआई, प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक) एवं सीजीएसटी अंचल किसी भी मामले, जो कि गंभीर प्रकृति के होंगे, को अध्यक्ष, सीबीआईसी/सदस्य (सीएम), सीबीआईसी/आयुक्त (अन्वेषण-सीमाशुल्क), सीबीआईसी की जानकारी मे लाने के लिए उत्तरदायी होंगे और इसकी एक प्रति आयुक्त (अन्वेषण-जीएसटी) सीबीआईसी को भी भेंजेगे।

2.4 जबकि लागू की जा रही प्रशासनिक व्यवस्था डीआरआई, डीजीजीएसटीआई, सीमा शुल्क और सीजीएसटी क्षेत्र संरचनाओं पर लागू होती है, यह पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता है कि संबंधित

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधान एडीजी/ एडीजी, डीआरआई उस विशेष राज्य में सीबीआईसी की सभी संरचनाओं, यानी डीजीजीएसटीआई, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक) और सीजीएसटी संरचनाओं के लिए प्वाइंट मैन होंगे। यह अधिकारी, अपने कार्यालय में नियुक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से, इसके लिए जिम्मेदार होंगेः

i. निर्धारित रिपोर्ट (और अन्य रिपोर्ट जैसे गंभीर/ गंभीर प्रकृति की रिपोर्ट) को एकत्रित करना और उसे दैनिक आधार पर भारत निर्वाचन आयोग को भेजना और एक प्रति आयुक्त (अन्वेषण-सीमा शुल्क), सीबीआईसी और आयुक्त (अन्वेषण-जीएसटी), सीबीआईसी को ईमेल आईडी inv-customs@gov.in तथा ईमेल आईडी gstinv-cbic@gov.in पर अगले दिन सुबह 9:30 बजे तक भेजनाः

ii. आयकर इत्यादि जैसी अन्य एजेसियों के साथ प्रयासों का समन्वय करना।

2.5 प्रधान डीजी, डीआरआई और प्रधान डीजी, डीजीजीएसटीआई निम्नलिखित कार्य करेंगेः

i. मुख्यालय में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष और प्रत्येक संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना। वे मुख्यालय और संबंधित प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में एक नोडल अधिकारी भी नामित करेंगे। एक दूसरे के साथ और संबंधित सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक) और सीजीएसटी अंचलों के प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त के साथ नियंत्रण कक्ष (ओं) और नोडल अधिकारी (ओं) की राज्य-वार पूर्ण संपर्क विवरण सहित जानकारी साझा की जाएगी। प्रधान डीजी, डीआरआई और प्रधान डीजी, डीजीजीएसटीआई द्वारा समेकित विवरण/ सूची को भी अन्य प्रवर्तन एजेंसियों और भारत निर्वाचन आयोग को, आयुक्त (अन्वेषण-सीमा शुल्क), सीबीआईसी और आयुक्त (अन्वेषण-जीएसटी), सीबीआईसी को एक प्रति के साथ, सीधे प्रसारित की जाएगी।
ii. चुनाव को विदूषित करने वाले अनुचित और अनधिकृत आचरण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए अपनी आसूचना इकाइयों को जानकारी इकट्ठा करने और आसूचना तैयार करने का निर्देश देना।

2.6 इसी प्रकार, प्रधान सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक) और सीजीएसटी अंचल के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त निम्नलिखित कार्य करेंगेः

i. एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित करना तथा एक नोडल अधिकारी नामित करना। पूर्ण संपर्क विवरण के साथ इन नोडल अधिकारियों की नियंत्रण कक्ष सूची का विवरण प्रधान डीजी, डीआरआई/डीजीजीएसटीआई के साथ साझा करेंगे। प्रधान डीजी डीआरआई, इसे

ईसीआई और एक प्रति आयुक्त (अन्वेषण-सीमा शुल्क), सीबीआईसी और आयुक्त (अन्वेषण-जीएसटी), सीबीआईसी को भी भेजेंगे।

ii. अवैध और निषिद्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, जब भी आवश्यक हो, सड़क और वाहनों की पारगमन जाँच और गोदामों आदि के सत्यापन के प्रभावी संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में उड़न दस्ता और स्थिर निगरानी टीमें स्थापित करना;

iii. शराब, सिगरेट आदि के अप्राधिकृत उपयोग के विरुद्ध सुनिश्चित करने के लिए सीमा शुल्क बंधक मालगोदामों में विशेष निगरानी/माल पड़ताल की जानी चाहिए;

iv. संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में घोषित/पंजीकृत और अन्य मालगोदामों का नक्शा तैयार करना और सुनिश्चित करना कि इन पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन स्थानों पर कोई चुनाव संबंधी अप्रिय गतिविधियां नहीं हो रही हैं या सामग्री नहीं रखी जा रही है;

v. जहां ऐसी कोई वस्तु प्रचार प्रक्रिया से जुड़ी हुई या चुनाव के दौरान उपयोग के लिए पायी जाती है, ऐसी वस्तु की कीमत जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के साथ प्रधान डीजी, डीआरआई/डीजीजीएसटीआई, तथा एक प्रति ईसीआई पर्यवेक्षकों को उनकी आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित की जानी चाहिए।

2.7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष और संबंधित नोडल अधिकारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर असर डालने वाली घटनाओं और गतिविधियों का उचित रिकॉर्ड रखेंगे और तुरंत इसकी सूचना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रधान एडीजी, डीआरआई को देंगे।

2.8 डीजीजीएसटीआई, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक) और सीजीएसटी कार्यालयों के नोडल अधिकारियों को राज्य में डीआरआई के नोडल अधिकारी के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए, जो बदले में, अन्य एजेंसियों के नोडल अधिकारी के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे और उनके अधिकार क्षेत्र में होने वाली मतदान संबंधी गतिविधियों की जानकारी रखेंगे। जब भी बुलाया जाएगा, नोडल अधिकारी व्यय पर्यवेक्षकों से मिलेंगे और उन्हें जानकारी देंगे।

2.9 कदाचार संबंधी तलाशी और जब्ती, जो चुनाव से संबंधित हो सकते हैं, का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। अवैध मुद्रा, शराब, सोना, एफआईसीएन, एनडीपीएस और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें जब्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

2.10 सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक) और सीजीएसटी अंचल और संबंधित डीजीजीएसटीआई आंचलिक इकाइयों द्वारा की गई जाँच और प्राप्त परिणाम अपने राज्य में डीआरआई मुख्यालय के नोडल अधिकारी को **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन रिपोर्ट की

जानी है। जैसा कि खंड **2.4** में बताया गया है, फिर संबंधित प्रधान एडीजी/एडीजी, डीआरआई राज्य के लिए एक समेकित रिपोर्ट ईसीआई को प्रस्तुत करेंगे, जिसकी एक प्रति आयुक्त (अन्वेषण-सीमा शुल्क), सीबीआईसी को ई-मेल आईडी inv-customs@gov.in और आयुक्त (अन्वेषण-जीएसटी), सीबीआईसी को ईमेल आईडी gstinv-cbic@gov.in पर भेजी जाएगी।

3. विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) उन वस्तुओं (साड़ी, शर्ट, टोपी, मास्क, स्कार्फ, घरेलू सामान, रसोई के सामान, आदि) का एक विशेष विश्लेषणात्मक अध्ययन करेगा जो चुनाव वाले विधान सभा या निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दल या उम्मीदवार से जुड़ा हो सकता है और उक्त राज्यों में वोटों के लिए प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अध्ययन से इन राज्यों में और उनके भीतर वृद्धि के पैटर्न व ऐसे सामानों की आवाजाही के पैटर्न तथा भंडारण के स्थान सामने आने चाहिए। इन रिपोर्टों को तुरंत क्षेत्र अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा जो ऐसी वस्तुओं की आवाजाही/भंडारण/आपूर्ति पर विशेष नजर रखेंगे।

4. जहां भी आवश्यक हो, आयकर विभाग के साथ जानकारी साझा करने सहित उपयुक्त कार्रवाई के लिए पहचाने गए संवेदनशील क्षेत्रों के साथ-साथ बेहिसाब नकदी उत्पन्न करने/सौदा वाले समूहों/संगठनों/व्यक्तियों पर डेटा विश्लेषण किया जाना चाहिए।

5. प्रधान डीजी, डीजीजीएसटीआई और संबंधित सीजीएसटी अंचल के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त निम्नलिखित कार्य करेंगेः

i. चुनाव के दौरान नाकों पर जीएसटी टीमों द्वारा ई-वे बिलों का व्यापक जाँच करके साड़ी, शर्ट, टोपी, मास्क, स्कार्फ, पार्टी के झंडे जैसी वस्तुओं, जो चुनाव वाले विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों या राजनीतिक दल से जुड़ी हो सकती हैं, की आवाजाही की निगरानी करना, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपरोक्त वस्तु मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव क्षेत्र में वितरण हेतु उचित जीएसटी चालान या ई-वे बिल के बिना नहीं ले जाया जा रहा है। किसी भी संदिग्ध परिसर में जाँच करते समय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67 के तहत खोज/निरीक्षण की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

ii. उन वस्तुओं, जो चुनाव प्रचार और मतदाताओं को वितरण के लिए हो सकती हैं, की पहचान करने के लिए विनिर्माताओं, थोक वितरकों और खुदरा विक्रेताओं का स्टॉक अन्वेषण सुनिश्चित करना।

    क. ई-वे बिल पोर्टल के माध्यम से धोती, साड़ी, टी-शर्ट, छाता, पगड़ी आदि वस्तुओं की, विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों से, आवाजाही में अचानक वृद्धि को जांचा जा सकता है।

ख. जीएसटी अधिकारियों द्वारा संभावित गोदामों और दुकानों के स्टॉक की आकस्मिक जाँच की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नकद लेनदेन के तहत कोई भी बेहिसाबी वस्तु न हटाई जाए। किसी भी संदिग्ध परिसर में जाँच करते समय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67 के तहत तलाशी/निरीक्षण की उचित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

iii. उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान खपत किए गए ईंधन की निगरानी करना।

क. चुनाव के दौरान प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों की बिक्री की निगरानीः पेट्रोल/डीजल उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु होने के कारण अप्रत्यक्ष कराधान के अंतर्गत भी आता है।

ख. संभावित मतदाताओं को लुभाने के लिए कूपन-आधारित ईंधन का वितरणः यह चुनाव के दौरान मुफ्त पेट्रोल/ डीजल वितरण के माध्यम से या नकद आधार पर मतदाताओं को लुभाने का संभावित स्रोत है। इसलिए चुनाव के दौरान ईंधन पंपों/फिलिंग स्टेशनों के स्टॉक की आकस्मिक लेखा-परीक्षा की जा सकती है। किसी संदिग्ध परिसर में जांच करते समय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67 के तहत तलाशी/निरीक्षण की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

iv. जहां भी पैरा 5(i), 5(ii) और 5(iii) में उल्लिखित ऐसी वस्तुएं प्रचार प्रक्रिया से जुड़ी हुई या चुनाव के दौरान उपयोग के लिए पाई जाती हैं, ऐसी वस्तुओं की लागत प्रधान डीजी, डीआरआई/डीजीजीएसटीआई, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को सूचित की जानी चाहिए और इसकी एक प्रति ईसीआई पर्यवेक्षकों को उनकी ओर से आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित की जानी चाहिए।

v. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों एवं पार्टियों द्वारा भोजन, होटल, पार्टी, टेंट हाउस आदि पर किये गये व्यय का लेखा-जोखा।

क. जीएसटी टीमों द्वारा मतदान क्षेत्र में रेस्तरां/ भोजनालयों, मैरिज हॉल/ कॉन्फ्रेंस हॉल/ फार्म हाउस/ गार्डन, शामियाना, टेंट हाउस, कुर्सी और मेज प्रदाताओं, कसाईखाना/मीट हाउस की व्यापक जांच करना। किसी भी संदिग्ध परिसर में जांच करते समय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67 के तहत तलाशी/निरीक्षण की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

ख. जहां कहीं उपभोग की गई सेवाएं प्रचार प्रक्रिया से जुड़ी हुई पाई जाती हैं या चुनाव के दौरान उपयोग के लिए पाई जाती हैं, ऐसी वस्तुओं की लागत जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को सूचित की जानी चाहिए और इसकी एक प्रति ईसीआई पर्यवेक्षकों को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित की जानी चाहिए।

6. डीआरआई को विदेशी मुद्रा/ सोना/ मादक पदार्थों आदि, जिसका उपयोग संभावित रूप से चुनावों के दौरान कदाचार के लिए किया जा सकता है, के प्रवाह को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा/ हवाई अड्डों पर अपनी निगरानी तथा अपने सूचना संग्रहण तंत्र को बढ़ाना चाहिए।

7. संबंधित राज्यों में सीमा शुल्क हवाई अड्डों के प्रभारी सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त/आयुक्त डीआरआई के नोडल अधिकारी को **अनुलग्नक-ख** में दिए गए प्रारूप में विदेशी मुद्रा की घोषणा पर एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यह रिपोर्ट संबंधित राज्य में सीमा शुल्क हवाई अड्डों के प्रभारी अन्य सभी प्रधान आयुक्तों/ आयुक्तों द्वारा भी डीआरआई के नोडल अधिकारी को दी जाएगी। ऐसा केवल उन यात्रियों के संबंध में किया जाएगा जिनके ठहरने का स्थान चुनाव वाले राज्यों में से एक में है।

8. इसके अलावा, यह भी अपेक्षा की जाती है कि सभी संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी सक्रिय रूप से किसी भी दुरूपयोग और उत्पात की जांच करेंगे। ऊपर बताए गए उपायों का बिना चूक के सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। किसी दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए निगरानी को और सख्त करने हेतु कोई सुझाव हो तो तुरंत आयुक्त (अन्वेषण-सीमा शुल्क), सीबीआईसी और आयुक्त (अन्वेषण-जीएसटी) को सूचित किया जा सकता है और तैयारियों और किसी जब्ती के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में उसी दिन सूचित किया जा सकता है।

भवदीय,

अनुलग्नकः यथोपरि

ह./-

(सूरज कुमार गुप्ता)
अपर आयुक्त (अन्वे.-सी.शु.)
सीबीआईसी, नई दिल्ली

प्रतिलिपिः-

i. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग,
ii. आयुक्त- सीमा शुल्क नीति इकाई,
iii. आयुक्त- जीएसटी नीति इकाई,
iv. आयुक्त (अन्वेषण-जीएसटी) इकाई,
v. वेबमास्टर, विभागीय अधिकारियों के अंतर्गत निर्वाचन मामले के तहत भी अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

अनुलग्नक-क

जब्ती का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य और जिले का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	जब्ती की तारीख और समय	जब्त की गई नकदी (लाख रु. में)	जब्ती (जैसे कि ड्रग, स्वापक, सोना या अन्य कीमती धातुएं, अवैध शराब/ एफआईसीएन और मुफ्त उपहार समेत अन्य विविध मदें)		मतदाताओं को लुभाने के लिए रखे गए माल के बेहिसाबी भंडार/स्टॉक		क्या पाई गई वस्तुओं का किसी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार से कोई कड़ी है (पार्टी और पार्टी संबद्धता का नाम)	जब्त की गई वस्तुओं के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई (संक्षिप्त में)
					मद एवं मात्रा	मूल्य (लाख रु. में)	मद एवं मात्रा	मूल्य (लाख रु. में)		

अनुलग्नक-ख

मुद्रा घोषण का ब्यौरा

क्र.सं.	यात्री का नाम	पासपोर्ट संख्या	राष्ट्रीयता	विदेशी मुद्रा का मूल्य	ठहरने/दौरे का संभावित स्थान

अनुलग्नक- छ11

एम-11045/7/2023-वितरण-पीएनजी
भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 2 अगस्त, 2023

सेवा में,

अध्यक्ष एवं मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी),
आइओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, एनआरएल आरबीएमएल, एनईएल, शेल और आरएसआईएल

विषय:- **निर्वाचनों के दौरान खुदरा बिक्री केंद्रों पर ईंधन खरीदने के लिए कूपनों की बिक्री के दुरूपयोग पर अंकुश लगाना – तत्संबंधी।**

महोदय,

मुझे ऊपर उल्लिखित विषय का संदर्भ देने और सूचित करने का निदेश हुआ है कि मंत्रालय को भारत निर्वाचन आयोग से दिनांक 18.07.2023 को पत्र हुआ है जिसमें यह सूचित किया गया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन शीघ्र ही आयोग द्वारा संचालित किए जाने हैं और अगले वर्ष 2024 में लोक सभा और कुछ अन्य राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन भी होने हैं। **(पत्र संलग्न)**

2. भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 23.03.2023 के अपने पूर्व पत्र के माध्यम से कहा था कि धनशक्ति के दुरुपयोग और अत्यधिक निर्वाचन व्यय को नियंत्रित करने के लिए आयोग द्वारा एक तंत्र स्थापित किया गया है जो प्रतिवेदनाधीन है। इसके अलावा, आयोग को पूर्व में भी निर्वाचनों के दौरान ईंधन और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद आदि खरीदने के लिए राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने व्यय की रिपोर्टिंग से बचने के लिए बही-खातों के माध्यम से कूपन की बिक्री के बारे में अवगत कराया गया था, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123ख के तहत रिश्वतखोरी और दण्डनीय अपराध भी है। ये गैरकानूनी गतिविधियां निर्वाचन के दौरान समान अवसर प्रदान किए जाने को बाधित करती हैं।

3. अतः, तेल विपणन कंपनियों को निर्वाचन के लिए नियत राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों और उनके पड़ोसी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में ईंधन खरीदने के लिए ऐसे कूपनों की बिक्री को रोकने और जांच करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करने की सलाह दी जाती है, ताकि इससे निर्वाचन प्रक्रिया दूषित न हो। तेल विपणन कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाईयों/उपायों से मंत्रालय को भी अवगत कराया जाए।

संलग्नकः उपर्युक्त के अनुसार

भवदीय

ह./-

संलग्नकः उपर्युक्त के अनुसार

(ए.के. सिन्हा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23070329

अनुलग्नक- छ12

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/एसओपी/ईएससी-ईएसपी/ईसीआई/ईईपीएस/2023 दिनांक: 3 अगस्त, 2023

सेवा में

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: **व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (ईएससी) और व्यय संवेदनशील पॉकेट (ईएसपी) को अभिचिह्नित करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)-तत्संबंधी।**

महोदया/महोदय,

मुझे इसके साथ व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (ईएससी) और व्यय संवेदनशील पॉकेट (ईएसपी) को अभिचिह्नित करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) इस अनुरोध के साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे आवश्यक अनुपालन के लिए सभी डीईओ और आरओ के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

ह/.

(अनूप कुमार खाखलारी)
अवर सचिव

व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र (ईएससी) और व्यय संवेदनशील पॉकेट्स (ईएसपी) को अभिचिह्नित करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया:

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपेक्षित है कि वे जिला निर्वाचन अधिकारियों, राज्य पुलिस विभाग और व्यय अनुवीक्षण प्रक्रिया में भाग लेने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श के बाद निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास, प्रोफाइल और पिछले घटनाक्रम के आधार पर किसी निर्वाचन क्षेत्र को व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र (ईएससी) के रूप में अभिचिह्नित करें जिसमें अत्यधिक व्यय और भ्रष्ट परिपाटियों की प्रवृत्ति रही है।

2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा और/या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के महीने से कम से कम 6 महीने पहले विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करेंगे ताकि निम्नलिखित दो मुख्य आधारों पर संवेदनशीलता के मानचित्रण की पहचान की जा सके।
   क. नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुओं और मुफ्त की वस्तुओं के मुख्य जमावड़े जैसी कार्यात्मकता
   ख. क्षेत्रवार संवेदनशीलता (जिला-वार, जिले-वार समूह, विधानसभा-वार)

3. नीचे एक जांच सूची दी गई है जो सांकेतिक अनुभवजन्य पैरामीटर हैं (ये अनुभवजन्य पैरामीटर उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुभवों से इकट्ठा किए गए हैं जहां विगत में निर्वाचन हुए थे और इसमें तकनीकी विशेषज्ञ और समूह IV के सीईओ के इनपुट भी शामिल हैं)। यह सूची केवल सांकेतिक है और इसे विशिष्ट अन्य व्यय संवेदनशीलता के साथ संपूरित किया जा सकता है, जैसा कि बिंदु 1 में उल्लिखित प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के परामर्श से सीईओ कार्यालय द्वारा विचार-विमर्श किया गया है। ईएससी की पहचान के अनुभवजन्य मापदंडों की सांकेतिक सूची नीचे दी गई है:
   i. पिछले दो विधानसभा/लोकसभा निर्वाचनों के दौरान नकदी, शराब, ड्रग्स/नशीले पदार्थों, कीमती धातुओं/आभूषणों, मुफ्त की वस्तुओं आदि की भारी मात्रा में जब्ती।
   ii निर्वाचन की घोषणा से पहले के छह महीनों में बड़ी मात्रा में नकदी, शराब, ड्रग्स/नशीले पदार्थ, कीमती धातुएं/आभूषण, मुफ्त की वस्तुओं आदि की भारी मात्रा में जब्ती।
   iii. पिछले निर्वाचनों के दौरान जब्ती या अन्य घटनाओं के वृतांत के आधार पर राज्य की सीमा और/या पड़ोसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और/या देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले निर्वाचन क्षेत्र को ईएससी के रूप में अभिचिह्नित किया जाएगा।
   iv. ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जिनमें बड़ी संख्या में व्यय संवेदनशील पॉकेट (ईएसपी) हैं।
   v. ईएससी की पहचान के लिए निर्वाचनों की घोषणा से पहले के छह महीनों में करेंसी की मांग में 20% या अधिक वृद्धि दिखाने वाले ट्रेजरी चेस्ट के बारे में जानकारी आरबीआई से प्राप्त की जाए।

vi. मतदान की संभावित तारीख से 6 महीने पहले बैंकों द्वारा कुछ खातों से लेकर कई खातों में अधिकतर छोटे मूल्यवर्ग के असामान्य रूप से उच्च संख्या में ऑनलाइन/डिजिटल लेनदेन देखा जाना।

4. प्रवर्तन एजेंसियों के राज्य नोडल अधिकारियों के परामर्श से सीईओ कार्यालय द्वारा व्यापक संवेदनशीलता दृष्टांतो को संकलित करने के बाद, जिलेवार निष्कर्षों के बारे में डीईओ को सूचित किया जाएगा जो इसके बाद प्रवर्तन एजेंसियों के जिला स्तर के अधिकारियों वाली एक जिला आसूचना समिति बनाकर इस पर विचार-विमर्श करेंगे और आगे की जानकारी मांगेंगे। कुछ केंद्रीय एजेंसियों जिनका राज्य में संख्या बल बहुत कम है, के मामले में जिला आसूचना समिति संबंधित प्रवर्तन एजेंसी के जिला स्तरीय अधिकारियों के स्थान पर सीधे राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों से इनपुट मांग सकती है।

5. जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिला आसूचना समिति अपने इनपुट विहित समय के भीतर सीईओ कार्यालय को देगी, जो (तदनुरुपी पिछले निर्वाचनों के मतदान महीने से 5 महीना घटाकर) के बराबर है। सीईओ कार्यालय अपने प्रेक्षणों और अभ्युक्तियों के साथ विस्तृत सूचियां संकलित करेगा और तदनुरुपी पिछले निर्वाचन के मतदान माह की समय-सीमा के 4 महीने पहले (मतदान माह - 4 महीने) आयोग को सूचित करेगा । इस सूची को गोपनीय के रूप में चिह्नित किया जाएगा और इसमें विधानसभा क्षेत्रवार ईएससी, संवेदनशीलता की प्रकृति और तैयारी (क्या करें?) और चुनौती पर काबू पाने के लिए रणनीतियां (कैसे करें?) शामिल होंगी।

6. समय-सीमा का पालन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि गुणवत्ता निगरानी हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा और/या लोकसभा (कार्यकाल) समाप्त होने के महीने से चार महीने पहले सीईओ से प्राप्त सूची और प्रेक्षणों का अध्ययन करना आवश्यक है।

7. एक ईएससी के लिए शेष निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों के अलावा यथापेक्षित संख्या में अधिकतम दो सहायक व्यय पर्यवेक्षक, अतिरिक्त संख्या में फ्लाइंग स्क्वायड, स्थैतिक निगरानी टीमें और वीडियो निगरानी टीमें हो सकती हैं।

8. ईएससी की सूची निम्नानुसार निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत की जानी है:

क्र. सं.	व्यय संवेदी निर्वाचन क्षेत्रों (ईएससी) का नाम	जिले का नाम	अनुभवजन्य मानकों के अनुसार ईएससी	किस एजेंसी/एजेंसियों द्वारा मानक विहित किए गए	ईएससी की संवेदनशीलता की प्रकृति पर विस्तृत नोट

व्यय संवेदनशील पॉकेट (ईएसपी) की पहचान के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया:

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), पुलिस अधीक्षक (एसपी) निर्वाचन क्षेत्र में तैनात व्यय पर्यवेक्षक (ईओ) के परामर्श से, ईओ के पहले दौरे के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में व्यय संवेदनशील पाकेट (ईएसपी) की पहचान करेंगे।

2. निम्नलिखित विशेषताओं वाले पॉकेट को ईएसपी के रूप में पहचाना जा सकता है:

   i. ईएसपी की पहचान के लिए जिला अनुवीक्षण समिति के इनपुट पर विचार किया जाए।
   ii. पिछले चुनावों में नकदी, शराब, मुफ्त की वस्तुएं आदि बांटने की बड़ी संख्या में शिकायतों/घटनाओं वाले क्षेत्र।

3. ईएससी के चिन्हांकन की सूची में यथा-उल्लिखित अन्य अनुभवजन्य मानदंड का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।

4. ईएसपी को विशेष रूप से मतदान के अंतिम तीन दिनों के दौरान फ्लाइंग स्क्वॉड (एफएस) और स्टेटिक सर्विलांस टीमों (एसएसटी) द्वारा 24 x 7 निगरानी में रखा जाना है। इस अवधि के दौरान एसएसटी में केंद्रीय अर्धसैनिक बल समाविष्ट होगा।

‘ज’

रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अभ्यर्थी एवं राजनीतिक दल के लिए जांच-सूचियां

<u>रिटर्निंग ऑफिसर के लिए जांच सूची</u>

(जांच सूची परिपूर्ण नहीं है, किसी भी प्रकार का संदेह होने की दशा में कृपया विस्तृत अनुदेशों को देखें)

क. <u>निर्वाचनों की घोषणा से पूर्व:-</u>

1. ऐसे सभी निरर्हित अभ्यर्थियों की अद्यतनीकृत सूची रखना जिन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क और 11क (भ्रष्ट आचरण के लिए) और 10क (निर्वाचन व्यय के लेखा को समय पर और अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहना) के अंतर्गत निरर्हता उपगत की हो, जिसे आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
2. यह सुनिश्चित करना कि जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित फार्मेट तैयार हो :
   - (i) अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय रजिस्टर (विधिवत रूप से क्रम - संख्यांकित जो बैंक रजिस्टर, कैश रजिस्टर, दैनिक लेखा रजिस्टर, सार-विवरण (भाग-I से भाग-IV) के साथ-साथ अनुसूची 1 से 11, शपथपत्र का फार्मेट और पावती से बना होगा।
   - (ii) छाया प्रेक्षण रजिस्टर
   - (iii) वीडियो क्यू शीट
   - (iv) उड़न दस्ते/स्थैतिक निगरानी दल द्वारा रिपोर्टिंग फार्मेट
   - (v) स्थानीय भाषा में निर्वाचन व्यय दिशा-निर्देशों का सार-संग्रह
   - (vi) आपराधिक मामलों तथा परिसंपत्तियों और देयतायों के संबंध में प्ररूप 26
3. विकास के स्तर, साक्षरता और पिछले विधान सभा निर्वाचनों के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र में व्यय संवेदनशील पॉकेटों (ईएसपी) की पहचान करना और आयोग को उसकी रिपोर्ट देना।
4. व्यय अनुवीक्षण दल के लिए जिले की राज्य पुलिस और राज्य आबकारी विभाग के मास्टर प्रशिक्षकों की पहचान करना।
5. पिछले निर्वाचन के ऐसे सभी लंबित मामलों पर कार्रवाई करना जिनमें एफआईआर दर्ज की गई थी और उन्हेंतर्कसंगत परिणति तक पहुंचाना।
6. ऐसे अधिकारियों की पहचान करना जिन्हें उड़न दस्ते/स्थैतिक निगरानी दल के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
7. व्यय अनुवीक्षण दलों में तैनाती किए जाने वाले सभी मैनपावर की 2/3 चरणों में प्रशिक्षण हेतु योजना तैयार करना।
8. सभी दलों और लॉजिस्टिक्स के लिए वाहनों की व्यवस्था करना।
9. बूथ लेवल जागरूकता समूहों के साथ बातचीत करना और नीतिपरक मतदान प्रचार अभियान में उनकी भूमिका के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाना और निर्वाचनों के दौरान कदाचारों पर सूचना उपलब्ध कराना।

ख. निर्वाचनों की घोषणा के पश्चात

10. यह सुनिश्चित करना कि उड़न दस्ते, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, एम सी एम सी और लेखांकन दल निर्वाचन की घोषणा की तारीख से ही क्रियाशील हों।
11. यह सुनिश्चित करना कि सभी उड़न दस्ते/स्थैतिक निगरानी दल के वाहनों में जीपीआरएस लगाए जाएं और उड़न दस्ते शिकायत की प्राप्ति के आधे घंटे के अंदर ही व्यय संबंधी और आदर्श आचार संहिता संबंधी दोनों प्रकार के मामलों पर कार्रवाई करें।
12. राजनैतिक दलों द्वारा उपगत व्यय का निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति तक प्रेक्षण किया जाएगा और परिणाम की घोषणा के पश्चात मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दलवार सूचित किया जाएगा।
13. उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी दल या ई ओ द्वारा पता लगाए गए अनुसार उपयुक्त मामलों में एफ आई आर दर्ज करना।

ग. निर्वाचनों की अधिसूचना के जारी होने के बाद

14. यह सुनिश्चित करना कि स्थैतिक निगरानी दल अधिसूचना के जारी होने की तारीख से क्रियाशील रहें।
15. निर्वाचन की अधिसूचना के 7 दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त स्टार प्रचारकों की सूची को नोट करना।
16. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत परिसंपत्तियों और देयताओं के शपथपत्र स्कैन करके उन्हेंउसकी प्राप्ति के 24 घंटों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड करना।
17. व्यय अनुवीक्षण की प्रक्रिया, निर्वाचन व्यय के संबंध में विधिक प्रावधानों और इन उपबंधों के अननुपालन के परिणामों को स्पष्ट करने के लिए प्रतीकों के आबंटन के तत्काल पश्चात सभी अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं की बैठक रखना।
18. विहित फार्मेट में व्यय रजिस्टर अभ्यर्थी को सौंपे जाने के लिए तैयार रखना।
19. निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान निर्वाचन प्रेक्षक द्वारा लेखे के निरीक्षण के लिए तारीख अधिसूचित करना और निर्वाचन प्रेक्षक द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार चूक करने वाले अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करना।
20. शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली का पर्यवेक्षण करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक शिकायत की, उसकी प्राप्ति के 24 घंटों के अंदर जांच की जाए।
21. यह सुनिश्चित करना कि अपेक्षित सभी दस्तावेज उसकी वेबसाइट पर डाल दिए गए हों और उसकी प्रतियां, यदि अनुरोध किया जाए तो विहित शुल्क का भुगतान करने पर जनता के सदस्यों को तत्काल दे दी जाएं।
22. यह सुनिश्चित करना कि उड़न दस्तों/स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा जब्ती के पश्चात उपयुक्त मामलों में एफ आई आर/शिकायत तत्काल दर्ज कराई जाए।

23. व्यय प्रेक्षकों/सहायक व्यय प्रेक्षकों के साथ सम्पर्क बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि सभी दल सुचारू रूप से काम कर रहे हों।

24. ईओ/डीईओ द्वारा जब भी कोई कमी इंगित की जाए तो अभ्यर्थी को नोटिस जारी करना और अभ्यर्थी/अभिकर्ता से जवाब प्राप्त करना।

25. अभ्यर्थी द्वारा उपगत व्यय को छिपाने/उसका लोप करने, या यदि अभ्यर्थी ने निर्धारित तारीख को निरीक्षण के लिए निर्वाचन खर्च के अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रचार में उपगत व्यय को ठीक-ठीक तरीके से नहीं दिखाया है तो इनके बारे में सूचना की प्राप्ति की तारीख के अधिमानत: 24 घंटों के अंदर अभ्यर्थी को नोटिस जारी करना।

26. यह सुनिश्चित करना कि अभ्यर्थियों को जारी नोटिसों का जवाब 48 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाए। (विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग की अधिसूचना का. आ. 72(अ.) दिनांक 6 जनवरी, 2022, जिसके जरिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 को संशोधित किया गया है)

जिला निर्वाचन के लिए जांच सूची

[जांच सूची सर्वांगीण नहीं है, किसी भी संदेह की स्थिति में कृपया विस्तृत अनुदेशों का संदर्भ लें]

क. निर्वाचनों की घोषणा से पहले

1. आयकर, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा केन्दीय सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य वित्तीय सेवाओं के अन्य लेखा विभागों से सहायक व्यय प्रेक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की पहचान करना।
2. उड़न दस्तों (प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 3 या अधिक), स्थैतिक निगरानी दल (प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 3 या अधिक) तथा वीडियो निगरानी दल (प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एक या अधिक) के लिए जनशक्ति की पहचान करना।
3. वीडियो निगरानी दलों, उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी दलों की अपेक्षा के अनुरूप वीडियो कैमरा, वेब कैम, जीपीआरएस प्रणाली आदि की व्यवस्था करना।
4. एमसीएमसी के लिए टीवी कनेक्शन सहित टीवी/कम्प्यूटरों की व्यवस्था करना।
5. विकास, साक्षरता, भारत निर्वाचन आयोग को विधान सभा निर्वाचन के दौरान अग्रेषित की जाने वाली शिकायतों के स्तर के आधार पर - व्यय संवेदनशील पॉकेटों (ईएसपी) और व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (ईएससी) की पहचान करना।
6. व्यय अनुवीक्षण के लिए नोडल अधिकारी के रूप में एडीएम रैंक के वरिष्ठ अधिकारी की पहचान करना और भारत निर्वाचन आयोग को सूचित करना – वह सभी व्यय अनुवीक्षण अधिकारियों के लिए मास्टर प्रशिक्षक होगा।
7. व्यय अनुवीक्षण कार्यक्रम के लिए जिले की राज्य पुलिस तथा राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के नोडल अधिकारी की पहचान करना-वे मास्टर प्रशिक्षक होंगे।
8. पिछले निर्वाचन के सभी लम्बित मामलों, जिनमें एफआईआर दर्ज की गई थी, पर कार्रवाई करना और उसे तर्कसंगत परिणति तक पहुँचाना।
9. ऐसे अधिकारियों की पहचान करना जिन्हें उड़न दस्ते/स्थैतिक निगरानी दल के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
10. व्यय अनुवीक्षण दलों में तैनात किए जाने वाली सभी जनशक्ति को 2/3 चरणों में प्रशिक्षण देने के लिए योजना तैयार करना।
11. जिले के मीडिया एवं राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, विशेषकर रैलियों की आवश्यकता, दरों की अधिसूचना, निर्वाचनों के दौरान नकदी के लेन-देन पर प्रतिबंध तथा निर्वाचन के दौरान दलों एवं मीडिया की भूमिका पर कार्यशाला की तैयारी करना।
12. निम्नलिखित को प्रिंट करना –
    (i) अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय रजिस्टर (विधिवत रूप से क्रम संख्यांकित) जो बैंक रजिस्टर, नकदी रजिस्टर, दैनिक लेखा रजिस्टर, अनुसूची 1 से 11 के साथ सार विवरण (भाग I से भाग IV), शपथ पत्र एवं पावती के फार्मेट से बना होता है।

(ii) छाया प्रेक्षण रजिस्टर

(iii) वीडियो निगरानी टीमों के लिए वीडियो क्यू सीट।

(iv) उड़न दस्ते/स्थैतिक निगरानी दल द्वारा रिपोर्ट करने वाला फार्मेट।

(v) हिंदी/स्थानीय भाषा में निर्वाचन व्यय दिशा-निर्देशों का सार-संग्रह।

(vi) आपराधिक मामले एवं परिसंपत्ति एवं देयताओं के संबंध में प्ररूप 26

(vii) राजनीतिक दलों के लिए व्यय की संशोधित विवरणी, जो परिणाम की घोषणा के 75 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जानी होती है।

13. बूथस्तरीय जागरूकता समूहों (बीएजी) की पहचान करना और नैतिक मतदान करने के लिए प्रचार अभियान, संकल्प पत्र एवं कदाचारों के फोटो, ऑडियो, वीडियो को शिकायत केन्द्र पर अपलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर से उन्हें सुपरिचित करने के लिए जिला स्तर पर बीएजी के साथ एक संवेदीकरण कार्यक्रम करना।

14. नैतिक मतदान पर सभी नागरिक समितियों (सीएसओ)/एनजीओ, शिक्षाविदों, मीडिया कर्मियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ बैठक आयोजित करना और नैतिक मतदान अभियान एवं रिश्वत के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में उनकी भूमिका के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाना।

15. नैतिक मतदान पर विज्ञापन सामग्रियां, ऑडियो-वीडियो दृश्य, नारे आदि तैयार करना।

16. नैतिक मतदान एवं निर्वाचनों में रिश्वत देने के विरूद्ध स्कूलों एवं कॉलेजों में वाद-विवाद, स्लोगन, कार्टून आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

17. यह सुनिश्चित करना कि नैतिक मतदान करने के लिए संकल्प-पत्रों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाए और नैतिक मतदान करने के लिए हस्ताक्षर अभियान बड़े स्तर पर चलाया जाए।

18. यह सुनिश्चित करना कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन खर्चों के लेखे के सभी मामलों (पिछले विधान सभा निर्वाचनों से संबंधित) का निपटान कर दिया गया हो।

ख. निर्वाचन की घोषणा के उपरान्त

19. (i) अभ्यर्थी द्वारा बैंक खाता खोलने एवं चैक बुक जारी करने में फैसिलिटेशन करने के लिए/ (ii) रु. 10 लाख से अधिक के विवादस्पाद लेन-देन की रिपोर्ट भेजने के लिए (iii) वित्त मंत्रालय के दिनांक 20.02.2013 (**अनुलग्नक-छ2**) के दिशा-निर्देश के अनुसार एटीएम वाहनों के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया के लिए बैंकों के साथ बैठकों का प्रबंध करना।

20. जिले में हैलिकॉप्टर की लैण्डिंग की अनुमति के लिए और सामान की जांच के लिए दिशा-निर्देशों को गौर से देखना।

21. निर्वाचन प्रचार व्यय की विभिन्न मदों की दरों की अधिसूचना के लिए निर्वाचन की घोषणा के बाद जिले में राजनीतिक दलों के साथ बैठक का प्रबंध करना और दरों पर, उनके हस्ताक्षरों से सर्वसम्मति बनाना।

22. निर्वाचन की घोषणा की तारीख से जिलास्तरीय शिकायत अनुवीक्षण केन्द्र, एमसीएमसी, एफएस, वीएसटी, वीवीटी तथा लेखांकन दल का कार्यकरण शुरू करना। अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात एसएसटी कार्य करना प्रारंभ कर देगा।

23. राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित सभी रैलियों की वीडियोग्राफी करना ताकि पार्टी द्वारा किए गए व्यय का विधान सभा निर्वाचन के 75 दिनों के पश्चात तथा लोक सभा निर्वाचनों के 90 दिनों के पश्चात प्रस्तुत किए गए व्यय विवरण से मिलान किया जा सके।

24. निर्वाचन के दौरान नकदी लाने और ले जाने के प्रति जांच उपायों के बारे में स्थानीय भाषा में प्रचार – प्रसार करना।

ग. निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने के पश्चात

25. यह सुनिश्चित करना कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एसएसटी क्रियाशील रहें तथा यह देखना कि ईईएम के सभी दल निर्वाचन क्षेत्र तथा जिला स्तर पर क्रियाशील रहें एवं यह सुनिश्चित करना कि व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में एफएस/एसएसटी में केन्द्रीय पुलिस बलों को भी शामिल किया जाए।
26. डीईएमसी का गठन करना तथा सभी अभ्यर्थियों को अपील की प्रक्रिया, एफएस/एसएसटी के लिए एसओपी के बारे में सूचित करना।
27. नकदी की जब्ती के प्रति अपील प्रक्रिया के बारे में स्थानीय मीडिया में प्रचार करना।
28. निर्वाचनों की अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर सीधे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा या आयोग से प्राप्त स्टार प्रचारकों की सूची को ध्यान में रखना।
29. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक मामलों, परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के सभी शपथपत्रों की स्कैन की गई प्रतियों को, इन्हें दाखिल किए जाने के 24 घंटे के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड करना तथा अन्य अभ्यर्थियों के मामले में नाम-निर्देशन की संवीक्षा के एक दिन बाद सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु अपलोड करना।
30. मतदान के अंतिम 72 घंटे के दौरान निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से जुड़े दलों जैसे एफएस, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी, ईएमसी, उत्पाद-शुल्क दल, एमसीएमसी, डीईएमसी, लेखांकन दल, 24×7 जिला ईईएम नियंत्रण कक्ष इत्यादि को सुदृढ़ीकृत किया जाना है तथा जहां अपेक्षित हो, एफएस, एसएसटी को सीपीएफ उपलब्ध कराई जाए, जिन्हें मतदान केन्द्रों के समीप तैनात किया जाए।
31. अंतिम 72 घंटे के दौरान पुलिस तैनाती की योजना बनाना क्योंकि मतदान ड्यूटी के लिए पुलिस की आवश्यकता हो सकती है तथा अंतिम 72 घंटे के दौरान किसी भी स्थिति में एफएस, एसएसटी को भंग न किया जाए।

घ. निर्वाचनों के समाप्त होने के पश्चात

32. सभी अभ्यर्थियों/निर्वाचन एजेन्टों के लिए और लेखे प्राप्त करने के लिए परिनियोजित कार्मिक के लिए निर्वाचन खर्चों का लेखा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले एक सप्ताह के अंदर एक-दिवसीय फैसिलिटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना।
33. परिणाम की घोषणा के 26वें दिन "लेखा समाधान बैठक" के लिए अभ्यर्थियों के परिणाम की घोषणा के ठीक बाद पत्र जारी करना और उनसे प्रारूप व्यय रिपोर्टों/विवरणों के साथ तैयार होकर आने के लिए कहना और व्यय प्रेक्षकों, सहायक व्यय प्रेक्षकों, लेखांकन दल के सदस्यों, जिले के निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी के साथ उक्त बैठक की व्यवस्था करना।
34. परिणामों की घोषणा के तुरन्त पश्चात सभी अभ्यर्थियों को परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर लेखा दाखिल करने के लिए पत्र जारी करना तथा उस नोटिस में फैसिलिटेशन प्रशिक्षण की तिथि का उल्लेख करना।

35. यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को मदों की न्यूनोक्ति पर कोई नोटिस नहीं जारी किया गया था तो डीईओ को अभ्यर्थी से उत्तर प्राप्त करने के लिए परिणाम की घोषणा से 15 दिनों के अंदर पत्र जारी करना है। पत्र/उत्तर दोनों पर पहले लेखा समाधान बैठक में विचार किया जाना है तथा बाद में जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी) के अभिलेखबद्ध अभिमतों के साथ भारत निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाएगा।

36. यदि अभ्यर्थी के लेखे में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि है तो जिला निर्वाचन अधिकारी चूककर्ता अभ्यर्थी को लेखे में त्रुटि को ठीक करने के लिए 3 दिनों का समय देते हुए नोटिस जारी करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी टिप्पणियों सहित नोटिस की प्रति के साथ अभ्यर्थी का उत्तर आयोग को अग्रेषित करेगा।

37. लेखा दाखिल करने में नियत तारीख से 15 दिनों से अनधिक देरी होने के मामलों में, जिला निर्वाचन अधिकारी देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए अभ्यर्थी को स्वत: नोटिस जारी करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के उत्तर की जांच की जाएगी तथा वह अपनी टिप्पणियों के साथ नोटिस की प्रति तथा अभ्यर्थी का उत्तर, यदि कोई हो, आयोग को अग्रेषित करेगा।

38. जिला निर्वाचन अधिकारी परिणाम की घोषणा की तारीख से 37वें दिन तक निर्धारित फार्मेट सार-संग्रह का (अनुलग्न-ग3) में अभ्यर्थीवार संक्षिप्त विवरण तथा संवीक्षा रिपोर्टों को अंतिम रूप देगा तथा उसे अधिमानत: 38वें दिन तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को अग्रेषित करेगा।

39. निर्वाचन अवधि के दौरान रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी नोटिसों, यदि कोई हों, की प्रतियों के साथ-साथ सभी अभ्यर्थियों के सार विवरण (अनुसूची 1 से 11 के साथ भाग I से भाग IV) एवं उनके उत्तर सभी लोगों के सूचनार्थ व्यापक प्रचार हेतु अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने के ठीक 3 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अवश्य डाल दिया जाए।

40. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट, जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के 3 दिनों के भीतर ENCORE (**अनुलग्नक-ग17**) में प्रविष्ट की जाएगी।

<u>मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए जांच सूची</u>

(यह जांच-सूची परिपूर्ण नहीं है, कोई संदेह होने की दशा में कृपया विस्तृत अनुदेशों का अवलोकन करें)

क. निर्वाचनों की घोषणा से पहले

1. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण (ईईएम) प्रशिक्षण, आयोग को रिपोर्ट करने एवं राज्य पुलिस विभाग, आयकर विभाग (अन्वेषण), राज्य उत्पाद-शुल्क विभाग के साथ समन्वय करने के लिए भी सीईओ कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना तथा राज्य में निर्वाचन की घोषणा से पहले इन सभी नोडल अधिकारियों के नाम, टेलीफोन नं. एवं मोबाइल नं., ई-मेल और पते आयोग में सचिव (ईईएम) को अग्रेषित करना।
2. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर व्यय संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्रों (ईएससी) और व्यय संवेदनशील पॉकेटों (ईएसपी) की सूची पूरी करना और व्यय प्रेक्षकों के लिए तैनाती-अवधि और जिलों के आबंटन के साथ सूची आयोग को काफी पहले, अधिमानत: विधान-सभा के कार्यकाल के पूरा होने की तिथि से छह महीने पहले भेजना।
3. निर्वाचन व्यय अनुदेशों के लिए सार-संग्रह का स्थानीय भाषा में पर्याप्त संख्या में अनुवाद एवं मुद्रण करना और उसकी प्रतियां अभ्यर्थियों, ईईएम से जुड़े अधिकारियों, सभी विभागों के नोडल अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों, राजनीतिक दलों और मीडिया मे वितरित करना।
4. अभ्यर्थियों और व्यय अनुवीक्षण से जुड़ी टीमों द्वारा रिपोर्ट किए जाने के लिए अपेक्षित सभी रजिस्टरों एवं फार्मों का मुद्रण करना।
5. राज्य में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए (जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, पुलिस और उत्पाद-शुल्क विभाग में जिला स्तर पर) तैनात किए जाने वाले सभी मास्टर प्रशिक्षकों/नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अग्रिम रूप से उनकी पहचान करना और उनको तैयार करना।
6. सहायक व्यय प्रेक्षकों, वीएसटी, वीवीटी, एफएस, एसएसटी, एमसीएमसी और लेखांकन टीमों के सदस्यों के लिए सभी जिलों में जनशक्ति की पहचान करना और टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए दो या तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना और यह सुनिश्चित करना कि एफएस/एसएसटी/वीएसटी/लेखांकन टीम/एमसीएमसी/जिला स्तरीय शिकायत केन्द्र के लिए जनशक्ति उपर्युक्त रूप में प्रशिक्षित कर दी जाए।
7. यह सुनिश्चित करना कि सभी जिलों द्वारा ऐसे अधिकारी अग्रिम रूप से अभिचिह्नित किए जाएं जिन्हें निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन के समाप्त हो जाने की तारीख तक तैनात किए जाने के लिए उड़न दस्ता(तों) के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
8. यह सुनिश्चित करना कि सभी टीमों के लिए वाहनों, एफएस/एसएसटी/वीएसटी के लिए वीडियो कैमरा/वेब कैम आदि और एमसीएमसी के लिए केबिल कनेक्शनों के साथ टीवी की व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कर दी जाए।
9. यह सुनिश्चित करना कि एफएसटी/एसएसटी द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन जीपीआरएस युक्त हों।
10. आयोग द्वारा निर्गत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुदेशों के संबंध में राजनीतिक दलों के लिए राज्य स्तर पर कार्यशाला की तैयारी करना। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर मीडिया के लिए संवेदीकरण कार्यशाला की तैयारी करना।
11. राज्य/जिले के लिए मीडिया विज्ञापन दरें, डीआईपीआर और डीएवीपी दरें हासिल करना।

12. निर्वाचनों के दौरान राज्य से अवैध शराब, ड्रग्स आदि के लाने-ले जाने के संबंध में सीमावर्ती राज्यों के उत्पाद-शुल्क आयुक्तों और पुलिस आयुक्तों के साथ सम्पर्क कायम करना।
13. राज्य के सभी वाणिज्यिक हवाई हड्डों पर हवाई अड्डा आसूचना इकाईयों (एआईयू) को प्रचालनात्मक बनाने के लिए और राज्य के सभी प्रचालनात्मक गैर-वाणिज्यिक हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों/हेलीपेडों की पहचान करने के लिए और यह देखने के लिए कि उपयुक्त जांच व्यवस्था की गई है, राज्य के आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) से सम्पर्क बना कर रखना।
14. यदि राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तो सीमा सुरक्षा बल या आईटीबीपी से सम्पर्क बना कर रखना और उन्हें निर्वाचन के दौरान नकदी, शराब या ड्रग्स की लाने – ले जाने के प्रति संवेदनशील बनाना।
15. पिछले निर्वाचन के ऐसे सभी पुराने लंबित मामलों पर कार्रवाई करना जिनमें एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें तर्कसंगत परिणति तक पहुंचाना।
16. यह सुनिश्चित करना कि पिछले विधान सभा निर्वाचनों से संबंधित अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखा के सभी मामलों का निपटान कर दिया गया है।

नैतिक मतदान :-

17. बूथ लेवल जागरूकता (बीएजी) का गठन करना और उन्हें सभी नैतिक मतदान सामग्रियों तथा कदाचारों के फोटो/वीडियो अपलोड करने के लिए साफ्टवेयर से लैस करना और यह सुनिश्चित करना कि नीतिपरक मतदान प्रचार-अभियान, संकल्प पत्रों पर हस्ताक्षर करने आदि के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों की बूथ लेवल जागरूकता समूहों (बी.ए.जी.) के साथ संवेदीकरण बैठक करना।
18. नैतिक मतदान के संदेश को फैलाने के लिए राज्य की सभी नागरिक समितियों (सीएससो)/एनजीओ, शिक्षाविदों, अकादमी सदस्यों, राज्य के मीडिया-कर्मियों के साथ बैठक का आयोजन करना।
19. नैतिक मतदान पर सभी विज्ञापन सामग्री जैसे ऑडियो, वीडियो, दृश्यपरक नारों आदि को तैयार करना।
नैतिक मतदान पर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वाद-विवाद, स्लोगन, कार्टून प्रतियोगिताओं का
20. आयोजन करना और नैतिक मतदान के लिए एवं रिश्वतखोरी के विरुद्ध संकल्प पत्र परिचालित करना/हस्ताक्षर अभियान चलाना।
21. नैतिक मतदान अभियान और रिश्वतखोरी के दांडिक उपबंधों पर मीडिया संगठनों के साथ भागीदारी करना।
22. पंजीकृत राजनैतिक दलों की अपनी वार्षिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, निर्वाचन व्यय विवरण एवं अंशदान रिपोर्टों की वस्तुस्थिति रिपोर्टों पर वेबसाइट आकड़ों को अद्यतनीकृत करना।

ख. निर्वाचनों की घोषणा के उपरांत

23. सभी प्रमुख रैलियों के व्यय का लेखा रखने के लिए जिलास्तरीय शिकायत अनुवीक्षण केन्द्र, उड़न दस्तों, वीडियो निगरानी टीम, वीवीटी, लेखाकरण टीमों का निर्वाचन की घोषणा की तिथि से कामकाज शुरू करना, शिकायतों पर कार्रवाई करना और आदर्श आचार संहिता लागू करवाना। घोषणा के उपरांत, दलीय खर्चों का वीडियो निगरानी टीम और उड़न दस्ता द्वारा लेखा रखा जाना है और प्रत्येक दल के लिए संकलित रिपोर्टें मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जानी हैं ताकि पार्टियों द्वारा दाखिल व्यय विवरणों का बाद में मिलान किया जा सके।
24. मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति की घोषणा की तिथि से कामकाज शुरू करवाना।

25. आपराधिक मामलों, परिसंपत्तियों एवं देयताओं के सभी शपथ-पत्रों की स्कैन की गई प्रतियों की, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मामले में इन्हें दाखिल किए जाने के 24 घंटों के भीतर और अन्य अभ्यर्थियों के मामले में नाम-निर्देशन की संवीक्षा के एक दिन बाद सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सीईओ की वेबसाइट पर अपलोडिंग करवाने के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था करना।

26. यह सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित करना कि स्थैतिक निगरानी दलों में उपयुक्त संख्या में कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और इसका गठन हो गया है और इसने काम करना शुरू कर दिया है। टीमों द्वारा संगत फार्मेटों में रिपोर्टिंग किया जाना निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से शुरू करना।

27. यह सुनिश्चित करना कि व्यय संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्रों में एफएस/एसएसटी में केन्द्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों को मिलाया जाए।

ग. निर्वाचनों की अधिसूचना के उपरांत

28. यह सुनिश्चित करना कि सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में स्थैतिक निगरानी दल कार्यरत हों और यह देखना कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की सभी टीमें निर्वाचन-क्षेत्र में और जिला स्तर पर कार्यरत हों और यह सुनिश्चित करना कि व्यय संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्रों में एफएस/एसएसटी में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को मिलाया जाए।

29. निर्वाचन अवधि के दौरान नकदी लेकर चलने पर प्रतिबंध, नकदी की जांच किए जाने और जब्ती के विरुद्ध अपील के लिए प्रक्रिया के बारे में सभी संचार माध्यमों में स्थानीय भाषा में प्रचार-प्रसार करना।

30. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के द्वारा सीधे या आयोग से प्राप्त स्टार प्रचारकों की सूची को निर्वाचन की अधिसूचना से 7 दिनों के भीतर नोट करना और डीईओ/आरओ के बीच परिचालित करना तथा वेबसाइट पर अपलोड करना।

31. यह सुनिश्चित करना कि आपराधिक मामलों, परिसम्पत्ति एवं देयता से संबंधित शपथ-पत्रों की प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएं और स्कैन की गई प्रतियां वेबसाइट पर 24 घंटों के भीतर अपलोड कर दी जाएं।

32. यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यय प्रेक्षकों द्वारा लेखे के तीन बार निरीक्षण की तिथियां अधिसूचित कर दी जाएं।

33. यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक निरीक्षण के बाद अभ्यर्थियों के रजिस्टरों की स्कैन की गई प्रतियां डीईओ के पोर्टल पर अपलोड की जाएं और उसका लिंक सीईओ की वेबसाइट पर दिया जाए।

34. राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) का गठन करना और भेजे गए पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों/सम्बद्ध शिकायतों, यदि कोई हों, का यथासमय निपटान सुनिश्चित करना।

35. यह सुनिश्चित करना कि व्यय संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्रों और व्यय संवेदनशील पॉकेटों में सख्त अनुवीक्षण किया जाए।

36. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से जुड़ी टीमों जैसे उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल, वीवीटी, ईएमसी, उत्पाद-शुल्क टीम, एमसीएमसी, डीईएमसी, लेखांकन टीम, 24×7 जिला ईईएम नियंत्रण कक्ष आदि को मतदान के अंतिम 72 घंटों के दौरान सुदृढ़ीकृत किया जाना है और मतदान केन्द्रों के निकट तैनात उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी दल, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, के लिए केन्द्रीय अर्धसैनिक बल की व्यवस्था की जाए।

37. अंतिम 72 घंटों के दौरान पुलिस तैनाती योजना का होना क्योंकि मतदान ड्यूटी के लिए पुलिस की जरूरत पड़ सकती है और किसी भी परिस्थिति में अंतिम 72 घंटों के दौरान उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी दल को भंग न किया जाए।

38. यह सुनिश्चित करना कि सभी नोडल अधिकारियों द्वारा जब्ती रिपोर्ट आयोग को यथासमय भेजी जाएं।

39. यह सुनिश्चित करना कि शिकायतों पर आधे घंटे के भीतर कार्रवाई कर दी जाए।

40. यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रमुख रैलियों की वीडियोग्राफी की जाए।

41. यह सुनिश्चित करना कि एफएस/एसएसटी/लेखांकन टीम द्वारा पता चलाए जाने की दशा में आरओ तत्परतापूर्वक एफआईआर दर्ज करें।

घ. मतदान दिवस पर

42. भारत निर्वाचन आयोग (सचिव, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण) को आयोग द्वारा अप. 5.00 बजे मीडिया ब्रीफिंग के लिए, अप. 1.00 बजे तक/उससे पहले मतदान दिवस तक का और मतदान दिवस सहित निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर समेकित सीईओ रिपोर्ट (संदर्भ **अनुलग्नक-ग3**) अग्रेषित करना।

ड. निर्वाचनों के पूरे होने के उपरांत

43. यह सुनिश्चित करना कि जब्त सभी नकदी/वस्तुएं मतदान के 7 दिनों के अंदर अवमुक्त कर दी जाएं बशर्ते कोई एफआईआर नहीं दायर की गई है या आयकर विभाग को सौंपी नहीं गई है।

44. अभ्यर्थियों के लिए और अभ्यर्थियों से निर्वाचन खर्च लेखा प्राप्त करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में परिनियोजित किए जाने वाले स्टॉफ का जिला स्तर पर समुचित प्रशिक्षण (परिणामों की घोषणा के बाद 23 दिनों के भीतर) सुनिश्चित करना।

45. यह सुनिश्चित करना कि निर्वाचन के पूरे होने के 26वें दिन को सभी अभ्यर्थियों जो लेखा-समाधान के लिए अपनी प्रारूप लेखा विवरणियों/रिपोर्टों के साथ तैयार होकर आएंगे, के साथ लेखा समाधान बैठक आयोजित की जाए।

46. जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त (अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल लेखा के सभी संक्षिप्त विवरण) किए जाने के 3 दिनों के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने की तैयारी करना।

47. यह सुनिश्चित करना कि जिला निर्वाचन अधिकारी अभ्यर्थियों द्वारा लेखा दाखिल किए जाने के 2 दिनों के भीतर अभ्यर्थियों के नामों, लेखा प्रस्तुत करने की तिथि और वह समय और स्थान जब/जहां ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकता है, का उल्लेख करते हुए विवरणी नोटिस बोर्ड पर लगाएं।

48. यह सुनिश्चित करना कि जिला निर्वाचन अधिकारी परिणाम की घोषणा की तारीख से 38 दिनों के भीतर संवीक्षा रिपोर्टें मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजें तथा परिणाम की घोषणा के 45वें दिन तक उन्हें आयोग को अग्रेषित करें। (**अनुलग्नक -ग13**)

49. जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संवीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के 3 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी की ''संवीक्षा रिपोर्ट'' की सुविधा में डाटा प्रविष्टि करने के लिए योजना बनाना। (**अनुलग्नक -ग17**)

50. रिश्वत से संबंधित निर्वाचन अपराधों के ऐसे सभी पुलिस मामलों में कार्रवाई करना जिनमें एफआईआर दर्ज की गई थी या न्यायालयीन मुकदमा दाखिल किया गया था और उन्हें तार्किक परिणति तक पहुंचाना।

51. राज्यस्तरीय एमसीएमसी को भंग करने से पहले लंबित संदिग्ध पेड न्यूज मामलों, यदि कोई हों, का निपटान करना और पेड न्यूज के मामलों की सूची आयोग को भेजना।

52. जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा एवं सार रिपोर्टें, प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर, टिप्पणियों के साथ आयोग को अग्रेषित करना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना है कि जिला निर्वाचन अधिकारी डीईएमसी रिपोर्ट और नोटिस और अभ्यर्थियों के स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, के साथ संवीक्षा रिपोर्ट भेजें।

53. यह सुनिश्चित करना कि जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के दौरान एकत्रित साक्ष्यों (वीडियो सीडी आदि) तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर को सुरक्षित अभिरक्षा में रखें ताकि कोई शिकायत होने की दशा में उन्हें भविष्य में आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

अभ्यर्थियों के लिए जांच सूची

[जांच सूची परिपूर्ण नहीं है, किसी भी प्रकार का संदेह होने पर कृपया विस्तृत अनुदेशों का अवलोकन करें]

क. नाम-निर्देशन के समय तक

1. नाम-निर्देशन दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले अनन्य रूप से निर्वाचन व्यय उद्देश्यों के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना।
2. रिटर्निंग अधिकारी से निर्वाचन व्यय रजिस्टर की एक प्रति लेना जो विधिवत रूप से क्रम-संख्यांकित तथा पृष्ठ क्रमांकित हो एवं कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर और दैनिक लेखा रजिस्टर, सार विवरण (भाग-I से भाग IV के साथ-साथ अनुसूची 1 से 11 तक), शपथ पत्र एवं पावती से बने पृष्ठों की संख्या के संबंध में आवश्यक प्रमाणन हो तथा रिटर्निंग अधिकारी से निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार-संग्रह को प्राप्त करना।
3. निर्वाचन व्ययय के लिए अलग एजेंट, यदि कोई हो, का नाम अधिसूचित करना और रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करना।
4. यह ध्यान रखना या यह सुनिश्चित करना कि निर्वाचन व्यय तथा निर्वाचन व्यय रजिस्टर के रख-रखाव पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में एजेंट भाग लें।
5. अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन व्यय की उच्चतम सीमा तथा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से संबंधित विधियों/अनुदेशों को जानना।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी से अधिसूचना या निर्वाचन प्रचार मदों की दरों की प्रति प्राप्त करना।
7. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर सभी अनुदेशों को जानना-समझना तथा संदेह होने की स्थिति में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण नोडल अधिकारी से संपर्क करना।
8. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुदेशों पर सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।

ख. नाम-निर्देशन की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक

9. रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर में सभी निर्वाचन खर्चों के दैनिक लेखा का रख-रखाव करना।
10. निर्वाचन प्रचार में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों के संबंध में अनुमति लेना तथा यह सुनिश्चित करना कि अनुमति पत्र ऐसे प्रत्येक वाहन की विंडस्क्रीन पर प्रदर्शित हों।
11. यह पता होना चाहिए कि यदि अभ्यर्थी किसी भी वाहन का उपयोग नहीं कर रहा है तो, रिटर्निंग अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए और अनुमति को रद्द करना चाहिए, अन्यथा ऐसे वाहनों पर समझा/माना गया व्यय उनके व्यय में गिना व जोड़ा जाना चाहिए।
12. सार-संग्रह के **अनुलग्नक-घ**1 में दी गई व्यय योजना के साथ रैली/जुलूस/सार्वजनिक बैठक आयोजित करने हेतु अनुमति लेना और रिटर्निंग अधिकारी को ऐसी रैली/बैठक की तारीख से पहले प्रस्तुत करना।
13. यह सुनिश्चित करना कि रैली के लिए भाड़े (किराए) पर लिए गए व्यावसायिक वाहनों के लिए सभी खर्च लेखा में शामिल किए जाएं।

14. यह सुनिश्चित करना कि आयोग के अनुदेशों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भाग ली गई रैली/प्रदर्शित फोटो/संस्तुत नाम पर किए गए सभी व्यय लेखा में जोड़े गए हों। यह सुनिश्चित करना कि खर्च 'छाया प्रेक्षण रजिस्टर' से मेल खाते हों। निर्वाचन व्यय का कम आकलन/कम उल्लेख करने से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है।

15. निर्वाचन पोस्टरों, आदि के मुद्रण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के प्रावधानों से अवगत होना और जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना एवं प्रकाशक एवं प्रिंटर की ओर से पोस्टर और पैंम्पलेट के मुद्रण पर परिशिष्ट क एवं ख में प्रकाशक एवं मुद्रक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक घोषणा उपलब्ध कराना।

16. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ख से 171झ के प्रावधानों को जानना।

17. नाम-निर्देशन भरने की तारीख से दिन-प्रतिदिन के लेखा, कैश बुक और बैंक बुक का नियमित रूप से रखरखाव करना और नाम-निर्देशन भरने की तारीख उपगत सभी खर्चों को शामिल करना।

18. इस तथ्य को जानने हेतु कि सभी पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, चाहे वे नाम-निर्देशन के पहले मुद्रित/प्रकाशित किए गए हों, परन्तु नाम निर्देशन के बाद प्रयोग/प्रदर्शित किए जा रहे हों, अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का हिस्सा बनेगा।

19. इस बात से अवगत होना कि यदि अभ्यर्थी किसी भी राजनीतिक दल (मान्यताप्राप्त या गैर- मान्यताप्राप्त) द्वारा प्रायोजित है तो उसे इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि व्यय पार्टी द्वारा आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की गई स्टार प्रचारकों की सूची, निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि के 7 दिन के भीतर पार्टी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन लाभ का दावा करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी/व्यय प्रेक्षक/निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण दलों को उपलब्ध करवाई गई है।

20. पार्टी से स्टार प्रचारकों (जैसे हैलीकॉप्टर) के यात्रा व्यय विवरण प्राप्त करना ताकि उसके लेखा विवरण में अपेक्षित ठीक-ठीक प्रविष्टियां की जाएं वायुयान/हैलीकॉप्टर के उसके निर्वाचन क्षेत्र में उतरने के बाद 5 दिन के भीतर विमान या हैलीकॉप्टर की मालिकाना कम्पनी/पट्टे पर लेने वाली कम्पनी को प्रदत्त/देय भाडे पर लेने के प्रभारों, यात्रियों के नाम एवं राजनीतिक दल के नाम (यदि पार्टी ने भाडे पर लेने के खर्च का वहन किया है) के बारे में रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करना।

21. यह सुनिश्चित करना कि 10000/-रु. से अधिक के सभी व्यय और 10000/-रु. से अधिक की सभी प्राप्तियां, अंशदान, ऋण, जमा, अग्रिम नकद रूप में नहीं होनी चाहिए तथा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य के लिए अनन्य रूप से खोले गए बैंक खाते के माध्यम से चैक या ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर द्वारा होना चाहिए।

22. दल से, स्वयं की निधियों से धनराशि की प्राप्तियों, दान/उपहार/ऋण आदि के माध्यम से अन्यों से प्राप्त प्राप्तियों के संबंध में विवरणों का रखरखाव करना। यहां तक कि बकाया/देय राशियों को शामिल किया जाना है।

23. यह सुनिश्चित करना कि वस्तु रूप में प्राप्त सेवाओं/वस्तुओं के संदर्भ में व्यक्तियों के नाम एवं पते को लेखा रजिस्टर में उल्लिखित किया जाना चाहिए और अभ्यर्थी के व्यय में भी जोड़ा जाना चाहिए।

24. यह जानना कि निर्वाचन प्रचार-अभियान में प्रयुक्त विभिन्न मदों/सेवाओं की दरें अभ्यर्थियों/एजेंटो के परामर्श से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत की जाती है। इसलिए अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि लेखे के रख-रखाव के लिए दर चार्ट का पालन किया जाता है।

25. यह जानना कि स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करना, स्टार प्रचारक द्वारा उसके पक्ष में मत देने के लिए की गई अपील के फलस्वरूप ऐसी बैठकों आदि पर हुए व्यय को अभ्यर्थी द्वारा उपगत व्यय माना जाएगा न कि दल द्वारा।

26. प्रचार अवधि के दौरान व्यय प्रेक्षक द्वारा किए जाने वाले 3 निरीक्षणों के दौरान या तो व्यक्तिगत रूप से या एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होना और सभी पूरे किए गए लेखे/रजिस्टरों को प्रस्तुत करना।

27. अपने निर्वाचन खर्चों के लेखे में पाई गई असंगतियों के संबंध में आरओ से प्राप्त पत्रों या नोटिसों का 48 घंटों के भीतर जवाब देना।

28. "पेड न्यूज" तथा उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी होना जिसमें पेड न्यूज मामलों को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे में जोड़ा जाना होता है।

29. आरओ द्वारा अभ्यर्थी की नोटिस में लाए गए पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों के संबंध में एमसीएमसी (जिला स्तर पर) द्वारा पारित आदेश का समय से जवाब देना। यदि अभ्यर्थी इस आदेश से असहमत है तो निर्धारित समय के भीतर राज्य स्तरीय मीडिया समिति के समक्ष एक अपील दायर की जाए।

30. मतदान के दिन मतदाता पर्चियों के वितरण के लिए अभ्यर्थी बूथों (कियोस्कों) के रख-रखाव पर उपगत व्यय को शामिल करना। इस खर्च में अभ्यर्थी बूथों (कियोस्कों), लॉजिस्टक्स, उन्हें संचालित करने वाले कामगारों/एजेंटों को प्रदत्त पारितोषिक तथा जलपान, भोजन आदि (लेखे की सार विवरणी की अनुसूची-6) पर उपगत व्यय शामिल होंगे।

31. यह सुनिश्चित करना कि कोई भी दलीय कार्यकर्त्ता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) या भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख में परिभाषित किए गए अनुसार निर्वाचकों को रिश्वत देने में न तो लिप्त हो और न ही इस बात का समर्थन करता हो।

ग. परिणाम की घोषणा के पश्चात

32. परिणाम की घोषणा के 23 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोजित लेखा दाखिल करने की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण में व्यक्तिगत रूप से या एजेंट के माध्यम से भाग लेना और साथ ही, परिणाम की घोषणा के 26वें दिन आयोजित लेखा समाधान बैठक में भी भाग लेना।

33. इस बात से अवगत होना कि उपर्युक्त बैठक में अभ्यर्थियों को, अपने निर्वाचन खर्चों की न्यूनोक्त धनराशि, यदि कोई हो, का लेखा-समाधान करने का और एक अवसर दिया जाएगा। अत:, अभ्यर्थियों को अंतिम लेखे के अपने प्रारूप को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि असंगतियों का लेखा-समाधान किया जा सके।

34. यह भी जानें कि भले ही अभ्यर्थी ने उक्त बैठक के पहले अपना लेखा दाखिल कर दिया हो, वह जिला व्यय अनुवीक्षण समिति के निष्कर्षों को समाविष्ट करने के लिए परिणाम की घोषणा के 30 दिनों की सांविधिक अवधि के भीतर लेखे मे संशोधन कर सकता है।

35. निर्वाचन खर्चों का लेखा, जो बैंक रजिस्टर, नकदी रजिस्टर, दैनिक लेखा रजिस्टर, सार विवरणी (भाग-I से भाग IV एवं अनुसूची 01 से 11 तक), सभी बिल एवं वाउचर (क्रम- संख्यांकित) और सभी दृष्टियों से विधिवत रूप से भरे गए शपथ-पत्र, मूल रूप में, तथा निर्वाचन प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से खोले गए बैंक खाते की बैंक विवरणी की स्व–अमिप्रमाणित प्रति से बना होता है, परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना। यदि लेखा समय पर और अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं

किया गया है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन निरर्हता हेतु आयोग द्वारा नोटिस जारी किया जाए।

36. जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से लेखा दाखिल करने के प्रमाणस्वरूप पावती प्राप्त करना। पावती में लेखा दाखिल करने की तिथि एवं समय दी गई हो।

37. सार विवरणी और शपथ-पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर करना तथा सभी बिलों एवं वाउचरों पर आपके या आपके एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं:

38. जिला व्यय अनुवीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई असंगतियों के संदर्भ में रजिस्टर के निरीक्षण के समय रिटर्निंग अधिकारी या व्यय प्रेक्षक को दिए गए उत्तर की प्रति प्रस्तुत करना।

<u>राजनीतिक दलों के लिए जांच सूची</u>

[जांच सूची परिपूर्ण नहीं है, किसी भी प्रकार का संदेह होने की दशा में कृपया विस्तृत अनुदेशों का आवलोकन करें।]

क. निर्वाचन की घोषणा के पश्चात:

1. यह सुनिश्चित करना कि पार्टी के सभी अभ्यर्थी नाम-निर्देशन दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले निर्वाचन व्यय उद्देश्यों के लिए अनन्य रूप से एक पृथक बैंक खाता खोले और नाम-निर्देशन दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को उस खाते की एक स्व-अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी से क्षेत्रीय भाषा में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार- संग्रह की एक प्रति प्राप्त करना।
3. राज्य स्तर पर एक नोडल राजनीतिक नेता नामित करना जो निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं आयोग से समन्वय बनाएगा और जो निर्वाचन व्यय पर दलीय कार्यकताओं और अभ्यर्थियों के मास्टर प्रशिक्षक होंगे।
4. यह सुनिश्चित करना कि नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय पर और रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन व्यय रजिस्टर के रखरखाव पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लें।
5. यह सुनिश्चित करना कि विगत वर्षों की सभी अंशदान रिपोर्टों एवं वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों, पिछले निर्वाचनों की निर्वाचन व्यय विवरणियों को समय पर दाखिल किया जाए।
6. निम्नलिखित को सुनिश्चित करना:-
   - (क) अभ्यर्थी को देय धनराशि (यदि कोई हो) केवल चैक/ड्रॉफ्ट/बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से हो (नकदी में नहीं)।
   - (ख) बाद में, दल की ठीक-ठीक निर्वाचन व्यय विवरणियाँ तैयार करने के लिए निर्वाचन की तिथि की घोषणा से परिणाम की घोषणा तक प्राप्तियों एवं खर्चों का विवरण बनाए रखना।
   - (ग) एकल व्यक्ति/कम्पनी को एक दिन में रू. 10,000/- से अधिक का भुगतान केवल चैक/ड्रॉफ्ट/बैंक ट्रांसफर के माध्यम से करना (न कि नकद रूप में)।
   - (घ) देय/बकाया धनराशि भी लेखा में अभिलेखबद्ध एवं सम्मिलित की जाए।
   - (ङ) सभी प्राप्तियों के वस्तु रूप में और/या उपहार के रूप में कल्पित मूल्य भी लेखे में सम्मिलित किए जाने हैं।

ख. नाम-निर्देशन की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा की तारीख तक

7. सुनिश्चित करना कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी किए जाने के 7 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची उपलब्ध करा दी जाए अन्यथा स्टार प्रचारकों की यात्राओं पर उपगत सभी व्यय अभ्यर्थी के खाते में डाल दिए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के स्पष्टीकरण (2) के अर्थ के अंतर्गत लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता।
8. सुनिश्चित करना कि जबकि सामान्य दलीय प्रचार के लिए व्यय का दल द्वारा लेखा-जोखा रखा जाए, दल द्वारा अभ्यर्थी/(अभ्यर्थियों) के नाम, फोटो या मंच साझा करने आदि के साथ उनके लिए प्रचार करने में किए गए प्रचार व्यय को आयोग के अनुदेशानुसार अभ्यर्थियों के खाते में जोड़ा जाएगा।

9. रैली/जुलूस/सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से सम्यक अनुमति ली जाए।

10. प्रकाशक और मुद्रक की और से आरओ को सूचना देने और पोस्टर एवं पर्चे के मुद्रण पर परिशिष्ट क और ख में प्रकाशक एवं मुद्रक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक घोषणा के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के उपबंधों से अवगत होना।

11. दलीय पदाधिकारियों तथा अभ्यर्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171क से 171झ के उपबंधों के बारे में सूचित करना और विशेषकर इस बारे में सूचित करना कि बिना उसके प्राधिकार के अभ्यर्थी की संभावना का प्रबंध करने या बढ़ाने पर संबंधि व्यक्तियों को दण्डित किया जाएगा।

12. पार्टी कार्यकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171क से 171झ तक और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अधीन दंडात्मक उपाय के संबंध में और विशेषकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ख एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(2) के अधीन निर्वाचकों को रिश्वत दिए जाने के संबंध में अवगत कराना।

13. अभ्यर्थी को आयोग के अनुदेशों के अनुसार उसके निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन रैली के दौरान पार्टी को हैलीकॉप्टरों तथा हवाई जहाजों की सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कम्पनी के नाम तथा भाड़े पर लेने के प्रभारों के बारे में सूचित करना।

ग. परिणाम की घोषणा के पश्चात

14. राजनीतिक दलों को विधान सभा/लोक सभा के निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के बाद 30 दिनों के भीतर अभ्यर्थी को दल द्वारा किए गए इकमुश्त भुगतानों के संदर्भ में (i) आंशिक विवरणी के अतिरिक्त (ii) उपर्युक्त के अनुसार दलों द्वारा दाखिल किए जाने के लिए अपेक्षित निर्वाचन व्यय की अंतिम विवरणी (विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन के पूरे होने के 75 दिनों/90 दिनों के भीतर) भारत निर्वाचन आयोग (राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के मामलें में) या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (अमान्यता प्राप्त दलों के मामले में, जहां दल का मुख्यालय स्थित है) के समक्ष विहित फार्मेट में दाखिल करनी है।

15. राज्य के विधान सभा निर्वाचनों के समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर तथा लोकसभा निर्वाचनों के समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर विहित फार्मेट में चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित निर्वाचन व्यय की समेकित विवरणी प्रस्तुत करना। मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के मामले में, लेखे आयोग में प्रस्तुत किए जाने हैं और अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के मामले में, लेखे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहां दाखिल किए जाने हैं।

झ.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क. अभ्यर्थियों के लिए:

1. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा क्या है ?

उत्तर. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए विहित अधिकतम सीमा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली एवं जम्मू–कश्मीर	95.00 लाख	40.00 लाख
2.	मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा	95.00 लाख	28.00 लाख
3.	अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव, **लक्षदीप**, पुडुचेरी एवं लद्दाख	75.00 लाख	28.00 लाख*

*दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू–कश्मीर को छोडकर अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में कोई विधान सभा नहीं है।

2. मैं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक अभ्यर्थी हूँ। निर्वाचन व्यय के संबंध में मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है ?

उत्तर: (क) सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन व्यय रजिस्टर प्रदान किया जाएगा और उनसे अपेक्षित है कि वे उस तिथि से जब उन्हें नाम-निर्दिष्ट किया गया है, परिणामों की घोषणा की तिथि (दोनों तिथियां सम्मिलित) तक के निर्वाचन व्यय का लेखा सही और सटीक रूप में बनाए रखें।

(ख) यह आवश्यक है कि प्रचार अवधि के दौरान रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार कम से कम 3 बार निर्वाचन प्राधिकारियों से निर्वाचन व्यय लेखे की जांच करवाई जाए।

(ग) सभी अभ्यर्थियों को परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी क समक्ष अपना सही निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करना है।

3. अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय रजिस्टर, जिसे परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है, में क्या-क्या शामिल होते हैं ?

उत्तर. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को निम्नलिखित रजिस्टर/विवरणियां दाखिल करनी होंगी:

(i) दैनिक लेखा रजिस्टर (सभी बिल एवं वाउचर कालक्रमानुसार हों और अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित हों)।

(ii) रोकड़ रजिस्टर।

(iii) बैंक रजिस्टर (बैंक विवरण की प्रमाणित प्रति सहित)

(iv) अभ्यर्थी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित सार विवरणी (भाग I से IV) और अनुसूची 1 से 11

(v) अभ्यर्थी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित शपथ पत्र।

4. क्या अनन्य रूप से अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लिए एक अलग बैंक खाता का होना अनिवार्य है? इसे कब और कहां खोला जाना चाहिए ?

उत्तर. हां, एक अलग बैंक खाता का होना अनिवार्य है, जिसे अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम-निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व किसी भी समय खोला जाना है। इसे या तो अभ्यर्थी के नाम पर या उनके निर्वाचन एजेन्ट के साथ संयुक्त नाम पर खोला जा सकता है। तथापि, बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम पर उस परिस्थिति में नहीं खोला जाना चाहिए, यदि वह अभ्यर्थी का निर्वाचन एजेन्ट नहीं है। खाता राज्य में कहीं भी सहकारी बैंक या डाकघरों सहित किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। इस खाते के विवरण के बारे में रिटर्निंग अधिकारी को नाम-निर्देशन दाखिल करने के समय सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थी को निर्वाचन खर्च के निमित्त सभी धन राशि जमा करनी है और अपने सभी निर्वाचन खर्चों को केवल इस खाते से उपगत करना है। निर्वाचन व्यय के लिए एक समर्पित/अलग बैंक खता खोलने की विफलता आयोग द्वारा विहित रीति से खाता नहीं बनाए रखा गया माना जाएगा।

5. क्या व्यय प्रेक्षक तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष निर्वाचन व्यय रजिस्टर के साथ सभी बिलों एवं वाउचरों को दर्ज किया जाना अपेक्षित है और अभ्यर्थी द्वारा कौन-कौन से दस्तावेज दाखिल एवं हस्ताक्षरित किए जाने अपेक्षित हैं ?

उत्तर: हां, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में किए गए उपबंध के अंतर्गत व्यय की प्रत्येक मद के लिए सभी वाउचर प्राप्त करने होंगे, सिवाय उन मदों के, जहां वाउचर प्राप्त करना संभव नहीं है। सभी वाउचर निर्वाचन व्यय खाते के साथ दाखिल करने होंगे, जिसे भुगतान की तारीख और अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा किए गए क्रम-संख्यांकन के अनुसार व्यवस्थित करने होंगे तथा ऐसी क्रम संख्याएं खाते में डाली जाएंगी। शपथ-पत्र एवं सार विवरणी स्वयं अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी, जबकि शेष दस्तावेजों पर अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित हैं।

6. क्या घटित होगा यदि मैं लेखा दाखिल ही नहीं करता हूं या विहित समय एवं रीति से लेखा दाखिल नहीं करता हूं।

उत्तर: यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर या विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अपना लेखा दाखिल करने में असफल रहता है या अपना लेखा दाखिल करने मे विफल रहता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरु की जाएगी और उसे सम्यक् प्रक्रिया का पालन करते हुए आयोग द्वारा संसद के किसी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने और होने से आयोग द्वारा अभ्यर्थी को इस तरह निरर्हित घोषित किए जाने के आदेश की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जा सकता है।

7. लेखा-समाधान बैठक क्या है ? क्या अभ्यर्थी को बैठक में भाग लेना है ?

उत्तर: जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणामों की घोषणा की तारीख के बाद 26वें दिन अभ्यर्थी द्वारा मेनटेन किए जाने वाले निर्वाचन खर्च लेखा में असंगति (तियां), यदि कोई हो, का प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए लेखांकन टीम द्वारा मेनटेन की जाने वाली लेखा विवरणी से मिलान करने के लिए लेखा-समाधान बैठक आयोजित की जाती है। अभ्यर्थी यदि चाहें, तो इस अवसर का उपयोग किया जा सकता है।

8. क्या आदाता खाता चेक (एकाउंट पेयी चेक) द्वारा रु. 10,000/- से अधिक का निर्वाचन व्यय उपगत करना अनिवार्य है?

उत्तर: हां, आयोग के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, अभ्यर्थी निर्वाचन प्रयोजन से खोले गए बैंक खाता से आदाता खाता चेक द्वारा सभी निर्वाचन खर्चों को उपगत करेगा, सिवाय मामूली खर्च के जहां चेक जारी किया जाना संभव नहीं है। यदि निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान व्यय की किसी मद के लिए किसी व्यक्ति/कम्पनी को अभ्यर्थियों द्वारा देय धनराशि 10,000/- रु. से अधिक हो तो ऐसे व्यय निर्वाचन के प्रयोजन के लिए खोले गए बैंक खाते से निकाल कर नकद रूप में उपगत किए जा सकते हैं। अन्य सभी भुगतान उक्त बैंक खाते से आदाता खाता चेक द्वारा किए जाने हैं।

9. क्या नाम-निर्देशन दाखिल करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा उपगत निर्वाचन खर्चों के लेखे का रख-रखाव अनिवार्य है ?

उत्तर: निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा उस तिथि से, जब अभ्यर्थी को नाम-निर्दिष्ट किया गया है, परिणामों की घोषणा की तिथि तक उपगत व्यय का लेखा-जोखा लेखा विवरण में दिया जाना है। यदि व्यय ऐसी अभियान सामग्री पर उपगत किया गया है जिसका प्रचार-अभियान के दौरान उपयोग किया गया है तो अभ्यर्थी को निर्वाचन संबंधी व्यय भी सम्मिलित करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रचार अवधि के दौरान प्रयुक्त प्रचार-सामग्री पर यदि कोई व्यय किया जाता है, तो उसे भी निर्वाचन संबंधी व्यय में शामिल किया जाना है।

10. विभिन्न मदों के लिए दरों का निर्णय कैसे लिया जाता है और मैं दर चार्ट कैसे प्राप्त करूं ?

उत्तर: अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में दैनिक आधार पर मेनटेन किए जाने वाले व्यय की संवीक्षा को फेसिलीटेट करने के उद्देश्य से आयोग ने निदेश दिया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के पश्चात विद्यमान दरों के आधार पर जिले में निर्वाचन प्रचार के लिए सामान्यत: प्रयुक्त मदों की दर चार्ट संकलित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी सभी मदों की दर सूची सभी अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीमों को उपलब्ध करा दी जाए।

11. कोई अभ्यर्थी अपने निर्वाचन प्रचार के दौरान सोशल मीडिया के उपयोग का किस प्रकार लेखा-जोखा रखेगा ?

उत्तर: अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए इंटरनेट कम्पनियों और वेबसाइटों को किए गए भुगतानों तथा विषय-वस्तु के सर्जनात्मक विकास पर प्रचार संबंधी प्रचालनात्मक व्यय, उनके सोशल मीडिया लेखे को मेनटेन करने के लिए नियोजित वर्करों की टीम को प्रदत्त वेतन एवं मजदूरी पर प्रचालनात्मक व्यय को शामिल करेगा।

12. जब, एक "स्टार प्रचारक" मेरे लिए रैली आयोजित करते हैं, तो क्या अभ्यर्थी के रूप में मुझे निर्वाचन खर्चों का लेखा-जोखा रखना है?

उत्तर: यदि अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन एजेन्ट सार्वजनिक रैली या बैठक के आयोजन में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते हैं, तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय से इतर उस रैली पर का सभी व्यय अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा। भले ही, अभ्यर्थी मंच पर उपस्थित नहीं हो, परन्तु अभ्यर्थी के नाम वाले बैनर/पोस्टर या अभ्यर्थी के फोटो सार्वजनिक रैली के स्थान पर प्रदर्शित हों या रैली/बैठक के दौरान "स्टार प्रचारक द्वारा अभ्यर्थी के नाम पर उल्लेख किया गया हो तो भी" "स्टार प्रचारक" के यात्रा खर्च के अलावा उस रैली/बैठक में सभी व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च के लेखे में डाला जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी हो तो, रैली/बैठक में मंच साझा करने या उनके नामों वाले बैनर या पोस्टर प्रदर्शित करने पर ऐसी रैली/बैठक पर खर्च को ऐसे सभी अभ्यर्थियों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा और उनके संबंधित लेखे में जोड़ा जाएगा।

13. प्रचार करने के लिए कितने वाहनों का उपयोग किया जा सकता है और क्या उसके लिए अनुमति वापस ली जा सकती है ?

उत्तर: एक अभ्यर्थी निर्वाचन-प्रचार के उद्देश्य से उपयोग करने के लिए कितनी संख्या में वाहनों का उपयोग कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अभ्यर्थी को ऐसे वाहनों तथ क्षेत्र जहां इनका उपयोग प्रचार हेतु किया जाएगा, के ब्यौरे रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत करना होगा। परमिट की मूल प्रति वाहन के विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। परमिट में वाहन की संख्या, परमिट जारी करने के तारीख, अभ्यर्थी का नाम तथा क्षेत्र जहां उसका उपयोग प्रचार के लिए किया जाएगा, शामिल होगा। अभ्यर्थी को अपने दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर में अनुमत्य वाहनों पर उपगत व्यय मेनटेन करना होगा। यदि अभ्यर्थी आर ओ द्वारा उन्हें नोटिस दिए जाने के बावजूद, प्रचार अवधि के दौरान आर ओ द्वारा निर्धारित तारीखों पर निर्वाचन प्राधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु निर्वाचन व्यय रजिस्टर 3 दिन के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो आर ओ द्वारा वाहन की अनुमति वापस ले ली जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी की सम्यक प्राधिकार/अनुमति के बिना किसी वाहन का उपयोग प्रचार के लिए किया जाना, अभ्यर्थी के लिए अनधिकृत रूप से प्रचार करना समझा जाएगा और उस पर भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय IXA के दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगे और इसलिए, उसे प्रचार-कार्य से तुरन्त हटा दिया जाएगा।

ख. राजनीतिक दलों के लिए

1. राजनीतिक दलों द्वारा क्या–क्या विवरणियां दाखिल की जानी अपेक्षित हैं ?

उत्तर. राजनीतिक दलों को निम्नलिखित विवरणियां दाखिल करनी हैं:-

- अंशदान रिपोर्टें- प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक या आयकर विवरणी भरने के लिए सीबीडीटी द्वारा यथा-विस्तारित तारीख तक।
- वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखा-प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर तक।
- निर्वाचन व्यय की विवरणी-विधान सभा निर्वाचन के समाप्त होने के 75 दिन के भीतर तथा लोक सभा निर्वाचन के समाप्त होने के 90 दिन के भीतर।
- राजनीतिक दलों द्वारा अभ्यर्थी को संवितरित राशि का विवरण देते हुए आंशिक निर्वाचन व्यय विवरणी, परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर दाखिल की जाएगी।

मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग के पास पूर्वोक्त विवरणियां दाखिल करनी हैं जबकि अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को उसे निर्धारित समय एवं रीति से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करने हैं।

2. राजनीतिक दल का "स्टार प्रचारक" कौन है ?

उत्तर. पंजीकृत राजनीतिक दल (मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के मामले में इसकी संख्या 40 से अधिक न हो और मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के अलावा अन्य दल के मामले में इसकी संख्या 20 से अधिक न हो) के निर्वाचन प्रचारकों, जिनके नाम ऐसे निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आयोग को तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे जाते हैं, को स्टार प्रचारक कहा जाता है। इन नेताओं (स्टार प्रचारकों) द्वारा राजनीतिक दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए हवाई जहाज या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा यात्रा करने पर उपगत व्यय को उस राजनीतिक दल के अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत/प्राधिकृत व्यय माना जाएगा।

3. किसी व्यक्ति/कम्पनी/दल के अभ्यर्थी द्वारा नकद रूप में प्राप्त किए जाने वाले दान की सीमा कितनी है ?

उत्तर. किसी व्यक्ति/कम्पनी या राजनीतिक दल से नकद चंदा प्राप्त करने की सीमा रु. 10,000/- है। यदि चंदा रु. 10,000/- से अधिक है, तो उसे चैक/ड्राफ्ट या ई-भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए।

4. मेरा राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक दल (दलों) के साथ गठबंधन में है तब अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) द्वारा निर्वाचन व्यय का किस प्रकार लेखा-जोखा रखा जाएगा ?

उत्तर. गठबंधन से संबंधित दलों के संबंध में विधि में कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए, पूरा व्यय उस अभ्यर्थी द्वारा लेखा-जोखा रखने जाने की शर्त के अधीन है जिसके लिए किसी भी ऐसे दल (दलों) द्वारा प्रचार किया गया है जिसका/जिनका अभ्यर्थी के दल से गठबंधन हो ।

5. क्या स्टार प्रचारक निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नकदी ले जा सकता है ?

उत्तर. हां। स्टार प्रचारक दल कोषाध्यक्ष से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ अपने व्यक्तिगत या किसी भी दलीय पदाधिकारी उपयोग के लिए रु. 1 लाख तक की नकदी अनन्य रूप से ले जा सकता है।

6. "स्टार प्रचारकों" की रैलियों के दौर किए गए व्यय का किस प्रकार लेखा-जोखा रखा जाएगा ?

उत्तर. विमान द्वारा या किसी भी अन्य साधनों द्वारा यात्रा के लेखे पर राजनीतिक दल (स्टार प्रचारकों) के नेताओं द्वारा उपगत व्यय का राजनीतिक दल के व्यय के रूप में लेखा-जोखा रखा जाएगा। यदि कोई परिचारक, जिसमें सुरक्षा गार्ड, मेडिकल परिचारक, या पार्टी के कोई सदस्य सहित ऐसा कोई अन्य व्यक्ति शामिल है जो संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है, या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया को कोई प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी के नेता (स्टार-प्रचारक) के साथ उनके वाहन/विमान/हेलीकॉप्टर आदि में यात्रा करता है तो ऐसे नेता का यात्रा खर्च राजनीतिक पार्टी के खाते में पूरी तरह बुक किया जाएग बशर्ते नेता (स्टार प्रचारक) के साथ ट्रांसपोर्ट साझा करने वाला राजनीतिक पार्टी का उक्त सदस्य या मीडिया कर्मी या परिचारक किसी भी अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन अभियान में किसी भी तरीके से कोई भूमिका नहीं निभाता हो। हालांकि, यदि नेता के साथ ट्रांसपोर्ट साझा करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति अभ्यर्थी (र्थियों) के लिए निर्वाचन अभियान में कोई भूमिका अदा करता हो या कोई अभ्यर्थी ऐसे नेता के साथ उसके वाहन/विमान/हेलीकॉप्टर मे यात्रा करता हो तो नेता के यात्रा व्यय का 50% ऐसे अभ्यर्थी (र्थियों) में प्रभाजित किया जाएगा।

7. यदि किसी व्यक्ति को Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है तो उसके व्यय का किस प्रकार लेखा-जोखा रखा जाएगा ?

उत्तर. 'Z+' (जेड प्लस) सुरक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले एक बुलेट प्रूफ वाहनों की प्रणोदन लागत उस परिस्थिति में संबंधित व्यक्ति द्वारा वहन की जानी चाहिए जब निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उसका उपयोग गैर-आधिकारिक प्रयोजनों के लिए किया जाए। दौरा करने वाले राजनीतिक पदाधिकारियों, जो "स्टार प्रचारक हैं," के मामले में व्यय का लेखा-जोखा पार्टी के खाते में रखा जाएगा। यदि स्टार प्रचारक एक अभ्यर्थी है, तो निर्वाचन-क्षेत्र में वाहन की प्रणोदन लागत उसके निर्वाचन व्यय लेखे में डाली जाएगी। यदि सुरक्षा सुविधा का लाभ उठाने वाला दलीय पदाधिकारी एक स्टार प्रचारक नहीं है, और वह अभ्यर्थी के लिए प्रचार करता है, तो ऐसे अभियान के लिए प्रयुक्त सुरक्षा वाहन की प्रणोदन लागत अभ्यर्थी के लेखे में जोड़ी जाएगी।

8. क्या बैरीकेड और मंच के निर्माण पर उपगत व्यय ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थी (र्थियों) या राजनीतिक पार्टी के लेखे में बुक की जानी है जिसमें राजनीतिक पार्टी का "नेता" (स्टार प्रचारक) किसी रैली/बैठक में भाग लेता है ?

उत्तर. सार्वजनिक रैली/बैठक, जिसमें राजनीतिक दल का "नेता" (स्टॉर प्रचारक) भाग ले रहा हो, के लिए सुरक्षा कारणों की वजह से या तो सरकारी एजेंसियों द्वारा या किसी गैर-सरकारी द्वारा बैरिकेड/मंच आदि के निर्माण पर उपगत व्यय उस अभ्यर्थी के खाते में बुक किया जाना है जिसके निर्वाचन-क्षेत्र में रैली/बैठक आयोजित हो रही है। यदि अभ्यर्थियों का समूह उस समय मंच पर उपस्थित हो तो व्यय उन अभ्यर्थियों के बीच समान रूप से प्रभाजित कर दिया जाएगा।

ग. निर्वाचन तंत्र

1. जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी) के सदस्य कौन होते है और डीईएमसी के क्या प्रकार्य होते हैं?

उत्तर. डीईएमसी में (i) निर्वाचन-क्षेत्र के प्रभारी व्यय प्रेक्षक, (ii) जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और (iii) उप-जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला के व्यय अनुवीक्षण के प्रभारी अधिकारी शामिल होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को तामील किए गए नोटिस में उल्लिखित साक्ष्य और उस पर अभ्यर्थी के उत्तर की जांच करने के बाद डीईएमसी को, अधिमानत: अभ्यर्थी से उत्तर प्राप्त होने की तारीख से 72 घंटों के भीतर, अभ्यर्थी द्वारा उपगत निर्वाचन व्यय के छिपाए जाने के मामले पर इस दृष्टि से निर्णय लेना होगा कि क्या इस प्रकार से छिपाए गए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च लेखे में जोड़ा जाएगा या नहीं।

2. व्यय प्रेक्षक कब जिला मुख्यालय में रिपोर्ट करते हैं और उनसे किन-किन प्रकारों के कर्तव्यों के निष्पादन की अपेक्षा की जाती है ?

उत्तर. व्यय प्रेक्षक को, उसे निर्दिष्ट किए गए विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र/जिला मुख्यालय में तीन बार विजिट करना होता है।

पहली विजिट– व्यय प्रेक्षक निर्वाचनों की अधिसूचना की तारीख के दिन तीन पूरे दिनों की कालावधि के लिए निर्वाचन-क्षेत्र में पहुंचेंगे। इस विजिट के दौरान उन्हें निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के कार्य में लगी सभी टीमों से मिलना है। वे डीईओ, पुलिस अधीक्षक, पुलिस, आयकर, राज्य आबकारी और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से समन्वयन करेंगे। उनके संपर्क नम्बर भी अधिसूचित किए जाते हैं ताकि वे अभ्यर्थियों और जनता से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई अप्रिय घटना या कदाचार के संबंध में शिकायत प्राप्त कर सकें।

दूसरी विजिट - व्यय प्रेक्षक दूसरी बार अभ्यर्थिताएं वापस लेने के तत्काल बाद अगले दिन निर्वाचन क्षेत्र में पुन: विजिट करेंगे और संपूर्ण प्रचार अवधि के दौरान निर्वाचन-क्षेत्र में ही बने रहेंगे, और मतदान के बाद ही निर्वाचन-क्षेत्र से जाएंगे। हालांकि, आयोग द्वारा इस प्रकार निदेशित किए जाने पर उन्हें मतों की गणना होने तक रुकना है। इस अवधि के दौरान, वे व्यय अनुवीक्षण के काम में लगी हुई सभी टीमों के कार्यकलापों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और जहां कही भी किसी भी टीम के कार्यकलाप में ढिलाई या अनियमितता हो, वे उसे जिला निर्वाचन अधिकारी के नोटिस में लाते हैं। वे प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का निरीक्षण करते हैं और विसंगतियों पर अपनी टिप्पणियां देते हैं।

तीसरी विजिट - प्रेक्षक को निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के पश्चात *25वें* दिन जिले में पुन: विजिट करना है और परिणामों की घोषणा के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा जमा कराए गए निर्वाचन व्यय के लेखे की संवीक्षा में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता करने के लिए आठ पूर्ण दिवस हेतु जिले में ही रहना है उन्हें परिणामों की घोषणा के पश्चात 26वें दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली लेखा समाधान बैठक में उपस्थित रहना चाहिए।

3. कौन-सी टीमें निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र का हिस्सा बनती हैं?

उत्तर. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र का हिस्सा बनने वाली टीमें निम्नलिखित हैं:-

- व्यय प्रेक्षक (ईओ)
- सहायक व्यय प्रेक्षक (एईओ)
- वीडियो निगरानी दल (वीएसटी)
- वीडियो अवलोकन दल (वीवीटी)
- लेखाकरण दल (एटी)
- शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर
- मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी)
- उड़न दस्ते (एफएस)
- स्थैति निगरानी दल (एसएसटी)

4. व्यय प्रेक्षक द्वारा कितने निरीक्षण किए जाने अपेक्षित होते हैं ?

उत्तर. व्यय प्रेक्षक द्वारा कुल मिलाकर 3 निरीक्षण किए जाने अपेक्षित होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम रूप से निरीक्षण की तारीखों के बारे में बताया जाता है। अंतिम निरीक्षण मतदान की तारीख से तीन दिन से अधिक पहले नहीं किया जाना है ताकि मुख्य प्रचार अभियान व्यय इस निरीक्षण के अधीन कवर हो जाए।

5. छाया प्रेक्षण रजिस्टर (एसओआर) क्या है ?

उत्तर. प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में छाया प्रेक्षण रजिस्टर (एसओआर) का अनुरक्षण लेखाकरण दल द्वारा दिए गए फार्मेट में किया जाना है। इसे मुख्य रैलियों/जुलूसों/बैठकों इत्यादि पर वास्तव में उपगत खर्चों की मदों की, अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट किए गए खर्चों के साथ दुतरफा पड़ताल करने के लिए बनाए रखा जाना है।

6. साक्ष्यों का फोल्डर (एफई) क्या है ?

उत्तर. लेखाकरण दल द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए छाया प्रेक्षण रजिस्टर के साथ-साथ साक्ष्य फोल्डर भी बनाए रखना है। सीडी/डीवीडी/दस्तावेजों इत्यादि के रूप में साक्ष्यों को छाया प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्ट खर्चों के लिए परस्पर संदर्भित किया जाता है।

7. निर्वाचन अभियान के संबंध में पैम्फलेट, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर कौन कौन से प्रतिबंध हैं ?

उत्तर. कोई भी व्यक्ति ऐसे कोई निर्वाचन संबंधी पैम्फलेट या पोस्टर मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा या उनके मुद्रित होने या प्रकाशित होने का कारण नहीं बनेगा जिसके अग्रभाग पर मुद्रक और उसके प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो। उसको तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके प्रकाशक की पहचान के संबंध में उसके द्वारा हस्ताक्षरित और उसे व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित घोषणा-पत्र उसके द्वारा मुद्रक को डुप्लीकेट प्रतियों में न सौंप दिया जाए। इसके अतिरिक्त, दस्तावेज के मुद्रण के बाद यथोचित समय के भीतर प्रिंटर द्वारा दस्तावेज की एक प्रति सहित घोषणापत्र की एक प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को या यदि राज्य की

राजधानी में मुद्रित हुआ है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौपी जानी है। यदि कोई व्यक्ति ऊपरोल्लिखित किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसे कारागार, जिसे छह माह तक आगे बढ़ाया जा सकता है और 2,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

8. राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आयोग को अपनी पार्टी के "नेताओं" (स्टार प्रचारक) की सूची कितने दिनों के अंदर भेजनी अपेक्षित है ?

उत्तर. भारत निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को "नेताओं" (स्टार प्रचारकों) की सूची निर्वाचनों की अधिसूचना के जारी होने की तारीख के 7 दिनों की अवधि के अंदर संसूचित कर दी जानी चाहिए। मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल (राष्ट्रीय/राज्यीय) 40 व्यक्तियों के नाम भेज सकते हैं और पंजीकृत राजनैतिक दल 20 व्यक्तियों के नाम भेज सकता है जिन्हें "स्टॉर प्रचारक" माना जाएगा। इन "स्टॉर प्रचारकों" के यात्रा व्यय को अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा।

9. निर्वाचन अवधि के दौरान नकदी/उपहार की वस्तुएं ले जाए जाने की कितनी सीमा है ?

उत्तर. उड़न दस्ते/स्थैतिक निगरानी दल द्वारा जांच किए जाने के दौरान यदि अभ्यर्थी, उसके एजेंट, या दलीय कार्यकर्ता को ले जाने वाले वाहन में रु. 50,000/- से अधिक पाया जाता है या ऐसे पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, मदिरा, हथियार या उपहार वस्तुओं, जिनका मूल्य रु. 10,000/- से अधिक हो और जिनके निर्वाचकों को प्रलोभन देने में इस्तेमाल किए जाने की संभावना हो, को पाया जाता है या वाहन में कोई अन्य अवैध वस्तुएं पाई जाती हैं तो वह जब्त किए जाने की शर्त के अधीन होगी।

10. किन परिस्थितियों में आयकर विभाग को नकदी/वस्तुओं की जब्ती के बारे मे बताया जाएगा ?

उत्तर. यदि वाहन में 10 लाख रूपये से अधिक की नकदी पाई जाती है और इसमें कोई अपराध करने जैसा कोई संदेह नहीं है और न ही उसका किसी अभ्यर्थी, अभिकर्ता या पार्टी कार्यकर्ता से कोई संबंध है तो स्थैतिक निगरानी दल नकदी को जब्त नहीं करेगा और आयकर विधियों के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आयकर प्राधिकारी को सूचित करेगा।

11. निर्वाचन के दौरान जब्त की गई नकदी इत्यादि को अवमुक्त करने के लिए व्यथित व्यक्ति को किस प्राधिकारी को अपील/संपर्क करना चाहिए ?

उत्तर. जिला स्तर पर जब्त की गई नकदी पर निर्णय लेने के लिए बनाई गई समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं:

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला परिषद/सीडीओ/पी,डी,डीआरडीए
(ii) जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी (संयोजक) और
(iii) जिला राजकोष अधिकारी

जब्ती के संबंध में अपील की प्रक्रिया का उल्लेख जब्ती दस्तावेज में करना है और इसकी सूचना जब्ती के समय व्यथित व्यक्ति को दी जानी होती है। किसी भी परिस्थिति में नकदी/जब्त की गई मूल्यवान वस्तुओं संबंधी मामला, जब तक कोई एफआईआर/शिकायत न दर्ज की जाए, मतदान की तिथि के पश्चात सात दिनों से अधिक की अवधि

के लिए लंबित नहीं रखा जाएगा। समिति के क्रियाकलापों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि आम जनता को कोई असुविधा न हो।

12. किसी भी व्यक्ति को रिश्वतखोरी/मदिरा/नकदी वितररण के बारे में कहां शिकायत करनी चाहिए ?

उत्तर. प्रत्येक जिले में शिकायत अनुवीक्षण प्रकोष्ठ/कॉल सेंटर होता है और उसकी दूरभाष संख्या मीडिया में भी प्रकाशित होती है। शिकायत इस नम्बर पर की जा सकती है। उड़न दस्ते शीघ्र उस स्थल पर पहुंचेंगे जहां रिश्वतखोरी इत्यादि की घटना कथित रूप से घटित हो रही है।

13. प्रकाशन व्यय का वहन कौन करेंगे ?

उत्तर : खर्च, यदि कोई हुआ तो उसका वहन अभ्यर्थी और राजनीतिक दलों द्वारा संबंधित मामलों में किया जाएगा और उनके व्यय विवरण में प्रतिबिंबित किया जाएगा।

14. क्या इस मद पर हुए व्यय का लेखा-जोखा रखा जाएगा ?

उत्तर : हां। इसके चुनाव से जुड़ा व्यय होने के नाते यदि इस संबंध में कोई व्यय उपगत किया जाता है तो उसे चुनाव के उद्देश्य के लिए हिसाब में लिया जाएगा और प्रतिबिंबित किया जाएगा तथा यथास्थिति डीईओ/सीईओ/ईसीआई के पास दर्ज किया जाएगा।

****